वें माला, खंड 35, अंक 21 सोमवार, 15 दिसम्बर, 1969/24 अग्रहायण, 1891 (शक)
urth Series, Vol.XXXV.No.21 Monday, 15 December, 1969/Agrahayana 24, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]
Ninth Session





[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक हैं]
Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

15 दिसम्बर, 1969 । 24 अग्रहायण , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xxi	पंक्ति 1 से पूर्व निम्नलिखित पढ़िये : 1 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2132 के उत्तर में शुद्धि सम्बन्धी वक्तव्य Statement correcting Answer to USQ No. 2132 dated 1-12-1969
xxii	पंक्ति 5 में `श्री मो.सूर्यनारायण के स्थान पर `श्री को.सूर्यनारायण ` पढ़िये ।
141	पंक्ति 13 और 16 में प्रश्न संख्या `3132 ` के स्थान पर `2132 ` पढ़िये ।
175	पंक्ति 19 के बाद निम्नलिखित पढ़िये : `उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Deputy Speaker in the Chair

अंक 21, सोमवार, 15 दिसम्बर, 1969/24 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 21, Monday, December 15, 1969/Agrahayana 24, 1891 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख Obituary Reference ... 1–2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
572 नीदरलैण्ड के सहयोग से यू. एन. ब्रिज ग्रुप का बनाया जाना	Formation of UN Bridge Group with Netherlands Cooperation	3–4
573 जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण कारोबार में की गई प्रगति	Progress made by Life Insurance Corporation in Rural Business	4–7
574 समाधियों के निर्माण पर खर्च	Expenditure on Construction of Samadhis ...	7–11
575 सान फ्रांसिस्को में हुये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का भाग लेना	Participation of India in International Conference held in San Francisco	11–12
576 बैंकिंग उद्योग के कार्य-संचालन सम्बन्धी आयोग की नियुक्ति	Appointment of Commission on working of Banking Industry	12–15
577 भारत और न्यूजीलैण्ड के बीच हुए क्रिकेट मैच का बीमा	Insurance of Cricket Match held between India and New Zealand	15–16
578 टाटा तथा बिड़ला की फर्मों द्वारा कर अपवंचन	Tax evasion by Tata and Birla Firms ...	16–17

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–जारी/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
579 पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कुप्रभावित केरल तथा मैसूर राज्य को राहत	Relief to Kerala and Mysore for being adversely affected by Fifth Finance Commission's Recommendations	17–18
अ.सू. प्रश्न संख्या/S.N.Q.No.		
2. प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission ...	18–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.		
ता. प्र. सं./S.Q.Nos.		
571 तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये पश्चिमी तट का सर्वेक्षण	Survey of West Coast for setting up an Oil Refinery there	23
580 विश्व बैंक के एक अध्ययन दल द्वारा गोरखपुर उर्वरक कारखाने का दौरा	Visit to Gorakhpur Fertilizer Factory by World Bank Study Group ...	23
581 विदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का प्रचार	Propagation of Ayurvedic System of Medicines in Foreign Countries	23-24
582 परिवार नियोजन विकास में लिए भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता	Aid from Aid India Consortium for Family Planning Development	24
583 बिहार के बांका उपखण्ड के तांबे की खोज में प्रगति	Progress in Exploration Work of Copper Finds in Banka Sub-Division	24–25
584 ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय योजना	National Plan for the Control of Brahamputra	25
585 राहत कार्य के लिए दान दी गई औषधियों का मुंगेर सदर अस्पताल से बरामद किया जाना	Drugs recovered from Monghyr Sadar Hospital donated for Relief purposes	25–26
586 अमरीकी से डाई एमोनियम फासफेट का आयात	Import of Di-Ammonium Phosphate from USA	26–27

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

587	रेलवे सामान के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा	Expenditure in Foreign Exchange on the Import of Railway Goods	27
588	घाटे का बजट तथा मूल्य सूचकांक	Deficit Finance and Price Index ...	27–28
589	आयकर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों को आयकर आयुक्त द्वारा छूट का दिया जाना	Exemption of Defaulters from paying Income tax to Income tax Commissioner	28–29
590	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाना	Increase in Dearness Allowance to Central Government Employees	29
591	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य-कुशलता	Efficeincy in Nationalised Banks ...	29
592	सरकारी उपक्रमों में भविष्य निधि योजना को पेंशन का रूप देना	Conversion of Provident Fund Scheme into Pension in Public Undertakings	29–30
593	भारत में यूनेस्को मिशन तथा इसके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कथित कदाचार	Alleged Malpractices Committed by UNESCO Mission in India and its Administrative Officer	30–31
594	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दस सूत्री कार्य-क्रम	10 Point AICC Proramme	31
595	रासायनिक उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिये लाइसेंस	Licence for Expansion of capacity of Chemical Industry	32
596	दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के निर्माण में विलम्ब	Delay in the Construction of Durgapur Fertilizer Factory	32–33
597	लौह अयस्क निर्यातकर्त्ताओं द्वारा कम राशि के बीजक बनाना	Under-invoicing by Iron ore Exporters ...	33

ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
598 राज्यों में सभी प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Electricity Rates for all purposes in the States	33–34
599 पश्चिमी जर्मनी की फर्मों द्वारा कोयला आधारित उर्वरक कारखानों के लिए तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव	Offer of Technical Collaboration for coal based Fertilizer plants by West German firms	34–35
600 लौह अयस्क के बदले में खनन उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया का प्रस्ताव	Yugoslavia's offer to supply Mining Equipment in exchange for Iron ore	35
अता.प्र.संख्या/U.S.Q.Nos.		
3801 दिल्ली द्वारा नामांकित चिकित्सा छात्रों को चिकित्सा कालेज, श्रीनगर में प्रवेश देने से इन्कार	Refusal of Admission in Medical College, Srinagar to Medical Students nominated by Delhi	35–36
3802 बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र	Area under Floods	36–37
3803 पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये भारत के रिजर्व बैंक की योजना	Scheme of RBI for Industrial Development in Backward Areas ...	37–38
3804 शहरी सम्पत्ति पर प्रस्तावित अधिकतम सीमा निर्धारण के परिणामों का अध्ययन	Study of impl cations of proposed ceiling on Urban Property	38
3805 मकानों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई राशि	Amount demanded by Government of Madhya Pradesh for construction of Houses ...	38
3806 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes sent by Madhya Pradesh Government	38–39
3807 मध्य प्रदेश में कर अपवंचन के मामले	Tax Evasion cases in M. P.	39

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos/विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3808 मध्य प्रदेश में राक फास्फेट के निक्षेपों का मिलना	Location of Rock Phosphate Deposits in Madhya Pradesh ...	39
3809 ट्राम्बे उर्वरक एकक के विस्तार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण (यूसेड) से सहायता	Aid Offer by USAID for Expansion of Trombay Fertilizer Unit	39–40
3810 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की मैसूर के लिए लौह अयस्क योजना	National Mineral Development Corporation's Iron Ore Scheme for Mysore	40
3811 दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों की समस्यायें	Jhuggi Jhonpri colonies problems in Delhi ...	41
3812 केन्द्रीय सहायता पर आश्रित राज्य	States depending on Central Aid ...	41
3813 कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों की दशा	Condition of Class IV Employees Quarters in Kasturba Nagar, New Delhi	41–42
3814 विदेशी तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में कमी	Reduction in price of Crude Oil by Foreign Oil Companies	42–43
3815 खाद्य पदार्थों में मिलावट	Food Adulteration	43
3816 औद्योगिक कर्मचारियों की परिभाषा	Definition of Industrial Workers	43–45
3817 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों के काम के घंटे	Working Hours of Sectional Officers in CPWD	45–46
3818 भारतीय तेल निगम के तेल शोधन डिवीजन की खरीद प्रणाली	Procurement by Refinery Division of Indian Oil Corporation of India	46

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3819 डाकियों के माध्यम से कंडोमों का बेचा जाना	Sale of Condoms through Postmen	46–47
3820 भारतीय तेल निगम द्वारा अपने परामर्शदाताओं को सप्लायरों की सूची की सप्लाई	Supply of list of suppliers by IOC to their Consultants	47–48
3821 भारतीय तेल निगम द्वारा खरीद के बारे में संविदागत शर्तें	Contractural terms governing Purchase by IOC	48–49
3823 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न सहकारी गृह-निर्माण समितियों को विकसित प्लाटों का आवंटन	Allotment of Developed plots to various Coopeeative Housing Socities of the Central Government	49
3823 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की पदोन्नति	Promotion of Sectional Officers in the CPWD	49–50
3824 उड़ीसा में बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान	Assessment of Flood damages in Orissa ...	50
3825 दिल्ली में एक अस्पताल कर्मचारी द्वारा एक महिला रोगी के साथ छेड़छाड़	Malestation of a Female Patient by Delhi Hospital Employee ...	50
3826 बरौनी उर्वरक कारखाने के लिए भूमि की खरीद	Purchase of Land for Barauni Fertilizer Unit	51
3827 तेल की मांग और पूर्ति में अन्तर	Gap between Supply and Demand of Oil ...	51
3828 भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पंचाट जीतना	Award for Fertilizer Corporation of India ...	52
3829 पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को फिर से बसाना	Rehabilitation of Displaced Persons from West Pakistan	52

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3830 सरकारी क्षेत्र के विज्ञापनों का केन्द्रीयकरण	Centralisation of Advertisements of Public Sector	52–53
3831 वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के विलय के कारण कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर कुप्रभाव	Adverse effect on Emoluments of certain Government Employees due to merger of D.A. with Pay	53–54
3832 दिल्ली में भूमि का अर्जन	Land acquisition in Delhi	54
3833 दिल्ली में गृह–निर्माण सहकारी समितियों का पंजीकरण	Registration of Housing Co-operative Societies in Delhi	55
3834 राजस्थान में बाढ़	Floods in Rajasthan ...	55–56
3835 बिड़ला बन्धुओं द्वारा अलमोनियम कारखाने की स्थापना	Establishment of Aluminium Plant by Birlas	56–57
3836 मोटे कपड़े पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क	Exorbitant Excise duty on coarse cloth	57
3837 आयकर विभाग से सम्बन्धित भार्गव ब्रादर्स, लखनऊ से सम्बन्धित फाइल	File re: Bhargava Brothers, Lucknow relating to Income Tax Department	57–58
3838 बम्बई के यूनाईटेड इन्टरप्राइजिज के कार्यालय पर छापा	Raid on the Office of United Enterprises, Bombay	58–59
3839 पटना मेडिकल कालेज में अंकों में हेर फेर	Tampering with marks in Patna Medical College	59
3840 मथुरा के समीप उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Factory near Mathura	59
3841 कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange violation by Companies ...	59–60
3842 कोलम्बो योजना के देशों में राष्ट्रीय उत्पादन के विकास की दर	Rate of Growth of National Product in Colombo Plan Countries	60–61

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3843	ऋण के लिये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बातचीत	Negotiations between India and Netherlands for advancing credits to India	61
3844	चलचित्र अभिनेताओं की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from Film Stars	61–63
3845	मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं का विकास	Development of Irrigation Projects in Mysore	63
3846	उत्तर प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की कथित शिकायत	UP Cheif Minister's reported Complaint re: Step-motherly Treatment to Uttar Pradesh ...	63–64
3847	पश्चिम बंगाल में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Urban Property in west Bengal ...	64
3848	पाकिस्तान की ओर जल शुल्क की बकाया राशि	Water Charges due from Pakistan	64
3849	नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यों में अनियमितताओं की जांच	Enquiry into Irregularities by NDMC	64–65
3850	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये अलग कर्मचारी संवर्ग	Separate Cadre for Management of Public Enterprises	65–66
3851	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मैसेन्जरों और फराशों का समयोपरि भत्ता	Overtime Allowances of Messengers and Farrashs in Central Governmen Offices	66–67
3852	वेतन ढ़ांचे का पुनरीक्षण	Revision of Pay Structure	67
3853	पटना विश्वविद्यालय की एम. बी. बी. एस. परीक्षाओं में कदाचार	Malpractices in M. B. B. S. Examinations of Patna University	67–68

3854	टाटा बन्धुओं द्वारा गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में एक्रिलोनिट्राइल और एक्रिलिक रेशे के उत्पादन की योजना	Scheme for Production of Acrylontrile and Acrylic Fibres in Gujarat Petro-Chemical Complex by Tatas	68
3855	भारत के स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा किसानों को ऋण	Loans to Farmers by State Bank of India and Life Insurance Corporation	69
3857	नीदरलैंड्स सरकार द्वारा भारत में एक वित्त निगम की स्थापना	Setting up of a Finance Corporation in India by Netherlands Government ...	69
3858	अवमूल्यन के पश्चात् विदेशों को देय राशि	Amounts payable to Foreign Countries after Devaluation ...	69–70
3859	कंगासावाती परियोजना पश्चिम बंगाल के लिये अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance for Kangabeti Project, West-Bengal	70
3860	विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिये अतिरिक्त नियतन	Additional Allocations to increase Power Generating Capacity	70–71
3761	चीनी, कपड़े और तम्बाकू पर बिक्री कर	Sales Tax on Sugar, Textile and Tobacco ..	71
3862	बम्बई में सेफ डिपाजिट वाल्ट्स से धन का पाया जाना	Money seized from Safe Deposit Vaults in Bombay	71–72
3864	बैंकों का कार्य संचालन	Working of Banks	72
3865	लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना	Raising of Marriageable age-limit of Girls ...	72–73
3866	पेंशन में और वृद्धि करने की मांग	Demand for Further Increase in Pensions ...	73
3867	राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप	Rock Phosphate Deposits in Rajasthan ...	73–74

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3868 राजस्थान में जस्ते के निक्षेप	Zinc Deposits in Rajasthan	74-75
3869 जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों में धन लगाना	Investment by LIC to Companies	75
3870 नई दिल्ली स्थित साऊथ ऐवेन्यू के फ्लैटों के बरामदों और खिड़कियों में शीशे लगाना	Glazing of verandah, windows of South Avenue Flats, New Delhi	75–76
3871 क्षय आरोग्य निवास केन्द्र	T. B. Sanitorium Centres	76
3872 चौथी पंचवर्षीय योजना में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये उपाय	Measures to check inflationary trend during Fourth Five Year Plan	76–77
3873 आसाम में बड़ी सिंचाई परियोजना	Major Irrigation Project in Assam	77
3874 आसाम में अधिक बिजली पैदा करने के लिये योजना	Scheme for production of more power in Assam	77–78
3875 जीवन बीमा निगम के खर्चे के अनुपात में वृद्धि	Increase in ratio of LIC Expenditure	78–79
3876 दिल्ली नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग	Health Department of Delhi Municipal Corporation	79
3877 नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान	Houses in Urban and Rural Areas	79-80
3878 बैंकों द्वारा टैक्सी चालकों और रिक्शा चालकों को ऋण	Loans given to Taxiwalas and Rickshawalas by Banks	80
3879 खाद्य मंत्री के आयकर का निर्धारण	Income Tax Assessment of Shri Jagjivan Ram	80–81
3880 दिल्ली के कटरों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Katras in Delhi	81-82

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3881 देश में कृषि योग्य भूमि	Acreage of Cultivable Land in the Country	82
3882 पश्चिम बंगाल की नगरीय ऋण समितियों के बारे में संसद सदस्यों का ज्ञापन	Memorandum by M. Ps. on Urban Credit Socieities in West Bengal	82–83
3883 आर्थिक समीक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन	Reserve Bank's Report on Economic Review	83–84
3884 सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity of Public Sector Industries ..	84
3885 जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों का पुनरीक्षण	Revision of LIC Premium Rates	84
3886 पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण	Pricing of Petroleum Products	85
3887 गांधी जी के सिक्कों की धातु और टंकन पर व्यय	Expenditure on Metal and Minting of Gandhi Coins	85
3888 बाढग्रस्थ क्षेत्रों में सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes in Flood Affected Areas...	85
3889 रामगंगा बांध परियोजना के पूरा करने में विलम्ब	Delay in the Completion of Ramganga Dam Project	86
3890 सरकारी क्षेत्र में घाटे के कारण विकास की धीमी गति	Slow Rate of Growth due to losses in Public Sector	86–87
3891 विदेशों से भेजे गये धन का लेखा	Account of Remittances from Abroad ...	87–88
3892 कलकत्ता में स्कूल आफ ट्रोपीकल मेडिसिन का विस्तार	Expansion of School of Tropical Medicines, Calcutta	88
3893 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों द्वारा दी जाने वाली दवाईयां	Medicines supplied by CGHS Dispensaries ...	88–89

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.			
3895	राज्यों में गृह निर्माण योजनाओं के लिये धन	Funds for Housing Schemes in States ...	89–90
3896	योजना व्यय के लिये आसाम को वित्तीय नियतन	Financial Allocations to Assam for Plan Expenditure	90
3897	दिल्ली में नजफगढ़ रोड़ स्थित अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना	Regularisation of Unauthorised Colonies on Najafgarh Road, Delhi	90–91
3898	झुग्गी झोंपड़ी कालोनी, नारायण दिल्ली में प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots in J. J. Colony Naraina, Delhi	91
3899	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा टैगौर गार्डन, नई दिल्ली के निकट निर्मित बहुमंजिले क्वार्टर	Multi storeyed Quarters Built by DDA near Tagore Garden, Delhi	91–92
3900	गांधी के सिक्कों की चोर बाजारी	Black Marketing in Gandhi Coins ...	92
3902	समुद्र तल से खनिजों का निकाला जाना	Extraction of Minerals from Sea Bottom ...	92–93
3903	मनेरी भाली, टेहारी कोटेश्वर, विशवपुरी तथा विष्णु प्रयाग बांध परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Maneri Bhali Tehari, Koteshwar Shivpuri and Vishnu Prayag Dam Project	93
3905	यूगेस्लाविया से सस्ते तथा मजबूत मकानों का ब्यौरा	Cheap and Durable Houses-details from Yugoslavia	93
3906	उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में तेल प्राप्त होने की संभावना	Oil Prospects in Tarai Regions of U. P. and Bihar ...	93–94
3907	नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालय के लिए अपर्याप्त आवास	Inadequate Accommodation for CGHS Ayurvedic Dispensary, North Avenue, New Delhi ... —	94

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3808 दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा हृदय रोग की औषधि का आविष्कार	Heart Drug evolved by a Delhi man.. ..	94
3909 परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अमरीका तथा रूस से सहायता	Aid for Family Planning Programme from USA and USSR — ...	94–95
3910 कोभी नदी में छोटा बांध	Small Dam at River Kojhi — ...	95
3911 खेतड़ी तांबा परियोजना में तैयार होने वाले उप-उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थ	Bye-Products and Waste to be Produced at Khetri Copper Project	95–96
3912 जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध फालतू निधि	Surplus Funds available with Life Insurance Corporation ...	96
3913 नारायण रिहायशी योजना में दिल्ली विकासअधिकार के एलाटी	Allottees of DDA Flats in Naraian Residential Scheme	96
3914 सरकारी अधिकारियों के निवास स्थानों से टेलीफोन वापस लेना	Withdrawal of Telephones from the residences of Government Officers	97
3915 विदेशी बैंकों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खाते	Senior Government Officers Accounts in Foreign Banks	97
3916 मंत्रालय में समयोपरि भत्ता	Overtime Allowances in Ministries	98
3917 विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी सहायकों की पयोन्नति	Promotion of Hindi Assistants in various Minisrries	98
3918 राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक की क्षमता बढ़ाने के लिये विदेशी फर्म के साथ करार	Agreement with Foreign Firm for increasing capacity of Hindustan Zinc at Rajasthan	99

3919	व्यास परियोजना की लागत में विभिन्न राज्यों के अंश	Shares of various States in the cost of the Beas Project	99–100
3920	मोटर स्पिरिट का निर्यात	Exports of Motor Spirit	100
3921	बम्बई में इण्टरनेशनल फिलम डिस्ट्रीब्यूटर्स के कार्यालयों पर छापे	Raid on International Film Distributors, Bombay	100
3922	प्रमोद पिक्चर्स, बम्बई पर छापा	Raid on Pramode Pictures, Bombay	101
3923	बेलाडिला और किरिबुरु लौह अयस्क खानों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हानि	Loss suffered by NDMC in respect of Bailadilla and Kiriburu Iron ore Mines ...	101–102
3924	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि. त्रिवेन्द्रम में कर्मचारियों का चयन और उनकी नियुक्ति	Selection and appointment of employees in Hindustan Latex Ltd., Trivandrum ...	102–103
3925	जीवन बीमा निगम द्वारा वर्दवान – कुटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड में अंशों की बिक्री	Selling of shares held by LIC in Burdwan Kutwa Railway Co Ltd. ...	103
3926	खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के लिये नई दिल्ली नगर-पालिका के अधिकारी	NDMC Officers for takings sample of Foodstuffs ...	103–104
3927	नई दिल्ली नगरपालिका के कैंटीन में गन्दगी	Unhygienic conditions in NDMC Canteen ...	104
3928	केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में तकनीकी पद	Technical posts in the Central Revenue Control Laboratory	104–105
3929	दक्षिण बम्बई में कोलाबा के एक फ्लेट से सोक की बरामदगी	Recovery of gold from a flat at Kolaba in South Bombay	105

3930	सीमा शुल्क तथा अपराध निरोध विभाग के अधिकारीयों द्वारा बम्बई तथा थाना जिलों में छापे	Raids conducted by Customs and Crime Preventive Department Officials in Bombay and Thana Districts	105–106
3931	बाढ़ तथा सूखाग्रस्त राज्यों को धन का आवंटन	Amounts allocated to flood and drught affected States	106–107
3932	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया द्वारा कपड़ा मिलों को दी गई राशि	Amount given to cotton mills by Industrial Development Bank of India	107
3933	कोयम्बटूर नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Coimbatore City ...	
3934	आसनसोल के श्री एस.के. राय चौधरी द्वारा जीवन बीमा निगम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the LIC by one Shri S. K. Ray Choudhary of Asansol	108
3935	औषधियों के अत्याधिक मूल्यों के लिए समिति	Committee to study high prices of drugs	
3936	दिल्ली विकास अधिकरण में फ्लेटों का मूल्य	Cost of Delhi Development Auth Flats ...	
3937	रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सहकारी ऋण समितियों को आवेदन	R. B.'Is order to Co-operative Credit Societies ...	
3938	चौथी योजना में महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिचाई परियोजनायें	Major and Medium Irrigation Projects for Maharashtra during Fourth Plan	111
3939	थानीरमुकोम बांध का निर्माण कार्य	Completion of Thannirmukkom Bund ...	111
3940	कोयम्बटूर जिले में कुंड टेलरेस जल का सिचाई के लिये उपयोग	Utilisation of Kundha Tailarace Water for Irrigation in Coimbatore District	112

3941	भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट के माल उतारने तथा चढाने वाले अनुभाग में ठेका प्रणाली	Contract System prevailing in Loading and Unloading section of Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India	112
3942	विषाक्त भोजन के कारण मौतें	Deaths due to Food poisoning	112 113
3941	मैसूर की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Major Irrigation Projects, Mysore	113
3944	मैसूर की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance for Irrigation Schemes in Mysore	114
3945	सिन्दरी में कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus Scheme for Workers in Sindri ...	114
3946	इंडियन बैंक आफ मद्रास, कनारा बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Credits given by Indian Bank of Madras, Kanara Bank, State Bank and other Banks ...	114–115
3947	दामोदर घाटी निगम के अधीन काम कर रहे डाक्टरों की एक दिन की हड़ताल	A day's strike by Doctors working under DVC	115–116
3948	इण्डिया आयल कारपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा स्नेहक तेलों की बिक्री	Sale of Lubricant Oil by IOC and Foreign Concerns	116–117
3949	सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरी आधार पर पारी के बाहर क्वार्टरों का नियतन	Out of turn Allotment of Quarters to Government Employees on Medical Grounds ..	117
3950	मैसूर राज्य में प्रसूति गृह	Maternity Centres in Mysore State	117–118

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3951 सहकारी ऋण संस्थाओं की मार्गदर्शी समिति का सम्मेलन	Convention of Steering committee of Co-operative Credit Societies	118
3952 कानपुर में औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये गृहों के नियतन संबंधी नियमों में संशोधन	Amendment of Rules regarding allotment of houses built under Industrial Housing Scheme at Kanpur	118–119
3953 उद्योग गृहों को ऋण	Loans to Industrial Houses	119
3954 उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Fertilisers ...	119
3955 विदेशी तेल कम्पनियों की तेलशोधन क्षमता में कमी	Fall in refining through out of foreign oil companies	119–120
3956 भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में नियुक्त करना	Absorption of casual workers in Regular Service in Sindri Unit of FCI	120
3957 बर्मा आयल कम्पनी के कार्य का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal for Expansion of BOC Activities ...	120–121
3958 सरकारी अस्पतालों के लिये औषधियों की पैकिंग	Packaging of Drugs for Government Hospitals	121
3959 औषधियों पर मूल्य नियन्त्रण हटाना	Lifting of Price control on drugs	121–122
3961 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh	122
3962 पोलिस्टर रेशे का उत्पादन	Polyster Fibre Production	122–123

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3963 नागपुर में चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का नियतन	Allotment of Government Accommodation to Class IV Central Government Employees at Nagpur	123–124
3964 सरकारी क्वार्टरों के नियतन के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting List of Allotment of Government Accommodation	124
3965 उत्तर प्रदेश के पहाड़ी-जिलों में पेय जल की समस्या	Drinking water problem in Hilly Districts of U. P.	125
3966 स्थानान्तरण के बाद लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में अधिक देर ठहरना	Overstay in Government Accommodation in Laxmibainagar, New Delhi after Transfer	125–126
3967 ब्रिटेन में श्री मूदंडा द्वारा विदेशी मुद्रा का लेन-देन	Foreign Exchange Transactions by Shri Mandra in U.K. ..	126
3968 किलिक निक्सन समवाय समूह	Killick Nixon Group of Companies	126–127
3969 सीमाशुल्क अधिकारियों को निलम्बित किया जाना	Suspension of Customs Officers ...	127
3970 केरल में सिंचाई योजनाओं के लिये धन राशि	Funds for Irrigation Schemes in Kerala ...	127
3971 श्री तुलसी दास किला चन्द उद्योग समूह, किलिक समूह, साहू जैन तथा जे. के. सिंघानिया फर्मों के पास जीवन बीमा निगम की पूंजी तथा अंश	Investment and shares of LIC with Shri Tulsidas Killachand Group Killick, Sahu Jain and Singhania firms	127–128
3972 महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Yeotmal District, Maharashtra	128

3973	प्रतिरक्षा लेखा विभाग में एक सहायक लेखा अधिकारी की एक स्थान पर नियुक्ति का समय	Stay of an Assistant Accounts Officer in the Defence Accounts Department at one Place	128–129
3974	भारत में चीन का माल चोरी छिपे लाया जाना	Shuggling of Chinese Goods into India ...	129
3975	बम्बई हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के एक अधिकारी की गिरफ्तारी	Arrest of an Officer of Indian Air Lines at Bombay Airport	130
3976	पटना में भूमिगत नालियां	Underground drains in Patna	130
3977	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Damodar valley Corporation Workers	130–131
3978	कोयले का उत्पादन	Production of Coal	131–132
3979	भारत में विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश की सम्भावनाएं	Pryspects of Foreign Investment in India ...	132
3984	विदेशों में न्यायाधीशों के खाते	Judges accounts in Foreign countries ...	132–133
3985	निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग में वास्तुशास्त्रियों को दी गई राशि	Poyments made to the Architects in the Department of works, Housing and Urban Development	133
3986	स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों,अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of scheduled castes/Tribes in the State Bank of India, New Delhi... ...	133–134
3987	पटना स्थित आयकर कार्यालय का दर्जा बढ़ाना	Raising of the status of Income Tax Office in Patna	134

अतां.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3988 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की परिचारिकाओं को शीतकालीन वर्दियां	Provision of Winter Uniforms to Nurses of Govt. Hospitals in Delhi —	135
3989 दिल्ली के अस्पतालों के स्टाफ कार चालकों के वेतनमान बढ़ाना	Revision of pay scales of staff car drivers of Delhi Hospitals	135
3990 सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की एक नर्स(परिचारिका) द्वारा आत्महत्या	Suicide by a nurse of Safdarjung Hospital, New Delhi — ...	135–136
3991 परिवार नियोजन विभाग में प्रथम श्रेणी के पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना	Class I posts in Family Planning Department not filled through UPSC	135
3992 बिहार राज्य को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to State of Bihar	137
3993 तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतिबन्ध हटाना	Lifting of ban on recruitment to Technical Posts	137
3994 केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा राज्यपालों की विदेशी बैंकों में जमा धनराशि	Deposits by Central Ministers and Governors in Foreign Banks ... —	137–138
3995 किसानों को ऋण	Credit to Farmers	138–139
3997 आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के जुर्मानें का माफ किया जाना	Waiving of penalty against companies under Income Tax Act	139
3998 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का दिल्ली से स्थानान्तरण	Transfer of CGHS Doctors from Delhi ...	139–140
3999 कुछ राज्यों में प्रति किलो वाट बिजली की उत्पादन लागत	Generation cost per KWH in certain States...	140
4000 सेलेक्शन ग्रेड दफ्तरी	Selection Grade Daftaries	140–141

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	141
कलकत्ता में बैंक में डकैती	Bank Robbery in Calcutta	141
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	142
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	142
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री के विरुद्ध विधेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Minister of Education and Youth Services	147
सभा-पलट पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	154
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ...	155
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में	Re. Indian Tariff (Amendment) Bill ...	156
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	156
(1) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक	(i) Assam Reorganisation (Meghalava) Bill...	156
(2) पूर्वोत्तर परिषद् विधेयक	(ii) North Eastern Council Bill	158
(3) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक	(iii) Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill	159
एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill	150
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	160
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	160
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	160
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	161

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Sugar Policy	164
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	165
श्री एम. नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	167
श्री मो. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	169
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K Somani	170
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	171
श्री शारदा नन्द	Shri Sharda Nand	172
श्री एस. कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	173
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	174
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	176
श्री उमा नाथ	Shri Umanath ...	176
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	177
श्री एस. एम. कृष्ण	Shri S. M. Krishna ...	177
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri ...	178
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram ...	178
गन्ने और गुड़ के मूल्यों में गिरावट के बारे में चर्चा	Discussion Re. Fall in Prices of Sugar-Cane and Gur	180
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	180
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	181
श्री रंगा	Shri Ranga	181
श्री सोनावने	Shri Sonavane	182
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	182
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	183
श्री यशपाल सिंह	Shrt Yashpal Singh	183
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	183

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	183
श्री एम. नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	183
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	184
कलकत्ता में बैंक में डकैती के बारे में वक्तव्य	**Statement Re. Bank Robbery in Calcutta** ...	185
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	185
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	185
विश्व बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तनों के बारे में प्रस्ताव	Proposal for structural changes in the Management of World Bank	186
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	186
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi ...	188

लोक–सभा
LOK--SABHA

सोमवार, 15 दिसम्बर, 1969/24 अग्रहायण, 1891 (शक)
Moanday, December 15, 1969/Agrahayana 24, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

(श्री असीम कृष्ण दत्त का निधन)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री असीम कृष्ण दत्त का शुक्रवार 12 दिसम्बर, 1969 को 77 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया है।

श्री दत्त वर्ष 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे।

हमें अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक है। मुझे विश्वास है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को शोक संदेश भेजने में सभा मुझ से सहमत होगी।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें आज प्रातः काल श्री असीम कृष्ण दत्त के निधन का समाचार मिला है। श्री दत्त स्वतन्त्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी थे। वे बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति और एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने स्वतन्त्रता से पूर्व अन्य अनेक महान नेताओं की भांति ही महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिये अपना व्यवसाय छोड़ दिया था। उन्होंने विभाजन के समय शरणार्थियों के राहत तथा पुनर्वास कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा राजनैतिक पीड़ितों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी। उन्होंने उनमें गहरी और वैयक्तिक रूचि ली। उनका सम्बन्ध अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संस्थाओं से था और उन्होंने उनमें

व्यक्तिगत रूप से रूचि ली थी । उन्होंने रामकृष्ण मिशन के कार्यकलापों में भाग लिया था । वे दीर्घ आयु तक जीवित रहे और उन्होंने राष्ट्र के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री असीम कृष्ण दत्त के निधन के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं । वे पूर्वी भारत के महान बैरिस्टर थे और उन सभी लोगों के प्रेम और आभार के पात्र थे जो उन्हें जानते थे । वह मानव सेवी और समाज सेवी थे । उन्होंने देश के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल से भारत आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सराहनीय कार्य किया था ।

संगठन कांग्रेस की ओर से मैं कांग्रेस के इस महान नेता के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शोक सन्तप्त परिवार को हम अपना संवेदना संदेश भेजें ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं प्रजा सोसलिस्ट पार्टी की ओर से श्री असीम कृष्ण दत्त के दुखद तथा अकस्मात निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ । उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए संग्राम में भाग लिया था और अपना जीवन देश में समाज सेवा का कार्य करने में लगा दिया था । मैं अनुरोध करता हूँ कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारा शोक संदेश पहुँचा दिया जाये ।

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar) : On behalf of my party I express my deep-felt condolence on the death of this distinguished freedom fighter, social worker. great citizen and request you to convey our sense of sorrow and sadness on his sad and sudden demise to the breaved family.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपनी पार्टी की ओर से श्री असीम कृष्ण दत्त के दुखद व आकस्मिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता हूं । वह कलकत्ता के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनके निधन से वहां के अनेक लोगों के लिए एक बड़ी क्षति होगी, मेरी प्रार्थना है कि आप उनके शोकग्रस्त परिवार को हमारा शोक संदेश पहुँचा दिया जाये ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपनी पार्टी की ओर से श्री असीम कृष्ण दत्त के निधन पर सभा के सभी सदस्यों के साथ शोक प्रकट करता हूँ । मैं उन्हें कलकत्ते में एक प्रसिद्ध सोलिसिटर के रूप में जानता था । अपने व्यवसाय में प्रसिद्ध थे और बाद में वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बन गये । उनके पुत्र पश्चिम बंगाल के गणमान्य व्यक्ति है । मेरी प्रार्थना है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारा शोक संदेश पहुँचा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : स्वर्गीय आत्मा की स्मृति में अब सभा के सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हो ।

इसके पश्चात सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नीदरलैण्ड के सहयोग से 'यू० एन० ब्रिज ग्रुप' का बनाया जाना

*572. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० ब्रिज ग्रुप बनाने में सहयोग प्राप्त करने के लिये नीदरलैण्ड सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा इससे अपेक्षित परिणाम किस प्रकार प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधि तथा नीदरलैण्ड सरकार के बीच क्या बातचीत हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . जी, नहीं। कोई समझौता नहीं हुआ है ।

(ग) नीदरलैण्ड सरकार के बिना विभाग के मन्त्री, श्री वी० जे० उडनिक, जिन पर विकास-सहायता सम्बन्धी कार्य का भार है, दिल्ली आये थे और उन्होंने भारत सरकार से निम्नलिखित विषयों पर बातचीत की थी :—

(i) दूसरे विकास दर्शक के सन्दर्भ में विकास की समस्याएं ;

(ii) भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध ।

Shri Prem Chand Verma : My I know whether India is going to join U. N. Bridge Group and if so whether it will not weaken the group of 70 developed countries ? What is the position of our trade relation as well as the export and import position with Netherlands at present ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक यू० एन० ब्रिज ग्रुप में शामिल होने का सम्बन्ध है, अभी हमने कोई संकेत नहीं दिया है । किन्तु हमें जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनके बारे में हमने कुछ विचार व्यक्त किये हैं। हमने कहा है कि इस ग्रुप को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो अन्केटाड सम्मेलन की कार्य संचालन प्रणाली के विरुद्ध हो। इस ग्रुप के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित बनाने के प्रयासों से द्वितीय विकास दशक के लिये विकासशील देशों के प्रस्तावित लक्ष्य कम न हो जाये। विकसित देश ऐसे विचारों को बढ़ावा दें कि सब विकसित देशों के लिये समान भार वहन करना आवश्यक न हो और कुछ देश प्रमुख स्थिति प्राप्त कर सकें ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वर्ष 1969-70 में हमें 11.2 मिलियन का ऋण आसान शर्तों पर मिला था नीदरलैण्ड के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों में सुधार हुआ है। हमारे निर्यात और आयात का अन्तर 10 करोड़ से कम होकर लगभग 4.38 करोड़ रुपये हो गया है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know the amount of aid which America, Britain, Germany, France, Russia other such countries are contributing to wards G. N. T. Aid for under developed countries as it was agreed to by

almost all the countries of world to contribute one precent of their income ? If so the names of the countries which are contributing as also the names of the countries which are not contributing ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक एक प्रतिशत 'जी० एस० टी० एड' का सम्बन्ध है, इस बारे में अंकटाड सम्मेलन की सिफारिश है और अब पीयरसन कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है। एक प्रतिशत जी० एन टी० सहायता में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने जिन तीन-चार देशों का उल्लेख किया है उनमें से फ्रान्स और जर्मनी पहले ही क्रमशः 1.24 और 1.24 की प्रतिशतता तक पहुंच गये हैं ब्रिटेन की प्रतिशतता 0.83 तथा अमरीका की 0.65 है।

जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण कारोबार में की गई प्रगति

*573. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण कारोबार में वर्ष 1968-69 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई प्रगति नहीं दिखायी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में ग्रामीण कारोबार में कोई प्रगति न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कारोबार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र. के. खाडिलकर): (क) जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में, वित्तीय वर्ष 1967–68 के दौरान 235.46 करोड़ रुपये की 5,09,607 पालिसियों के मुकाबले वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान 235.12 करोड़ रुपये की 4,17,341 पालिसियां जारी की।

(ख) जीवन बीमा निगम के ख्याल से वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य में वृद्धि इसलिए नहीं हुई है कि :

(i) मौसम जन्य तथा अन्य कारणों से आमदनियों में घटा बढ़ी हुई ;

(ii) भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दी जाने वाली आकर्षक शर्तों के कारण, तथा साथ ही अल्प बचत संगठनों के कारण बचत की रकमों को लगाने के क्षेत्र में प्रतियोगिता रही ; और

(iii) किसानों ने अपनी बचत को, बड़ी पैमाने पर, जमीन का सुधार करने पर लगाया।

(ग). ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का ज्यादा काम पाने के लिए, जीवन बीमा निगम ने, दूसरी कई बातों के साथ ये उपाये भी किये हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्यालय खोले गये हैं।

(ii) बिना डाक्टरी के बीमा कराने की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी चालू कर दिया गया है।

(iii) उम्र की तस्दीक की कार्य विधि सरल बना दी गई।

(iv) चुने हुए कस्बों वगैरह में, जहां बैंक की सुविधाएं नहीं हैं, पालिसीधारियों को किस्तें जमा कराने की सुविधा डाक घरों में दी गयी है।

(v) सहकारी समितियों और पंचायतों को ऐजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिये गाड़ियां भेजी जाती हैं जो प्रचार सामग्री बांटती हैं और उपयुक्त फिल्में भी दिखाती हैं।

श्री इन्द्रजीत सिंह : माननीय मन्त्री द्वारा 1967-68 और 1968-69 के जो आंकड़े बताए गये हैं उनसे पता चलता है कि कोई भी प्रगति नहीं हुई है। जीवन बिमा निगम के अध्यक्ष श्री मिडे इतनी घोषणाएं करते रहे हैं परन्तु उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है जैसा कि मैं समझ सका हूँ कि "मुझे खेद है कि अधिक प्रगति नहीं हुई है और इस मामले में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।" सरकार के अनुसार और यह एक तथ्य भी है गत दो तीन वर्षों में अच्छी फसलों आदि के कारण कृषि क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है और समृद्धि में कुछ वृद्धि हुई है, क्या इससे यह स्वीकारोक्ति नहीं होती कि जीवन बीमा निगम ग्रामीण समृद्धि का फायदा उठाने में असमर्थ रहा है ? क्या श्री मिडे और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री र० के० खाडिलकर : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है देश के अधिकांश भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक कृषि उपज का सम्बन्ध है अच्छी प्रगति हुई है। परन्तु माननीय सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिये कि कृषक मुख्यतया अपनी कृषि के विकास हेतु पूंजी लगाने में रुचि रखता है, वह नए कृषि औजार खरीदना चाहेगा, सघन काश्त करेगा और खाद आदि का प्रयोग करना चाहेगा। एक शहरी श्रमिक की जो अपने श्रम, शारीरिक, मानसिक श्रम पर निर्भर करता है, बीमे में जो रुचि है उतनी रुचि कृषक की नहीं होती है। यह अनेक कारणों में से एक कारण है। परन्तु जैसाकि मैंने पहले कहा उन्हें आकृष्ट करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं और सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आगामी वर्ष में हम अधीक ग्रामीण पालिसियां प्राप्त कर सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि कृषक को उन कार्यों में पूंजी लगाने में अधिक रुचि है जिनसे कृषि का विकास होता है। क्या यह सच नहीं है कि केवल चीनी उद्योग को छोड़कर जीवन बीमा निगम ने ऐसे किसी उद्योग में पूंजी नहीं लगाई है जिससे ग्रामीण जनता का उत्थान होता हो ? इसका क्या कारण है ? क्या ऐसी योजनाएं है जिनके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त की गई राशि कमोबेश उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जायेगी ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके ? और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों से जो राशि प्राप्त हो उसे उन क्षेत्रों पर ही खर्च किया जाये। परन्तु हमें उससे मिलने वाले लाभ को भी दृष्टि में रखना होता है क्योंकि वह तो पालीसीहाल्डरों का पैसा है उसे दृष्टि में रखते हुए सुझाव यह है कि कृषि में अधिक पूंजी लगाने की दशा में कदम उठाये जायें।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है हालांकि मैं तुरन्त आंकड़े नहीं दे सकता, गन्ने या चीनी के अलावा कृषि के विकास हेतु भी कुछ पूंजी लगाई है।

Shri A. S. Saigal : Is it a fact that the area of the field workers working in the rural areas is some times curtailed and after the completion of work there, they cannot secure more business, and also more earnings as a consequence thereof ? Is it also a fact that when they bring it to the notice of the Manager, they are not transferred to other areas even inspite of their request ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे फील्ड कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। काम के स्वरूप को दृष्टि में रखकर विकासोन्मुख क्षेत्र के लिये मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं और उसी आधार पर कार्य का वितरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई क्षेत्र सूखा ग्रस्त है और उसके लिये मापदण्ड निर्धारित करना है तो स्थानीय हालत को दृष्टि में रखा जाता है, और क्षेत्र को बढ़ा दिया जायेगा। सामान्य प्रथा यही है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कृषि की दृष्टि से उन्नत देशों में विद्यमान प्रीमियम दरों का अध्ययन करने तथा कृषकों के मामले में यहां पर विद्यमान दरों को कम करने के बारे में सरकार विचार करं रही है ?

श्री र० के० खाडिलकर : प्रीमियम की दरें कम करने का प्रश्न, जैसाकि प्रशानिक सुधार आयोग तथा मुरारका समिति ने सिफारिश की है, विचाराधीन है।

डा० राम सुभग सिंह : विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री र० के० खाडिलकर : इससे सभी पहलूओं पर विचार करना होगा और मुझे आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Yajna Dutt Sharma : Do Government contemplate to modify its loan policy and allocate more amount so far as irrigation and housing are concerned ?

श्री र० के० खाडिलकर : जीवन बीमा निगम ऋण पत्रों के रूप में भूमि बन्धक बैंकों तथा बिजली बोर्डों और अन्य विकास कार्यक्रमों में पहले से ही धन लगा रही है। यदि कोई राज्य किसी परियोजना के लिये जैसे सिंचाई परियोजना के लिये जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, ऋण प्राप्त करना चाहती है तो जीवन बीमा निगम उस पर विचार करेगा।

Shrimati Savitri Shyam : The Chairman of the L. I. C. has made this announcement that the "Own your house" scheme will also be introduced in rural areas along with the urban areas. May I know what amount has been spent under this scheme in the rural areas last year and how far the scheme has proved a success ?

श्री र० के० खाडिलकर : मैं तुरन्त आंकड़े नहीं दे सकता। परन्तु यह देहाती क्षेत्रों पर भी लागू है और इसे वहां लागू भी किया गया है। मैं माननीय सदस्य को अवश्य ही आंकड़े दूंगा।

Shri S. M. Joshi : The defective basic policies of L. I. C. are still continuing. The L. I. C. bosses are not treating their field officers well and there has been a long standing dispute between them. The L. I. C. bosses do not even want to see them. Recently they had given a call for a one-day strike. Is it not a fact that due to these strained relations the L. I. C. administration has become ineffcicient and if so, what steps Government are going to take to improve the relations between the LIC bosses and the field officers ?

श्री खाडिलकर : मेरा ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य विकास अधिकारियों का उल्लेख कर रहे हैं। जहां तक क्षेत्राधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा कुछ आन्दोलन किया गया है। हमने उनसे बातचीत की तथा वे मानदन्डों को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गये हैं। उनके साथ अब भी बातचीत हो रही है। अन्य कठिनाइयों पर विचार किया जा रहा है।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मन्त्री के वक्तव्य के संदर्भ में कि कभी अन्य बातों के साथ-साथ बचत प्रमाण-पत्रों; भूबन्धक बैंकों तथा कृषि की प्रतिस्पर्धा से हुई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायों का उल्लेख क्यों नहीं दिया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि वे बीमा से आय क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं जो अब 1.8 प्रतिशत है क्योंकि जीवन बीमा की पूंजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगी है ताकि गैर–सरकारी क्षेत्र में, जैसाकि पहले था जब अधिक आय हो रही थी।

श्री खाडिलकर : जीवन बीमा निगम का धन धरोहर धन होता है।

श्री लोबो प्रभु : यह धन हमेशा धरोहर धन था।

श्री खाडिलकर : मैं यह समझता हूं। आपके पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। परन्तु उसे देखते हुए सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती।

जहां तक "अपना घर लीजिये" योजना का सम्बन्ध है, इसे एक लाख की जनसंख्या वाले नगरों पर भी अब लागू किया गया है। इसे देहाती क्षेत्रों पर भी लागू करने के लिये विचार किया जा रहा है।

समाधियों के निर्माण पर खर्च

* 574. **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट, विजय घाट तथा अन्य सब समाधियों के निर्माण पर अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) भविष्य में कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या भूमि तथा धन की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह निर्णय करेगी कि यदि भविष्य में किसी राजनैतिक नेता की समाधि का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी तो उसे उक्त समाधियों में से किसी एक समाधि के निकट बनाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) . राजघाट, विजय घाट तथा शान्ति वन की समाधियों के निर्माण के साथ आस-पास के क्षेत्र का सामान्य विकास जिसमें गड्ढों की भराई, बाढ़ से बचाव के उपाय, उद्यान-कार्य आदि शामिल हैं, किया जा रहा है। 31 अक्तूबर, 1969 तक इन समाधि कम्पलेक्सों पर किया गया खर्चा निम्न प्रकार से है :—

राजघाट	—	56,74,941 रुपये
विजयघाट	—	3,87,187 रुपये
शान्तिवन	—	16,03,204 रुपये

स्वीकृत अनुमानों के स्थान पर निम्नांकित खर्चा करना शेष रहा है :—

राजघाट	—	9,46,734 रुपये
विजयघाट	—	15,49,000 रुपये
शान्तिवन	—	15,16,000 रुपये

समाधि–कम्पलैक्सों का और आगे का निर्माण कार्य आरम्भ करने का निर्णय अभी करना शेष है ।

(ग) और (घ). इससे एक परिकल्पनात्मक प्रश्न उठता है । जब और आगे स्थिति आयेगी तो प्रत्येक मामले के महत्व के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेने होंगे ।

Shri Ram Gopal Shalwale : The hon. Minister has answered all the points very explicitly. Thousands of young persons have to take shelter at night on the foot paths in Delhi these days. The Prime Minister has raised a slogan of 'quite poverty' I want to know how far it is proper to spend so much of amount and waste so much of land, to which can be utilised for the production of foodgrains, on these Samadhis and not to make any arrangements for the poor ?

श्री के० के० शाह : मैं समझता हूं कि इस निचले क्षेत्र के विकास के प्रश्न के अलावा एक आभारी राष्ट्र इतना खर्च कर सकता है ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : केवल यही नहीं । यह क्षेत्र दिल्ली की घनी आबादी के बहुत समीप हैं । इस घनी आबादी में हरे क्षेत्र का होना भी आवश्यक है, जहां लोगों को ताजी हवा तथा अन्य सुविधाएं मिल सकें ।

Shri Ram Gopal Shalwale : The Government has a plan to spend Rs. 31 lakhs on Shanti Van while less amount will be spent on Vijay Ghat. May I know why indiscrimination is being done in the case of Samadhis of Pandit Jawahar Lal Nehru and Shri Lal Bahadur Shastri ?

Shri K. K. Shah : It is totally wrong. Because Raj Ghat was constructed first. So naturally more amount was spent on that. After that, Shanti van was constructed and the amount was spent on that accordingly. Then came the turn of Vijaya Ghat. Hence natuarlly less amount has been spent on it so far. There is absolutely no difference in the amount being spent every year on these Samadhis and on the development of the areas surrounding them.

Shri Ram Gopal Shalwale : Rs. 31 lakhs have been spent on Shanti Van. Why less amocnt has spent on Vijaya Ghat ?

Shri K. K. Shah : The hon. Mamber is wrong. The amount has been spent to fill up the low lying areas of both the Samadhis. No discrimination has been done between both these Samadhis namely Shanti Van and Vijaya Ghat. It is not that more amount has been spent on the one and less on the other.

Shri Ranjit Singh : May I know whether Government are aware of the fact that in foreign conntjies one place is set aside for the construction of Samadhis of war heroes and national leaders, as there is West Minister Abhey in England. Kremlin in U. S S. R. and Arlington Cemetary in U. S. A. ? If so, the reasons why Government cremates and buries big leaders and constracts their Samadhis at different places instead of at one place ?

Shri K. K. Shah : The country has constructed the Samadis of those who did a lot during freedom movement. It depends upon you whether you do it so in future or not. You may not do so in future.

Shri Ranjit Singh : From the answer of the hon. Minister it appears that he feels that in future we will form a Government. But we want to know what their Government is going to do ?

Shri O. P. Tyagi : The answer just given by the hon. Minister appears to be more dangerous. No doubt it is good to pay homage to the leaders of the country. But when presently it was asked from him whether this practice of constructing separate Samadhis will continue in future also, he said that it will be decided at the appropriate time. This means that Samadhis will continue to be constructed on this pattern. But the land occupied in the name of a cremation ground in Delhi is the largest and very huge amount has been spent on it. Now we should forget the past. But in future if the Samadhis of all the leaders are constructed at one place it will be better from economic and other point of view also. May I know whether Government propose to do so. Seeondly, since India is a secular State……

Shrimati Indira Gandhi : I fully agree with the hon. Member.

Shri O. P. Tyagi : Let me question be over first.

Mr. Speaker : You better ask a straight question.

Shri O. P. Tyagi : I am asking a very good question. My question is that the construction of Samadhis of Hindus and Muslims at different places is against the principle of secularism. Ours is a secular State. It will be good if Samadhis of Hindus and Muslims both are constructed at one place. May I know whether Government will give an assurance that the Samhadhis of leaders both Hindu and Muslims will be constructed at one place ?

Shrimati Indira Gandhi : First of all he said that there should not be Samadhis at all. On that I said I agree with it. Now he says that there should be many many Samadhis. This is a new point.

Shri O. P. Tyagi : I am asking for the secular Samadhi.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the area of land occupied by the three Samadhis-Raj Ghat, Shanti Van Vijaya Ghat separately ?

May I also know whether Government propose to spend some amount on the leaders of opposition such as Dr. Lohia, Pandit Din Dayal Upadhyaya, Dr. Shyama Prasad Mookerji and Dr. Raghuvir who have done a great service to this country and have secrificed their lives so that people may remember that Government have constructed a Samadhi of those who used to do cases less efforts for the development of the country ?

Shri K. K. Shah : The area of land occupied by Raj Ghat is 175 acres, Vijaya Ghat 75 acres and Shanti Van 81 acres.

Shri S. K. Tapuria : What about the Samadhis of opposition leaders ?

श्री के० के० शाह : दूसरा प्रश्न कल्पनात्मक है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्यों ? वे पहले मर चुके हैं।

श्री रंगा : कुछ देशभक्तों के अभी नाम लिये गये हैं, इस प्रसंग में और नाम भी सोचे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसद् और मन्त्री मण्डल के परामर्श किये बिना भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के लिए दो समाधियां बनाने के बारे में उन्होंने तदर्थ ढंग से निर्णय किये हैं, क्या सरकार मन्त्री मण्डल में कुछ समय लगाकर परस्पर परामर्श करके स्वर्गवासी शहीदों की जिनकी अभी समाधि नहीं बनाई गई है, और भविष्य में मरने वाले शहीदों की सामान्य समाधि की व्यवस्था करेगी ताकि भविष्य में जब कभी किसी की मृत्यु हो, तो मन्त्री मण्डल के लिए तदर्थ निर्णय करना और प्रत्येक के लिए इतनी अधिक भूमि छोड़ना आवश्यक न हो ?

श्री के० के० शाह : प्रधान मन्त्री ने अभी उत्तर दिया है कि वे माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हैं कि भविष्य में कोई समाधियां न बनाई जायें। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न स्थानों पर मृत्यु होगी, इसलिये एक सामान्य समाधि कैसे हो सकती है ?

श्री रंगा : श्रीमान्, उन्होंने मेरे स्पष्ट प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया है। मेरा तात्पर्य एक ऐसे सामान्य स्थान से है जहां पर देशभक्तों को दफनाया जा सके ताकि लोगों को मालूम हो सके कि लोग प्रणाम करने के लिए जब आवश्यक समझें तो कहां पर जायें। मैंने केवल एक स्थान का सुझाव दिया है। मैं नहीं कहता कि वे इसी समय हां कहें। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : निश्चय ही हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि आचार्य रंगा सहमत होंगे कि यह भी ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों से होगा, आप यह नहीं कह सकते कि कोई अन्तिम संस्कार किसी स्थान पर करना चाहते हैं। लेकिन सुझाव पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : भारत के महान सपूतों के स्मारक बनाने के लिये सरकार को बधाई देते हुए मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या इस व्यय का कुछ अंश वर्षा, धूप और सर्दी की यातना सहने वाले असंख्य बेघर निर्धन लोगों के लिए मकान बनाने के हेतु प्रयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी जिससे दिवंगत आत्माओं को अधिक शांति मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है।

श्री के० के० शाह : यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय सुझाव है।

सैन फ्रांसिस्कों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का भाग लेना

*575. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने भी 15 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1969 तक सान फ्रांसिस्को में आयोजित 60 राष्ट्रों के उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था जो विश्व में आय की आर्थिक विषमता को दूर करने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) माननीय सदस्यों के मन में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन है जो 15 से 19 सितम्बर 1969 तक सान फ्रांसिस्को में हुआ था। इसमें भारतीय व्यापारियों के कुछ नेताओं ने भाग लिया था।

(ख) चूंकि यह सम्मेलन विचार-विमर्श का एक मंच है और उसके द्वारा कोई प्रस्ताव पास नहीं किये जाते और न ही सामूहिक कार्रवाई की जाती है, इसलिए ऐसा पता चला है कि आर्थिक विषमता की समस्या का समाधान करने में इसे कोई सफलता नहीं मिली है।

श्री नि० रं० लास्कर : मैंने विशेष रूप से पूछा था कि इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये। मन्त्री महोदय ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक सान फ्रांसिस्कों में हुए चौथे अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन का सम्बन्ध है, यह 15 से 19 सितम्बर, 1969 को हुआ था और यह 'इस्टर्न कोस्ट

रिसर्च' द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था और इसमें 70 राष्ट्रों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। माननीय सदस्य उन विषयों को जानना चाहते हैं, जिन पर चर्चा हुई थी। चर्चा के कुछ विषय इस प्रकार थे; (1) अच्छे आर्थिक आयोजन के लिये प्रबन्धकों, श्रमिकों, वित्तीय एजेन्सियों तथा सरकार के बीच अपेक्षित साझेदारी : (2) व्यापार विदेशी सहायता और पूंजी विनियोजन के मामले में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए औद्योगिक रूप में उन्नत देशों द्वारा किये जा सकने वाले उपाय; (3) जन संख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति, दूषण और विज्ञान तथा टैक्नालाजी की प्रगति के विश्व तथा नवोदित राष्ट्रों और लोगों पर सम्भावित परिणाम : (4) व्यापार के बढ़ते हुये अन्तर्राष्ट्रीयकरण की समस्यायें और अवसर।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या इस सम्मेलन में हमारे देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यदि हां, तो उन्होंने क्या विषय उठाये थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : सम्मेलन में श्री किरलोस्कर, श्री एच० वी० आर० अयंगार, ई० आई० डी० के० अध्यक्ष और राज्य व्यापार निगम के श्री पी० एल० टन्डन ने भाग लिया था। परन्तु सम्मेलन में दिये गये भाषणों का ब्योरा मेरे पास नहीं है, श्री वीरेन शाह, संसद् सदस्य द्वारा भी इस सम्मेलन में शामिल होने के समाचार हैं।

बैंकिंग उद्योग के कार्य संचालन सम्बन्धी आयोग की नियुक्ति

\+

*576. **श्री गणेश घोष :** **श्री के० हाल्दर :**
श्री विजय मोडक : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त बैंकिंग आयोग अब बैंकिंग उद्योग के कार्य संचालन के बारे में जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) इस आयोग के सदस्य कौन हैं, (दो) आयोग के निर्देश-पद क्या हैं और (तीन) आयोग कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मांगी गयी जानकारी, 3 फरवरी, 1969 के सरकारी संकल्प में दी गयी है जिसकी प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2363/69**]

श्री गणेश घोष : क्या सरकार को मालूम है कि हमारे देश में बड़े व्यापार गृह अब भी नये कस्टोडियनों के माध्यम से, जो अभी हाल तक इन बैंकों के मैनेजर थे, राष्ट्रीयकृत बैंकों की धनराशियों को अपने हितों के लिए उपयोग कर लेते हैं ? क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि इन निर्देश-पदों से आयोग को इस पहलू पर विचार करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी अथवा क्या इस पहलू पर विचार ही नहीं करने का सरकार का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : निर्देश–पदों की एक लम्बी सूची है । मैं उनमें से कुछ पढ़कर सुना सकता हूं बैंकिंग आयोग के निर्देश–पद बहुत व्यापक है। 1931 के बाद से अब तक नियुक्त किये गये महत्वपूर्ण आयोगों आदि में से यह एक है । आयोग अवश्य ही माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेगा ।

श्री गणेश घोष : इन निर्देश–पदों से आयोग किस प्रकार एकाधिकार गृहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के धन को उपयोग करने से कैसे रोक सकता है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जहां आवश्यक होगा निर्देश–पदों में कुछ परिवर्तन करने होंगे ।

श्री गणेश घोष : यह देखा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी उनमें घातक प्रतियोगिता जारी है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में तालमेल के बिना बेतरतीब अनेक शाखाएं खोली जा रही हैं । क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि आयोग इस समस्या को किस प्रकार हल करेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कहना कठिन है कि आयोग किस प्रकार किसी प्रश्न को हल करेगा । स्थिति कुछ सीमा तक बदल गई है, जहां यह निर्देश–पदों के विपरीत होगी वहां निर्देश–पदों में परिवर्तन किया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा । सम्भवतः माननीय सदस्य को मालूम है कि डा० गाडडिल की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल भी है, जो ऐसे मामलों पर विचार कर रहा है । हम किसी भी प्रकार की अलाभकर प्रतियोगिता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । इन बैंकों में परस्पर कुछ प्रतियोगिता तो होनी चाहिए लेकिन हम सामान्य हित को हानि पहुंचाने वाली प्रतियोगिता नहीं चाहते हैं । हमने इस बारे में कस्टोडियनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को बताया है, डा० गाडगिल का कार्यकारी दल और बैंकिंग आयोग एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर विरोधी नहीं है ।

श्री गणेश घोष क्या प्रधान मन्त्री विचाराधीन नये निर्देश–पद सभा के समक्ष रखेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब भी उनका निर्णय किया जायेगा, तो अवश्य ही वे बता दिये जायेंगे ।

श्री कं० हाल्दर : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वर्तमान आयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है । अतः क्या सरकार नये निर्देश–पदों के साथ नया आयोग नियुक्त करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : शायद यह अधिक अच्छा होता कि मन्त्री महोदय निर्देश–पदों को पढ़ देते क्योंकि उनमें से बहुत से निर्देश–पदों की आवश्यकता अभी है । इसके विपरीत हमें नई परिस्थिति के अनुसार उन्हें और दृढ़ बनाना होगा। जैसा कि मैंने बताया एक या दो निर्देश–पद हैं जिन्हें हमें बदलना होगा । अन्य अभी वैध हैं । निर्देश पद संख्या 1,2 और 9 ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत में बैंकिंग की वर्तमान स्थिति हममें से बहुत से सदस्यों को स्पष्ट नहीं है। यहां पर विदेशी बैंकों को, जो वणिक बैंकिंग की अपनी नीति का अनुसरण करते हैं, काम करने दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात उन्हें नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। उदाहरणार्थ, नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक को कलकत्ता में सदर्न एवेन्यु में नई शाखा खोलने की अनुमति दी गई है। आप विदेशी बैंकों को नई शाखायें खोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये और अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरे, मुझे बताया गया है कि पी० एल० 480 निधियों में से 250 करोड़ रुपया एक अमरीकी बैंक को इस देश में बैंक व्यापार करने के लिये दिया गया है जो भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी से अधिक है। फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक अमरीकी बैंक से प्रतिस्पर्धा करें ?

तीसरे, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षक वे लोग हैं जिनके विरुद्ध कदाचार की शिकायतें हैं, फिर भी उनसे आशा की जाती है कि वे देश में समाजवाद लायें। यह कितनी भ्रमिक स्थिति है। विदेशी बैंकों को नई शाखाएं खोलने, आयकर छिपाने और अधिक लाभ अर्जित करने दिया जाता है। यदि आप यह सब नहीं रोक सकते तो आप इस आयोग से क्या आशा रखते हैं ?

बैंकिंग आयोग फरवरी 1969 में नियुक्त किया गया जब श्री मोरारजी देसाई ने सामाजिक नियन्त्रण की आशाएं हमें दी थीं। अब सरकार क्या मूलभूत परिवर्तन लाना चाहती है. कितनी जल्दी सरकार उन्हें लाना चाहती है और इस देश के लोगों के समक्ष प्रतिवेदन कितनी जल्दी लाना चाहती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बैंकिंग आयोग का सम्बन्ध है। वह 1967 में नियुक्त किया गया था। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने बताया इसके निर्देश पद बड़े व्यापक हैं। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है निर्देश-पद संख्या 1, 2 और 9 में शायद परिवर्तन करना पड़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने वचन दिया था कि अक्तूबर 1969 में ऐसा किया जायेगा और अब दिसम्बर, 1969 है।

श्री प्र० चं० सेठी : अतः यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें सुदृढ़ बनाना होगा। जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, अनुदेश यह है कि उन्हें बड़ी मात्रा में निक्षेपों को बाहर नहीं ले जाना चाहिये। जहां तक नई शाखाओं का सम्बन्ध है, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक प्रबन्धकों और अभिरक्षकों का सम्बन्ध है मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और जब सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई निर्णय नहीं करता हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक देगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दिसम्बर, 1970 तक ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात एक नई स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उनसे यह आशा की जाती है कि वे, कृषि क्षेत्र को विभिन्न राष्ट्रीयकृत ऋण संस्थाओं जिन्हें बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस प्रयोजनार्थ बनाया गया था— द्वारा दिये जाने वाले ऋण की कमी को पूरा करें । क्या सरकार, बैंकों द्वारा अनुसरण के लिये एक अधिक युक्ति संगत ऋण नीति पर विचार करेगी, ताकि विभिन्न राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाने वाला सारा ऋण संचित किया जा सके और उसका अनुमान लगाया जा सके ? दूसरे, क्या सरकार को इसकी सूचना नहीं मिली है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने सहायक बैंक खोलने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थापन लागत बहुत अधिक है ? क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : निक्षेपों के उपयोग को बढ़ाने और शाखाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में सरकार बाद की कार्यवाही करने के लिये बचनबद्ध है और इसलिए हमें उस हद तक आयोग के प्रतिवेदन से पूर्व कुछ उपाय करने होंगे । यही कारण है कि यह कहा गया था कि आयोग के निर्देश पद संख्या (i), (ii) और (ix) में परिवर्तन करना पड़ेगा । प्रधान मन्त्री ने यह भी बताया है कि आयोग के निर्देश पदों में जिस हद तक परिवर्तन करना आवश्यक हुआ, उसे किया जायेगा ।

भारत और न्यूजीलैण्ड के बीच हुए क्रिकेट मैच का बीमा

*577. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और न्यूजीलेण्ड के बीच हुए क्रिकेट मैच का जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा किया गया था;

(ख) क्या उक्त मैच के बीमा से जीवन बीमा निगम को भारी हानि हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो निगम को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

वित्त मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : समाचार पत्रों में यह खबर थी कि जीवन बीमा निगम ने भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच इस क्रिकेट मैच का बीमा किया था किन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं किया गया । क्या सरकार ने इन समाचारों का खण्डन किया है कि इस मैच का बीमा करके जीवन बीमा निगम को भारी हानि हुई है ?

श्री र० के० खाडिलकर : हैदराबाद में खेले गये मैच के सम्बन्ध में जो बीमा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वह दंगों, वर्षा, आग आदि से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये था । इसे एक प्रकार का सट्टा समझा गया ।

श्री सु० कु० तापड़िया : इंगलैंड में मैचों का बीमा होता है। इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये।

श्री र० के० खाडिलकर : इस पर रोक नहीं लगाई गई थी। इस प्रकार की जोखिमों का बीमा करना पूर्ण रूप से बीमा क्षेत्र में है, किन्तु इस अवसर पर इसका सट्टा समझा गया और इसलिये इसकी पालीसी जारी नहीं की गई।

टाटा तथा बिड़ला की फर्मों द्वारा कर अपवंचन

***578. श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में टाटा तथा बिड़ला की फर्मों के विरुद्ध कर अपवंचन की कितनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया;

(ख) इन पर पृथक्–पृथक् कर की कितनी राशि बकाया है;

(ग) इनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) इन वर्षों में इन फर्मों को पृथक्-पृथक् विकास के लिये करों में कुल कितनी छूट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बताया गया है कि टाटा कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

बिड़ला समूह के कर-निर्धारितियों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कर अपवंचन के अरोपों की पूरी जांच करने के लिये इन मामलों को निरीक्षण निदेशक की निगरानी में कुछ प्रवर अधिकारियों को सौंपा गया है।

(ख) सम्बन्धित कम्पनियों की तरफ आय-कर की बकाया के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं होने से इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) जांच-पड़ताल जारी है और इस समूह के कुछ मामलों में भारी वृद्धियां की जा चुकी हैं परन्तु इस समूह के निर्धारितियों ने वृद्धियों के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं। सफलता का ठीक ठीक अनुमान तो कर-निर्धारणों के अन्तिम रूप ग्रहण करने पर ही मालूम हो सकेगा।

(घ) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय, आय-कर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मिलने वाली विकास छूट से है, अथवा धारा 33 ए के अन्तर्गत दी जाने वाली विकास सम्बन्धी कटौती से है, अथवा धारा 33 बी के अन्तर्गत दी जाने वाली पुनर्वास राहत से है, अथवा धारा 107 ए के अधीन मिलने वाली राहत से है अथवा इन सब राहतों के सम्मिलित रूप से है। जो भी हो, इन मुद्दों पर सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और 200 से अधिक निर्धारितियों के सम्बन्ध में यह सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा।

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Minister has stated in his reply that the complete figures of arrears against Tata and Birla groups of firms are not available at

present. In view of the fact that figures in this regard are worked out every year, what are the reasons for not working out the figures of arrears of tax due from them during the last three years ? Is it because the Government is being pressurised by those people or there are some other reasons for it ?

Shri P. C. Sethi : The correct figures of arears are available only after the assessments are complete and after a decision is taken on the appeal, if any. That is why I have stated in the reply that the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, the Indian economy is getting fast centralised in the hands of Tata and Birla. Inview of this do Government propose to nationalise the firms of these two business magnets ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीयकरण का प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, you have finished this question in one minute. This is not proper.

श्री शिव नारायण : यह क्या है ? आपने एक भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपने केवल उसी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी थी । क्या अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे भरसक प्रयास के बावजूद यह सातवां प्रश्न है । इस सत्र में यह संख्या सबसे अधिक है । यदि आप इस प्रकार अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे तो सभा में दो या तीन प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे । जिस प्रश्न के बारे में आप इतने चिन्तित हैं वह पूछा ही नहीं जाता यदि मैं पहले वाली गति से चलता ।(**व्यवधान**)मैं देखता हूँ कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन उठकर खड़े हो जाते हैं । किसी प्रश्न के सम्बन्ध में रुचि प्रदर्शन की कोई सीमा भी होनी चाहिये । अन्य सदस्यों को अपने प्रश्नों के उत्तर के लिये इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े ? प्रतिदिन कुछ सदस्य पूरक प्रश्न पूछने लगते हैं और अन्य सदस्य अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं ।(**व्यवधान**) मैं इन सब बातों की अनुमति नहीं दे सकता । अन्य सदस्यों को भी अवसर प्राप्त हो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है (**व्यवधान**)

पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कुप्रभावित केरल तथा मैसूर राज्य को राहत

*579. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से बुरी तरह प्रभावित केरल तथा मैसूर राज्यों को चालू वर्ष में कुछ राहत देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बाद इस सम्बन्ध में कोई पुनर्मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितनी मात्रा में राहत दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). इस मामले पर योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले राज्यों के साधनों के पुनर्मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा। अनुमान है, कि इस पुनर्मूल्यांकन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या कुछ सुझाव दिये गये हैं ?

श्री ए० श्रीधरन : हमारे साथ आपने बहुत भेदभाव किया है (**व्यवधान**)

श्री क० लकप्पा खड़े हुए–अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा आप बैठ जाइये। आप, श्री श्रीधरन और कुछ अन्य सदस्य प्रतिदिन बोलने लग जाते हैं (**अन्तर्बाधा**)। मैंने आपसे कहा है कि मैं इसके लिये अनुमति नहीं दूंगा। केवल कुछ सदस्य ही सदन के सारे के सारे समय पर अपना एकाधिकार जमा लें, मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता। सभी सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

प्रशासनिक सुधार आयोग

अ. सू. प्र. 2.श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग को फरवरी, 1970 तक अपना काम समाप्त करने के लिए कहा है;

(ख) क्या आयोग अपनी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी अवधि में वृद्धि चाहता था; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). विचारणीय विषयों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। उसमें केवल यही व्यवस्था थी कि प्रशासनिक सुधार आयोग जितना शीघ्र व्यावहारिक हो अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करे। अतः आयोग द्वारा अपनी अवधि को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : प्रशासनिक सुधार आयोग को गठित करते समय यह आशा की गयी थी कि वह 1968 के अन्त तक अपना कार्य पूरा कर लेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण यह है कि आयोग में सदस्य अपने काम को पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं और प्रत्येक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिक समय की मांग करते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगा और क्या अध्यक्ष महोदय ने कोई ऐसा संकेत दिया है कि मार्च, 1970 तक आयोग का काम समाप्त हो जायेगा ? क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक आयोग पर कितना व्यय हो चुका है और इसका कार्य समाप्त होने तक कितना और व्यय किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहले यह आशा थी कि आयोग शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर लेगा। जब हमने उनसे बात की और पूछा कि उनकी अवधि और कितने समय के लिये बढ़ानी होगी, क्योंकि बजट में भी वित्त की व्यवस्था करनी होती है, तो उन्होंने बताया कि कार्य पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा। इसका कारण यह है कि जो विशेषज्ञ दल गठित किये गये थे उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस समय जो भी कार्य उनके हाथ में हैं, उन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। यही विलम्ब का कारण है। सदन को पहले भी कई बार इस सम्बन्ध में बताया जा चुका है। आयोग ने अब पुन; इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया है। अभी हमने आयोग में काम करने वाले व्यक्तियों की पदावधि को अगले वर्ष के फरवरी महीने तक के लिये बढ़ा दिया है। इस अवधि को और बढ़ाने के लिये आयोग से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हमने वह वक्तव्य भी देखा है जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने बंगलौर में दिया है कि वह प्रधान मन्त्री से इस विषय पर बातचीत करेंगे। अध्यक्ष सम्भवतया आज या कल दिल्ली आ रहे हैं। वही इस बारे में बता सकेंगे कि कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा। उन्होंने यह संकेत अवश्य दिया है कि इसके लिये वह स्वयं बहुत उत्सुक हैं।

जहां तक खर्च का प्रश्न है, आयोग ने अब तक 57.21 लाख रुपये व्यय किये हैं। चालू वर्ष में 12.60 लाख रुपये की और व्यवस्था है। पिछले वर्ष व्यय में कमी की गयी थी। इस वर्ष भी ऐसा हुआ है। आयोग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 167 से घटा कर 110 कर दी गयी है। ऐसी आशा है कि आयोग का काम अब शीघ्र ही पूरा हो जायेगा, क्योंकि अब अधिक काम नहीं रह गया है। किन्तु निश्चित रूप से इसका पता तभी चल सकेगा जब आयोग के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से बातचीत करेंगे।

श्री देवकीनन्दन पटोदिया : सिफारिशों करने के पश्चात् प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य तो पूरा हो जायेगा लेकिन मुख्य बात तो यह देखना है कि सरकार इन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करती है। जैसा प्रायः देखा जाता है, सरकार की नीति दुलमुल की होती है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर नज़र रखने के लिये क्या सरकार संसद् सदस्यों और महत्वपूर्ण तथा तजुर्बेकार तकनीकी व्यक्तियों की कोई समिति गठित करेगी ? यदि नहीं, तो इस विषय में किस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रशासनिक सुधार विभाग का काम वास्तव में समन्वय करना है। जिन मन्त्रालयों का सिफारिशों से सीधा सम्बन्ध होता है वे सिफारिशों की जांच करते हैं और कागज़ात पत्र तैयार किये जाते हैं। कई बार सचिवों की विशेष समिति द्वारा भी इन कागज़ात की जांच की जाती है। इसके पश्चात् सिफारिशों के स्वरूप को देखते हुए मन्त्रालय अथवा मन्त्री मण्डल द्वारा इन पर विचार किया जाता है और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। इन निर्णयों को कार्यान्वित कैसे किया जा रहा हैं, सरकार इस बात पर भी ध्यान देना चाहती है। इसी प्रयोजन से हमने प्रशासनिक सुधार विभाग को यह अनुदेश दिया है कि वह इस बात की जानकारी प्राप्त करता रहे।, इस विभाग को क्रियान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं और हम इस पर नज़र रखते हैं।

Shri S. M. Banerjee : I want to know whether the Government has made up its mind in regard to the size of the ministries as has been suggested in the interim report and if so when this is likely to be implemented and if the Government has not taken any decision in regard thereto, the reasons therefor ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon-Prime Minister has already made a statement in regard to the report on which the Government has already taken a decision. Some statements have already been laid on the Table of the House. I may also say that 82 percent of the recommendations of the Administrative Reforms Commission have already been accepted. Nine percent of the recommendations have been rejected and the remaining nine percent are still under consideration of the Government.

श्री रंगा : क्या सरकार देवकीनन्दन पटोदिया तथा श्री स० मो० बनर्जी द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार करेगी ? क्या सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सभा-पटल पर समय समय पर विवरण रखे जायेंगे ताकि हम जान सकें कि उनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों तथा उन पर किये गये निर्णयों के बारे में प्रधान मन्त्री अथवा गृह-कार्य मन्त्री द्वारा सभा में वक्तव्य दिये गये हैं। प्रतिवेदन-वार सभा-पटल पर भी विवरण रखे गये हैं। सरकार इन सिफारिशों के बारे में जो भी निर्णय करेगी उनको सभा पटल पर रख दिया जायेगा ताकि माननीय सदस्यों को इस मामले में हो रही प्रगति की जानकारी रहे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस मामले में समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

श्री बेदब्रत बरूआ : क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन तथा सिफारिशों की राजनैतिक स्तर पर जांच के लिये कोइ व्यवस्था की गई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सचिवों द्वारा प्रतिवेदन की जांच किये जाने के पश्चात् इस पर सम्बन्धित मन्त्रियों, मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिमण्डल द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा विचार किया जाता है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य स्तर पर प्रतिवेदन की जांच होनी चाहिए तो उनको इस बारे में कोई ठोस सुझाव देना चाहिए।

श्री एस० एम० कृष्ण : आज सुबह के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था की एक अध्ययन दल द्वारा जांच की जायेगी। क्या सरकार के लिये यह पर्याप्त संकेत नहीं है कि प्रशासनिक सुधार आयोग एक सदा रहने वाली संस्था है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसको सांविधिक रूप देने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने पहले कहा कुछ प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयोग को कार्य पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है। प्रधान मंत्री और चेयरमैन की बातचीत के पश्चात् हम बता सकेंगे कि आयोग का काम कब तक समाप्त हो जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब आयोग के चेयरमैन ने प्रथम बार समय बढ़ाये जाने की बात कही थी तो क्या उस समय उन्होंने कोई निश्चित अवधि इसके लिए बताई थी। क्या इस बारे में उनको कोई आश्वासन भी दिया गया था ? गृह-कार्य मंत्री ने इस मामले पर कब से जोर देना शुरु किया है ताकि इसका कार्य फरवरी में समाप्त हो जाये ? क्या प्रधान मंत्री ने आयोग के चैयरमैन के साथ अपनी बातचीत में उनको ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि कार्य को पूरा करने के लिए समय को बढ़ाया जायेगा ? गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बात पर कब से जोर डालना आरम्भ किया है कि आयोग को अपना कार्य फरवरी तक समाप्त कर लेना चाहिए ?

क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है क्योंकि अनेक मामलों में नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन किये जाने हैं और अनेक मामलों में विधेयकों द्वारा सांविधिक उपबन्ध भी किये जाने हैं। दूसरे, इन सिफारिशों का राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुदेश दिये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम इस बात पर जोर नहीं दे रहें है कि आयोग को अपना कार्य फरवरी तक समाप्त कर लेना चाहिए। मैं ने केवल इतना कहा है कि आयोग के कर्मचारियों के लिए वित्तीय अनुदान केवल फरवरी, 1970 तक दिये गये हैं। हम केवल यह चाहते है कि वह अपना कार्य शीघ्र पूरा करले। उनके काम के लिए अभीतक कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

Shri Prem Chand Verma : I want to know whether Government have fixed any time limit for the implementation of the recommendation made by the Administrative Reforms Commission in its two reports relating to the Union Territories and public undertakings which have already been submitted to the Government ? Have the Government examined them and if so, what are their views thereon ?

Shri Vidya Charan Shukla : As soon as the examination of any report is completed we decide as to which recommendation should be accepted and which to be rejected. The responsibility of implementing the accepted recommendation and of assessing their effects has been assigned to the Administrative Reforms Commission which is working under the Ministry of Home Affairs. The point raised by the hon. Member is important and we will take full note of it.

श्री म० ला० सोंधी : क्या आयोग ने सबसे अधिक तथा सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी के बीच जो विषमता है उसके बारे में अपने विचार बताये हैं ? क्या इस सिफारिश को क्रियान्विति के लिए सरकार किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है जिससे आय की विद्यमान विषमता को कम किया जा सकेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल ; प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों को सभापटल पर अथवा संसद्के ग्रन्थालय में रख दिया गया है । सिफारिशों का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है । अतः इस बारे में मैं इस समय कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं कि आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश की है अथवा नहीं, और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ।

श्री हेम बरूआ : माननीय मन्त्री ने बताया है कि आयोग की स्थापना के समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी । क्या सरकार ने आयोग की गतिविधियों के विस्तार के बारे में कोई अनुमान लगाया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आयोग को अपने इसके विचार के अनुसार अपना कार्य करने देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें यह आशा नहीं थी कि आयोग अपना कार्य पूरा करने में इतना अधिक समय ले लेगा । चेयरमैन तथा प्रधान मन्त्री की बातचीत के पश्चात् ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि आयोग अपना कार्य कब तक पूरा कर लेगा ।

श्री तुलसी दास जाधव : सरकार को अब तक कितने प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा और कितने प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब तक 14 प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इस बात की सम्भावना है कि छः अथवा सात प्रतिवेदन और मिलेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : The recommendations of the Administrative Reforms Commission which have so far been received are generally inconsistent with the policies of the Government. I want to know whether this is the reason why the Government want that it should complete its work quickly so that there may not be more criticism of the Government's policies ?

The hon. Minister has stated that 82 percent of the recommendations have already been accepted by the Government. I want to know how many of them have been implemented and when the final decision to implement the remaining recommendations would be taken ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not correct to say that recommendations of the commission are against the fundamental policies of the Government and that we want it to wind up its work quickly. Out of the 82 percent recommendations which have been accepted by Government, some have been implemented in full, some partally and some others with minor changes. This proves that their recommendations are not against the policies of the Government.

So far as his second question is concerned, nothing can be said at this stage because first of all we have to receive reports in this regard from the concerned ministries and then examine them. Only then something can be said in this matter.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये पश्चिमी तट का सर्वेक्षण

***571. श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पश्चिमी तट पर एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना की सम्भावना की जांच अथवा सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने इस सम्बन्ध में देश के पश्चिमी तट का दूसरा सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) देश के पश्चिमी तट पर तेल शोधक कारखाने को चालू करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कोई अलग कदम नहीं उठाये गये हैं। अतिरिक्त शोधन क्षमता के बारे में, जिसकी 1969 से 1975 की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ेगी, एक अध्ययन दल ने विस्तृत अध्ययन किया है।

(ख) जी, नहीं।

Visit to Gorakhpur Fertilizer Factory by World Bank Study Group

***580. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Study Group of the World Bank inspected the Gorakhpur Fertilizer Factory from the 20th to 23rd July, 1969;

(b) if so, the points studied by the said Group;

(c) whether the Group has submitted its report to Government; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) . The pre-appraisal team of the World Bank visited the Gorakhpur Fertilizer factory from 20th to 22nd July, 1969. The visit was part of the Missions study for considering World Bank assistance for fertilizer industry in the country.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Propagation of Ayurvedic System of Medicines in Foreign Countries

***581. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any attempt has been made to create favourable atmosphere for the Ayurvedic system of medicines in the foreign countries;

(b) whether it is a fact that more successful experiments have been conducted on some Indian herbs in other countries; and

(c) if so, the efforts being made to popularise Ayurvedic system of medicines in other countries also ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K.K. Shah) : (a) and (c) . The present policy of the Government is to develop the Ayurvedic System of Medicine within the country.

(b) Yes, Sir.

परिवार नियोजन विकास के लिये भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता

***582. श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को सहायता के कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने के लिये गत नवम्बर में स्टाकहोम में भारत सहायता सार्थ-संघ की बैठक हुई थी;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने परिवार नियोजन विकास कार्यक्रम के लिये भारत की आवश्यकताओं की पुरजोर पैरवी की थी; और

(ग) यदि हां, तो कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की समस्याओं और उसकी प्रगति की समीक्षा करने तथा इस कार्यक्रम के लिये और विदेशी सहायता दिये जाने की संभावना पर विचार-विमर्श करने के लिये 24 और 25 नवम्बर, 1969 को स्टोकहोम में, भारत सहायता संघ की बैठक हुई थी ।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिनिधियों ने बैठक में भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरा करने के लिये किये गये उपायों और इस कार्यक्रम के लिये लगाये गये वित्तीय साधनोंके स्वरूप की जानकारी दी । भारत सहायता संघ के सदस्यों ने इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और उन्होंने उक्त कार्यक्रम को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहने के बारे में भारत के संकल्प का स्वागत किया तथा इस कार्यक्रम के ऐच्छिक स्वरूप, कार्यक्रम के लिये संचार के सभी उपलब्ध साधनों के उपयोग और इसे मातृक तथा शिशु स्वास्थ्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिये जाने की सराहना की । सदस्य इस बात पर सहमत थे कि इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता है और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि यदि इस कार्यक्रम में विदेशी सहायता के रूप में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना है तो वह अधिकांशतः भारतीय मुद्रा में किये जाने वाले खर्च की व्यवस्था के लिये ही होगा ।

बिहार के बांका उपखण्ड में तांबे की खोज में प्रगति

***583. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बांका उप-खण्ड में तांबे की खोज के कार्य के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई किस्म और मात्रा सम्बन्धी विश्लेषण किया गया है;

(ग) उसकी वाणिज्यिक सम्भावनाएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने फागा क्षेत्र में तीन व्यधन छिद्रों में 308.65 मीटर तथा बागमरी क्षेत्र में 4 व्यधन छिद्रों में 233.12 मीटर व्यधन किया है। बेलबथान तथा फागा क्षेत्रों में भू-भौतिक अन्वेषण भी किये गये हैं।

(ख) और (ग) किसी भी व्यधन छिद्र में महत्व का कोई खनिजयुक्त क्षेत्र प्रगट नहीं हुआ। भूभौतिक सर्वेक्षणों से किसी विस्तृत असंगति का भी संकेत नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिये राष्ट्रीय योजना

*584. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय योजना तैयार करने हेतु आसाम सरकार से कोई विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप कोई मतैक्य हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो नदी पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). ब्रह्मपुत्र नदी के कारगर बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में असम सरकार से अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श हुआ है। इसके वास्ते यह फ़ैसला किया गया है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना बनाने तथा उसको क्रियान्वित करने में सहायता देने के लिए एक संस्था की स्थापना की जाए। राज्य सरकार को इसके वास्ते राज्य योजना में आवश्यक प्रावधान करने में समर्थ बनाया जाएगा। राज्य सरकार से सलाह करके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

Drugs recovered from Monghyr Sadar Hospital donated for relief purposes

*585. **Shri Deven Sen :**
Shrimati Ila Pal Choudhari :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a raid was conducted on the Sadar Hospital in District Monghyr, Bihar, on the 22nd November, 1969 at his instance and medicines worth 75 lakhs of rupees donated by foreign countries two years ago for the relief of flood effected people were sized; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the officers concerned and whether a detailed report in this respect will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) During the course of an inquiry, the Additional Director of Health Services, Bihar detected certain medicines of expired dates which were lying in a room in the hospital. These drugs appear to have been received as gifts from foreign sources during the last drought. The value of the medicines is estimated to be between Rs. 30,000 to Rs. 35,000.

(b) It is proposed to take action against the defaulters after fixing responsibility. A detailed inquiry is also proposed to be instituted in the matter and a report will be laid on the Table of the Sabha.

अमरीका से डाई-एमोनियम का फास्फेट आयात

*586. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अमरीका से कुल कितना डाई-एमोनियम फास्फेट आयात किया गया था;

(ख) इस आयात पर कितना मूल आयात शुल्क लगाया गया;

(ग) क्या सरकार को पता है कि डाई एमोनियम के आयात से भारत में सुपर फास्फेट उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सुपर फास्फेट उद्योग को संरक्षण देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1968–69 में अमरीका में आयातित डाई-एमोनियम फास्फेट की मात्रा 1,96,076 मीटर टन थी।

(ख) इस उर्वरक पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आयात शुल्क लगता है।

(ग) और (घ) . इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए, कि नाइट्रोजनी तथा फास्फेटिक उर्वरकों की देश की अनुमानित आवश्यकताओं तथा उनका अनुमानित स्थानीय उत्पादन के बीच केवल अन्तराल को पूरा करने के लिए ही डाई-एमोनियम फास्फेट का आयात किया जाता है, सरकार यह नहीं समझती कि डाई-एमोनियम फास्फेट के आयात से देश में सुपर फास्फेट उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फास्फेटिक उर्वरकों की, आवश्यकताओं का समय समय पर मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाये जाते हैं, जो देशीय उत्पादन से पूरे किये जा सकते हैं, और

डाई-एमोनियम फास्फेट तथा अन्य उर्वरकों का आयात केवल उस सीमा तक आयोजित किया जाता है जहां तक देशीय उत्पादन अनुमानित आवश्यकताओं से कम पड़ता है। राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे आयातित सम्मिश्रण उर्वरकों के इन्डैण्ट भेजने से पहले, स्थानीय निर्मित सुपर फास्फेट आदि का अधिकतम प्रयोग करें।

रेलवे सामान के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा

*587. **श्री सु० कु० तापुड़िया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली सिगनल और संचार सम्बन्धी उपकरणों जैसे रेलवे सामान के आयात पर प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(ख) क्या इस खर्च की पूर्ति विदेशों से प्राप्त ऋणों द्वारा या केवल भारतीय साधनों द्वारा की जाती है; और

(ग) क्या खर्च की पूर्ति के लिये कुछ विदेशी एजेंसियां सहायता दे रही हैं और यदि हां, तो उनकी ब्याज की दर क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बिजली के सामान (जिसमें बिजली के आकर्षण-उपकरण शामिल है) और बिजली तथा डीजल से चलने वाले रेल इंजनों और बिजली के बहु-खण्डीय एककों के निर्माण में काम आने वाले बिजली के संघटकों तथा संकेत और दूर संचार सम्बन्धी उपकरणों के आयात पर 1967–68में 14.06 करोड़ रुपये और 1968–69 में 11.20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। इन मदों पर 1969–70 के दौरान लगभग 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है।

(ख) इन मदों पर होने वाला विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था) द्वारा दिये गये ऋणों और विदेशों के साथ किये जाने वाले द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों से पूरा किया जाता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारतीय रेल विभाग को दिये गये ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता परन्तु केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से सेवा प्रभार लगता है। कनाडा और ब्रिटेन द्वारा दिये गये ऋणों पर भी कोई ब्याज नहीं लगता। अन्य देशों के साथ किये गये द्विपक्षीय करारों के अधीन ऋणों पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक की विभिन्न दरों से ब्याज देना पड़ता है।

घाटे का बजट तथा मूल्य सूचकांक

*588. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान बजट वर्ष में कितनी धनराशि के घाटे की व्यवस्था है तथा पिछले वर्ष की उसी तिथि के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस वित्तीय वर्ष तथा गत वित्तीय वर्ष के एक ही तिथि के सभी वस्तुओं के थोक मूल्य-सूचकांक पृथक-पृथक क्या हैं;

(ग) उपरोक्त दो वर्षों में उस तिथि में परिचालित मुद्रा की राशि कितनी थी; और

(घ) क्योंकि घाटे के बजट तथा मूल्यों और परिचालित मुद्रा में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, अतः सरकार उसमें वृद्धि क्यों नहीं करती तथा उस समय तक करारोपण के वैकल्पिक उपाय को क्यों नहीं टाला जाता जब तक कि पर्याप्त मुद्रा स्फिति नहीं होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण पर आधारित है। इससे यह पता चलता है कि 31 मार्च, 1969 से 14 नवम्बर, 1969 तक सरकारी लेनदेनों में कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपये का अधिशेष था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपये का घाटा रहा था।

(ख) थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक (1961–62 = 100), जो 29 मार्च, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह में 165.1 था, बढ़कर 15 नवम्बर, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह में 168.0 हो गया अर्थात इस में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। पिछले वर्ष की इसी अवधि में थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक 160.3 से बढ़कर 166.1 हो गया था, अर्थात इसमें 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी।

(ग) 31 मार्च, 1969 को चलन में कुल 5839 करोड़ रुपये की मुद्रा थी जो बढ़कर 14 नवम्बर, 1969 को 5986 करोड़ रुपया हो गयी अर्थात इसमें 147 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। पिछले वर्ष की इसी अवधि में मुद्रा-उपलब्धि (मनी-सप्लाई) में 47 करोड़ रुपये की कमी हुई थी अर्थात् 31 मार्च 1968 को मुद्रा उपलब्धि की रकम 5401 करोड़ रुपये थी, जो घटकर 15 नवम्बर, 1969 को 5334 करोड़ रुपया हो गयी थी।

(घ) सरकार की नीति यह है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था को गैर-मुद्रास्फीतिकारी सीमाओं के अन्दर-अन्दर रखा जाय परंतु इसे अतिरिक्त साधनों को जुटाने के अन्य उपायों का विकल्प नहीं समझा जा सकता।

Exemption of Defaulters from Paying Income-Tax by Income Tax Commissioner

*589. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax Commissioner can exempt the defaulters from the payment of Income-tax, if they apply for it on certain special grounds;

(b) if so, the nature of those grounds;

(c) the number of such applications received during the last three years; and

(d) the number among them of those on the basis of which exemption from the payment of the Income-tax was granted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The Commissioner of Income-tax cannot grant exemption to defaulters from payment of income tax. Presumably, the reference in to the powers of write-off of irrecoverable demands provided in Rule 10 of the delegation of Financial Powers Rules.

(c) and (d). Irrecoverable demand was written off in 8063 cases during the financial years 1966-67 to 1968-69 in exercise of the provisions for write-off of arrears mentioned earlier.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाना

*590 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान फार्मूला के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महगाई भत्ते की एक और किश्त दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस राशि को देने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री प्र० चं० सेठी**) : (क) से (ग) . केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मंहगाई-भत्ता आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949 = 100) के बारह महीने की औसत में प्रत्येक दस अंकों की वृद्धि पर मंज़ूर की जाती है । पिछली वृद्धि बारह महीने के औसत सूचकांक 215 पर 1-9-1968 से मंज़ूर की गयी थी । अगली वृद्धि सूचकांक के 225 के औसत स्तर पर पहुंचने पर ही देय बनती है । अक्तूबर, 1969 के लिये 12 महीने का औसत सूचकांक 212,03 है जो उपलब्ध सूचकांकों में अन्तिम है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यकुशलता

* **591. श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकुशलता में ढील आ जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री प्र० चं० सेठी**) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ।

(ख) आमतौर पर, ये शिकायतें ऋण मंजूर करने तथा ड्राफ्ट जारी करने में देरी होने के बारे में तथा बैंक कर्मचारियों के अशिष्ट व्यवहार के संबंध में होती है ।

(ग) ऐसे सब मामलों में सम्बन्धित बैंक से वस्तुस्थिति का पता लगाया जाता है और उसे आवश्यकतानुसार उचित परामर्श दिया जाता है । गंभीर शिकायतों के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाती है ।

सहकारी उपक्रमों में भविष्य निधि योजना को पेंशन का रूप देना

* **592. श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में इस समय चल रही भविष्य निधि योजना को पेंशन योजना के रूप में बदलने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व रेलवे के मामले में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय की घोषणा करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। पर सरकार उन सभी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं तैयार करने के बारे में विचार कर रही हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि आदि योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं।

भारत में यूनेस्को मिशन तथा इसके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कथित कदाचार

* **593. श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में यूनेस्को मिशन ने नई दिल्ली के एक बैंक में रखे गये परिवर्तनीय मुद्रा खाते का खाते के अपेक्षित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिशन द्वारा आवद्ध (वाण्डेड) स्टाक में से खरीदी गई शराब की बहुत बड़ी मात्रा मिशन के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस० पी० दीवा द्वारा चोर बाजार में बेच दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री दीवान के सक्रिय सहयोग से मिशन के अधिकारी विभिन्न प्रकार का सामान राजकीय प्रयोग के लिये प्रमाणित करके उनका अपने निजी उपयोग के लिए आयात कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री दीवान ने 1966 में एक अनधिकृत विदेश यात्रा की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों के क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मामले की जांच जारी है।

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिल सके कि वाण्डेड स्टाक में से यूनेस्को मिशन द्वारा खरीदी गयी शराब की बहुत बड़ी मात्रा श्री एस० पी० दीवान द्वारा काला बाजार में बेची गयी है।

(क) इस प्रकार के आरोपों की सूचना प्राप्त हुई थी। आयात करने के आरोप के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। दो वातानुकूलकों से सम्बन्धित मामले में जांच पूरी हो चुकी है जिससे पता चलता है कि इन वातानुकूलकों के लिए अदायगी नई दिल्ली स्थित यूनेस्को मिशन के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख श्री डनिचंम के वैयक्तिक खाते से की गयी थी। यह अवश्य है कि उसने (अर्थात् कार्यवाहक प्रमुख ने; न कि श्री दीवान ने) यह प्रमाणित किया था कि वातानुकूलक कार्यालय के काम के लिये थे और इसलिये, आयात होने पर उनकी बिना–

शुल्क निकासी होने दी गयी थी। इस जांच के आरम्भ होने तक श्री डनिधंम भारत से जा चुके थे, और उक्त दोनों वातानुकूलक भी वस्तुत: उपलब्ध नहीं थे। न्याय-निर्णय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में नियमों के उल्लंघन के लिये श्री एस० पी० दीवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

(घ) सम्भवत: प्रश्न का संकेत श्री एस० पी० दीवान द्वारा जून, 1966 में की गयी पैरिस-यात्रा की ओर है। लोक सभा में 17-11-69 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर में बताया जा चुका है कि इस यात्रा के लिये श्री एस० पी० दीवान का टिकट व्यय यूनेस्को द्वारा किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियों की ओर से, उन संगठनों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वर्तमान विशेष कार्य विधि के अनुसार था। यूनेस्को कार्यालय से की गयी पूछताछ से पता चला है कि श्री दीवान की यह यात्रा संगठन के कार्य से थी और इस यात्रा-व्यय की अदायगी यूनेस्को कार्यालय ने श्री दीवान को नकदी में की थी।

(ङ) इसका उत्तर भाग (क) से (ब) तक के अभी बताये गये उत्तरों में आ गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दस सूत्री कार्यक्रम

* 594. **श्री बापूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जिस दस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सिफारिश की थी अब तक सरकार ने उसे कार्यान्वित करने के लिये मद-वार क्या कदम उठाये हैं;

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कार्यक्रम की प्राथमिकता किस प्रकार निश्चित की गयी है;

(ग) अन्य भारतीय बैंकों तथा विदेशी बैंकों को छोड़कर केवल 14 भारतीय बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है: और

(घ) देश की अर्थ-व्यवस्था पर इस अधूरे राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2364/69**]

(ग) और (घ). जिन कारणों से छोटे भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया उनका उल्लेख प्रधान मन्त्री ने सदन में बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में हुई बहस के दौरान किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभों के बारे में भी उस समय विस्तारपूर्वक बताया गया था।

चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा किये जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इस कार्रवाई को अधूरा करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

रासायनिक उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइसेंस

* 595. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेंगोलाइट हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा टिटेनियम डायक्साइड, टिन क्लाराइड आदि रसायनों का अत्यन्त अभाव है, जिनकी कपड़ा तैयार करने और छपाई उद्योग में बड़ी आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रासायनिक उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाइसेंस देने का है;

(ग) क्या इन रसायनों के वितरण को नियंत्रित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। हाइड्रोसल्फाइट तथा सोडा, रंगोलाइट तथा टिटेनियम डायोक्साइड जैसे रसायनों की कुछ कमी है।

(ख) हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है तथा टिटेनियम डायोक्साइड एवं सोडियम सल्फोसाइलेट फार्मलडीहाइड, जिसे रंगोलाइट कहा जाता है, की अतिरिक्त क्षमता के लिये लायसेंस/आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) आयात द्वारा सप्लाई में वृद्धि से मूल्य एक सचिव स्तर पर रखना संभव हो गया है। पहले से लाइसेंस की गयी विचाराधीन अतिरिक्त क्षमता की योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर, देश के इन रसायनों के आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है।

दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के निर्माण में विलम्ब

* 596. **श्री रवि राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के निर्माण-कार्य में बहुत देरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मशीनें लगाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रारम्भ में परियोजना में, 1970 के शुरु में व्यापारिक उत्पादन किये जाने का कार्यक्रम था। अब आशा है कि उत्पादन 1970 के अन्तिम भाग में शुरु हो जावेगा।

(ख) निर्माण करने के ठेकेदारों के कर्मकारों द्वारा घेराव, हड़ताल आदि करना तथा देशीय प्रदायकों द्वारा उपकरण तथा सामग्री की सप्लाई में देरी, परियोजना की कार्यान्विति में विलम्ब होने के मुख्य कारण हैं।

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्र मुकम्मल करने के लिये हर संभव कदम उठाया जा रहा है। कर्मकारों तथा ठेकेदारों के बीच श्रम सम्बन्धी विवाद, राज्य के श्रम-आयुक्त द्वारा तय कराये जा रहे हैं। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये परियोजना के प्राधिकारी देशीय निर्माण कर्ताओं को यथा संभव सहायता देते हैं।

लौह अयस्क निर्माताओं द्वारा कम राशि के बीजक बनाना

* 597. **श्री ई० के० मायनार :**
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में लौह अयस्क निर्यातकर्ता बहुत कम राशि के बीजक बनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह देखने के लिये कि निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क का वास्तविक वजन कितना है तथा उसमें धातु की कितनी मात्रा है, सरकार ने क्या व्यवस्था की हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कच्चे लोहे का निर्यात 1.7.1957 के बाद से, खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत हो रहा है। अलबत्ता कच्चे लोहे के कुछ गैर-सरकारी निर्यातकर्ता गोवा में है। परन्तु, उनके मामले में भी निर्यात मूल्य, गोवा के प्रशासन द्वारा नियत किया जाता है। इस परिस्थितियों में, बीजकों में कम मूल्य दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहाज में लादे गये कच्चे लोहे के वास्तविक वजन का हिसाब, माल (कच्चे लोहे) से भरे, रेल के डिब्बों और लारियों को, पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये तोल-कांटों (Weight Bridges) पर तोल कर लगाया जाता है, अथवा पत्तन अधिकारियों अथवा मान्यता प्राप्त समुद्री सर्वेक्षणों द्वारा किये गये डुबाव-सर्वेक्षण द्वारा लगाया जाता है।

कच्चे माल में निहित धातु-तत्व के बारे में, क्वालिटी (कंट्रोल एण्ड इंसपेक्शन) एक्ट 1963 के अन्तर्गत प्राविकृत, निर्यात-निरीक्षक-एजेन्सियों के विश्लेषण प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाता है। कुछ मामलों में, पत्तन सीमा-शुल्क गृह से सम्बद्ध परीक्षण शालाओं द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जाता है और उसमें निहित लोहे के अंश के बारे में रिपोर्ट दी जाती है।

राज्यों में सभी प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में वृद्धि

* 598. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा केन्द्रीय बिजली उपक्रमों को यह सुझाव देने का विचार है कि वे घरेलू, वाणिज्यिक तथा कृषि के प्रयोगार्थ बिजली की दरों में वृद्धि कर सकते हैं ताकि उन्हें हानि से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन उपक्रमों को दी गई हिदायतों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की खपत के लिये अपेक्षित बिजली की दरें भिन्न-भिन्न हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में खपत दर क्या है तथा इन दरों को लगभग एक समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई तथा कृषि के प्रयोगार्थ बिजली की दरों में रियायत देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2365/69**]

पश्चिमी जर्मनी की फर्मों द्वारा कोयला-आधारित उर्वरक कारखानों के लिये तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव

*599. **श्री अदिचन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की कुछ फर्मों ने भारत में कोयला-आधारित उर्वरक कारखानों के लिये तकनीकी सहयोग देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सहयोग की सम्भावित शर्तें क्या हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय उर्वरक निगम ने देश में प्रस्तावित कोयला-आधारित उर्वरक कारखानों में प्रयोग के लिए, कोयले के गैसीकरण के सम्बन्ध में, प्रक्रिया एवं तकनीकी जानकारी की प्राप्ति हेतु, पश्चिमी जर्मनी की फर्म के साथ एक करार के लिए बातचीत की है।

(ख) सरकार ने देश में तालचर (उड़ीसा), कोरबा (म. प.) और रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थानों पर कोयला-आधारित कारखानों की स्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है।

(ग) करार में निम्न की व्यवस्था है :—

(1) प्रक्रिया और तकनीकी जानकारी के प्रयोग के लिए भारतीय उर्वरक निगम को अनानन्य अधिकार और लाइसेंस।

(2) प्रक्रिया जानकारी और इन्जीनियरिंग ब्योरों से सम्बन्धित सूचना एवं प्रलेखों का भारतीय उर्वरक निगम को देना ;

(3) भारतीय उर्वरक निगम को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और

(4) निर्माण, प्रारम्भ, परीक्षण एवं गारंटी परीक्षण परिचालन, जांच पड़ताल तथा प्रमाणीकृत प्रारूपों के बारे में निगम को परामर्श देना; और

(5) विदेशों में इसी प्रकार के सन्यन्त्रों के परिचालन एवं देख-रेख में भारतीय उर्वरक निगम के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।

करार को सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है और इसकी जांच हो रही है।

लौह अयस्क के बदले में खनन उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया का प्रस्ताव

* 600. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार ने यूगोस्लाविया में स्थापित किये जा रहे एक इस्पात कारखाने के लिए लोह अयस्क के बदले में अयस्क वाहन तथा अयस्क उतारने और चढ़ाने के उपकरणों और खनन उपकरणों की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). यूगोस्लाविया सरकार से यूगोस्लाविया में स्थापित किये जाने वाले एक इस्पात संयंत्र के लिये लौह अयस्क के बदले में अयस्क-वाहन तथा अयस्क उतारने और चढ़ाने के उपकरणों और खनन के उपकरणों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, यूगोस्लाविया के इसप्लिट शिपयार्ड के मेयर, मिस्टर मिलिस्क 3 सदस्यों के साथ इस वर्ष मई में निजी दौरे पर भारत आए। यह दौरा यूगोस्लाविया से अयस्क उतारने और चढ़ाने के संयंत्र, अयस्क वाहनों, खनन उपकरण आदि के निर्यात के बदले में यहां से लम्बी अवधि के आधार पर लौह अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क में साथ साथ इसप्लिटक में स्थापित किये जा रहे इस्पात संयंत्र के लिये रुपयों की अदायगी के आधार पर भारत से खरीदे जाने वाले इस्पात संयंत्र के उपकरणों को प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोज करने के विचार से था। इस विषय पर यूगोस्लाविया सरकार की ओर से किसी अवस्था पर कोई बात नहीं कही गई है।

दिल्ली द्वारा नामांकित चिकित्सा छात्रों को चिकित्सा कालेज, श्रीनगर में प्रवेश देने से इन्कार

3801. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से पूर्व अनुदेश प्राप्त करके चिकित्सा कालेज, श्रीनगर ने अगस्त, 1969 में संघ-राज्य क्षेत्रों के नामांकित व्यक्तियों के लिये आरक्षित स्थानों में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के चार नामांकित व्यक्तियों में से किसी एक को एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की प्रथम श्रेणी में दाखिला नहीं दिया था;

(ख) क्या यह कार्यवाही जान बूझकर बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि दिल्ली प्रशासन भी इसी प्रकार इस वर्ष जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार द्वारा नाम निदेशित विद्यार्थियों को दिल्ली मेडिकल कालेजों में दाखिला नहीं दिलवा सका था;

(ग) यदि हां, तो क्या भावी विद्यार्थियों को इनसे बहुत परेशानी उत्पन्न हुई है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की समुचित जांच करायेगी और दाखिला सम्बन्धी नीतियों के बारे में चिकित्सा कालेजों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर सरकार के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन पारस्परिक आधार पर अपने नियंत्रण के मेडिकल कालेजों में उस राज्य के छात्रों को दो सीट देने के लिये सहमत हो गया है। दिल्ली और श्रीनगर के चिकित्सा कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां इसलिए हुई क्योंकि पारस्परिक प्रबन्धों के बारे में तब तक कोई निर्णय नहीं हो सका था। फिर भी बाद में उन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया और विद्यार्थियों को अपने अपने संस्थानों में दाखिल कर लिया गया।

(घ) चिकित्सा कालेजों में दाखिले के लिए आवासीय प्रतिबन्धों को दूर करने का प्रश्न राज्य सरकारों से उठाया गया है।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

3802. श्री न० रा० देवघरे : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष में राज्यवार कुल कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) बाढ़ नियंत्रण उपाय राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिए जाने हैं। विभिन्न उपाय, जैसे तटबंधों का निर्माण, वर्तमान तटबंधों को मजबूत तथा ऊंचा करना, नदी नियंत्रण कार्य, निकास सुधार, बाढ़ चेतावनी तथा बाढ़-पूर्व-सूचना आदि, पहले से ही प्रारम्भ कर दिये गये है और इन्हें जारी रखा जाएगा। अब तक किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप 64 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र, जो अधिकतर बाढ़ से प्रभावित होता था, काफी हद तक सुरक्षित कर दिया गया है।

विवरण

वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ों से प्रभावित कुल क्षेत्र नीचे दिया जाता है :—

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
आन्ध्र प्रदेश	14.50*
असम	8.05
बिहार	9.74
गुजरात	0.35**
हरियाणा	1.49
जम्मू व कश्मीर	0.11
केरल	19.95
मध्य प्रदेश	1.02
महाराष्ट्र	0.91**
मैसूर	0.01
उड़ीसा	6.52
पंजाब	0.06
राजस्थान	2.40**
तमिल नाडु	सूचित नहीं किया गया
उत्तर प्रदेश	24.03
पश्चिम बंगाल	5.25
दिल्ली	नगण्य
हिमाचल प्रदेश	0.01
मणिपुर	0.07
त्रिपुरा	0.77
	95.24

* मई और नवम्बर के चक्रवातों के कारण प्रभावित फसली क्षेत्र ।

** कुल प्रभावित क्षेत्र सूचित नहीं किया गया है । यह केवल प्रभावित फसली क्षेत्र है ।

Scheme of R. B. I. for Industrial Development in Backward Areas

3803. Shri G. C. Dixit :
Shrimati Sudha V. Reddy :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has formulated a scheme for accelerating the industrial development in backward areas of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the above scheme would be made applicable in East Nimar District of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) . The Industrial Development Bank of India, a wholly owned subsidiary of the Reserve

Bank of India, formulated in July, 1969 certain broad proposals to assist deserving projects in small or medium industries in relatively under developed areas in the various States. In respect of such projects it will inter-alia, be prepared to charge a lower rate of interest; extend the initials grace period from the normal 2-3 years to 5 years or even longer, if necessary; allow the repayment to be spread over a period of 15-20 years as against the normal 10-15 years; and increase the extent of participation in risk capital. The actual nature and extent of concessions in terms and conditions of assistance will be determined on the merits of each case. These concerns will be available to small and medium industries located in under-developed areas of Madhya Pradesh also, selection of under developed areas each State is to be done by the Planning Commission in consultation with the State Government and the financial institutions.

शहरी सम्पत्ति पर प्रस्तावित अधिकतम सीमा निर्धारण के परिणामों का अध्ययन

3804. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने शहरी सम्पत्ति पर सम्भावित अधिकतम सीमा निर्धारण के परिणामों का अध्ययन करने के लिए रूसी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जी, नहीं । इस मामले में विदेशी विशेषज्ञों की सलाह लेने का न तो कोई अवसर आया है और न ही ऐसी कोई आवश्यकता महसूस की गई है ।

Amount demanded by Government of Madhya Pradesh for construction of houses

3805. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount demanded by the Madhya Pradesh Government for the construction of houses and giving loans for the construction of houses during the Fourth Five Year Plan; and

(b) whether Government propose to meet the said demands ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) For the Fourth Five Year Plan (1969-74), the Government of Madhya Pradesh proposed an outlay of Rs. 5 crores for implementation of Social Housing Schemes. After discussion with the representatives of the State Government, the Planning Commission have agreed to an outlay of Rs. 3 crores for the purpose.

(b) During the Fourth Five Year Plan, funds for the various development programes, including housing, taken together, will be made available to the States in the shape of 'Block loans' and 'Block grants' without its being tied to specific heads of development. It is open to the Stete Governments to utilise the assistance according to their own requirements/priorities.

Irrigation Schemes sent by Madhya Pradesh Government

***3806. Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the details of the irrigation schemes of the Madhya Pradesh sent by the Madhya Pradesh Government to the Central Government during the last three years;

(b) whether Government propose to implement those schemes; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. L. T. 2366/69**]

(b) and (c) . The last of new schemes to be taken up in Madhya Pradesh in the Fourth Plan has not yet been finalized.

Tax Evasion Cases in M. P.

3807. Shri G. C. Dixit : will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases involving tax-evasion of more than three lakhs of rupees in each case detected by the Intelligence Wing of the Directorate of Inspection, Income-tax Department during the last two years in Madhya Pradesh;

(b) the names and addresses of the persons evading tax in the said cases and the amount of tax evaded in each case; and

(c) the number out of the said cases in respect of which the tax has been assessed and the parties against whom criminal suits have been filed for evading tax and the amount of tax evaded in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) The activities of the Intelligence Wing during 1967-68 and 1968-69 were confined to the four cities namely Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. They are now being gradually extended to other areas including M. P.

Location of Rock Phosphate deposits in Madhya Pradesh

3808. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large deposit of rock phosphate has been found in Madhya Pradesh;

(b) whether any schemes have been formulated for making full use of the phosphate reserves and also for setting up more fertilizer factories in Madhya Pradesh during the Fourth Five-Year Plan; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The Geological Survey of India has not located any deposit of rock phosphate in Madhya Pradesh,

(b) and (c) . Do not arise.

ट्रोम्बे उर्वरक एकक के विस्तार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण (यूसेड) से सहायता

3809. श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 अक्टूबर, 1969 के हिन्दू में "सेन्टर्स इनडिसीजन होल्ड्स अप एन्ड फार प्रोजेक्ट" (केन्द्र के अनिर्णय से परियोजना सहायता रुकी) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण (यूसेड) को अभी तक निश्चित रूप से यह नहीं बताया है कि वे ट्राम्बे उर्वरक एकक के विस्तार के लिए "यूसेड" द्वारा 370 लाख डालर की प्रस्तावित सहायता को लेना चाहते है या नहीं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के प्रस्तावित विस्तार की दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ट्राम्बे उर्वरक एकक के विस्तार के लिए पुनरीक्षित योजना, जो विचाराधीन है, की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण (यूसेड) को जानकारी है जो आयातित अमोनिया पर आधारित है तथा जिसमें पूंजी परिव्यय में मूल योजना के मुकाबले में, काफी थोड़ी विदेशी मुद्रा का समावेश है। सम्बद्ध मन्त्रालयों के परामर्श से पुनरीक्षित योजना की विस्तार रूप से जांच की जा रही है और इसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की मैसूर के लिए लौह अयस्क योजना

3810. श्री वि० नरसिन्हा राव : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मैसूर के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत की लौह अयस्क योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 21.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मैसूर राज्य में दोनिमलई स्थान पर एक लौह अयस्क खान का निर्माण तथा (1) कुद्रेमुख के लौह अयस्क निक्षेपों के उपयोग और (2) दोनिमलई के लौह अयस्क सूश्मों एवं नीली धूलि पर आधारित एक पैलेटाइजेशन संयंत्र के लिए तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ किये हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने राज्य में रमनदुर्ग लौह अयस्क निक्षेपों से कारवार बन्दरगाह के रास्ते निर्यात करने के विचार से विकास करने के लिए, मैसूर सरकार की ओर से, रमनदुर्ग-कारवार काम्पलैक्स के लिए एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पूरा किया है। इन प्रायोजनाओं पर वित्तीय परिव्यय के अनुमान अभी लगाये जाने हैं।

दिल्ली में झुग्गी झोंपडी बस्तियों की समस्यायें

3811. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये निर्णयों के बारे में आदेश जारी कर दिये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) कुछ समय पहले गृह मन्त्री के कमरे में एक बैठक में झुग्गी–झोंपड़ी हटाने की योजना की पुनरीक्षा की गई थी। जैसा कि बैठक में प्रस्तावित किया गया था पात्र अनधिवासियों के लिए बस्तियों में लागत सीमा (सीलिंग ऑफ कास्ट) को 1000 रुपये प्रति प्लाट से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति प्लाट करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। अन्य निर्णयों के आदेश मामले में वित्तीय तथा अन्य विवक्षाओं के शामिल होने को ध्यान में रखते हुए अभी तक जारी नहीं किये जा सके। उनकी और आगे परीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सहायता पर आश्रित राज्य

3812. **श्री म० रा० देवधरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो राज्य अपना खर्च पूरा करने में अब भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और केन्द्र से सहायता मिलने पर आश्रित हैं, उनके नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार कितनी राशि की सहायता दे ी है; और

(ग) ये राज्य आत्मनिर्भर होने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवतः संकेत उन राज्यों की ओर है जो अर्थोपाय सम्बन्धी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। चालू वर्ष में जिन राज्यों ने इस तरह की कठिनाइयों की सूचना दी है वे ये हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

(ख) जून, 1969 में कुल 102 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम मंजूर किये गये थे जिनमें से असम सरकार के लिए 38 करोड़ रुपये, उड़ीसा सरकार के लिए 16 करोड़ रुपये और राजस्थान सरकार के लिए 48 करोड़ रुपये के अग्रिम मंजूर किये गये थे।

(ग) जैसी पांचवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, आशा है कि राज्य सरकारें व्यय में कमी करने तथा बकाया रकमों की अधिक अच्छी वसूली करके और सरकारी प्रतिष्ठानों से ज्यादा आमदनी प्राप्त करके अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगी।

Condition of Class IV Employees quarters in Kasturba Nagar, New Delhi

3813. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the bad condition of the quarters meant for Class IV employees in Kasturba Nagar, New Delhi;

(b) if so, whether it is a fact that no heed has been paid to the long standing demand of providing shelves in the rooms for keeping the goods, constructing staircases, growing grass in the lawns and carrying suitable repairs;

(c) whether Government would look into the problems of dust settling in these quarters; and

(d) if so, the time by which Government would be able to remove the above said difficulties ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Residents' Association of the Colony has made representations in regard to certain additional requirements in the colony.

(b) to (d) . The position of the demands mentioned in the Question is as follows :–

(i) **Construction of shelves in the rooms** : An estimate for this work has been prepared and is under examination.

(ii) **Construction of staircases** : The technical feasibility of this request is under examination.

(iii) **Growing grass in gardens** : 50% of the work has already been completed and the balance 50% is likely to be completed in about 4 months' time.

(iv) **Execution of repairs** : Repairs are carried out as and when required.

(v) **Problem of dust setting in the quarters** : The matter is under examination.

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में कमी

3814. श्री बाबू राव पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों को कच्चे तेल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन में कटौती करने की सरकारी नीति के कारण कम्पनियों को आयातित कच्चे तेल की मात्रा कम करनी पड़ी है;

(ख) क्या एस्सो और बर्मा शैल कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा की बजाय कम्पनियों में अपने आपको बदलना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि उन्हें अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता का लाइसेंस प्रदान किया जाये;

(ग) क्या इसी कारण से बर्मा शैल उत्तर, पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में लाइट पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०), जिसे बुरशेन के नाम से जाना जाता है, के वितरण का अपना कारोबार बन्द कर रही है क्योंकि सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इससे भारतीय उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या शीघ्र इस पर समझौता होने की सम्भावना है और यदि हां तो कब तक ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० अण्हाण) : (क) जी हां।

(ख) शोधन शाला करारों का त्याग करने के लिये 1961 में इन कम्पनियों द्वारा बताये गये आधारों में से यह एक आधार था। तब से कोई नया प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) . कुछ शहरों में प्रभाजित आधारों पर तरल पैट्रोलियम गैस का व्यापार संभालने के लिए बर्मा–शैल तथा भारतीय तेल निगम में एक समझौता हो गया है। बाजारों में जहां भारतीय तेल निगम ने बर्मा–शैल का तरल पैट्रोलियम गैस व्यापार सम्भाल लिया है या सम्भाल रहा है, गैस के मौजूदा उपभोक्ताओं को तरल पैट्रोलियम गैस की सप्लाई सुनिश्चित रखने के प्रबन्ध किये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

3815. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 में दूध, दूध से बने पदार्थों, अलकोहल रहित पेयों, मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे चीनी, शहद, गुड़, खांड आदि तथा मिर्च, मसाले, आचार–चटनी, खाने योग्य तेल, अनाज और चरबी में किस तरह की मिलावट पाई गई थी;

(ख) देश में वर्ष 1966 और 1967 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुल कितने मामले पकड़े गये थे और मिलावट करने वाले कितने लोगों को दण्ड दिया गया; और

(ग) अब तक सबसे बड़ा दण्ड क्या दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसको यह दण्ड दिया गया है और किस अपराध विशेष के लिए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उपलब्ध अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2367/69]

(ख)

वर्ष	पकडे गये मामलों की संख्या	दण्डित व्यक्तियों की संख्या
1966	41,920	23 290
1967	41,121	20,037

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक कर्मचारियों की परिभाषा

3816. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कर्मचारियों की सही परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सैक्सनल अफसर अल्प वेतन–भोगी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जिनका समय समय पर तबादला कर दिया जा सकता है;

(ग) क्या द्वितीय श्रेणी के अराजपत्रित अनुसूचित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मिलता है जबकि अल्प वेतन भोगी तीसरी श्रेणी के सैक्शन अफसरों को, जिनसे विभिन्न वातावरणों में अधिक काम करने की आशा की जाती है, विशेष रूप से सरकारी आवास, सरकारी काम के लिए सरकारी स्कूटर अथवा मोटर साईकिल, द्वितीय श्रेणी के दर्जे, अधिक वेतन, एक चपरासी, एक क्लर्क, सवारी के किराये पर होने वाले व्यय की पूरी अदायगी आदि सुविधायें नहीं दी जाती है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे कर्मचारियों को रेल के पास दिये जाते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 'औद्योगिक कर्मचारियों' ("इन्डस्ट्रियल वर्कर्स) ऐसा कोई वाक्यांश पृथक रूप से परिभाषित नहीं है। प्रत्येक लेबर ला स्थापनाओं के प्रकार को परिभाषित करता है तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण करता है, अतएव, किसी विशेष अधिनियम का सन्दर्भ देना चाहिये।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। कतिपय श्रेणी–II के अराजपत्रित सदस्य जिन्हें सिपिक का कार्य करना होता है, समयोपरान्त भत्ते के पात्र होते हैं। वर्तमान निर्देशों के अन्तर्गत क्योंकि ओवरसीयर जो आवश्यकीय तौर पर पर्यवेक्षक तथा क्षेत्रीय स्टाफ हैं, समयोपरान्त भत्ते से लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं। अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(i) **वास**

केवल ओवरसीयर श्रेणी के अधिकारी ही नहीं है जिनका पाक्षिक स्थानान्तरण होता रहता है अतएव उनके साथ इस मामले में विशेष व्यवहार करना संभव नहीं है। जहां भी सामान्य पूल वास है वे उनके अधिकारी हैं।

(ii) **सरकारी स्कूटर तथा मोटर साइकिलें**

ओवरसीयर, क्षेत्रीय कर्मचारी के नाते सरकारी कोटे से प्राथमिकता के आधार पर मापेड्स/स्कूटर/मोटर साइकिल के आवंटन के पात्र हैं। यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों में निहित शर्तों के अधीन वे यात्रा भत्ते के भी अधिकारी हैं।

(iii) **श्रेणी- II का पद**

भारत सरकार के निर्धारित मान दंड के अनुसार ओवरसीयर का पद श्रेणी–III के पद में वर्गीकृत किया गया है। ओवरसीयर के पद का वेतन–मान उसे श्रेणी–II के पद के लिए पात्र नहीं बनाता।

(iv) पद से सम्बन्धित ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पद का वेतन-मान निर्धारित किया गया था। द्वितीय वेतन आयोग ने इस पद के वेतन मान

की जांच की थी तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानों के साथ इसका भी पुनरीक्षण किया था।

(v) **एक चपरासी और एक क्लर्क (लिपिक)**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सबसे निम्न कार्यकारी यूनिट उप-प्रभाग (सब-डिवीजन) है ना कि अनुभाग (सेक्शन) उप-प्रभाग में कार्य कर रहे उनके कर्मचारियों में से ओवरसीयर भी एक है। अतः प्रत्येक ओवरसीयर के साथ एक लिपिक (क्लर्क) और एक चपरासी (प्यून) को लगाना न तो आवश्यक ही है और न सम्भव ही है।

(vi) **यात्रा भत्ते का पूर्ण रूप से निरावेशन**

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया जाता है जो इसके पात्र हैं, तथा इसमें ओवरसीयर सम्मिलित हैं।

(घ) जी, हां।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों के काम के घंटे

3817. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 28 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियरों के काम के सामान्य घण्टे कितने हैं;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के काम के सामान्य घन्टे कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ओवरसियरों को दूसरे शनिवारों तथा कभी कभी राजपत्रित छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हें इसके लिए न तो प्रतिकारात्मक छुट्टी दी जाती है और न ही समयोपरि भत्ता दिया जाता है, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) ओवरसीयर (सैक्सनल आफीसर्स) क्षेत्रीय अधिकारी (फील्ड आफीसर्स) हैं तथा उनका समान्य कार्य समय प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक है इसके साथ एक घन्टे का लंच है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी सामान्यतः उसी कार्य समय का पालन करते हैं जो कि ओवरसियरों का है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिपिक वर्गीय

कर्मचारी (मिनिस्टीरियल स्टाफ) उसी समय का पालन करते हैं जो कि अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इन्हीं के समान कर्मचारी करते हैं।

(ग) ओवरसीयर अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित छुट्टियों के अधिकारी हैं किन्तु ऐसे अवसर हो सकते हैं जब कि उनकी ड्यूटी के स्थान पर अथवा कहीं और कार्य की आवश्यकता हो तो उन्हें दूसरे शनीवार तथा अन्य छुट्टी को कार्य पर आना आवश्यक हो जाये।

(घ) जी हां।

(ङ) ओवरसीयर निरीक्षात्मक/क्षेत्रीय कर्मचारियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा निर्देशों के अनुसार वे समयोपरान्त भत्ता अथवा प्रतिकर छुट्टी के अधिकारी नहीं हैं।

भारतीय तेल निगम के तेल शोधन डिविजन की खरीद प्रणाली

3818. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के तेलशोधन डिविजन में सार्वजनिक निविदा प्रणाली के लिए निर्धारित नियमों का, जैसे विज्ञापन की प्रक्रिया, खरीद का अनुमानित मूल्य स्तर और विश्वसनीय सप्लाइरों की संधारण सूची, पूर्णतया पालन नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम (तेल शोधक डिवीजन) में इस समय चालू खरीद प्रणाली की लेखा परीक्षा में वर्तमान प्रशासनीय व्यवस्था भी बाधक है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा नियुक्त तकनीकी परामर्श संगठन से इच्छानुसार सिफारिशें कराली जाती हैं और इन्हें प्रस्तुत कर दिया जाता है और तकनीकी सिफारिशों के नाम पर भारतीय तेल निगम बोर्ड इन्हें स्वीकार कर लेता है, और इस प्रकार से क्रयादेश के मूल्यांकन के दौरान की गई अनियमितताओं के बारे में बोर्ड को धोखा दिया जाता है; और

(ङ) इस प्रकार की प्रणाली को चालू रखने का क्या कारण है और इसके फलस्वरूप होने वाली हानि के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने और संयुक्त उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकियों के माध्यम से "कंडोमों" का बेचा जाना

3819. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहातों में ग्राहकों तक कंडोमों को पहुचाने के लिये सेल्समेनों के रूप में डाकियों की सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने देहाती क्षेत्रों में 20,000 डाकघरों को चुना है, जिनको डिपुओं के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा;

(ग) प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसा निर्णय करने से पहले संचार विभाग की सलाह ली गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) . स्वैच्छिक आधार पर डिपो होल्डरों के रूप में कार्य करने के लिए देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 डाक घर चुनने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है ।

(ग) इस योजना में निरोध 5 पैसे के 3 निरोध की रियायती दर पर बेचे जायेंगे । यह डिपो होल्डरों, जो विशेष रूप से इस योजना के लिए नियुक्त किये जा रहे हैं, के जरिये वितरित किये जाएंगे । निरोध बेचने से डिपो होल्डरों के पास जो पैसा आयेगा उसे बिक्री कमीशन के रूप में अपने पास रखने की उन्हें अनुमति होगी । डिपो होल्डरों के लिए खास तौर से बनाये गये पैकेट में निरोध को पैक किया जायेगा । उपभोक्ता पैकेट में तीन निरोध पैक होंगे जिन पर निरोध का मूल्य लिखा होगा । इन पैकेटों और मुफ्त एवं व्यावसायिक वितरण योजनाओं के पैकेटों के बीच पहचान के उद्देश्य से इन पैकेटों की स्ट्रिप्स और डिब्बियों का रंग और आकार पूर्णतया भिन्न रखा गया है ।

(घ) जी हां ।

भारतीय तेल निगम द्वारा अपने परामर्श दाताओं को सप्लायरों की सूची की सप्लाई

3820. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम और "टैकनिप" के बीच करार के खण्ड 7 में भारतीय तेल निगम द्वारा अपने परामर्शदाता "इन्जीनियर्स" इंडिया लिमिटेड और "टैकनिप" को सप्लायरों की सूची सप्लाई की जाने का उपबन्ध है;

(ख) क्या इस प्रकार सप्लाई की गई सूची में इस क्षेत्र के अनेक विश्वसनीय सप्लायरों के नाम नहीं हैं, जिन्हें उद्योग विकास तथा विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त हैं;

(ग) भारतीय तेल निगम को तकनीकी विकास महानिदेशालय, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा ऐसे अन्य विभागों के परामर्श से सूची तैयार करने के लिये अनुदेश न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा नियुक्त परामर्शदाता भारतीय तेल निगम द्वारा दी गई सूची में से छांटे गये सप्लाइरों से केवल व्यापारिक पूछताछ कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां तो ऐसी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) टैकनिप के साथ हुये इन्जीनियरिंग एण्ड सप्लाइज कान्ट्रक्ट के खन्ड 7 में हल्दिया तेल शोधक कारखाने के बारे में भारतीय उपकरण सामग्री की उपलब्धि नियत करने के लिए एक विस्तृत पद्धति बनाने की व्यवस्था है। टैकनिप के तकनीकी सहयोग से इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व उपक्रम) ने भारतीय तेल निगम को एजेन्ट के रूप में उपलब्धि देखभाल तथा तत्परता सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करनी है। तथा साथ ही साथ भारतीय तेल निगम के अनुमोदन के लिए विक्रेताओं या सप्लायरों की सूची तैयार करनी है।

(ख) इस व्यवसाय से सम्बन्धित पार्टियों की विनिर्माण योग्यताओं के एक विस्तृत मार्किट सर्वेक्षण निर्धारण के पश्चात सुस्थापित प्रसिद्ध विक्रेताओं सप्लायरों की सूची बना ली गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) गुणावस्था तथा तकनीकी उपयुक्तता के अनुरूप शीघ्र तथा कम खर्चीली खरीद के लिये।

भारतीय तेल निगम द्वारा खरीद के बारे में संविदागत शर्तें

3821. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपनी परियोजना आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में अपने भारतीय तथा विदेशी परामर्शदादाओं को अपनी संविदागत शर्तें रखी हैं;

(ख) क्या सबसे अधिक लाभप्रद और उचित सिफारिश प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो दोष रहित संविदागत शर्तों के अनुकूल हों, खरीद विशेषज्ञों को, जो परामर्शदाता हैं, सौंप दी जाती हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम की खरीद सम्बन्धी शर्तें अपूर्ण और अप्रभावी हैं तथा उनमें सौदेबाजी की बहुत गुंजाइश है, जिसके कारण क्रेता परामर्शदाताओं और सप्लायरों के बीच सांठ गांठ हो जाती है;

(घ) क्या जारतीय तेल निगम की परियोजनाओं सम्बन्धी माल की खरीद के साथ साथ लेखा परीक्षा नहीं की जाती है, जिसके कारण खरीद से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सांठ गांठ किये जाने की बहुत गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय तेल निगम की हल्दिया शोधनशाला परियोजनाओं के अलावा, सारी शोधन शालाओं के लिए निजी विभागीय खरीद संगठन तथा ठेके की शर्तें है।

(ख) गुणावस्थता तथा तकनीकी उपयुक्तता के अनुरूप शीघ्र एवं लाभप्रदता के कारण हल्दिया शोधनशाला परियोजना के बारे में ऐसा किया गया है; सरकारी स्वामित्व संस्था इंजीनियर्स इण्डिया लि० और विदेशी पार्टियां एक संयुक्त उपलब्धि एजेन्सी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय तेल निगम की सारी परियोजनाओं सम्बन्धी उपलब्धि (माल की खरीद) की लेखा परीक्षा की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न सहकारी गृह-निर्माण समितियों को विकसित प्लाटों का आवंटन

3822. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित विभिन्न मन्त्रालयों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न सहकारी गृह-निर्माण समितियों से दिल्ली में तथा दिल्ली के आस-पास मकानों के निर्माण हेतु भूमि के विकसित प्लाटों का आंवटन करने के लिए करोड़ों रुपये एकत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको दिल्ली में वे विकसित प्लाट इस बीच आवंटित कर दिए हैं जिनका उसने काफी समय से वायदा कर रखा था;

(ग) यदि नहीं, तो इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित करने तथा ढाई वर्ष पश्चात भी उन्हें विकसित प्लाट आवंटन न किये जाने का क्या औचित्य है; और

(घ) उन सहकारी समितियों को, मन्त्रालयवार उक्त विकसित प्लाट सम्भवतः कब तक आवंटित किये जायेंगे, तथा वे प्लाट कहां कहां होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है। तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की पदोन्नति

3823. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 7 तथा 14 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 5520 और 6197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली इन्जीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती में उतने सहायक इंजीनियर नहीं मिलते जितना कोटा उन के लिए निर्धारित है, और गत तीन वर्षों से कोटा नियम के नाम पर सीधी भर्ती का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पाया है इसलिए क्या सीधी भर्ती वाले सहायक इंजीनियरों के पदों पर उन अस्थायी ओवरसियरों को पदोन्नत करने का विचार किया जायेगा जिनकी योग्यता सिद्ध हो चुकी है और जिनका सेवा रिकार्ड अत्युत्तम है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : केवल पदोन्नति कोटे में रिक्तियों के प्रति ही विभागीय ओवरसीयरों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है तथा सीधी भर्ती के कोटे में खाली स्थानों के प्रति सहायक इन्जीनियर के रूप में नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जा सकता, चाहे उनकी जो भी योग्यता हो। किन्तु यू० पी० एस० सी० द्वारा नामित सीधी भर्ती की उपलब्धता तक उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान

3824. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को सहायता दिये जाने के विचार से उस राज्य में बाढ़ में हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये भारत सरकार ने कोई दल वहां भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या क्या सिफारिशें की हैं और केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खादिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अधिकारियों के दल ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के बाढ़ सम्बन्धी विभिन्न राहत कार्यों पर अधिक से अधिक 3.64 करोड़ रुपये के खर्च की सिफारिश की है। केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए, दल की सिफारिशें मान ली गयी हैं और सहायता की रकम राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के अनुसार दी जायेंगी।

Molestation of a Female Patient by Delhi Hospital Employees

3825. Shri Yashwant Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have received information regarding an incident of teasing and molestation of a young female patient by the hospital employees in a Delhi hospital ; and

(b) if so, the action taken by Government in the said matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Work Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Two incident of this type were reported from the Infectious Diseases Hospital and the Balak Ram Hospital some time ago. The casses are being investigated by the Police and their report is awaited. Four employees have been placed under supension pending receipt of the final report from the police. Two similar complaints were received against some employees of the All India Institute of Medical Sciences. In both the cases inquiries were instituted, In one case the disciplinary proceedings were dropped as the charges could not be proved. In the other case the inquiry report is awaited.

बरौनी उर्वरक कारखाने के लिए भूमि की खरीद

3826. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 6 दिसम्बर 1969 को 'इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित हुए समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी उर्वरक कारखाने के लिये 16,000 रुपये प्रति एकड़ के भाव पर भूमि खरीदने के क्या कारण हैं, जबकि वहां भूमि का भाव 6000 रुपये प्रति एकड़ है ;

(ख) चूंकि एक दिन के विलम्ब से 8 लाख रुपये की अनुमानित हानि होती है, अपरिहार्य विलम्ब के कारण कितने दिनों की हानि हुई है ; और

(ग) देशी उपकरण देने का काम निर्धारित कार्यक्रम से कितने महीने पिछड़ गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कानून के अन्तर्गत प्राधिकारियों द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार, बरौनी परियोजना के लिए अर्जित भूमि के लिए भारतीय उर्वरक निगम लि० ने प्रति एकड़ 14,800 रुपये से 15,400 रुपये तक अदा किये हैं।

(ख) कारखाने के लिए भूमि का वास्तविक कब्जा देने में लगभग 143 दिन देरी हुई तथा उपनगर के लिए लगभग 274 दिन की।

(ग) देशीय उपकरण के मिलने में कुछ देरी पूर्वानुमानित है ; पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल की प्राप्ति में विलम्ब इसका प्रमुख कारण है ; असल में देरी कितनी होगी, इसके बारे में इस स्थिति में बताना कठिन है।

तेल की मांग और पूर्ति में अन्तर

3827. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के सचिव ने एक लेख में कहा है कि आगामी पांच वर्षों में तेल की मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर बढ़ कर पांच गुना हो जायेगा ;

(ख) क्या उसने इस बात पर भी बल दिया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए नई नीति की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिक राशि तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . जी हां।

(ग) सरकार तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए अपेक्षित धनराशि एवं विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पर उचित विचार करेगी।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पंचाट जीतना

3828. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने फ्रांस की एक फर्म के विरुद्ध मुकदमा जीता है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा उसने कितनी राशि का मुकदमा जीता है ; और

(ग) उस फर्म से वह राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) (1) दी सैण्ट गोबिन कम्पनी (Compagnie Desant Gobin)

(2) 1,24,00,000 रुपये

(ग) निगम ने सचिव न्यायालय में आवश्यक प्रवर्तन कार्यवाही की है ।

पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को फिर से बसाना

3829. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों की एक बड़ी संख्या को गाडगिल आश्वासन के अनुसार कोई पुनर्वास सुविधा नहीं दी गई है और न ही उनको किसी प्लाट अथवा मकान का आवंटन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति है और उनको मिलने वाली पुनर्वास सुविधा को देने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) . प्राप्त आवेदनों और या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत 3,819 रिहायश करने वाले अनधिवासियों तथा, 1,099 व्यावसायिक अनधिवासियों ने सहायता मांगी है । उनके पात्रता का मामला जांचाधीन है तथा अश्वासन की शर्तों के अनुसार पात्र अनधिवासियों को पुनर्वास सहायता की व्यवस्था की जायेगी । इस स्थिति में, पूछे गये विवरण को बताना सम्भव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्रों के विज्ञापनों का केन्द्रीयकरण

3830. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 1968-69 में विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद से अब तक विज्ञापनों पर व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आपस में प्रतियोगिता के लिये विज्ञापन का क्या लाभ है क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय में अब उनका 85 प्रतिशत हिस्सा है ;

(ग) सरकारी उपक्रमों से बढ़ती हुई हानि को ध्यान में रखते हुए उनकी वर्ष गांठ और वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रचार पर व्यय का क्या औचित्य है और ऐसे विज्ञापनों के महत्व का पता लगाने के लिये कोई प्रयास अथवा अनुसन्धान किया गया है ;

(घ) चूंकि ये विज्ञापन, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पत्रों को, एक प्रकार का संरक्षण देना है जिसके बदले में उपयुक्त सम्पादकीय लेख लिखते है, सरकारी क्षेत्र के सभी विज्ञापनों के केन्द्रियकरण का सरकार के समक्ष क्या कोई प्रस्ताव हैं, जिससे विज्ञापनों की आवश्यकता का स्वतन्त्र रूप से निर्णय किया जा सकेगा ;

(ङ) विज्ञापनों पर व्यय में सामान्य रूप से कमी करने के लिये क्या सुझाव है, क्योंकि यह व्यय मूल्यों में शामिल हो जाता है जो सरकारी क्षेत्र में पहले ही बढ़ रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) वार्षिकोत्सवों और वार्षिक रिपोर्टों के विज्ञापन जनता को जानकारी देने के लिए और जनता में उपक्रमों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं । इन उपक्रमों के प्रबन्धक इस सम्बन्ध में खर्च करते समय निःसन्देह रूप से उन्हें उपलब्ध विभिन्न विज्ञापन माध्यमों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं ।

(घ) जैसाकि माननीय सदस्य महोदय का प्रस्ताव है, सरकारी क्षेत्र के सभी विज्ञापनों का केन्द्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है ; और न ही ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है ।

(ङ) सरकारी उपक्रमों को विज्ञापन सम्बन्धी अपने बजट को मंजूर करने का अधिकार है और इसमें कोई शक नहीं कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि यह खर्च वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो ।

वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के विलय के कारण कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर कुप्रभाव

3831. श्री बलराज मधोक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन में मंहगाई भत्ते के मिलाये जाने का वेतन और मकान किराये की रियायत के मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ऐसी असमानताओं और कर्मचारियों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . मंहगाई भत्ते के एक अंश का वेतनमान लिये जाने के कारण, जहां कहीं भत्तों/मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता, पर्वतीय स्थान प्रतिपूर्ति भत्ता, शीत ऋतु भत्ता, दूरस्थ स्थान/अस्वास्थ्य

कर जलवायु भत्ता, संतान शिक्षण भत्ता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति भत्ता आदि जैसी रियायतों की पात्रता के सम्बन्ध में वेतन सीमा होती है, मंहगाई भत्ते के जिस अंश को वेतन मान लिया जाता है, उसको भी पात्रता की सीमा निर्धारित करने के लिए हिसाब में लेना होता है। परिणामतः कुछ वेतन श्रेणियों में जो कर्मचारी 'विलय' से पूर्व इन लाभों के पात्र थे वे 'विलय' के पश्चात उन लाभों के पात्र नहीं रहे। स्थिति की समीक्षा की गयी और वेतन सीमाओं में समुचित वृद्धि की गई जिससे कर्मचारियों को घाटा नहीं हो।

किराये के वास्तविक भुगतान की रसीदों को पेश किये बिना भी मकान किराया भत्ते की पात्रता के सम्बन्ध में वेतन सीमा 500 रुपये से घटकर 390 रुपये हो गई है। लेकिन इस वेतन श्रेणी में कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता पाने की हकदारी इससे कम नहीं हुई। उनको मकान किराया भत्ता, ऊंची वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों की तरह ही, किराये की रसीदें पेश करने पर, पहले की दरों पर ही दिया जा रहा है। मकान किराया भत्ता राज्य सहायता के रूप में होता है, इसलिये इसे वास्तविक रूप में भुगतान किये गये किराये से सम्बन्धित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

जहां तक सरकार द्वारा दिये गये निवास-स्थान के सम्बन्ध में किराया वसूल करने का सवाल है, चूंकि मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में मंहगाई वेतन को, हिसाब में लिया जाता है, इसलिये उसी प्रकार सरकारी आवास सम्बन्धी किराये की वसूली के लिए भी इसको हिसाब में लिया जाता है।

Land Acquisition in Delhi

3832. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the highest and the lowest rates of compensation per bigha paid to the farmers for their lands acquired by the Central Government for various works in Delhi during the last ten years ;

(b) the price of the land so acquired which was received by the Government or the colonizers;

(c) whether there is a great differnce between the compensation paid to the farmers and the price of the land which was later sold by Government or the colonizers ; and

(d) if so; the action taken to reduce this difference ?

The Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) . The information is being cellected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Yes. What is acquired is undeveloped land Expenditure is incurred on its development. About 55% to 60% of the gross area is utilised for non remunerative uses, such as roads, open spaces, community facilities etc. Thus only 40 to 45% of the total land becomes available for disposal. The entire cost of acquisition, development etc., has necessarily to be spread over this reduced area. Hence the diffeernce between the compensation paid and the disposal price.

(d) Does not arise.

दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियों का पंजीकरण

3833. **श्री रणजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री दिल्ली में सहकारी समितियों का पंजीकरण के बारे में 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां,

(ख) यह सत्य है कि सामूहिक आवास सहकारी समितियों (ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटीज) के लिये आदर्श नियमों को पहले ही बना लिया गया है। इसे पहले ही कर लिया गया क्योंकि जैसे ही भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति सरल मालूम हो, समितियां अपने को पंजीकृत करा सकें। भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की अपनी अनेक कठिनाइयों के कारण फिलहाल अनेक पंजीकृत समितियां जो कई वर्ष पहले पंजीकृत हुई हैं. भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा कर रही हैं।

Floods in Rajasthan

3834. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy damage was caused to the property and crops and many lives were lost at various places in district Sawai Madhopur of Rajasthan due to floods during the last rainy season ;

(b) whether it is a fact that some MPs and other representatives of the public have demanded that funds should be allocated separately for district Sawai Madhopur so that compensation may be paid to persons who suffered due to floods and some precautionary measures may be taken for the future in this regard ;

(c) if so, the reaction of Government there to ;

(d) whether Government propose to allocate some funds for Sawai Madhopur separately for this purpose ; and

(e) if so, the amount thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry or Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The State Government have reported that 140 village in Sawai Madhopur district were affected by the floods during the last rainy season. However, no loss of life was reported.

(b) to (c). Shri M. L. Meena M. P. had written to the Prime Minister in August, 1969 suggesting special assistance towards various flood relief and preventive measures in Sawai Madhopur district. He has been informed that Central assistance to States towards expenditure on flood relief measures is provided with reference to the State's requirements as a whole and it would be for the State Government themselves to consider the type and extent of relief measures required to be taken up in individual districts.

The Government of India have accepted a ceiling of expenditure of Rs. 2.93 crores on flood relief measures in Rajasthan during the current financial year for purposes of Central assistance. In respect of Sawai Madhopur district, the State Government have reported that they have already provided Rs 2.70 lakhs for giving grants to persons whose houses were damaged by the floods. Funds to the extent of Rs. 3.30 lakhs have also been placed at the disposal of the Chief Engineer, Irrigation for under taking repairs to irrigation works in the district. In addition, funds have also been provided to the Chief Engineer, PWD for repairs to roads.

बिड़ला बन्धुओं द्वारा अलमोनियम कारखाने की स्थापना

3815. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित अलमोनियम कारखाने की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्री जी० डी० बिरला ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद देने हेतु एक पत्र लिखा था ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो, तो क्या उक्त पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1955 में नियुक्त की गई एक समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप, प्रति वर्ष 10,000 मैट्रिक टन प्रत्येक की क्षमता की (प्रति वर्ष 20,000 मैट्रिक टन तक विस्तार की व्यवस्था के साथ), दो एल्यूमिनियम प्रायोजनाएं एक मैट्टूर स्थान तथा दूसरी रिहन्द बांध की बिजली पर आधारित आयोजित की गई थी। एल्यूमिनियम उद्योग "औद्योगिक नीति संकल्प, 1956" की तालिका 'ख' में सम्मिलित है और संसाधनों की अनुपलब्धता तथा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध आदि की कठिनाइयों को विचार में लेते हुए सरकार ने प्रायोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित किये जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है। रेणूकूट (उत्तर प्रदेश) का एल्यूमिनियम प्रद्रावक, जिसके लिये सितम्बर, 1959 में हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन को लाइसेन्स जारी किया गया था, 1962 में चालू किया गया और 1963 के प्रारम्भ में ये 20,000 मैट्रिक टन की अपनी पूरी क्षमता पर पहुँचा। इसी कम्पनी को प्रद्रावण क्षमता के प्रतिवर्ष 20,000 मैट्रिक टन से 60,000 मैट्रिक टन तक के विस्तार के लिए दिसम्बर 1963 में एक अन्य लाइसेन्स जारी किया गया था। यह क्षमता दो प्रावस्थाओं में प्राप्त की गई थी, 20,000 से 40,000 मैटिक टन की पहली प्रावस्था 1966 में और दूसरी प्रावस्था 1967 में। मैट्टूर का एल्यूमिनियम प्रद्रावक, जिसके लिए मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को मई 1960 में एक लाईसेन्स जारी किया गया था, जुलाई 1965 में अपनी पूरी क्षमता (अर्थात 10,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष) तक पहुँचा इस कम्पनी को प्रद्रावण क्षमता के प्रति वर्ष 10,000 से 25,000 मैट्रिक टन तक विस्तार के लिए एक अन्य लाइसेन्स जारी किया गया था। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) श्री जी० डी० बिरला द्वारा मंयंत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापना हेतु दिये जाने के लिये सरकार को धन्यवाद देना हुआ कोई पत्र नहीं लिखा गया था। तथापि, उन से एक पत्र दिनांक 30-11-57 का प्राप्त हुआ था, जिसमें उस क्रियाविधि का ब्यौरा था, जिसे कम्पनी प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिये अपनाना चाहती थी और उसके लिए सरकार की अनुमति भी चाही थी।

(ग) भाग 'ख' के उत्तर में निर्देशित पत्र की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2368/69**]

Exorbitant Excise Duty On Coarse Cloth.

3836. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government realise more excise duty on cheap cloth than on super-fine or costlier cloth; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Assuming that the expression "cheap cloth" is intended to refer to Medium B and Coarse categories of those cotton fabrics which are liable to specific rates of Central Excise duty, and that the expression "superfine or costlier cloth" is intended to refer to Superfine, Fine and Medium A categories of similar fabrics, the reply is in the negative.

(b) Does not arise.

आयकर विभाग से सम्बन्धित भार्गव ब्रादर्स, लखनऊ से सम्बन्धित फाइल

3837. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञयत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि सरकार यह निष्कर्ष निकालने और बताने में सर्वथा असफल रही है कि भार्गव ब्रादर्स, लखनऊ से सम्बन्धित आय कर विभाग की फाइल किन परिस्थितियों में विधि मंत्रालय में आई, और चूंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है, क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने या इनकी न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने विधि उपमंत्री का इस मामले में हाथ होने की बात कही थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र और उस पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री द्वारा लिखे गये पत्र की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जिन परिस्थितियों में फाइल पहली बार विधि मंत्रालय को भेजी गयी थी उनका कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। उस समय मामले के गुण दोष पर अपना कोई मत व्यक्त किये बिना ही विधि मंत्रालय ने फाइल लौटा दी थी।

अब तक ज्ञात सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए, इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) से (ङ). सदन इस बात से सहमत होगा कि मंत्रिमंडलीय मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार को जाहिर नहीं किया जा सकता।

बम्बई के यूनाइटेड इन्टरप्राइजिज के कार्यालय पर छापा

3838. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्माता और धन का लेन देन करने वाली बम्बई की यूनाइटेड एन्टरप्राइजिज नामक फर्म के कार्यालय तथा उसके परिसर में 1967 से नवम्बर, 1969 तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में चलचित्र अभिनेताओं को दिये गये काले धन से सम्बन्धित कुछ कागजात पकड़े गये थे; और

(ग) जिन अभिनेताओं के कागजात पकड़े गये थे, उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जनवरी, 1967 से नवम्बर 1969 की अवधि में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मैसर्स यूनाइटेड एन्टरप्राइजेज, बम्बई के कार्यालय तथा स्थानों की कोई तलाशी नहीं ली गई। किन्तु आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा जून, 1967 में मैसर्स यूनाइटेड एन्टरप्राइजेज वित्त व्यवस्थापक तथा "दिल लिया दर्द दिया" फिल्म के निर्माता, मैसर्स के प्रोडक्शन्स के कार्यालय-स्थानों की तलाशी ली गई थी।

(ख) और (ग). उक्त तलाशियों के दौरान पकड़ी गई लेखा पुस्तकों तथा दस्तावेजों से मालूम हुआ कि कुछ फिल्म कलाकारों को, उनके द्वारा आयकर विवरणियों में दिखाई गई आय से, अधिक रकम की अदायगियां की गई थीं। पकड़े गये दस्तावेजों तथा लेखा-पुस्तकों पर आधारित जांच पड़ताल के बाद फिल्म अभिनेता श्री दिलीप कुमार के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा एक दूसरे फिल्म कलाकार, श्री प्राण पर दण्ड लगाया गया है। जैसा कि पकड़ी गई लेखा-पुस्तकों से मालूम हुआ है, कुमारी वहीदा रहमान ने अपनी विवरणी में भी इन अदायगियों को दिखाया था तथा उन पर उसकी आय के रूप में कर-निर्धारण किया गया है। जैसा कि पकड़े गये दस्तावेजों से पता चलता है, उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त ऐसे कुछ अन्य फिल्म कलाकार भी हैं

जिनको उसी प्रकार की अदायगियां की गई जान पड़ती हैं। उन अन्य लोगों के बारे में जांच पड़ताल जारी है। अन्य मामलों में कर-निर्धारण-पूरा किये जाने तक और आगे ब्योरा देना सफल जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा।

Tampering with marks in Patna Medical College

3839. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the investigation report pertaining to the tampering with examination marks in the Patna Medical College has been submitted to the State Government by the City Superintendent of Police; and

(b) if so, the further action taken by the State Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The Government of Bihar have informed that the Superintendent of Police, Patna has submitted a preliminary report to the State Government. The Commissioner, Patna Division has been appointed by the State Government as Enquiring Officer. His report is awaited.

Setting up of Fertilizer Factory Near Mathura

3840. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the scheme formulated by Government for setting up of a big fertilizer factory near Mathura;

(b) the total production capacity of the proposed factory; and

(c) the time by which construction work of the said factory is likely to be completed and the production work fakent in hand there ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) to (c). Government have not formulated any proposal for the setting up of a fertilizer factory near Mathura. A letter of intent has, howevar, been granted to M/s. Kalinga Tubes Ltd., for setting up a fertilizer factory at Mathura. The project is expected to produce 226,000 tonnes of nitrogen and 86,000 tonnes of P_2O_5 per year. The proposal is under consideration of Government and it is too early to indicate the time by which the project will be implemented.

Foreign Exchange violation by companies.

3841. Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4755 on the 25th August, 1969 regarding Foreign Exchange violations by companies and state :

(a) whether the C. B. I. has received the legal opinion on those five cases which were under legal scrutiny;

(b) the action taken by the Enforcement Directorate against those five firms whose cases were referred to it; and

(c) the names and addresses of all those ten firms against whom cases are pending and also the firms against whom legal action has been recommended ?

The Minister of state in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) It was stated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 4755, answered on the 25th August, 1969 that in regard to one of the five cases registered for investigation by the Central Bureau of Investigation during the period 1st August, 1967 to 31st July, 1969, the investigation report was under their legal scrutiny. The Central Bureau of Investigation have reported that in this case, the legal scrutiny disclosed the need for further investigation on certain points which has since been completed and the final report is under preparation.

(b) The Enforcement Directorate had issued show-cause memos to these five firms for certain contraventions of the Foreign Exchange Regulation Act prior to the registration of the case by the C. B. I. against them. Subsequently, the C. B. I. after their investigation, instituted proceedings in Court against these firms for offences under the Indian Penal Code, and intended to refer the foreign exchange aspects of the case to the Enforcement Directorate. They have not done so yet as they are of the view that the Enforcement Directorate may take action only after the conclusion of the proceedings pending in Court.

(c) The cases registered for investigation by the Central Bureau of Investigation during the period 1st August, 1967 to 31st July, 1969 for alleged contravention, inter alia, of the foreign exchange regulations, involved only 8th firms and not 10 firms. As the investigations against these firms have not yet been finalised, it will not be appropriate to disclose the names and addresses of the firms involved. The question of any action against these firms does not arise at this stage.

कोलम्बो योजना के देशों में राष्ट्रीय उत्पादन के विकास की दर

3842. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री बद्दरुजा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों में भारत और पाकिस्तान ने अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन के विकास की दर अन्य सभी देशों से धीमी दिखाई है;

(ख) भारत सहित, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी देशों की कुल राष्ट्रीय उत्पाद के विकास की वर्ष 1966–67 से 1968–69 तक की अलग–अलग मिश्र दर (प्रतिशतता में) कितनी है;

(ग) क्या तथाकथित 'योजना में छुट्टी' हमारे विकास की धीमी गति के लिये जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो हमारे देश के पीछे रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। कम से कम 1966–67 और 1967–68 में ऐसी बात नहीं थी।

(ख) इस सम्बन्ध में, कोलम्बो आयोजना के विकासशील देशों के बारे में उपलब्ध सूचना, विवरण I में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2369/69]

(ग) और (घ). जी, नहीं। वास्तव में, 1967–68 में भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1968–69 में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति कम होने का कारण यह है कि देश के कुछ भागों में, खेती की पैदावार पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव पड़ा।

Negotiations between India and Netherlands For Advancing Credits to India

3843. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether negotiations are going on between India and Netherland for advancing Credit to India :

(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which the rate of interest on the Credit to be secured from Netherlands would be lower than that is charged by other countries and the form in which the said credit would be made available and also the terms thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Persuant to the pledge made by the Netherlands Government in the Aid India Consortium meeting held earlier this year, negotiations are in progress with that Government for the finalization of the terms and conditions of the Dutch General purpose Credit of DG 40 million (Rs. 8.29 Crores). Information on the lines asked for will be laid on the Table of the House after the Agreement between the two countries has been concluded.

चलचित्र अभिनेताओं की ओर आयकर की बकाया राशि

3844. **श्री जुगल मंडल** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित अभिनेताओं, निर्माताओं, निदेशकों तथा अभिनेत्रियों को देश में चल–चित्रों के निर्माण से बहुत अधिक कमाई होती है और इनके द्वारा बनाये गये चलचित्रों का औसत प्रति वर्ष चार या पांच बैठता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे अपनी आय के अनुरूप आयकर नहीं देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी वास्तविक आय का पता लगाने का है;

(घ) वर्ष 1967, 1968 तथा मार्च, 1969 के अन्त तक चलचित्र जगत के किन–किन लोगों ने आयकर दिया है, प्रत्येक ने आयकर की कितनी–कितनी राशि दी है, उपरोक्त अवधि में किस–किस व्यक्ति की ओर कितना–कितना आयकर बकाया रहा है; और

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि में उनके घरों पर कभी छापे मारे गये हैं और यदि हां, तो उन छापों के परिणामस्वरूप कितनी लेखा–बाह्य राशि पाई गई, कितनी पकड़ी गई और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सही है कि फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कई व्यक्ति बड़ी आय अर्जित करते हैं । यदि फिल्म असफल हो जाती है तो फिल्म निर्माता नुकसान भी उठाते है । यह भी एक तथ्य है कि कई अभिनेता तथा अभिनेत्रियां, कुछ वर्षों के बाद अपना आकर्षण खो बैठती हैं और वे अधिक आय अर्जित नहीं कर पाते । हालांकि कुछ निर्माताओं ने एक वर्ष में 3 अथवा 4 फिल्मों का निर्माण किया होगा, तो भी यह कहना सही नहीं होगा कि वे वर्ष में औसतन 4 अथवा 5 फिल्मों का निर्माण करते हैं ।

(ख) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों ने निःसन्देह अपनी आय छिपायी है किन्तु इस निष्कर्ष का औचित्य सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि फिल्म उद्योग से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा अदा किये गये कर उनकी वास्तविक आय के अनुरूप नहीं हैं ।

(ग) फिल्म–उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा ही नहीं, अपितु अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किये गये कर अपवंचन का पता लगाने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं । जब कभी कर अपवंचन के विशिष्ट मामले आयकर विभाग की नोटिस में आते हैं तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(घ) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा इन वर्षों में अदा किये गये कर के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा । इसके अतिरिक्त, हालांकि किसी एक विशिष्ट तारीख को निर्दिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयकर की बकाया की स्थिति की जानकारी दी जा सकती है, तथापि अपील, नजरसानी की दरखास्त, भूलसुधार आदि के कारण की गई अदायगियों अथवा घटौतियों के कारण किसी विशिष्ट अवधि की बकाया में घट बढ़ होती रहेगी । इसलिये फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों से वर्ष 1967 से मार्च, 1969 तक की अवधि में प्राप्य आयकर की बकाया को बताना सम्भव नहीं है ।

(ङ) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामलों में आय छिपाने के कारण आय कर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों के विवरण नीचे दिये अनुसार हैं :—

नाम	पकड़ी गई रकम (रुपये)	छिपाई गई आय का निर्धारण करने के लिये की गई कार्यवाही
मैसर्स के. प्रोडक्शन्स तथा मैसर्स यूनाइटेड एन्टरप्राइजेस	कुछ नहीं	कर–निर्धारण की कार्यवाही जारी है ।
मैसर्स वसु फिल्म	कुछ नहीं	पकड़े गये दस्तावेजों का उपयोग नियमित कर-निर्धारण पूरा करने में किया गया है ।
श्रीमती साधना नय्यर	कुछ नहीं	तलाशी के दौरान पाई गई 75,000 रुपये की रकम में से निर्धारिती ने 69,000 रुपये

नाम	टकड़ी गई रकम (रुपये)	छिपाई गई आय का निर्धारण करने के लिये की गई कार्यवाही
		अपनी कर की बकाया की तरफ अदा किये। आय का छिपाना नहीं पाया गया।

मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं का विकास

3845. श्री लोबो प्रभू : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुल 401 करोड़ रुपये की लागत वाली उन सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन किया है, जिन पर मैसूर राज्य द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने 1. करोड़ रुपये के परिव्यय से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लिये केवल एक परियोजना बिजूर के साथ 79 करोड़ रुपये के लिये चौथी योजना को कैसे स्वीकार किया और 11 करोड़ रुपयों की लागत से 77990 एकड़ भूमि की सिंचाई करने की क्षमता वाली 9.51 टी० एम० सी० परियोजनाओं की परवाह क्यों नहीं की, जिन पर विचार किया जा रहा है;

(ग) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता कितनी है और इसमें से कितनी क्षमता का विकास किया गया है;

(घ) क्या मैसूर सरकार कावेरी नदी वेसिन का विकास करने को उत्सुक है, जिस पर तोमिलनाडु सरकार ने आपत्ति की है और यदि हां, तो योजना आयोग ने इस बात पर आग्रह क्यों नहीं किया कि वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर समाम टी० एम० सी० का विकास करेगा; और

(ङ) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के वेसिन के मामले में भेदभाव की भावना को दूर करने के लिए योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क), (ख), (घ) और (ङ). सिंचाई राज्यों का विषय है। सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान, रूप–विधान और क्रियान्वयन, अपने संसाधनों की स्थिति की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

मैसूर में बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं पहले से ही निर्माणाधीन हैं। इसलिए चौथी योजना में पीछे से चला आया हुआ बहुत सारा शेष है और इन संतत स्कीमों को भी पूरा करने के लिए संसधान नजर नहीं आ रहे। इसलिए चौथी योजना में इस राज्य में नई स्कीमें शुरू करने के लिए गुंजाइश सीमित ही है।

(ग) बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में मैसूर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता का अनुमान 5 लाख एकड़ लगाया गया है। इस सब का राज्य सरकार द्वारा विकास होना बाकी है।

U P. Chief Minister's reported complaint regarding Step-Motherly Treatment to Uttar Pradesh

3846. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh in his speech at the 37th Annual function of Chembers of Commerce in Kanpur has complained against the "step-motherly treatment" to Uttar Pradesh and had stated that Central Government had been encouraging monopolies by their licensing and other policies; and

(b) if so, the reasons for the aforesaid statement and the explanation of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R K. Khadilkar) : (a) and (b). According to information received from the Government of Uttar Pradesh, the State Chief Minister in his speech to the Merchants Chamber of Commerce at Kanpur on the 14th September, 1969 had referred in general terms to what he considered the neglect of the State's requirements by the Centre and to the growth of monopolies in the industrial sector.

As far as Central assistance for the State Plans is concerned, the allocation of such assistance among different States has been in accordance with the criteria evolved by the Planning Commission and applied uniformly to all States. There is no question of the Centre discriminating against Uttar Pradesh or any other State. As regards monopolies in the industrial sector, the monopolies and Restrictive Trade Practices Bill has been introduced in Parliament and is now before the Lok Sabha. As regards the question whether the licensing policy of the Government and its Policy for grant of assistance from financial institutions contributed to the growth of the large industrial houses, the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee has gone into it in detail for the period 1956 to 1966. The recommedations of the Committee in regard to the modifications to be effected in Industrial Licensing Policy with a view, among others, to prevent concentration of economic power, are under the consideration of the Government.

पश्चिम बंगाल में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण करना

3847. श्री चरणकान्त भट्टाचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उस राज्य में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अस्थायी तौर पर यह सुझाव दिया है कि ऐसे मूल्यांकन की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये होनी चाहिए; और

(ग) क्या योजना आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास आया जान नहीं पड़ता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

पाकिस्तान की ओर जल शुल्क की बकाया राशि

3848. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से जल शुल्क की कितनी धनराशि लेनी है;

(ख) इस धनराशि को वसूल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई हैं तो वह क्या है ;

(ग) क्या सरकार तब तक पानी की सप्लाई बन्द करने का विचार कर रही है जब तक वह बकाया राशि का भुगतान न कर दे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बकाया धनराशि किस प्रकार वसूल की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). 1960-61 में पाकिस्तान को सप्लाई किए गए जल के लिए उसकी तरफ 2508.75 रुपये की धनराशि बकाया है। वसूली के बारे में दोनों सरकारों के बीच पत्राचार हो रहा है।

नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यों में अनियमितताओं की जांच

3849. **श्री बे० कु० दास चौधरी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनसंघ नेता ने नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यों में अनियमितताओं के सभी कार्यों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए अलग कर्मचारी संवर्ग

3850. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये सरकारी कर्मचारियों का एक अलग संवर्ग बनाने का विचार है;

(ख) क्या यह भी विचार है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में प्रबन्ध के लिये लगाया जाय;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारियों की अनिच्छा के कारण उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्ताव ठीक नहीं समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब क्या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के केवल उच्च पदों अर्थात बोर्ड स्तर के पदों और घटक-एककों के मुख्य प्रबन्धकों के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों से है। इस संबंध में सरकार की नीति यह है कि इन नियुक्तियों के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जो नामिकाएं तैयार की जाती हैं, उनमें से व्यक्तियों का चुनाव किया जाय। ये नामिकाएं गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के व्यक्तियों की, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, योग्यताओं और अनुभवों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए तैयार की जाती है।

(ग) यह निष्कर्ष निकालना समय पूर्व होगा कि सरकारी उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें से काफी अधिक लोग सरकार में वापस आना चाहते हैं। इस बात का संकेत मिलने का भी कोई आधार नहीं है कि भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए बनायी जाने वाली नामिकाओं में अपने नाम शामिल कराने के लिए आवेदन पत्र नहीं देंगे। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मैसेन्जरों और फराशों का समयोपरि भत्ता

3851. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संदेशवाहकों और फराशों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दर क्या है;

(ख) समयोंपरि भत्ते की दरों में अन्तर के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार फराशों के समयोपरि भत्ते की दर संदेशवाहक को दिये जाने वाले भत्ते की दर के बराबर करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संदेशवाहकों के लिये अतिरिक्त समय भत्ते की कोई अलग से दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। कार्यालय-चपरासियों का कार्य करने वाले संदेशवाहकों को काम करने के दिनों तथा रविवार और छुट्टी के दिनों में सामान्य नियमों के अन्तर्गत अर्थात् 65 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय भत्ता मिलता है। फराशों को देय समयोपरि भत्ते की प्रवर्त्तमान दरें नीचे दिये अनुसार हैं :—

काम करने के दिन

प्रति आधे घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए 10 पैसे, लेकिन प्रति दिन अधिक से अधिक 1.25 रु० हो।

रविवार तथा छुट्टी के दिन

प्रति घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए 15 पैसे, लेकिन प्रति दिन अधिक से अधिक 1.85 रु०/

(ख) फराशों के कार्य करने के घंटे निरन्तर नहीं होते तथा उनके कार्य का स्वरूप भी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न है।

(ग) और (घ). ऊपर (ख) में बताये गये कारणों से फराशों के अतिरिक्त समय भत्ते की दरों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों —जैसे कि चपरासियों के समकक्ष नहीं लाया जा सकता। तथापि, संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों पर सरकार ने उनके अतिरिक्त समय भत्ते की दरों में नीचे दिये अनुसार वृद्धि करने का निर्णय किया है :—

काम के दिनों में

प्रति घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए 30 पैसे प्रति दिन अधिक से अधिक 1.85 रु०

रविवार/छुट्टी के दिन

प्रति घंटे अथवा उसके किसी अंश के लिए 30 पैसे लेकिन प्रति दिन अधिक से अधिक 2.75 रु०

वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

3852. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने पर वर्ष 1967 में प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा तब से उसे वर्षवार बढ़ाया जाता रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में उप-महानिरीक्षकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर से भी यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी स्तरों पर वेतन ढांचे के संशोधन पर अगस्त, 1966 में लगाया गयी रोक अब 30 जून, 1970 तक लागू है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। इस रोक में ढील देकर वेतन संशोधनों की अनुमति केवल उन अलग-अलग मामलों में ही उनके गुण-दोषों के आधार पर ही दी जाती है, जहां परिस्थितियां असाधारण हों। परन्तु, सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने के लिये नये वेतन आयोग के गठन की पहले ही घोषणा कर दी है।

पटना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० परीक्षाओं में कदाचार

3853. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि यह पता चला है कि पटना विश्वविद्यालय की हाल की एम० बी० बी० एस० परीक्षाओं में 19 छात्रों के अंकों में फेर-बदल किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के उन अस्पतालों ने जिनमें बिहार के मेडिकल कालेजों से पासशुदा डाक्टर काम कर रहे हैं, उन डाक्टरों की डिग्रियों के असली होने पर सन्देह व्यक्त किया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा है, क्योंकि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था; और

(ग) क्या भविष्य में परीक्षाओं से कदाचार को समाप्त करने के लिये कड़ी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टाटा बन्धुओं द्वारा गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में एक्रिलोनिट्राइरल और एक्रिलिक रेशे में उत्पादन की योजना

3854. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में एक्रिलोनिट्राइल और एक्रिलिक रेशे का उत्पादन करने के लिये एक समेकित योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को उसी आधार पर अस्वीकार करने का निर्णय किया है जिस पर मीठापुर उर्वरक परियोजना को अस्वीकार किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) क्या इस योजना को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जा रहा है और यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या हैं और इसके अन्तर्गत लाइसेंस देने के लिये प्रत्येक मद के लिये उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) टाटा ने एक्रिलोनिट्राइल और एक्रिलिक रेशे का उत्पादन करने के लिए एक समेकित योजना प्रस्तुत की है । प्रतिवर्ष 7,500 मीटरी टन एक्रिलिक रेशे के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है । एक्रिलोनिट्राइल के उत्पादन के लिए उनका प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ।

Loans to Farmers by State Bank of India and Life Insurance Corporation

3855. **Shri Sharda Nand :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri S. R Damani :

Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of loans advanced to the farmers and the small industries by the State Bank of India and the Life Insurance Corporation out of the total loans advanced by them after their nationalisation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

नीदरलैंडस् सरकार द्वारा भारत में एक वित्त निगम की स्थापना

3857. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैण्डस् सरकार ने भारत में गैर-सरकारी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये बड़ी पूंजी लगा कर एक वित्त आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निवेश की क्या शर्तें होंगी तथा क्या भारत सरकार तथा नीदरलैण्ड सरकार के बीच कोई विचार विमर्श हुआ है;

(ग) क्या नीदरलैण्डस् में निवेशकर्ताओं को ऋण उपलब्ध होगा अथवा भारत और नीदरलैण्डस् की पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से उद्यम करने पर निगम से ऋण प्राप्त किया जा सकेगा; और

(घ) क्या इससे केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही लाभ मिलेगा, और यदि हां, तो भारत सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा तथा सरकार निवेश के विनियमन को कैसे सुनिश्चित् करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). नीदरलैण्डस् की सरकार ने अभी तक इस प्रकार का वित्त निगम स्थापित नहीं किया है। लेकिन वह इस संबंध एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अवमूल्यन के पश्चात् विदेशों को देय राशि

3858. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के बाद विभिन्न ऋणों अथवा अन्य प्रकार से देय राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा, कितनी राशि (भारतीय मुद्रा में) देय हो गई है;

(ख) क्या इस प्रकार के भुगतानों की राशि में वृद्धि ठीक 57 प्रतिशत है अथवा कुछ मामलों में, कुछ अधिक अथवा कम है;

(ग) ऐसे ऋणों और विदेशों को दायिताओं की प्रतिशतता क्या है, जो सममूल्य पर देय हो गये और अवमूल्यन के बाद भारतीय मुद्रा की दरों पर प्रतिशतता क्या है; और

(घ) अवमूल्यन के बाद देय होने वाली इन अतिरिक्त धनराशियों का भुगतान करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 6 जून 1966 को रुपये का अवमूल्यन किये जाने के परिणाम स्वरूप, भारत सरकार द्वारा देय विदेशी ऋणों की कुल रकम में, रुपयों के रूप में, 1350 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ।

(ख) और (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका के पी० एल० 480 ऋणों से ली गयी 353.50 करोड़ रुपये की रकम को छोड़ कर, जिस पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं पड़ा और जो उस तारीख को भारत सरकार द्वारा देय विदेशी ऋणों की कुल बकाया रकम का 1.3 प्रतिशत थी, अन्य सभी मामलों में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) भारत सरकार द्वारा देय ऋणों की मूल रकमों की वापसी (और ब्याज की अदायगी) के लिए हर साल जितनी रकमों की आवश्यकता होती है उतनी रकमों की व्यवस्था रुपयों के रूप में वार्षिक बजट में कर दी जाती है । जहां तक विदेशी मुद्रा के रूप में इन ऋणों की रकमों का सम्बन्ध हैं, भारतीय रुपये के अवमूल्यन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये ऋण निर्यात से होने वाली आय जैसे भारत के विदेशी साधनों से चुकाये जाते हैं ।

कंसवति परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए अतिरिक्त सहायता

3859. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उस राज्य की कंसवती परियोजना के लिये केन्द्र से अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). कंसवती परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपये की एक विशेष सहायता के लिए अनुरोध किया है । इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त नियतन

3860. श्री सीताराम केसरी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिजली की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिये योजना आयोग से निधि बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए योजना आयोग राज्य की योजना के संसाधनों का पुन: मूल्यांकन कर रहा है। कुल विद्युत विकास कार्यक्रम तथा विशेषकर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के वास्ते संशोधित प्रावधान का इस मूल्यांकन के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही पता चलेगा।

चीनी, कपड़े और तम्बाकू पर बिक्री कर

3861. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने यह बताया है कि चीनी, कपड़ा और तम्बाकू पर बिक्री कर लगाने के अपने अधिकार छोड़ देने के कारण उनके राजस्व की सम्भावित वृद्धि में कमी हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से केन्द्र को कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(ग) क्या राज्यों ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की हैं कि उनको इन वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार वापिस मिलना चाहिये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ राज्य सरकारों ने आयोग के समक्ष इस आशय का निवेदन किया था। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने विचार के लिए रखने का प्रस्ताव है।

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	1966-67	1967-68	1968-69
चीनी	1,937	1,382	1,472
तम्बाकू	1,152	1,499	1,786
कपड़े	1,989	1,940	2,093
कुल	5,078	4,821	5,351

बम्बई में सेफ डिपाजिट वाल्ट्स से धन का पाया जाना

3862. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1969 को बम्बई नगर के दो स्थानीय बैंकों के सैफ डिपाजिट्स वाल्टस से 11 लाख रुपये पकड़े गये;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अगस्त, 1959 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई की निवारण सीमा शुल्क शाखा समुद्री तथा निवारक प्रभाग के अधिकारियों ने बम्बई नगर और थाना जिले में मुम्बरा छोड़े गए तथा कुछ दस्तावेज पकड़े जिनसे कपड़े, संश्लिष्ट धागे और फाउन्टेनपेन जैसी चोरी छिपे लायी ले जायी गयी वस्तुओं के बड़े पैमाने पर लेनदेनों का पता चलता है। बम्बई नगर में पकड़े गेये 10 लाख रुपये मूल्य के माल के अतिरिक्त बम्बई नगर के दो बैंकों के लाकरों मे 11 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी गयी।

(ग) पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

बैंकों का कार्य संचालन

3864. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और प्रधान मन्त्री ने कहा है कि बैंक को वाणिज्यिक आधार पर चलाने की वर्तमान नीति में अधिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के सम्बन्ध में पूर्ववत स्थिति को कायम रखने से आम आदमी को ऊंचा उठाने का ध्येय किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार का दृष्टिकोण यह है कि बैंक, लाभकारिता और कार्य सम्बन्धी सूझबूझ के सिद्धांतों की ओर उचित ध्यान देते हुए काम करें। किन्तु इसका अर्थ बैंकों की पूर्ववत नीति को बनाये रखना नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अन्तर्निहित नीतियों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। जमा की अधिक रकमें जुटा कर और नयी शाखाएं खोल कर, खासतौर पर उन क्षेत्रों मे जहां अभी तक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति ऐसी हो जानी चाहिये कि वे सभी पात्र उद्यमकर्ताओं, विशेषतया छोटे उद्यमकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हों। सरकार एक ओर स्वस्थ बैंक प्रणाली और दूसरी ओर उन सभी प्रकार के यथार्थ और उत्पादन-शील प्रयासों के बीच कोई असंगति नहीं समझती जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिल सके तथा समाज के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि की जा सके।

लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना

3865. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिये सरकार का विचार लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष निर्धारित करने का है;

(ख) क्या महिला संगठनों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) क्या विवाह योग्य आयु में यह वृद्धि सब धर्मों की लडकियों पर लागू होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) लडकियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकारों से परामर्श लेकर सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी हां । एक महिला संगठन कानून द्वारा विवाह की आयु बढ़ाने के पक्ष में नहीं था किन्तु उसने इस लक्ष्य को जनमत एवं प्रचार के जरिये प्राप्त करने की सिफारिश की थी ।

(ग) जी हां ।

पेंशन में और वृद्धि करने की मांग

3866. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन भोगी हाल ही में उनके पेंशन में हुई अल्प वृद्धि से संतुष्ट नहीं हैं और वे अधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं; और

(ख) उनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . कुछ पेंशनरों ने तथा उनकी संस्थाओं ने इस आशय की दरख्वास्तें की हैं, परन्तु पेंशन लाभों में हाल ही में घोषित की गयी वृद्धि पर अभी इतना जल्दी विचार नहीं किया जा सकता ।

राजस्थान में एक फास्फेट के निक्षेप

3867. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजस्थान में जमार कोटरा में राक फास्फेट के भारी निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने निक्षेप पाये गये हैं;

(ग) ऐसे निक्षेपों का पता लगाने के लिये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से खोज करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) प्रति वर्ष कुल कितने राक फास्फेट का आयात किया जाता है तथा किन देशों से इसका आयात किया जाता है और आयात पर प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(ङ) इन निक्षेपों के पाये जाने से इस खनिज के आयात में कितनी कमी हो जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राजस्थान में हाल ही में झामरकोटड़ा स्थान पर राक फास्फेट के पर्याप्त मात्रा के निक्षेपों का पता लगा है।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने 420 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध राशियों का अनुमान लगाया है।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा राजस्थान में बिरमानिया, मातों, कानपुर, डाकन कोटडा और करबरिया का कटड़ा क्षेत्रों में अन्वेषण किये जा रहे हैं।

(घ) 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 (जुलाई 1969 तक) के दौरान राक-फास्फेट के देश-अनुसार आयात मात्रा तथा मूल्य) दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2370/69**]

(ङ) इसके परिणामस्वरूप आयातों में पर्याप्त कमी होगी। इस कमी की मात्रा के सम्बन्ध में इस अवस्था में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि झामरकोटड़ा निक्षेप का उपयोग बहुत ही सीमित स्तर पर अभी हाल ही में प्रारम्भ हुआ है।

राजस्थान में जस्ते के निक्षेप

3868. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के जेवार क्षेत्र और समीप के दरीब राजापुरा के जस्ते के निक्षेपों के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों का अनुमान क्या है और प्रति वर्ष 36,000 टन जस्ता निकाला जाये तो वे निक्षेप कितने वर्ष चलेंगे; और

(ग) राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में और अन्य राज्यों में अधिक निक्षेप खोजने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञों ने बलारिया खानों के उपयोग तथा पूर्वी, पश्चिमी मोचियां और जावर माला क्षेत्रों के समन्वेषण के लिये एक विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दरिबा राजपुरा क्षेत्र में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यधन तथा समन्वेषी खनन की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

(ख) अब तक खोजे गये विभिन्न निक्षेपों की उपलब्ध राशियां निम्न प्रकार से हैं:—

	मैट्रिक टन	जस्ता मात्रा (औसत)
मोचिया	50	4%
बलारिया	20	5%
जावर माला	25	5%
दरिबा	17.5	6%
बरोई	25	5%

सिद्ध की जा चुकी उपलब्ध राशियों से 1000 लाख मैट्रिक टन अयस्क मिल सकती है। प्रति वर्ष 36,000 मैट्रिक टन के उत्पादन स्तर पर अयस्क की यह उपलब्ध राशियां कई दशक तक चल सकती है।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था जावर माला, बलारिया, उदयपुर के जावर क्षेत्रों में बरोई तथा राजस्थान में चित्तोडगढ़ जिले में दरीबा-राजपुरा स्थानों पर समन्वेषण में व्यस्त हैं और वर्तमान दशा अयस्क की अधिक राशियों के उपलब्ध होने के लिये बहुत अनुकूल है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने लगभग सभी राज्यों में अलौह धातुओं के समन्वेषण को भी तीव्र किया है, जिसमें 1969-70 वर्ष के दौरान लगभग 94550 मीटर व्यधन सम्मिलित है।

Investment by L.I.C. to Companies

3869. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names and addresses of the Companies in which the Life Insurance Corporation has invested Rs. 25 lakhs or more;

(b) the total amount invested by the Life Insuarance Corporation in other Companies in the form of shares and that advanced by the Corporation as loans: and

(c) the amount out of the total investment of the Corporation in the form of shares and loans invested in those 75 Industrial Houses whieh have been mentioned in the Monopolies Commission's report ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and in the Ministry of Finance (**Shri R. K Khadilkar**): (a) and (b) . It will not be consistent with established practice to disclose L.I.C.'s investments in individual Companies.

(c) The total investments (including loans) of the LIC in each of the first ten Business Groups listed in order of their assests in the Report of the Monopolies Inquiry Commission, 1965 are given in the Annual Report and Accounts of the Corporation for the year ended 31.3.1969 which has already been laid on the Table of the House, Information regarding the remaining 65 industrial houses is in the course of collection and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

नई दिल्ली स्थित साऊथ ऐवेन्यू के फ्लैटों के बरामदों और खिड़कियों में शीशे लगाना

3870. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साऊथ एवेन्यू के संसद सदस्यों के रिक्त फ्लैटों में से लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के कितने कितने खाली फ्लैटों के बरामदों और खिड़कियों में शीशे लगाये गये हैं;

(ख) किस अधिकारी ने इन खाली फ्लैटों में शीशे लगाने के लिये अपेक्षित अनुमति प्राप्ति के लिये नई दिल्ली नगर पालिका को आवेदन पत्र दिया था अथवा उनसे इस मामले में बात की थी और इसके क्या कारण थे; और

(ग) साऊथ एवेन्यू के पूछताछ कार्यालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा सदस्यों के कब्जे वाले फ्लैटों के लिए इस तरह की पहल न की जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) लोक सभा/राज्य सभा के संसद सदस्यों के खाली फ्लेटों में जहां शीशे लगाने का कार्य हो चुका है उसकी एक अलग सूची सभा पटल पर रख दी है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2371/69**]

(ख) बरामदों में शीशे लगाने का अनुमोदन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी इंजीनियर द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त कर लिया था । नई दिल्ली नगर पालिका की हद में आने वाले सरकारी भवनो में सभी परिवर्तन करने के लिये म्युनिसिपल नियमों के अन्तर्गत ऐसा करना आवश्यक होता है ।

(ग) इस समय दखल में लाये हुए 89 फ्लैटों में शीशे पहले ही लगा दिये गये हैं । नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अब 5 और फ्लैटों के प्लान अनुमोदित हो चुके हैं तथा इन फ्लैटों के बरामदे में शीशे लगाने का कार्य चल रहा है ।

क्षय आरोग्य निवास केन्द्र

3871. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय आरोग्य निवास केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उन आरोग्य निवास केन्द्रों में प्रत्येक में कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था है;

(ग) इन आरोग्य निवास केन्द्रों में इस समय प्रत्येक में कितने क्षय रोगी हैं; और

(घ) उन आरोग्य केन्द्रों में प्रत्येक में क्या क्या विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध हैं और यदि इन केन्द्रों में क्षय रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं में कोई असमानता है तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) . अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मुद्रा स्फीति की प्रवृति को रोकने के लिये उपाय

3872. श्री शिव चन्द्र झा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई विशिष्ट नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . चौथी पंचवर्षीय आयोजना का एक मुख्य उद्देश्य है, स्थिरता सहित विकास, और चौथी आयोजना के प्रारूप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कार्यक्रम और नीतियां बनायी गयी हैं। इनमें ये कार्यक्रम शामिल हैं:—कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, अनाज की कीमतों और मूल्यों के सामान्य स्तर को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में संकट-निरोधक (बफर) भंडार का निर्माण करना, उचित मूल्य की दुकानों की मार्फत और सहकारी समितियों के कार्य को बढ़ाकर अत्यावश्यक वस्तुओं की कुशल सरकारी वितरण प्रणाली को बनाये रखना और आंतरिक साधनों को इस प्रकार जुटाना, जिससे कि मुद्रा बाहुल्यकारी दबाव पैदा न हो।

आसाम में बड़ी सिंचाई परियोजना

3873. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आसाम में एक बड़ी सिंचाई परियोजना आरम्भ करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) . इस समय असम में कोई वृहत सिंचाई परियोजना नहीं है। फिर भी असम सरकार ने एक धनसिरी नामक सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव रखा है जिसकी अनुमानित लागत 7.83 करोड़ रुपये है और जिसे चौथी योजना के अन्तिम भाग में शुरु किया जाएगा।

आसाम में अधिक बिजली पैदा करने के लिये योजना

3874. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में बिजली की खपत तथा इसका उत्पादन बहुत कम है; और

(ख) क्या सरकार ने आसाम में अधिक बिजली पैदा करने की कोई योजना बनाई है अथवा राज्य सरकार की किसी योजना को मंजूरी दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित स्वीकृत स्कीमों से चौथी योजना के शेष समय के दौरान, अतिरिक्त बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में कुल 83 मैगावाट के लाभ की आशा है:—

	स्कीम का नाम	लाभ (मैगावाट)
(i)	तुरा थरमल (2×2.5 मैगावाट)	5
(ii)	उमियम पन-बिजली चरण-2 (2×9 मैगावाट)	18
(iii)	गौहाटी थरमल (1×30 मैगावाट)	30
(iv)	नामरूप थरमल विस्तार (1×30 मैगावाट)	30
	कुल	83 मैगावाट

यह भी फैसला किया गया है कि असम को मणिपुर में स्थित लोकतक पन-बिजली परियोजना से, जिसको केन्द्र ने कार्यान्वयन के लिये हाथ में लिया है, 30 मैगावाट बिजली का आवंटन किया जाए ।

Increase in ratio of L. I. C. Expenditure

3875. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ratio of expenditure of Life Insurance Corporation is steadily increasing and the expenditure is much more than that of some of the major private Life Insurance Companies prior to the nationalisation;

(b) whether it is also a fact that the target fixed in respect of new business worth 1,000 crores of rupees every year by the end of Third Plan has not so far been achieved; and

(c) if so, the reasons therefor, specially when the Corporation has the monopoly in this field ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The Renewal Expease Ratio of the LIC during the last five years has been as under:-

Financial year	Renewal Expense Ratio
1964-65	14.09%
1965-66	14.69%
1966-67	15.91%
1967-68	15.90%
1968-69	15.91%

These ratios are higher than those in the case of some major insurers carrying on life insurance business in India before nationalisation.

(b) Yes, Sir. The L.I.C. drew up a plan in January, 1959 for reaching a new target of completed new business of Rs. 1,000 crores in 1963 as against a completed new business about Rs. 345 crores in 1958. Actually the new business completed by it in the period 1. 1. 1962 to 31. 3. 1963 was Rs. 746 crores, giving an average of Rs. 596.8 crores for 12 months. The new business completed in the financial year 1968-69 was Rs. 929.35 crores.

(c) The target of Rs, 1,000 crores of new business in a year was not fixed on a detailed and scientific examination the potential of business. The increase in new business actually effected is not in significant. As regards the Renewal Expense

Ratio, while comparing the percentages for the years 1964-65 to 1968-69 with the percentages of the years before nationalisation, accoont must also be taken of the recent inflationary trends.

Health Department of D. M. C.

3876. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that serious irregularities have been detected in the accounts of the Health Department and hospitals of the Delhi Municipal Corporation after their audit;

(b) if so, the year upto which the accounts have been audited and the details of the irregularities detected during the last three years;

(c) the action taken against the officers concerned; and

(d) the action proposed to be taken by Govrenment to streamline the functioning of the Health Department and hospitals of the Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Houses in Urban and Rural Areas

3877. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of houses required in the couutry in Urban and Rural areas separately and the number thereof available atpresent ;

(b) the number of houses likely to be required during the next five year ; and

(c) the details of the programme chalked out to remove the shortage and meet the requirement of house in the country ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The requisite information is given below :

Area	Number of housing units reguired	Number of Housing units (Pucca) available
		(units in lakhs)
Urban	188	69
Rural	836	118
Total	1024	187

The above details are projections, as on 1st April, 1969, based on the data collected in 1961 Census. These have been determined on the assumption that each house hold should have a separate pucca dwelling unit (i. e. a reasonably permanent structure which will provide the minimum standards of safety and comfort).

(b) No definite assessment has been made in respect of the requirements of houses during the next five years. Reliable data in this regard will become available after the 1971 Census.

(c) It is proposed to continue all the existing social housing schemes, which are directed towards the amelioration of housing conditions of persons in the low and middle income brackets. The draft Fourth Five Year Plan, however, provides for a sum of only Rs. 96,70 crores for all these schemes and uraban development programmes taken together, which is very meagre. One answer to the problem lies in activising the private sector and mobilising private resources for housing in a progressive manner. Besides the Conference of Ministers of Housing, Urban Development and Town Planning, held at Bangalore, in June, 1969, has recommended the constitution of a Central Housing Authority, which should raise resources from with in and outside the country and operate the same in the nature of a revolving fund ; for this purpose, a fund with a corpus of Rs. 200 crores should be built up out of Governmental allocations and other contributions. If and when these proposals materialise, it may be possible to make efforts to solve the housing problem in a realistic manner.

बैंकों द्वारा टैक्सीचालकों और रिक्शा चालकों को ऋण

3878. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1969 को समाप्त हुए गत चार महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने टैक्सी चालकों, तांगे वालों, रिक्शा चालकों, रेहड़ियों के मालिकों और किसानों को ऋण दिया है (इसके आंकड़े अलग अलग दीजिये) ;

(ख) उक्त वर्गों के लोगों की कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ग) 31 अक्टूबर, 1969 को समाप्त हुए गत चार महीनों में उद्योगों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

Income-tax Assessment of Shri Jagjivan Ram

3879. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of years for which Shri Jagjivan Ram submitted his Income-tax returns and that of the years for which assessments have been completed ;

(b) the Sections under which penalty notices have been served upon him and the replies received thereto ;

(c) the year in respect of which the penalties were imposed on him and if no penalty was imposed, the reosans therefor ; and

(d) the Sections under which Government accepted returns and Income tax relating to the period as back as eight years from Jagjivan Ram ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C Sethi) : (a) For the assessment years 1947-48 to 1954-55, returns were regularly filed and assessments completed except for the assessment year 1952-53. However, even for this year no tax was found due because of adequate tax deduction at source from the salary.

For the assessment years 1955-56 to 1958-59 the assessments were not finalised because they were filed late and barred by limitation. However, if the assessments could be finalised, there would have been nominal demands of Rs. 14, Rs. 2 and Rs. 2 the first three years respectively, and a refund of Rs. 235/-due for the last year, resultiong in a net refund of Rs. 217/ in respect of these four years taken together. The refund was not allowed.

For the assessment year 1959-60 to 1968-69, returns have been filed and assessments for all the years have been completed and tax paid by the assessee.

(b) and (c). "Show cause notices" for levy of penalty under section 271 (1) (a) were issued for the years 1959-60 to 1968-69.

Shri Jagjivan Ram filed an application before the Commissioner of Income-tax for waiving penalty under Section 271 (4A).

For the assessment years 1959-60 to 1961-62, the Income-tax Officers dropped the penalty proceedings keeping in view the general assurance given in the Legislative Assembly that individual notices under Section 22 (2) would continue to be issued in the cases of existing assessees and it was the practice of the Department that defaulters under Section 22 (1) in such cases were not penalised. For the assessment years 1962-63 to 1968-69, the Commissioner of Income-tax waived the penalty in exercise of judicial discretion vested in him under Section 271 (4A) of the Income-tax Act, 1961.

(d) The returns of income for the assessment years 1960-61 to 1963-64 were regularised under Section 147 of the Income-tax Act 1961, and those for assessment years 1964-65 to 1968-69 were accepted under Section 139 (4) of the Income-tax Act, 1961.

Civic Amenities in 'Katras' in Delhi

3880. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri N. Shivappa :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 1994 on the 4th August, 1969 and state ;

(a) the names of the 'Katras' and localities in Delhi where lavatory, water, electricity and drainage facilities are not available ;

(b) the time by which these facilities will be made available in these 'Katras' and the total amount proposed to be given to the Municipal Corporation by Central Government in this regard ;

(c) the number of 'Katras' and localities out of them falling under the jurisdiction of Central Government and Municipal Corporation and the time by which the above said facilities will be provided there ; and

(d) the names of the 'Katras' where these facilities have been provided by the Municipal Corporation during the last 2-1/2 years ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d). The work of improvement of Katras has been taken up by the Municipal Corporation of Delhi under the Slum Clearance/ Improvement scheme. No Central Government residential colony falls under the said scheme. However, there are about 4553 Katras 3000 owned by the Municipal Corporation of Delhi and 1553 are private. So far 2202 katras have been improved. The programme of improvement of katras has been phased out and it is proposed to improve 200 katras in each category each year subject to availablity of funds.

In Corporation owned katras/properties expenditure on improvments is incurred from funds provided by Government. In private katra's improvements are carried out either by the owners themselves or by the Corporation out of its own resources.

Funds are released by Government to the Corporation under the Slum Clearance Improvement scheme The latter utilise the funds, out of such allocations, to the extent required, for improvement to katras/properties. An amount of Rs. 40 lakhs has been released this year to the Corporation under the Scheme,

The collection of names of katras improved or yet to be improved is not likely to be commensurate with the time and labour involved.

देश में कृषि योग्य भूमि

3881. **श्री वि० प्र० मंडल :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने एकड़ भूमि में बांढ़ के पानी से सिंचाई की जाती है तथा कुल कितने एकड़ भूमि में उठाऊ सिंचाई द्वारा सिंचाई की जाती है ; और

(ख) खेती की जाने वाली कुल भूमि की कितनी प्रतिशत भूमि में सिंचाई की जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). 1965-66 में कुल फसली क्षेत्र 1549 लाख हैक्टेयर था जिसमें 309 लाख हैक्टेयर अथवा 20 प्रतिशत क्षेत्र सब साधनों से सिंचित था। इसमें से लगभग 210 लाख हैक्टेयर बहाव सिंचाई द्वारा और शेष उठाऊ सिंचाई द्वारा सिंचित था।

पश्चिम बंगाल की नगरीय ऋण समितियों के बारे में संसद सदस्यों का ज्ञापन

3882. **श्री केंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 55 संसद सदस्यों ने उन्हें एक ज्ञापन भेजा था जिसमें कि पश्चिम बंगाल में नगरीय ऋण समितियों को गैर-बैंकिंग संस्थायें मानने के लिये रिजर्व बैंक को निदेश देने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्ञापन की जांच कर ली गई है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रधान मंत्री को कुछ संसद सदस्यों की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि वह सहकारी समितियों पर लागू होता है) के उपबन्ध, जिनका सम्बन्ध बैंकों द्वारा न्यूनतम नकद और तरल (लिक्विड) प्रारक्षित निधियों के बनाये रखने से है, पश्चिम बंगाल की शहरी वेतन भोगी सहकारी समितियों पर न लागू किये जायें।

(ख) और (ग) . न्यूनतम नकद और तरल प्रारक्षित निधियों के बनाये रखने की आवश्यकता ऐसी किसी भी सहकारी समिति पर लागू होती है जो ऋण देने या निवेश करने के प्रयोजन के लिए, जनता से, जमा के लिए रकमें प्राप्त करती हैं। ये पाबन्दियां इसलिए लगायी गयी हैं कि उन जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके जिनका उन समितियों के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं होता, जिनमें वे रकमें जमा कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मत यह रहा है कि सहकारी समितियों द्वारा ऐसे "सांकेतिक (नामिनल)' या "सहयोगी (एसोशिएटेड)" सदस्यों से जमा के लिए रकमें प्राप्त करना, जिनको मतदान का अधिकार न हो, जनता से जमा के लिए रकमें प्राप्त करने के समान है और इसलिए ऐसी समितियों के लिए यह जरूरी है कि वे या तो न्यूनतम तरल प्रारक्षित निधियों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करें या अपने उप-नियमों में संशोधन करें जिससे कि वे केवल अपने नियमित सदस्यों से जमा के लिए रकमें प्राप्त करें, और गैर-सदस्यों की जमा रकमों को वापस करें ताकि इन समितियों को गैर-बैंकिंग संस्थाएं घोषित किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर, सहकारी समितियां इस बात पर बल देती रही हैं कि "सांकेतिक" अथवा "सहयोगी" सदस्यों को, राज्य के सहकारी समितियों से सम्बन्धित सम्बद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त है और उन्हें जनता का सदस्य नही समझा जा सकता। भारत सरकार इस सारे मामले की, अपने कानूनी सलाहकारों और भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह करते हुए जांच कर रही है और अनुमान है कि जल्दी ही अन्तिम फैसला कर लिया जायेगा।

Reserve Bank's report on Economic review

3883. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whethar it is a fact that the Reserve Bank of India have submitted its report containing the economic review of the year ending June, 1969 ;

(b) if so, the main points thereof ; and

(c) the action being taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) What the Hon' ble Member has in mind is the Annual Report of the Central Board of Director of the Reserve Bank of India for the year ended June 30, 1969. This has already been snbmitted and printed. This report has also been reproduced in the Reserve Bank of India Bulletin for August, 1969.

(b) Among other things, this Report at the very outset takes note of certain encouraging developments in the ecnomy during the year July 1968. to June 1969 The details are readily available from published sources

(c) This report is submitted by the Reserve Bank of India in accordance with the provisions of Section 53 (2) of the Reserve Bank of India Act and the assessment contained therein is duly taken note of by the Government.

Idle Capacity of Public Sector Industries

3884. **Shri Molahu Prased :**
Shri Sita Ram Kesri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Public Enterprises Bureau of his Ministry have prepared certain new guidelines to utilise the idle capacity of the industries in the Public Sector :

(b) if so, whether a copy thereof could be laid on the Table of the House ;

(c) whether it is also a fact that the said Bureau has brought out a pamphlet containing information regarding the public industries; and

(d) if so, whether such a pamphlet would be brought out annually and a copy of the said pamphlet would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . The measures taken for fuller utilisation of capacity in Public Enterprises have been outlined in the Memorandum on "Public Sector Enterprises", circulated along with the 1969-70 budget documents.

(c) and (d) . The Bureau has published" A Handbook on information on Public Enterprises" which is an informrative booklet. As much of the information contained in the Handbook is given in the Annual Report on the working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government, copies of which are placed on the Table of the House, it is not proposed to place copies of the Handbook on the Table of the House. Sufficient number of copies have, however, been supplied for the Parliament Library. Copies of the Handbook, which it is proposed to bring out every year will, continue to be supplied to the Parliament Library.

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों का पुनरीक्षण

3885. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मन्त्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के प्रीमियम दर सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है और जीवन बीमा निगम के प्रीमियम दर का पुनरीक्षण करने के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँची है ?

पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) यह मामला अभी भी निगम तथा सरकार दोनों के विचाराधीन है ।

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

3886. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 17 नवम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शान्तिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : समिति की रिपोर्ट अभी भी सरकार के परीक्षाधीन है ।

गांधीजी के सिक्कों की धातु और टंकन पर व्यय

3887. **श्री भारतसिंह चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीजी के सिक्कों की धातु और उनके टंकन पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने गांधीजी के सिक्कों की बिक्री से जनता से बहुत अधिक कमाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चूंकि महात्मा गांधी जन्म शताब्दी स्मारक सिक्के अभी बनाये जा रहे हैं, इसलिए इस वक्त यह बताना सम्भव नहीं है कि इनको बनाने में कुल कितना व्यय किया गया । फिर भी बम्बई स्थित टकसाल में विभिन्न मूल्यों के इन सिक्कों के धातु मूल्य और बनाने की लागत का ब्योरा इस प्रकार आंका गया है :

सिक्के का मूल्य	धातु मूल्य (रुपये)	बनाने का खर्च (प्रति हजार सिक्कों पर) (रुपये)
10 रुपये	6143.7	502.80
1 रुपया	191.21	124.95
50 पैसे	89.05	82.50
20 पैसे	41.30	71.52

(ख) और (ग) . प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवतः महात्मा गांधी जन्म शताब्दी स्मारक सिक्कों के उन अपरिचालित सेटों की बिक्री से है जो फोल्डरों में 20 रुपया प्रति सेट के हिसाब से बेचे गये थे, जो इन सिक्कों के अंकित मूल्य से अधिक है । यह एक मान्य मुद्राशास्त्रीय परिपाटी है कि टकसालों से सीधे जारी किये जाने वाले "अपरिचालित सिक्के (परिचालित सिक्कों के विपरीत जो बैंकों की मार्फत अंकित मूल्य पर जारी किये जाते हैं) उन व्यक्तियों को, जो इन्हें खरीदना चाहते हैं, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं ।

Irrigation Schemes in Flood affected areas

3888. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Irrigate ion and power be pleased to state :

(a) whether Government propose to make some special arrangements with the collaboration of State Government in respect of irrigation in those parts of the country which are affected by floods every year ;

(b) whether some State Government have forwarded their scheme to the Central Government ; and

(c) if so, the decision so far taken thereon ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao). (a) to (c) : It is proposed to study in consultation with the State Government, the possibility of providing irrigation facilities to raise summer crops in tracts like the khedir areas which are affected by floods every year. Open wells with raised walls, tubewells or pumping from rivers are to be examined in this connection. The State Government have furnished some information and it is proposed to discuss these after obtaining further details .

Delay in the completion of Ramganga Dam Project

3889. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lhe Ramganga Dam Control Board has expressed its anxiety in regard to the inordinate delay in the completion of the said project ;

(b) whether it is also a fact that this would increase the expenditure of the project immensely, if so, the amount by which it would increase; and

(c) the target originally fixed for the completion of the first phase of the main dam and the time by which the first phase would be completed now ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (b) . No Sir, The Ramganga Control Board had originally fixed June, 1972 as completion date for the entire project . In 1967, after considering all aspects of the problem, the Board revised the barget date to June 1973, and come to the conclusion that this charge was for reasons beyond the control of the project authorities.

(c) the original target date for completion of Stage I of the main dam was June, 1969. Now, this stage is expected to be completed by June, 1970.

सरकारी क्षेत्र में घाटे के कारण विकास की धीमी गति

3890. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या हाल के वर्ष में विकास की धीमी गति होने के प्रमुख कारण सरकारी क्षेत्र में घाटे और केन्द्रीय तथा राज्य प्रशासनों में अनुत्पादक रोजगार की वृद्धि है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों के समूचे ढांचे तथा कार्य प्रणाली को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां ,तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार, जब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगी पूंजी से लाभ न होने लगे, नये उपक्रम स्थापित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . यह कहना ठीक नहीं है कि हाल के वर्षों में विकास की गति धीमी रही है। वास्तव में 1967–68 में राष्ट्रीय आय में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तुरन्त अनुमानों के अनुसार, कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण 1968–69 में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मोटे तौर पर भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास की गति कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि द्वारा आंकी जाती है क्योंकि कृषि उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग आधा होता है और अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के काम की समूचे रूप से विस्तृत जांच करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है जिन पर सरकार ने विचार किया है। यद्यपि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों पर अमल करने के लिये पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। पर, सरकारी उद्यमों के कार्य में सुधार करने की दृष्टि से उनके काम पर बराबर नजर रखी जाती है। इस सम्बन्ध में किये गये उपयोगों का विवरण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित ज्ञापन में दिया गया है। यह ज्ञापन 1969–70 के बजट पत्रों के साथ वितरित किया गया था।

(ग) : सरकारी उद्यमों में औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए आयोजनों की प्राथमिकताओं के आधार पर और तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए पूंजी लगायी जाती है।

विदेशों से भेजे गये धन का लेखा

3891. श्री गणेश घोष : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री क० हाल्दर :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों से भेजे गये धन का नियमित लेखा रखता है;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो 1966–67 से 1968–69 तक प्रत्येक देश द्वारा भारत में प्रत्येक मद के अन्तर्गत वर्षवार कुल कितना धन भेजा गया ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में विधिवत् लेखा रखने के लिये अनुदेश देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक शोधन-शेष सम्बन्धी आंकड़ों आदि का नियमित रूप से संकलन और प्रकाशन करता है। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। भेजा गया धन कई वर्गों के अन्तर्गत प्राप्त होता है जैसे वाणिज्यिक वस्तुएं, यात्रा, परिवहन आदि और इसमें ऋण, बैंकिंग आदि पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं। यदि भेजे गये धन की किसी विशिष्ट मद के बारे में जानकारी मांगी जाय तो उसे देने का प्रयत्न किया जायगा।

कलकत्ता में स्कूल आफ ट्रौपिकल मेडिसिन का विस्तार

3892. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री बदरूद्दुजा :
श्री क० हाल्दर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल आफ ट्रोपीकल मेडिसन, कलकत्ता, का निर्माण कब किया गया था ;

(ख) क्या सरकार के पास अधिक रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस संस्थान के विस्तार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां ; तो उक्त योजना का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Medicines supplied by C. G. H. S. Dispensaries

3893. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Houging and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that employees and M. P.s. are supplied only those medicines which are mentioned in the list prepared 22 years ago and other medicines are not made available to them;

(b) whether according to the said list, the Surgen con charge only Rs. 8 and Rs. 4 for visits;

(c) if so, whether the doctors refuse to pay in visit if they are paid according to the said list;

(d) if so, whether Government propose to amend the list accordingly keeping in view these difficulties; and

(e) whether it is also a fact that other medicines are supplied on the recommendation of the Medical Officer, Willingdon Hospital and the delay in receipt of the sanction renders it useless: if so the steps contemplated to simplify this procedure ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) to (c). In regard to medical facilities, Members of Parliament are governed by the Medical Facilities(Member of Parliament) Rules, 1959. While in Delhi, Bombay and Allahabad, they are governed by the Central Government Health Scheme Rules as applicable to Class I officers of the Central Government. While they are outside these cities, they are entitled to reimbursement of Medical expenses in accordance with the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

Under the Central Government Health Scheme, which can into force from 1954, medicines are supplied to the Central Government Health Scheme beneficiaries from a list of medicines known as the Central Government Health Scheme Formulary. The Formulary was down up by a Committee of Consultants and Senior Specialists and it covers adequate number of medicines required for treatment of most of the diseases. The formulary consists of the following three types of lists :--

(i) General list;
(ii) Specialist list; and
(iii) Consultant list.

In addition, the Senior Specialists and Consultants are free to prescribe medicines outside the Central Government Health Scheme Formulary, wherever necessary.

The Formulary is kept-up-to-date by revising it from time to time. It was last reviewed in November, 1968 when 102 new items of special medicines were included in and 71 items were removed from it.

In so far as the Central Government Health Scheme is concerned no fees are charged by the doctors for professional visits.

Under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, a list of medicines, reimbursement in respect of which is not admissible, was drawn up in August, 1958. The list contained names of medicines which were not considered essential The list was revised and brought up to-date in February, 1967. Necessary amendments are also made from time to time whenever the necessity arises.

Under the arrangement envisaged in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and orders issued thereunder, Central Government employees stationed in or passing through the territories administered by the State Government are entitled to receive medical attendance from Medical Officers employed under the State Governments on payment of prescribed fees. The Schedules of fees are laid down according to the status of the Medical Officer and very from State to State. The maximum fee chargable by Medical Officers in any State is Rs. 16 for the first consultation and Rs, 10 for subsequent consultations. No case has come to the notice of the Central Government in which a doctor refused to call because of the fees prescribed.

Funds for Housing Schemes in States

3895. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have included seven States in the housing programme and have drawn up a scheme to make funds available to them for housing:

(b) if so, the names of States concerned; and

(c) the reasons for not including Rajasthan for this purpose ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Housing programmes under the social housing schemes formulated by this Department are already in operation in all the States to the extent of availability of resources with them.

(c) Does not arise.

योजना व्यय के लिए आसाम को वित्तीय नियतन

3896. श्री हेम बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के लिये वित्तीय नियतन के बारे में पांचवें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनसे आसाम के योजना खर्च में 126 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी रह गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है तथा इस समय उस राज्य के सामने जो वित्तीय कठिनाइयां हैं क्या उन पर काबू पाने के लिए आसाम को कोई सहायता दी गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों का असम की चौथी आयोजना के परिव्यय के वित्त प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, जिसके लिये साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित है। जहां तक राज्य सरकार की आयोजना—भिन्न आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, सहायता दिये जाने के प्रश्न पर, योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले राज्य के साधनों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में नजफगढ़ रोड स्थित अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

3897. श्री बलराज मधोक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित नजफगढ़ रोड पर तथा उसके निकट कितनी अनधिकृत बस्तियां हैं तथा वे किन स्थानों पर बसी हुई हैं;

(ख) उनमें से किनको अब तक नियमित किया गया है और बाकी के सम्बन्ध में स्थिति क्या है;

(ग) क्या सभी बस्तियों को नियमित करने के बारे में कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या जब तक इनको नियमित नहीं किया जाये तब तक के लिये इन बस्तियों में कोई नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, नारायणा दिल्ली में प्लाटों का आवंटन

3898. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, नारायणा में अब तक कुल कितने प्लाटों का आवंटन किया गया है;

(ख) इस कालोनी में पलस शौचालय, रोशनी, उद्यानों, स्कूलों तथा औषधालयों के रूप में क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) अलाटियों में लगाव की भावना पैदा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे इस विशाल झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी के विकास में समुचित रुचि लें; और

(घ) क्या अलाटियों को इन प्लाटों के स्वामित्व के अधिकार देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 3,482।

(ख) सभी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करदी गई है। टट्टियां सूखे ढंग (ड्राई रीन) की हैं। पार्क लगाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). प्लाटधारियों को मालकियत हक दिये जा सकने के लिये उनमें अपने-... की भावना बनाने के सुझाव दिये गये थे। ध्यानपूर्वक विचार करने तथा गत अनुभव को ध्यान में रखते हुए कि मालकाना अधिकार के परिणामस्वरूप प्लाटों का हस्तान्तरण हुआ, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के निकट निर्मित बहुमंजिले क्वार्टर

3899. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकार के माध्यम से टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के निकट हरिजनों के लिये लगभग 300 बहुमंजिले क्वार्टर बनवाये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये क्वार्टर एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली पड़े हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों के चारों ओर के क्षेत्र को समतल नहीं किया गया है और न ही इन क्वार्टरों तक पहुंचने के लिये कोई सड़क बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और उन्हें आवंटन-योग्य बनाने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) पात्र अनधिवासियों को आवंटन के लिए झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा टैगोर गार्डन के निकट नजफ गढ़ रोड़ पर 1000 टैनमेंट बनाये गये हैं। इनमें से अक्तूबर, 1969 के मध्य तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा 250 टैनमेंट आवंटित कर दिये गये थे। शेष 750 अभी हाल में ही दखल के योग्य हुए हैं जब कि डी० ई० एस० यू० ने बूस्टर पम्प में बिजली लगादी। इन टैनमेंटों को आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) स्थिति को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा वांछित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गांधी सिक्कों की चोर बाजारी

3900. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संस्था, दिल्ली ने सरकार से यह शिकायत की है कि वर्ष 1969 के अक्तूबर मास के प्रारम्भ में गांधी शताब्दी के उपलक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो गांधी के सिक्के चलाये थे उनको कनाट प्लेस, करौल बाग और चांदनी चौक दिल्ली में चोर बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Extraction of Minerals from Sea Bottom

3902. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress made so far in the project relating to extraction of minerals from sea and conducting a survey of the sea for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : During the field season 1967-68 and 1968-69 an area of about 47 sq. km was surveyed around the Kavaratti and Kalpeni Islands by the Geological Survey of India. Over 700 bottom samples were collected and 207 line km. of echosounding traverses made. The surveys indicated the existance of very pure calcareous sediments in the lagoons and the reserves on the basis of the surueys done in 1967-68 are estimated at about 16 million tonnes. Samples of bottom sediments were also

collected from eastern continental shelf between Madras and the Hoogly estuary; head of the Bay of Bengal; Western Continental Shelf between Cape Comorin and Karwar; off Bombay and Gulf of Cambay. It is proposed to intensify exploration of off-shore areas for minerals during the IV plan period.

Construction of Maneri Bhali, Tehari Koteshwar Shivpuri and Vishnu Prayag Dam Project

3903. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress made so far in respect of construction of Maneri Bhali, Tehari, Koteshwar Shivpuri and Vishnu Prayag dam projects and the time by which these projects are expected to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Maneri Bhali Hydro-electric Scheme, Stage I which has been sanctioned for implementation is in the preliminary stage of progress and is expected to be completed either towards the end of Fourth Plan or early in the Fifth Plan period. The remaining schemes viz. Tehri, Koteshwar, Shivpuri and Vishnu Prayag are under detailed investigation.

युगोस्लावाकिया से सस्ते तथा मजबूत मकानों का ब्योरा

3905. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते तथा टिकाऊ मकानों के सम्बन्ध में युगोस्लाविया में विभिन्न आवास परियोजनाओं का ब्योरा प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और भारत में ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति की व्यावहारिकता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में तेल प्राप्त होने की सम्भावना

3906. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में तेल विद्यमान होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) यद्यपि आशा बहुत अधिक नहीं है तो भी तेल प्राप्त होने की संभावनाएं हो सकती हैं ।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालय के लिये अपर्याप्त विकास आवास

3907. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालय के पास पर्याप्त स्थान नहीं हैं और रोगी तथा कर्मचारी दोनों को ही बहुत कठिनाइयां महसूस होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मौजूदा स्थान काफी नहीं समझा जाता है।

(ख) उसी बस्ती में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा हृदय रोग की औषधि का आविष्कार

3908. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अगस्त, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "दिल्ली मैन इवालव्स हार्ट ड्रग" (दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा हृदय रोग की औषधि का आविष्कार) शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) 1956 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने थेवेटिया नेरिफोलिया (पीला कनीर) से प्राप्त टेरुवोसाइड नामक एक ग्लायकोसाइड पृथक् किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और केन्द्रीय औषध-अनुसन्धान शाला, लखनऊ में प्रारम्भिक भेषजिकीय परीक्षण किऐ गये थे। यह पाया गया था कि इस औषधि में भेषजिकीय और नैदानिक दोनों रूप से कार्डियोटोनिक गुण विद्यमान हैं। इस औषधि पर आजकल भारत में और नैदानिक परीक्षण किये जा रहे हैं। आशा है ये परीक्षण मार्च 1970 तक पूरे हो जायेंगे और तब जो निष्कर्ष होंगे उनका विश्लेषण कर उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

Aid for Family Planning Programme from U.S.A. and U.S.S.R.

3909. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the nature of

aid received from U.S.A. and U.S.S.R. during the current financial year as a contribution to the Family Planning Programme of the country ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar) : An agreement was signed on the 2nd June, 1969 between the Government of India and the USAID wherein the latter agreed to provide assistance to the extent of Rs. 60 million for the purchase of 1540 vehicles, for use in the Family Planning Programme in India,

No aid has been received from U.S.S.R. during the current financial year.

कोझी नदी में छोटा बांध

3910. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोझी नदी पर छोटा बांध बनाने के लिए बिहार में भागलपुर जिले के बेंवस सब-डिवीजन में कुछ सर्वेक्षण कार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस क्षेत्र में पानी की कमी तथा लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए उपरोक्त योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात ही स्कीम को अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा वे लगभग जून, 1970 तक परियोजना स्कीम को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में भेजने की उम्मीद रखते हैं।

खेतड़ी तांबा परियोजना में तैयार होने वाले उप-उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थ

3911. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना के चालू हो जाने के बाद उसमें स्वर्ण, चांदी और अपशिष्ट पदार्थों सहित कौन से उप-उत्पाद तैयार होंगे;

(ख) क्या इन खानों के उप-उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों से कोई सहायक उद्योग आरम्भ करना सम्भव है; और

(ग) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इनका उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खेतड़ी तांबा प्रायोजना से सोने तथा चांदी के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण उपोत्पाद प्रद्रावण संयंत्र से सल्फर-डाई-आक्साइड गैसे तथा जिप्सम होगा।

(ख) और (ग) . सल्फर–डाई–आवसाइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिये उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है, जिसे बाद में फिर एक उपयुक्त उर्वरक के उत्पादन में उपयोग में लाया जायेगा।

तदनुसार, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी में एक एसिड एवं उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संयंत्र के लिये एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इस की जांच की जा रही है। एसिड-एवं-उर्वरक संयंत्र से जिप्सम एक उपोत्पाद होगा। परन्तु अभी तक इस उपोत्पाद के उपयोग के सम्बन्ध में कोई सम्भावी योजना दृष्टि में नहीं है।

जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध फालतू निधि

3912. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के पास विनियोजन के लिए कितनी फालतू राशि उपलब्ध है; और

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों से किस दर पर ब्याज लिया जाता है और क्या उसे नियमित रूप से वसूल किया जा रहा है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और इक्ट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

नारायणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार के एलाटी

3913. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लेटों के कुछ आवंटियों को, जिन्हें जनवरी, 1969 में फ्लेट दिये गये थे, बाद में अपने अपने नियोजकों से ऋण लेकर एक मुश्त राशि देने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवंटियों की संख्या कितनी है और क्या उनसे एक निर्धारित समय के भीतर ये राशि देने को कहा गया था और यदि हां, तो कितना समय निर्धारित किया गया था और यदि नहीं, तो उन पर लगाये गये दण्ड स्वरूप ब्याज का औचित्य क्या है;

(ग) क्या कुछ बाकी बचे फ्लेटों को अन्य फ्लेटों के साथ हाल में बेचा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या फ्लेटों के विक्रय मूल्य में उस अवधि का ब्याज शामिल है जिसमें वे खाली पड़े रहे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार इन लोगों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नारायणा में अन्य आवंटियों के मामले पर पुनर्विचार करेगा और उन्हें ब्याज की छूट देगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Withdrawal of Telephones from the Residences of Government Officers

3914. Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had recently taken a decision to withdraw the telephones from the residence of all the Central Government officers upto the rank of Deputy Secretary;

(b) if so, whether it is also a fact that the said decision could not be implemented due to the pressure and influence of the said officers;

(c) whether Government have got a machinery to ensure that the Government telephones are not used for personal business; and

(d) if not, the justification for installing the telephones at the residences of the officers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

(c) while there is no method of preventing government telephones from being used for personal business, such use is in effect curbed by imposing a ceiling on calls made from residential telephones beyond which the officers have to pay.

(d) The interests of official work require the installation of residential telephones in the case of some junior officers also.

Senior Government officers accounts in Foreign Banks

3915. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of retired I.C.S, I.A.S., I.P.S and other senior officers and also those in service having their accounts in foreign banks;

(b) whether any enquiry was conducted into the manner in which they managed to deposit this money in foreign banks and whether the said amount is more than the maximum income of the officers concerned;

(c) whether Government propose to keep a watch on the monthly expenditure of these officers;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to accord its approval to its diplomates to open their accounts in the banks of only that country where they are posted and nowhere else ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Data relating to accounts abroad is not maintained on the basis of such classifications. However, if information about any particular individual is required, it can be supplied.

(c) and (d) . Does not arise.

(e) No, Sir.

Overtime allowance in Ministries

3916. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by various Ministries of the Central Government on the payment of Overtime Allowance during the year 1968-69;

(b) the expenditure incurred, out of that, on stenographers and on the personal staff of the Ministers and officers;

(c) whether it is proposed to impose the ceiling of one-third on the personal staff and stenographers; and

(d) if not, whether Government propose to assess the work done by the personal staff and stenographers during overtime period in 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The total expenditure incurred by various Ministries of the Central Government (including attached officers) on overtime allowance during the year 1968-69 is Rs. 51,20,228.

(b) This information cannot be readily segragated from the total expenditure indicated in reply to part (a) above.

(c) No, Sir.

(d) Ministers and senior officers have to keep late hours and consequently personal staff attached to them have no option but to work overtime. In view of this, a separate assessment of their workload is not necessary.

Promotion of Hindi assistants in various Ministries

3917. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no opportunities for promotion to the Hindi Assistants employed in the various Ministries and Departments of the Central Government and that the said Assistants have been doing the translation work for about ten years;

(b) if so, whether it is also a fact that the said Hindi Assistants who have been recruited on the basis of the same examination conducted by the U. P. S. C. have been placed in different categories and given different pay-scales;

(c) if so, whether the said service is likely to be wiped out as a result of anti-Hindi attitude of the Senior Officers of Central Government, particularly those of the Ministry of Finance; and

(d) whether Government propose to give uniform pay-scales to the Hindi Assistants and provide a higher scale also for them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) No anti-Hindi attitude is prevalent in this Ministry.

(d) No such proposal is under consideration of Government at present.

राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक की क्षमता बढ़ाने के लिये विदेशी फर्म के साथ करार

3918. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक की क्षमता को दोगुनी करने के लिये एक विदेशी फर्म के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) क्या इस कारखाने की पूर्व क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या कारखाने की क्षमता दोगुनी करते समय इस बात की ओर उचित ध्यान दिया गया है कि नवनिर्मित क्षमता पूर्ण रूप से प्रयोग की जायेगी और विस्तार की योजनायें तैयार करने में भारतीय प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन राव) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (केन्द्रीय सरकार की एक कम्पनी) द्वारा देवारी स्थित वर्तमान प्रद्रावक की क्षमता को दुगुना करने के विचार से एक प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये मैसर्स क्रैब्स् (इन्डिया) और उनके विदेशी सहयोगी मैसर्स क्रैब्स् पेनाररोया ऑफ पेरिस के साथ एक समझौता किया गया है।

(ख) जस्ता प्रद्रावक इस समय सितम्बर 1968 से अपनी निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत पर कार्य कर रहा है। प्रारम्भ में कम उत्पादन सिंगल सुपरफास्फेट, जो कि एक उपोत्पाद है, के उठान में कमी के कारण से था। परन्तु बाद में जस्ता संकेन्द्रों की कमी के कारण उत्पादन पर नियन्त्रण जारी रखा गया।

(ग) जी, हां। स्वदेशी इंजीनियरिंग सेवाओं तथा संयंत्र एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग की एक आवश्यक शर्त के रूप में प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये किये गये समझौते में सम्मिलित किया गया है।

व्यास परियोजना की लागत में विभिन्न राज्यों के अंश

3919. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1088 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास परियोजना की लागत में विभिन्न राज्यों के अंशों के सम्बन्ध में सरकार कोई अन्तिम निर्णय ले सकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त निर्णय किस आधार पर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ राज्यों से उनके दावों के समर्थन में कुछ सामग्री की प्रतीक्षा है।

मोटर स्पिरिट का निर्यात

3920. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विदेशों को मोटर स्पिरिट का निर्यात करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में वास्तव में कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या देश में मोटर स्पिरिट की मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है; और

(घ) 1969-70 में निर्यात के लक्ष्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी से सितम्बर, 1969 की अवधि के दौरान 102,000 मीटरी टन मोटर स्पिरिट निर्यात किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, निर्यात देश की फालतू मात्राओं से अधिक नहीं है।

बम्बई में इण्टरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के कार्यालयों पर छापे

3921. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के कार्यालयों पर छापे मारे गये थे तथा सिने-अभिनेताओं को दिये गये काले धन सम्बन्धी कुछ कागजात पकड़े गये थे; और

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके कागजात पकड़े गये थे तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 16 अगस्त, 1967 को और पुनः 19 जून, 1968 को मेसर्स इन्टरनैशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, बम्बई के स्थानों की तलाशी ली गयी थी। इन दोनों तलाशियों में कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। आय कर अधिकारियों ने इन दस्तावेजों की छानबीन अभी नहीं की है। इसलिये, इस स्थिति में यह कह सकना सम्भव नहीं होगा कि क्या पकड़े गये दस्तावेजों से कर-अपवंचन का कोई मामला जाहिर होता है।

प्रमोद पिक्चर्स, बम्बई पर छापा

3922. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय कर तथा अन्य करों की बड़ी राशि की चोरी के सम्बन्ध में प्रमोद पिक्चर्स, बम्बई तथा की. प्रोडक्शन्स, बम्बई के कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो कर की कितनी धनराशि की चोरी की गई थी, और क्या इस छापे में सिने-अभिनेताओं को दिये गये काले धन सम्बन्धी कोई कागजात पकड़े गये थे, और यदि हां, तो किन सिने-अभिनेताओं को काला धन दिया गया था, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कर-अपवंचन के सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा केवल "मैसर्स के० प्रोडक्शन्स" के स्थानों की तलाशी ली गई थी। प्रमोद फिल्म्स के मामले में ली गई तलाशी का सम्बन्ध कर-अपवंचन से नहीं था।

(ख) और (ग). जी, हां। के प्रोडक्शन के० स्थानों की तलाशी में दस्तावेज पकड़े गये थे जिनसे जाहिर होता है कि कुछ फिल्मी सितारों द्वारा जितनी रकमें बतायी गयी थीं उनको उनसे अधिक अदायगी की गयी थी। सभी मामलों में कर-निर्धारण पूरे कर लिये जाने पर ही कर अपवंचन की रकम मालूम हो सकेगी। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के मामले में, आय छिपाने के कारण इस्तगासे की कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है तथा फिल्म अभिनेता प्राण के मामले में गलत विवरण देने के कारण दण्ड लगाया गया है। अन्य मामलों में जांच-पड़ताल जारी है। सफल जांच-पड़ताल के हित में अन्य फिल्मी सितारों के नाम इस समय जाहिर नहीं किये जा सकते।

बेलाडिला और किरिबुर लौह अयस्क खानों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हानि

3923. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन बेलाडिला तथा किरिबुर लौह अयस्क खाने घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी हानि हुई;

(ग) जापान को इस अयस्क के निर्यात के लाभप्रद ठेके मिलने पर भी इनमें हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) हानि को समाप्त करने तथा शीघ्र ही उन्हें लाभ पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाई गई हानियां निम्न प्रकार से हैं:—

(लाख रुपयों में)

	किरिबुर	बैलाडिला निक्षेप संख्या 14
1966–67	44.65	–
1967–68	142.59	1.30
1968–69	101.14	63.65
जोड़	288.38	64.95

(ग) और (घ). लौह अयस्क निर्यात मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा के उपार्जन के उद्देश्य से है और यह कार्यक्रम खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से चलाया जाता है। निर्यात के लिये वरीय रसायन बनावट तथा विशेष मापों के लौह अयस्क की बहुत बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के विचार से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बड़ी यन्त्रीकृत खानों अर्थात बैलाडिला प्रायोजना तथा अन्य प्रायोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम संसार के बाजारों में व्यापारिक बातचीत करता है और क्रेताओं के साथ करार करता है। प्राप्त किये गये विक्रय मूल्य में से रेल भाड़ा, पत्तन प्रभार, निर्यात शुल्क और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कमीशन अदा किया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को केवल बकाया राशि ही दी जाती है। यह राशि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खर्च की गई उत्पादन लागत से भी कम बैठती है। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानियां उठानी पड़ती हैं। सीधी उत्पादन लागत विक्रियों से प्राप्त राशि का एक छोटा सा भाग मात्र ही होता है। इसमें बहुत ही कम कमी हो सकती है। क्योंकि यह हानियां कम्पनी की किसी गलती के कारण से नहीं होतीं, अतः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उठाई जा रही नकद हानियों की प्रतिपूर्ति करने के एक प्रस्ताव पर वित्त मन्त्रालय के साथ बातचीत हो रही है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, त्रिवेन्द्रम में कर्मचारियों का चयन और उनकी नियुक्ति

3924. **श्री नो० विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के त्रिवेन्द्रम कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उस कारखाने में कर्मचारियों के चयन तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या नियम हैं;

(ग) क्या नियुक्तियां करने में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) इस कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पहले दैनिक वेतन पर थे और बाद में उन्हें नियमित मासिक वेतन की सिबंदी में समाविष्ट कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:—

(क) 1 नवम्बर, 1969 को कुल 309 कर्मचारी थे।

(ख) निरोध कारखाना, त्रिवेन्द्रम में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र केन्द्रीय रोजगार सेवा के जरिये एवं समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन समुचित रूप से गठित चयन समितियों द्वारा किया जाता है।

(ग) जी हां, निरोध कारखाना, त्रिवेन्द्रम नियुक्तियां करने के विरूद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कम्पनी के मुख्य प्रबन्धक द्वारा इन शिकायतों की पूर्ण तया जांच की गई और वे निराधार सिद्ध हुई।

(घ) 1 नवम्बर, 1969 को इन कर्मचारियों की संख्या 20 थी।

(ङ) 54।

जीवन बीमा निगम द्वारा बर्दवान कुटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड में अंशों की बिक्री

3925. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने वे शेयर बेच दिये हैं जो बर्दवान कुटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड में थे;

(ख) ये शेयर कब और किसे बेचे गये और कितने शेयर बेचे गये;

(ग) प्रत्येक शेयर कितने मूल्य का था; और ये शेयर किस मूल्य पर बेचे गये; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम को इन शेयरों की बिक्री में कोई घाटा हुआ है और यदि हां, तो कितना ?

पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

N. D. M. C. Officers for taking sample of Foodstuffs

3926. Shri P. L. Barupal :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleaeed to state :

(a) whether it is a fact that three persons have been appointed in New Delhi Municipal Committee to take the samples of foodstuffs;

(b) whether it is also a fact that only one person out of the said three persons has been assigned the duty of taking samples and also raiding the hawkers;

(c) if so, the reasons for which the duty of raiding hawkers has been assigned to the person appointed for taking samples;

(d) Whether Government propose to issue orders to the New Delhi Municipal Committee to appoint a separate head of raiding the hawkers; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c), The New Delhi Municipal Committee have informed that as a temporary arrangement, one of the Inspectors has been assigned the additional duty of raiding hawkers,

(d) & (e). Do not arise.

Unhygienic Conditions in N. D. M. C. Canteen

3927. Shri Yashpal Singh :
Sbri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Helth and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers of the Health Dep t. of the New Delhi Municipal Committee have closed down such of the hotels and restaurants as are not properly cleaned;

(b) if so, the reasons for which these officers did not have the canteen in the N. D M. C. Town Hall closed down despite the fact that it is more unclean than many hotels; and

(c) if so. the reasons for which no attention is paid towards the cleanliness of the said canteen which is functioning under the very nose of these officers ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c). The New Delhi Municipal Committee have informed that the canteen in the N. D. M. C. Town Hall was not closed down because the minimum standard of sanitations is maintained there. Regular inspections of this canteen are made and the improvements as required by the Health authorities have been carried out.

केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में तकनीकी पद

3928. श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में तकनीकी पदों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) की संख्या क्या है;

(ख) राजपत्रित तथा अराजपत्रित (तकनीकी) पदों के मध्य क्या अनुपात रखा गया है;

(ग) असिस्टेंट कैमिकल एक्जामिनरों, कैमिकल असिस्टेंटों ग्रेड-I तथा केमिकल असिस्टेंटों ग्रेड–II का कार्य क्या है;

(घ) क्या असिस्टेंट केमिकल, एक्जामिनरों को भी इसी प्रकार नमूने आवंटित किये जाते हैं जिस प्रकार से केमिकल असिस्टेंटों ग्रेड–I तथा ग्रेड–II को आवंटित किये जाते हैं; और

(ङ) अफीम, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अनुभागों में प्रत्येक को औसतन कितने नमूने प्राप्त होते हैं, कितनों पर कार्यवाही पूरी होती है तथा प्रत्येक नमूने पर औसतन कितना खर्च होता है और क्या ऐसे भी नमूने पड़े हुए हैं जिन पर कार्यवाही होनी शेष है, और यदि हां, तो इन पर कार्यवाही पूर्ण करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). मांगी गयी सूचना का विवरण–पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2372/69**]

Recovery of Gold from a flat at Kolaba in South Bombay.

3929. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bombay Customs Officers raided a flat at Kolaba in South Bombay in August, 1969 and recovered gold in large quantity;

(b) if so, the value of the gold recovered;

(c) whether it is also a fact that foreign markings were also found on the gold recovered; and

(d) the number of persons against whom action has been taken by Government as also the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). On the 21st August, 1969 the Customs authorities at Bombay searched a flat at Kolaba and seized 2750 tolas of gold, with foreign markings, valued at about Rs. 2.7 lakhs at the international monetary rate. The market price of this gold is Rs. 5.4 lakhs.

One person was arrested and subsequently released on bail. Further investigations are in progress.

Raids Conducted by customs and Crime Prevention Department Officials in Bombay and Thana Districts

3930. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri J. Sundar Lal :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Customs Officers and the Officers of Shipping and Crime Prevention Department of Bombay conducted raids at several places of Bombay and Thana districts and seized certain documents which prove charges of large scale smuggling of goods;

(b) if so, the approximate value of the goods smuggled as revealed by the documents seized in August, 1969; and

(e) the number of persons against whom action has since been taken and the nature of action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. In the month of August, 1969 officers of the Preventive Customs. Branch Marine and Preventive Division of the Central Excise Collectorate, Bombay, conducted raids in Bombay City and Mumbra in Thana district and seized certain documents which indicated large transactions of smuggled goods such as Textiles, Synthetic yarn and Fountain pens.

(b) The approximate value of smuggled goods as revealed by the documents seized in the month of August, 1969 is Rupees two crores,

(c) Five persons were arrested and subsequently released on bail by the magistrate. Further investigations are in progress.

Amounts allocated to flood and drought affected States

3931. Shri Hukam Chand Kachwai ;
Shri S. Sunder Lal :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of grants allocated by Central Government to flood and drought affected States during the financial years 1967–68, 1968–69 and 1969–70 State–wise; and

(b) the amount out of the allocated grants given so far to the States and the amount yet to be given ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) A Statement is attached.

(b) Under the existing procedure, Central assistance towards natural calamities relief is released in the light of the expenditure actually incurred by the State Governments concerned, subject to ceilings of expenditure adopted for the purpose. The grant assistance provided to the States in 1967–68 and 1968–69 and during 1969–70 (so far) has been given on the basis of the expenditure reported by the State Governments. The question of any part this assistance remaining unutilised does not at present arise.

Statement

Amounts of Central grants released to the State Governments towards flood and drought relief measures during the years 1967–68, 1968–69 and 1969–70 (upto 10-12-1969)

S. No.	Name of the State	1967–68	1968–69	1969–70 (upto 10-12-1969)
1.	Andhra Pradesh	–	3.00	2.50
2.	Bihar	9.25	1.00	–
3.	Gujarat	1.14	1.00	3.00
4.	Kerala	–	–	0.30
5.	Madhya Pradesh	11 50	0.01	–
6.	Maharashtra	–	0.50	–
7.	Mysore	–	1.63	–
8.	Orissa	1.00	1.00	–
9.	Rajasthan	0.27	1.85	7.50
10.	Tamil Nadu	–	–	3.00
11.	Uttar Pradesh	0.84	–	–
12.	West Bengal	-	2.00	–
	Total	24.00	11.99	16.30

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कपड़ा मिलों को दी गई राशि

3932. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 30 जून, 1969, 30 जून, 1968 तथा 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान, विलंबित भुगतान के आधार पर बिलों पर पुनः छूट जिसमें कपड़ा मिलों की बिक्री भी शामिल है कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ;

(ख) ऐसी वित्तीय सहायता की क्या शर्तें हैं ;

(ग) उन मिलों की क्या संख्या है तथा क्या नाम हैं जिन्हें यह सुविधा दी गई थी ;

(घ) वर्ष 1968–69, 1967–68 और 1966–67 में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंण्ट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कपड़ा मिलों को इसमें कितना ऋण दिया गया ; और

(ङ) इन सुविधाओं की शर्तें क्या हैं और उन मिलों की क्या संख्या है तथा उनके क्या नाम हैं जिन्हें ये सुविधायें दी गयी थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

कोइम्बटूर नगर का दर्जा बढ़ाना

3933. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :
श्री उमानाथ : **श्री के० रमानी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोइम्बाटूर नगर के सरकारी कर्मचारी संघों की ओर से उस नगर का दर्जा बढ़ाकर "बी" श्रेणी का नगर कर देने के संबन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । कोइम्बटूर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ।

(ख) इस मामले पर तमिलनाडु की सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

आसनसोल के श्री एस० के० राय द्वारा जीवन बीमा निगम के विरुद्ध शिकायतें

3934. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आसनसोल के श्री एस० के० राय चौधरी द्वारा लिखित तथा 26 अगस्त, 1969 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित पत्र में जीवन बीमा निगम के विरुद्ध की गई कुछ शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या पालिसी-धारी द्वारा भेजे गये 33 पत्र प्राप्त करने के बावजूद उसकी पालिसी को कलकत्ता से आसनसोल स्थानांतरित न किये जाने के बारे में जीवन बीमा निगम से स्पष्टीकरण मागेंगी ; और

(ग) क्या वह ऐसी घटनाओं, जिनसे कि सरकारी क्षेत्र की मान-मर्यादा नहीं बढ़ती है, को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहेगी ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले के सिलसिले में जीवन बीमा निगम के साथ तत्काल लिखा पढ़ी की गयी थी । यह निश्चित रूप से पता किया गया था कि पालिसी 26-8-1969 को जीवन बीमा निगम के आसानसोल प्रभागीय कार्यालय को अन्तरित की गयी थी, जिसकी सूचना पालिसी-धारी को भी दी गयी थी । पालिसी के अन्तरण में लगभग 4 महीने का विलम्ब हुआ था । जीवन बीमा निगम ने कहा है कि इस अवधि में उसे 33 पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये जीवन बीमा निगम ने विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण की व्यवस्था की है । कार्यालय अध्यक्षों को आदेश है कि भूलों के लिये जिम्मेदारी निश्चित करें और जिन कर्मचारियों के कारण शिकायत हुई हो उनके खिलाफ वे अनुशासन की उचित कार्यवाही करें । कार्यालय अध्यक्षों को ये भी आदेश हैं कि कार्यविधि सम्बन्धी जिन दोषों के कारण शिकायतें की जाती हैं उनको भी वे दुरुस्त करें ।

औषधियों के अत्याधिक मूल्यों के लिये समिति

3935. **श्री बीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियों के अत्याधिक मूल्यों का अध्ययन करने के लिये उन्होंने हाल में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशुल्क आयोग ने हाल में 18 मूल औषधियों तथा 69 मिश्रित औषधियों की उत्पादन लागत के बारे में जांच की थी ताकि उनके उचित उपभोक्ता मूल्यों की सिफारिश की जा सके और इस बारे में उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को पहले दे दी है जो अगस्त, 1968 से उसका अध्ययन कर रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो औषधियों के मूल्यों की जांच करने के लिए एक और समिति नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) औषधियों से सम्बन्धित कुछ समस्याओं पर विचार करने के लिये स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एव नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक समिति गठित की गई है।

(ख) जी हां, इस रिपोर्ट पर पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय अभी भी विचार कर रहा है।

(ग) अनौपचारिक औषधि समिति का कार्य क्षेत्र टैरिफ आयोग से भिन्न है। इस समिति का प्रयोजन और कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) अस्पतालों से दवाइयों की चोरियों को कम करने के उपाय सोचना ;

(2) औषधि उद्योग तथा व्यापार सरकार को नकली दवाइयों के अभियान के विरुद्ध किस ढंग की सहायता दे सकता है ; इस पर विचार करना ;

(3) सरकारी तथा अन्य अर्द्ध–सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों के लिये दी जाने•वाली औषधियों की कीमतें कैसे कम की जायें इस पर विचार करना ;

(4) जनता को पेटेण्ट तथा प्रोप्राइटरी दवायें समुचित मूल्यों पर किस प्रकार उपलब्ध कराई जायें, इस पर विचार करना ;

(5) औषधियों के नुस्खे विवेकपूर्ण ढंग से देने में आम डाक्टरों तथा विशेषतया अस्पताल में काम कर रहे चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त करना ताकि औषधियों के बिना कम किये जा सकें।

(6) औषधियों के नमूने तथा उनसे सम्बन्धित साहित्य के मुफ्त वितरण को कम करने के लिये औषध निर्माताओं के बीच तथा चिकित्सा व्यवसाय में एक स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार करने की सम्भावना पर विचार करना।

दिल्ली विकास अधिकरण में फ्लैटों का मूल्य

3936. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन ओर निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा समय समय पर बेचे जाने वाले फ्लैटों का मूल्य अत्यधिक था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्लैटों के मूल्यों में किराया–खरीद की अवधि के दौरान हुए प्रशासन तथा प्रबन्ध विषयक व्यय भी निर्माण व्यय में शामिल होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह राशि उन व्यक्तियों से भी वसूल की जाती है जो नकद भुगतान करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सहकारी ऋण समितियों को आवेदन

3937. **श्री विश्व नाथ मेनन** :
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री पी० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री वि० कु० मौडक :
श्री देवेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक को इसके द्वारा जारी किये गये उस आदेश की क्रियान्विति रोकने के लिये निदेश दिये हैं जो सहकारी ऋण समितियों और बैंकों द्वारा, भारत के रिजर्व बैंक में रखे गये बड़ी राशि के जमा खातों की समय और मांग के दायित्व के बारे में है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार भारत के रिजर्व बैंक को उक्त आदेश वापिस लेने के आदेश देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . संभवतः इस प्रश्न का संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों के नाम 20 जुलाई, 1966 को जारी किये गये उस परिपत्र से है जिसमें उसने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि एक मार्च, 1966 से बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयुक्ति) अधिनियम 1965 के लागू होने पर वेतन भोगी । कर्मचारी सहकारी ऋण समितियों की क्या स्थिति होगी । इस परिपत्र में रिजर्व बैंक ने इस बात का उल्लेख किया था कि वह इस प्रकार की समितियों के आबेदन पत्रों पर विचार करने के लिये तैयार है कि उन्हें बैंकिंग संस्थाओं से भिन्न संस्थाएं घोषित किया जाय बशर्ते कि वे अपने उप–नियमों में इस आशय का संशोधन करें कि वे

अपने षदस्यों से ही (जो सांकेतिक (नामिनल) या सहयोगी सदस्य न हों) रकमें मंजूर करेंगी और उन सभी व्यक्तियों की जमा रकमें वापस कर देंगी जो सदस्य न हों। इस संबंध में बिलकुल हाल की स्थिति आज के प्रश्न संख्या 3882 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में बतायी गयी है।

चौथी योजना में महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

3938. श्री देवराव पाटिल : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई जाने वाली बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा इन पर होने वाली अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डॉ० कु० ल० राव) : (क) और (ख) . चौथी योजना के दौरान महाराष्ट्र में नई बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिये योजना आयोग ने अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है जो अब चौथी योजना के मसौदे का पुनरावलोकन कर रहा है।

थानीरमुकोम बांध का निर्माण कार्य

3939. श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थानीरमुकोम बांध का निर्माण–कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) बांध के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . बायें किनारे पर वराज (शेरतली की तरफ) 31 पाट तक पूर्ण हो चुका है। दायें किनारे (वाचूर की तरफ) वराज पर कार्य चल रहा है। इसके 1972 की मानसून तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस भाग के पूरे होने पर लाभ प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे तथा बीच के एक तिहाई पाट में या तो बंध लगा दिया गया है अथवा उनमें काफर बांध लगा दिया गया है। बीच का एक–तिहाई भाग वराज हो या इसमें बंध लगा दिया जाए, इसकी पुन : जांच के लिए अध्ययन करने का प्रस्ताव है। यदि बंध लगाने पड़े तो अपेक्षाकृत बहुत कम कार्य करना पड़ेगा।

कोयम्बटूर जिले में कुंड टेलरेस जल का सिंचाई के लिये उपयोग

3940. **श्री उमानाथ :** **श्री नम्बियार :**
श्री के० रमानी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर जिले में सिंचाई के लिये कुंड टेलरेस जल का उपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार को तामिल नाडु सरकार से कोई रिपोर्ट मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने में इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं और इस योजना को अन्तिम रूप देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट के माल उतारने तथा चढ़ाने वाले अनुभाग में ठेका प्रणाली

3941. **श्री उमानाथ :**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट के सम्पूर्ण माल उतारने तथा लादने वाले अनुभाग में ठेका प्रणाली चल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार महिला कर्मचारियों को भी देर रात गये तक बहुत थोड़ी मंजूरी पर तथा कारखानों के नियमों के विरुद्ध कारखाने में काम पर लगाये रखता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस ठेका प्रणाली को समाप्त करने तथा प्रोत्साहन मंजूरी प्रणाली से विभागीय तौर पर ही काम कराने का है, जैसा कि इस कारखाने के "बैगिन्ग लांट" में होता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विषाक्त भोजन के कारण मौतें

3942. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 11 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 से जून, 1969 में देश में विषाक्त भोजन से वास्तव में कितनी मौतें हुई ; और

(ख) देश में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विषाक्त भोजन के मामले सामान्यतः खाद्यान्नों में मिलावट अथवा उनके दूषित होने तथा खान पान के स्थानों के अस्वास्थ्यकर होने के कारण होते हैं । ऐसे कदाचार के मामलों की जांच के लिये कानून लागू है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के गुणों की जांच करना होता है जबकि भण्डार, विषैले कीट नाशकों, पेस्टिसाइड्रों और कृन्तक नाशकों की बिक्री तथा उपयोग विष अधिनियम 1919 के द्वारा विनियमित होते हैं । खान-पान के स्थानों के लिये स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लाइसेन्स भी दिये जाते हैं और खुले रखे गये खाद्यान्नों की बिक्री पर प्रतिबन्ध भी लगाये जाते हैं ।

मैसूर की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

3943. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने हेमवती तथा कृष्णा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में पुनः विचार करेगी तथा इस राज्य की परियोजनाओं के लिये अतिरिक्ति धनराशि देना स्वीकार करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) योजना आयोग ने हेमवती परियोजना की स्वीकृति नहीं दी है । राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपरली कृष्णा परियोजना के लिए किसी सहायता के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) . सिंचाई परियोजनाएं राज्यों की विकासात्मक योजनाओं का भाग है और इनके लिये संबंधित राज्यों के बजटों में प्रावधान किया जाता है । चौथी योजना के दौरान, राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में है और किसी विशेष परियोजनाओं अथवा विकास शीर्षों से नहीं बंधी है । यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे जिन स्कीमों को आवश्यक तथा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रावधान अपनी वार्षिक योजना की समग्र सीमा के अन्तर्गत ही समंजन द्वारा करें ।

मैसूर की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3944. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) शून्य ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सिन्दरी में कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन बोनस योजना

3945. श्री गणेश घोष :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट में बैगिंग तथा नॉन–बैगिन्ग कारखानों के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों के लिये कोई प्रोत्साहन योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1965–66 में केवल उसी वर्ष के लिये कोई प्रोत्साहन बोनस योजना तैयार की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मजदूर संघों की सलाह से मजदूरों के लिये कोई स्थायी प्रोत्साहन बोनस योजना तैयार करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) . सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डियन बैंक आफ मद्रास, कनारा बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा दिये गय ऋण

3946. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इण्डियन बैंक आफ मद्रास ने कारिगरों और अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों को अब तक कितना ऋण दिया;

(ख) कनारा बैंक ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात बेरोजगार इन्जीनियरों को कितना ऋण दिया ;

(ग) स्टेट बैंक ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात फुटकर व्यापार व्यवसायियों, जिनमें दुकानदार और मरम्मत इत्यादि करने वाले यूनिट भी शामिल है, को कितना ऋण दिया ;

(घ) वर्ष 1968–69 में स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दक्षिण कनारा जिले में लघु उद्योगों को कुल कितना ऋण दिया ;

(ङ) प्रत्येक बैंक ने ऋणों को मंजूर करने से पूर्व औसतन कितना समय लिया ;

(च) कितने आवेदन अस्वीकार किये गये ; और

(छ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अक्टूबर में ऋण और जमा का अनुपात क्या था और यह गत वर्ष के इसी मास की अनुपात की तुलना में कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(छ) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन प्रस्तुत की गयी साप्ताहिक विवरणियों के आधार पर, अक्टूबर 1969 और अक्टूबर, 1968 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण और जमा के अनुपातों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

बैंक का नाम	**ऋण–जमा अनुपात**	
	अक्टूबर 1968 (25–10–1968 को)	**अक्टूबर 1969 (31–10–1969 को)**
1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	71.0 प्रतिशत	70.0 प्रतिशत
2. बैंक आफ इण्डिया	69.4 ,,	70.0 ,,
3. पंजाब नेशनल बैंक	61.0 ,,	58.9 ,,
4. बैंक आफ बड़ौदा	68.3 ,,	66.8 ,,
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	71.5 ,,	64.9 ,,
6. कनारा बैंक	74.0 ,,	75.5 ,,
7. यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	73.5 ,,	73.1 ,,
8. देना बैंक	65.0 ,,	60.5 ,,
9. सिण्डीकेट बैंक	73.0 ,,	83.1 ,,
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	72.0 ,,	66.9 ,,
11. इलाहाबाद बैंक	66.2 ,,	66.6 ,,
12. इण्डियन बैंक	73.7 ,,	74.3 ,,
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	69.8 ,,	73.1 ,,
14. इण्डियन ओवर सीज बैंक	65.9 ,,	67.1 ,,

A Day's Strike by Doctors Working Under D. V. C.

3947. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the doctors working under Damodar Valley Corporation had gone on a day's strike on the 2nd May, 1969 alongwith other doctors of Bihar in protest against the heinous murder of Dr. S. A. Murtza of Employees State Insurance Corporation's Hospital at Dalmianagar, in response to a call given by the Bihar Branch of the Indian Medical Association;

(b) if so, whether it is also a fact that the officers of the Damodar Valley Corporation have deducted one day's salary from the pay-bills of the doctors concerned for their observing the strike on that day;

(c) if so, whether it is also a fact that a demand has been made for the payment of the deducted amount of the salary in a resolution passed in the Annual Meeting of the Medical Association held in Muzaffarpur in the beginning of November 1969; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Damodar Valley Corporation Health Services Association intimated the Corporation that the Corporation's Doctors would observe strike of 2-5-1969 in protest against the brutal murder of Dr. S. A. Murtaza. On the advice of the Corporation to desist from the strike, the Association called off the strike as it would cause serious inconvenience to the D. V. C. Employees and their family members. However, some Doctors working in some of the formations, who could not get intimation in time, went on strike on that day.

(b) An employee is not entitled to any pay for absence from duty without leave. Considering the special circumstances, the Corporation decided that such of the employees, who participated in the strike and had drawn salary for that day, should apply for a day's leave as may be due

(c) The D. V. C. have no information regarding the resolution stated to have been adopted by Indian Medical Association at Muzaffarpur.

(d) Does not arise.

इन्डियन आयल कारपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा स्नेहक तेलों की बिक्री

3948. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन आइल कारपोरेशन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्नेहक तेल की कुल कितनी बिक्री की गई;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों में गैर सरकारी कम्पनियों को खुले बाजार में स्नेहक तेल की बिक्री की है, यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कुल कितनी बिक्री की गई; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम ने लुब्रीकेटिंग आयल्ज की वर्षवार निम्नलिखित बिक्री की थी :—

	("000 मीटरी टनों में)
1966	90
1967	129
1968	136

(ख) और (ग) विदेशी तेल कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों में लुब्रीकेटिंग आयल्ज की निम्नलिखित मात्राएं गैर सरकारी उद्यमों को बेची हैं :—

	('000 मीटरी टनों में)
1966	261
1967	291
1968	315

लुब्रीकेटिंग आयल्ज की बिक्री पर कोई पाबन्दी नहीं है। दोनों भारतीय तेल निगम तथा विदेशी तेल कम्पनियां अपने अपने विक्रय प्रबन्धों के अनुसार उपभोक्ताओं को लुब्रीकेटिंग आयल्ज बेचने में स्वतन्त्र है।

Out-of turn allotment of quarters to Government employees on Medical Grounds

3949. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees who applied for out-of-turn allotment of quarters on medical grounds;

(b) the number out of them of who have so far been allotted quarters; and

(c) the time by which allotment is likely to be made to the remaining employees ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K.K. Shah) : (a) From the 1st January, 1967 to the 16th May, 1968, 3,787 applications for allotment of quarters on out-of-turn basis on medical grounds in general pool in Delhi/New Delhi were received. A ban on the receip. of fresh applications on this account was imposed from 17th May, 1968 in order to examine the applications already received. Nearly 1,000 applications are still pending.

(b) and (c) Against sanctioned cases on medical grounds allotments have already been made in 881 cases while 471 sanctions are still pending. It has been decided to review all the pending sanctions for out-of-turn allotments by a Special Committee and the Committee is reviewing these cases. In cases where the Committee will recommend allotment after review, the allotments will be made within the quota of 12½% fixed for such allotments.

मैसूर राज्य में प्रसूती–गृह

3950. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कितने प्रसूती–गृह है;

(ख) उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में कितने सरकारी तथा स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) से (ग)। मैसूर सरकार से सूचना मांगी गई है, प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सहकारी ऋण संस्थाओं की मार्गदर्शी समिति का सम्मेलन

3951. श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राम मूर्ति :
श्री वि० कु० मोड़क :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सहकारी ऋण संस्थाओं तथा बैंकों की मार्गदर्शी समिति के कलकत्ता में 6 नवम्बर, 1969 को हुए सम्मेलन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन द्वारा क्या-क्या प्रमुख मांगें की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन की मुख्य मांग यह थी कि पश्चिम बंगाल के वेतन भोगियों / कर्मचारियों की सहकारी ऋण समितियों को न्यूनतम, नकद रकमें तथा तरल (लिविवड) प्रारक्षित निधियां रखने से सम्बद्ध बैंक विनियमन/अधिनियम, 1949 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया जाय।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 3882 के भाग (ख) और (ग) के उस उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जो आज दिया गया है।

कानपुर में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये गृहों के नियतन सम्बन्धी नियमों में संशोधन

3952. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि कानपुर में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये गृहों का नियतन सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जाये ताकि प्रतिरक्षा संस्थाओं के असैनिक कर्मचारियों को भी उनमें शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों में संशोधन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . जी, नहीं। यह योजना केवल ऐसे औद्योगिक कर्मचारियों के लिए है जो कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 की धारा 2 (एल) के अर्थ के अन्तर्गत आते हैं तथा उन लोगों के लिए है जो माइन्स एक्ट, 1952 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत काम पर लगाये गये है। योजना के क्षेत्र का अन्य श्रेणियों के लोगों के लिए विस्तार करने के विपरीत परिणाम होंगे।

उद्योग गृहों को ऋण

3953. श्री एस० आर० दामानी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद भी उद्योग गृहों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले की भांति पूरा किया जाता है;

(ख) जिन पार्टियों की आस्तियां अथवा आय 5 करोड़ से अधिक है उनकी ओर से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी धनराशि मांगी है; और

(ग) कितना कितना ऋण दिया गया है तथा किन शर्तों पर ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नीति यह है कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि सभी उत्पादक उद्यमों की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताएं पूरी होती रहें।

(ख) और (ग) . अलग-अलग असामियों के मामलों से सम्बद्ध जानकारी नहीं दी जाती है।

उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क

3954. श्री एस० आर० दामानी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : चालू वित्तीय वर्ष में जब से उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क लगाया है तब से उस पर कितना उत्पादन शुल्क इकट्ठा किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : चालू वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल 1969 से 30 सितम्बर, 1969 तक की सूचना उपलब्ध है, और उसके अनुसार रासायनिक खाद पर उत्पादन शुल्क की संग्रहीत रकम 835.04 लाख रुपये है।

विदेशी तेल कम्पनियों की तेलशोधन क्षमता में कमी

3955. श्री एस० आर० दामानी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी तेल कम्पनियां अपने तेलशोधक कारखानों के लिए अशोधित तेल कहां से लेती है;

(ख) क्या कम्पनियों के विदेशी मुद्रा के नियतन में हाल में कमी किये जाने से उनके तेलशोधक कारखानों का उत्पादन कम हो गया है और यदि हां, तो कितना; और

(ग) इससे तेल उत्पादन के लक्ष्यों पर तथा देश की आवश्यकता पूरी करने पर कहां तक कुप्रभाव पड़ा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) देश में इस समय विदेशी तेल कम्पनियां ईरान और साऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात कर रही हैं।

(ख) जून, 1969 से तीन विदेशी तेल कम्पनियों के, कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा नियतन में कटौती की गई है। इस कटौती के परिणाम स्वरूप, जन, दिसम्बर, 1969 के बीच उनके शोधन थ्रुपुट (उत्पादन) में लगभग 329,811 मीटरी टन की कमी होगी।

(ग) थ्रुपुट (उत्पादन) की कमी को अन्य शोधनशालाओं में उत्पादन बढ़ा कर पूरा किया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में नियुक्त करना

3956. श्री के० रमानी :
श्री प० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 नवम्बर, 1969 को भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में कितने नैमित्ति श्रमिक कार्य कर रहे थे;

(ख) "सेवा भंग" पर विचार किये बिना उनमें से कितने श्रमिकों ने कुल 264 दिन से अधिक काम कर लिया है,

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनी की यह नीति है कि वह नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में प्रक्रमों में नियुक्त करती हैं;

(घ) यदि हां, तो, 1967, 1968 तथा 1969 में कितने श्रमिकों को खपाया गया है; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ).. सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बर्मा आयल कम्पनी के कार्य का विस्तार करने का प्रस्ताव

3957. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी ने अपने कार्य का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार को पेश किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अस्पतालों के लिए औषधियों की पैकिंग

3958. श्री यशपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों के लिए नये पैकिंग के उनके सुझाव को भारत के औषध निर्माताओं ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें कौन कौन सी हैं; और

(ग) क्या वे सरकार को स्वीकार्य हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अस्पतालों से दवाइयों की छुटपुट चोरियों को कम करने के लिए क्या साधन अपनाये जायें इस पर इस उद्योग से अभी विचार विमर्श चल रहा है । अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

औषधियों पर मूल्य नियन्त्रण हटाना

3959. श्री यशपाल सिंह : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य निर्धारण हटाने के औषधि उद्योग के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ताकि उद्योग अपनी औषधियों पर मूल्य कम कर सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। औषध निर्माताओं को अपने उत्पादन के मूल्यों को कम करने से रोकने के लिए, औषध-मूल्य (प्रदर्शन एवं नियन्त्रण) आदेश में कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Opening of New Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3961. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Finance be pleased to state the names of the villages in Madhya Pradesh where Government propose to open new branches of the Nationalised banks ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : A Committee of bankers which recently examined the Branch Expansion Programme has drawn up a scheme for opening branches in unbanked centres in the country. Under the said scheme offices are proposed to be opened in 71 villages in Madhya Pradesh by the nationalised banks, the State Bank of India and one of its subsidiaries, before the end of 1970 (treating centres with population not exceeding 10,000 as villages). A list of such centres is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. L. T. 2373/69]. The report of the Committee is atpresent under examination in the Reserve Bank.

पोलिस्टर रेशे का उत्पादन

3962. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में प्रति वर्ष पोलिस्टर रेशे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में किस किस तारीख को कितने कितने लाइसेंस जारी किये गये तथा ये लाइसेंस किन किन कारखानों को जारी किये गये; और

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी पार्टी को सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कोई प्राथमिकता दी गयी थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क)

1966	2,550 मीटरी टन
1967	3,030 मीटरी टन
1968	4,698 मीटरी टन
1969	4,713 मीटरी टन

(जनवरी-अक्तूबर)

(ख) प्रति वर्ष लगभग 2,000 मीटरी टनों से 4,500 मीटरी टन तक विस्तार करने के लिए मैसर्स केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई को 27 मई, 1967 को

एक लाइसेंस दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित को आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं :—

		क्षमता प्रतिवर्ष (मीटरी टनों में)
(1)	मैसर्स दी अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग कैलिकोप्रिंटिंग कं०, लि०, बम्बई।	6,100
(2)	मैसर्स इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, बम्बई	6,100
(3)	मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	1,600
(4)	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं०, कानपुर	6,100

(ग) चौथे यूनिट का अनुमोदन करने में फाइबर के मांग के पैटर्न तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी गई थी। इसीलिए मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर को आशय पत्र दिया गया था, हालांकि दी पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डिवल्पमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (पंजाब का एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम) ने भी अमृतसर, पंजाब में चौथा यूनिट लगाने के लिए आवेदन पत्र दिया था।

नागपुर में चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का नियतन

3963. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में काम करने वाले चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार के क्वार्टर दिये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दो कमरे वाले क्वर्टर देती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या नागपुर में काम करने वाले चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी उसी टाइप के क्वार्टर देने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो किस तारीख से ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) नागपुर तथा अन्य स्थानों में 175 रुपये प्रति माह से कम परिलब्धियां लेने वाले कर्मचारी सामान्य पूल से टाईप I वास के अधिकारी हैं।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के टाइप I वास के 13,060 यूनिटों में से केवल 1,681 यूनिट दो कमरे वाले हैं।

(ग) नागपुर में सामान्य पूल में 160 टाईप I क्वार्टरों में से केवल 40 दो कमरे वाले हैं।

सरकार ने निर्णय किया है कि सामान्य पूल में भविष्य में टाईप I वास में रसोई तथा स्नान-गृह आदि के अतिरिक्त दो रिहायशी कमरे होने चाहिए।

सरकारी क्वार्टरों के नियतन के लिए प्रतीक्षा सूची

3964. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रेणीवार कितने सरकारी कर्मचारी सरकारी क्वार्टरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) प्रत्येक कर्मचारी को अपनी-अपनी श्रेणी में क्वार्टरों के नियतन के लिये कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ग) . वर्ष विशेष के लिए सामान्य पूल वास से आवंटन के लिए वर्ष के दौरान संभावित मकानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये आवेदन सीमित आधार पर मंगवाये जाते हैं। आवंटन वर्ष 1969 के लिये दिल्ली/नई दिल्ली से सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए आवेदन सीमित आधार पर मंगवाये गये थे तथा प्रत्येक टाइप में प्राथमिकता की तारीख तथा सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो सरकारी वास की सीमित आधार पर प्रतीक्षा में हैं, निम्न प्रकार हैं :—

टाइप	जिस तारीख की प्राथमिकता तक आवेदन मंगवाए गए	आवंटन की प्रतीक्षा में सरकारी कर्मचारियों की संख्या
I	31-12-1958	2,557
II	31-12-1955	3,904
III	31-12-1948	556
IV	31-12-1948	1,394
V	31-12-1964	594
VI	31-12-1962	50
VII	अब तक	35
VIII	अब तक	7
	कुल :-	9,097

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास में साधनों की उपलब्धता के भीतर सरकार अतिरिक्त रिहायशी यूनटों के बनाने का प्रयत्न कर रही है। तथापि, यह कहना सम्भव नहीं होगा कि ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकारी वास कब तक उपलब्ध कर दिया जायेगा।

Drinking water problem in Hilly districts of U.P.

3965. Shri J. B. S. Bist : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to solve the problem of drinking water during Gandhi Centenary year;

(b) if so, the measures being adopted to solve the problem of drinking water in all the eight hill districts of Uttar Pradesh;

(c) the number and the names of the schemes approved during the period from the 1st January, 1966 to the 31st October, 1969 for these districts under Rural Water Supply Scheme;

(d) the number and the names of the approved schemes the work in respect of which has been completed by now and of those in respect of which the work is still in progress;

(e) whether any scheme pertaining to these districts is under consideration of Government; and

(f) if so, the details thereof and the time by which a final decision will be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (f) . The responsibility for the provision of drinking water in hilly districts of Uttar Pradesh is that of the State Government It is also the responsibility of the State Government to formulate water supply schemes, determine the priorities and outlays for such schemes and to execute them. Further during the period of the Fourth Plan (from 1969-70 onwards) there will be no schematic assistance and the States will get block loans and block grants for all State Plan Schemes without reference to any particular programme/scheme.

स्थानान्तरण के बाद लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर में अधिक देर ठहरना

3966. श्री रामावतार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बाई नगर में एच० ब्लाक में ऐसे कितने क्वार्टर हैं जो ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में है जिनका तीन महीनों से अधिक अवधि पहले अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है;

(ख) उनको किन परिस्थितियों में क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा रही है;

(ग) उनसे क्वार्टर खाली करवाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) ये क्वार्टर कब तक खाली हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) . आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर आवंटी अपने पास दखल के सामान्य पूल वास को दो महीने की अवधि तक रख सकता है । यदि रियायती अवधि को पूरा करने के बाद वास खाली नहीं होता है तो पब्लिक प्रीमिसेज (एविकशन आफ अनआथराइज्ड आक्यूपेंट्स) एक्ट, 1958 के उपबन्धों

के अन्तर्गत खाली करने की कार्यवाही आरम्भ की जाती है। ऐसे दो मामले हैं जिनमें लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली के "एच" ब्लाक में क्वार्टरों के आवंटियों ने रियायती अवधि पूरी कर लेने के बाद क्वार्टर खाली नहीं किये तथा खाली करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। इन दोनों मामलों में एक्ट के उपबन्धों के अनुसार 'कारण बताओ' (शोकॉज) नोटिस जारी कर दिये गये है। एक्ट के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को यह बताने का एक अवसर दिया जाता है कि उन्हें परिसर से खाली क्यों न कराना चाहिए तथा इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई तथा यदि कोई साक्षी, गवाह आदि है तो उन्हें प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है। ऐसे मामलों में इन स्थितियों के पूरा हो जाने के बाद ही सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी अन्तिम आदेश जारी कर सकता है। सामान्यतः इस प्रकार की कार्यवाही में तीन महीने लग जाते है। जब कभी पार्टियां कार्यवाही का विरोध करती हैं तो कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में और अधिक समय लग जाता है। पार्टियों को डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करने का अधिकार है तथा जिन मामलों में अपील दायर कर दी जाती है, तो अपील के खारीज होने के बाद ही, खाली कराने की कार्यवाही की जाती है। जब ये सभी स्थितियां पूरी हो जायें केवल तभी पार्टी को शारीरिक रूप से परिसर से हटाया जा सकता है।

इनमें से एक मामले में आवंटी की पत्नि पात्र कार्यालय में कार्य कर रही है तथा क्वार्टर को अपने नाम में नियमतीकरण के लिए अभ्यावेदन किया है, तथा उसके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

ब्रिटेन में श्री मूंदड़ा द्वारा विदेशी मुद्रा का लेन-देन

3967. श्री अर्जुन सिंह भदौदिया : क्या वित मन्त्री 25 अगस्त, 1969 के अरारांकित प्रश्न संख्या 4733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिदास मूंदड़ा और ब्रिटेन में स्थित उनकी फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा के सौदों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस मामले में पूछ-ताछ अभी भी की जा रही है जिसमें श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का उल्लंघन किये जाने का सन्देह है।

किलिक-निक्सन समवाय समूह

3968. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मन्त्री 11 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापड़िया समूह द्वारा किलिक-निक्सन समवाय समूह को हथिया लेने के बारे में किये जा रहे जांच-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा कापिड़या समूह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . जांच-पड़ताल अभी भी जारी है । जांच-पड़ताल में कई वर्षों की खाता-बहियों की छान-बीन और साथ ही अन्य स्रोतों से पूछताछ तथा तस्दीक की जानी है । जांच-पड़ताल पूरी होने में कुछ समय लगेगा ।

सीमाशुल्क अधिकारियों को निलम्बित किया जाना

3969. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने सीमा-शुल्क अधिकारियों को निलम्बित किया गया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को 1. छः महीने, 2. एक वर्ष, 3. दो वर्ष, 4. तीन वर्ष, और 5. तीन वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित रखा गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कर्मचारी को औसतन कितने समय तक निलम्बित रखा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Funds for Irrigation Schemes in Kerala

3970. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Irrigation and Powcr be plersed to ntate :

(a) whether it is a fact that the Kerala Government has requested the Central Governmet to make Rs. 2 crorres available to the State immediately for its 6 major irrigation scheme ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) A proposal to provide specil assistance of Rs. 1.5 crores to Pamba and Kuttiadi projects during the current financial year is under consideration.

श्री तुलसी दास किला चन्द उद्योग समूह, किलिक समूह, साहू जैन तथा जे० के० सिंघानिया फार्मों के पास जीवन बीमा निगम की पूंजी तथा अंश

3971. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने तुलसीदास किलाचन्द उद्योग समूह, किलिक, साहू-जैन तथा जे० के० सिंघानिया फर्मों में कुल कितनी-कितनी पूंजी लगाई हुई है तथा उसके कितनी-कितनी राशि के अंश उन फर्मों के पास हैं ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : साहू जैन आर जे० के० (सिंघानिया) समूहों के बारे में मांगी गयी सूचना निगम के 31–3–1969 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा में दी हुई है जिसे सदन की मेज पर रखा जा चुका है। सुचना इस प्रकार है :–

व्यापार समूह	समूह में जीवन बीमा निगम के कुल निवेश (लाख रुपयों में)
जे० के० (सिंघानिया)	7,37.77
किलाचन्द (तुलसीदास)	32.93
किलिक	6,30.96
साहू जैन	2,76.77

Branches of Nationalised Banks in Yeotmal District Maharashtra

3972. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of the branches of nationalised banks operating in Yeotmal District of Maharashtra; and

(b) the number of new branches of these banks propoaed to be opened and the names of the places in rural and urban areas of Yeotmal District where these are to be opened during 1970 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Four nationalised banks with seven offices are operating in Yeotmal District, in addition to the State Bank of India has seven offices in the district.

(b) None of the nationalised banks have applied to Reserve Bank so far for lience to open any branch in the rural and urban areas of Yeotmal District in 1970. However, an office of a public sector bank is expected to be opened in the district at Ghatanji, a rureal centre, before the end of December, 1970.

प्रतिरक्षा लेखा विभाग में एक सहायक लेखा अधिकारी की एक स्थान पर नियुक्ति का समय

3973. श्री नि० रं० लास्कर : क्या वित्त मंत्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन को सुचारु ढंग से चलाने के उद्देश्य से सहायक लेखा अधिकारी के एक स्थान पर नियुक्त रहने की समय–सीमा निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि दिल्ली में नियुक्ति के समय को अधिक लम्बा न होने देने के लिये एक संगठन से दूसरे संगठन में उनका तबादला किया जाता है, तबादला करने के प्रयोजन से दिल्ली में उनकी नियुक्ति के पूरे समय को न गिनने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन अधिकारियों के तबादले का मामला इस समय किस अवस्था में है जिनके तबादले के आदेश रद्द कर दिये गये थे अथवा जो गत 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में हैं ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) प्रशासनिक दृष्टि से, यह अनावश्यक समझा गया है कि सहायक लेखा अधिकारी की एक स्थान पर तैनाती की कोई निश्चित अवधि मुकर्रर की जाय, क्योंकि सक्षम अधिकारी, दक्ष और परिष्कृत प्रशासन के हित में, जब भी आवश्यक समझे, स्थानान्तरण के आदेश दे सकते हैं।

(ख) जैसाकि उपर्युक्त (क) में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी कभी भी किसी भी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर सकता है, इसलिये किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से बच निकलने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक अधिकारी के स्थानान्तरण का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से जब और जैसे आवश्यक समझा जायगा, किया जायगा।

भारत में चीन का माल चोरी छिपे लाया जाना

3974. श्री भारत सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि चीन में बने चीनी मिट्टी के बर्तन, फाउन्टेन पैन, रेशम, घड़ियां आदि खुलेआम बाजार में बेची जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की पूछताछ की है कि दुकानदार इन वस्तुओं को कहां से लाते हैं ; और

(ग) इन की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और भारत में इन वस्तुओं को चोरी छिपे लाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . सरकार को ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली हैं कि चीन में बने चीनी मिट्टी के बर्तन, फाउन्टेन पेन, रेशम, घड़ियां आदि बाजार में खुले आम बिकती हैं। लेकिन ऐसी रिपोर्ट मिली है कि फाउन्टेन पेन, घड़ियां यांत्रिक लाइटर, थरमस फ्लास्क और रेशमी कपड़े जैसा चीनी सामान, जिसे यात्री अपने असबाब के रूप में लाते हैं और जो चोरी-छिपे रूप में नेपाल से भी भारत में लाया जाता है, छोटे-छोटे दुकानदारों और फेरीवालों द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके बेचा जाता है।

(ग) सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभाग के निवारक एकक गुप्त सूचना इकट्ठी करते हैं और इस प्रकार के सामान को बहुत अधिक मात्रा में जमा करने के लिये प्रयुक्त होने वाले स्थानों पर छापे मारते हैं। इस प्रकार के सामान को भारत में आने से रोकने के लिये भारत-नेपाल सीमा पर बहुत सी चौकियां कायम की गई हैं। सामान जब्त करने के अलावा दंड भी लगाये जाते हैं। बहुत अधिक सामान से संबंधित मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है।

बम्बई हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के एक अधिकारी की गिरफ्तारी

3975. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हवाई अड्डे में इन्डियन एयरलाइन्स के एक वरिष्ठ अधिकारी को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत में अन्य हवाई अड्डों पर भी इस प्रकार की गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बम्बई हवाई-अड्डे पर इन्डियन एयरलाइन्स के किसी भी अधिकारी को हाल ही में गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 153 कलाई घड़ियां चोरी छिपे लाने के सिलसिले में इन्डियन एयरलाइन्स के एक फ्लाइंग स्ट्युअर्ड को मार्च, 1969 में डम डम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था ।

Underground Drains in Patna

3976. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that underground drains have been constructed in Patna town for draining out the filthy water ;

(b) if so, the mileage drains constructed and the total expenditure incurred thereon ;

(c) whether it is also a fact that even after the construction of the drains the filthy water is not drained out and knee and waist deep water accumulates in almost whole of the town during rains and if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that there have been some technical defects in the construction of the said drains and if so, whether Government have framed any scheme for removing those defects ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e) . The required information is awaited from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Demands of Damodar Valley Corporation workers

3977. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers of the Damodar Valley Corporation have decided to go on strike in order to get their demands conceded ;

(b) if so, the details of there demands ; and

(c) The reactions of Governments thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) . **The Damodar Valley Corporation Karamchari Sang, one of the recognised Unions, has given a notice of their intention to go on strike from 8th December, 1969. Their principal demands related to pay revision, payment of an ad-hoc increase of Rs. 10 to all workers, payment of educational allowance up to the degree standard, employment of muster roll employees as workcharged staff, payment of extra wages to those who did not participate in an earlier strike on 12 10-1966. These demands were discussed and amicably settled by the Damodar Valley Corporation. The Karamchari Sangh has agreed to withdraw the strike notice.**

कोयले का उत्पादन

3978. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान ताथ धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कुल कितना कोयला निकाला गया था ;

(ख) 1965 में वास्तव में कितना कोयला निकाला गया था ;

(ग) क्या इस समय कोयला बाजार में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है ; और

(घ) कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं की 1952 तथा 1959 में संख्या कितनी कितनी थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1965 के कैलेन्डर वर्ष के लिये कोयले के उत्पादन का लक्ष्य कभी भी निर्धारित नहीं किया गया था । तथापि, कोयला उत्पादन तथा परिवहन पर एक कार्यकारी दल द्वारा किये गये मांग के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 1962 के प्रारंभ में तीसरी योजना (1965–66) के लिये लक्ष्य मूलत 986.5 लाख मैट्रिक टन निश्चित किया गया था । मांग का एक विस्तृत मूल्यांकन 1964 में फिर से किया गया और 1965 में इस पर पुनर्विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि 1965–66 में कोयले की आवश्यकताएं केवल 6561 लाख मैट्रिक टन की होगी ।

(ख) 1965–66 में 6771 लाख मैट्रिक टन कोयला उत्पादित हुआ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1952 में अवर तकनीकी कर्मचारियों के खनन में प्रशिक्षण के लिये पांच प्रशिक्षण स्कूल चलाता था । इनमें से दो स्कूल रोजगार तथा

प्रशिक्षण के महानिदेशालय द्वारा 1965 में अपने अधिकार में लिये गये और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा कोयला खनन उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति के परामर्श तथा सहमति के साथ बनाई गई योजना के अनुसार इन्हें खान यन्त्रीकरण प्रशिक्षण शालाओं के रूप में रूपान्तरित किया गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग में कमी के कारण से बाकी के स्कूल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बन्द कर दिये गये है।

रोजगार तथा प्रशिक्षण के महनिदेशालय द्वारा चलायी जा रही प्रशिक्षण शालाओं में दाखिले के लिये उम्मीदवारों की कमी के कारण से 1969 में प्रारंभ हुए सत्र में कोई कोर्स प्रारंभ नहीं किया जा सका।

भारत में विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश की सम्भावनाएं

3979. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भारत में और विदेशी पूंजी निवेश की सम्भावनाओं के लिए वाशिंगटन गये थे ;

(ख) क्या हनोई स्थित भारत के राजनयिक प्रतिनिधि का दर्जा बढ़ाने के सरकारी निर्णय पर जिसके कारण भारत वियतकांग के अधिक निकट जा रहा है, व्यापारियों ने चिंता व्यक्त की थी ; यदि हां, तो इस प्रकार की आशंका को दूर करने के लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत के लिए अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त करने और भारत में विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में उनके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री प्र० चं० सेठी**) : (क) बरबाडोस में 25 और 26 सितम्बर, 1969 को राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिये जाते समय, मैं रास्ते में वाशिंगटन रुका था जहां मैंने विश्व बैंक के अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक और अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक हितों के मामलों के बारे में विचार-विमर्श किया था। इस यात्रा का उद्देश्य अतिरिक्त सहायता अथवा विदेशी पूंजी प्राप्त करना नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशों में न्यायाधीशों के खाते

3984. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीशों की भारत से बाहर अन्य देशों में अपने नाम में अथवा अपनी पत्नी अथवा पुत्रों के नाम में राशि जमा है ;

(ख) क्या उन सब ने अपनी जमा राशि और उसका ब्यौरा बता दिया है जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अनुसार अपेक्षित है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से कोई कार्यवाही करने का है कि इस प्रकार जमा राशि को भारत में लाया जाये ;

(घ) क्या न्यायाधीशों से उनकी भारत से बाहर जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या भारत से बाहर जमा राशि से सम्बन्धित किसी मामले की जांच की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . विदेशों में खोले गये खातों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर नहीं रखे जाते। फिर भी यदि किसी खास व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जाय तो दी जा सकती है।

(ग) और (घ) . जी, नहीं। विदेशों में खाते खोलने-रखने के बारे में जो सामान्य वैधिक व्यवस्था है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होती है।

(ङ) जी, नहीं।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में वास्तुशास्त्रियों को दी गई राशि

3985. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा एक अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त वास्तुशास्त्री को अपने कार्य के निष्पादन के लिये सामान्यतः कितने प्रतिशत कमीशन राशि दी जाती है ;

(ख) क्या इस प्रतिशत में पर्यवेक्षण शुल्क भी शामिल है ; और

(ग) इस वित्तीय वर्ष में अब तक उनके मन्त्रालय के सभी वास्तुशास्त्रियों को अनुमानतः कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस मन्त्रालय में प्रतिशत के आधार पर वास्तुकों को अदायगी नहीं होती। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अलग से एक वास्तुक खण्ड कार्य कर रहा है। इस खण्ड के अधिकारी स्वीकृत पदों पर प्रति माह के वेतन पर नियुक्त हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्माण के वास्तु सम्बन्धी भाग की वे देख भाल करते हैं।

(ख) और (ग) . उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

3986. श्री राम चरण : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 1969 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में श्रेणी 2 के कुछ क्लर्क नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने रिक्त पद भरे गये हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षित थे ; और

(ग) क्या सभी आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों को नियुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . भारतीय स्टेट बैंक में सभी लिपिकों को बिना किसी वर्गीकरण के लिपिक के नाम से नियुक्त किया जाता है ।

अनुमानित खाली पदों को भरने के लिये अक्टूबर, 1969 में, लिखित परीक्षा और प्रत्यक्ष भेंट (इण्टरव्यू) के बाद 212 प्रत्याशी चुने गये थे इनमें से अब तक 197 पद भरे जा चुकें हैं । 12½ प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रखे गये थे ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के 158 प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा और प्रत्यक्ष भेंट के लिये बुलाया गया था और इनमें से उन 11 प्रत्याशियों की नियुक्ति कर दी गयी है जिन्होंने लिखित परीक्षा और प्रत्यक्ष भेंट में न्यूनतम अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) प्राप्त किये थे । चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अन्य प्रत्याशी न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त न कर सके, इसलिये शेष आरक्षित पदों पर किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

Raising of the Status of Income Tax Office in Patna

3987. Shri Ram Avatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the status of the Income-tax Office in Patna town has been raised to the district level;

(c) if so, whether it is also a fact that even after raising the status of this office no expansion has been made therein with the result that the tax-payers and the office-employees have to face a good deal of inconvenience;

(c) whether it is also a fact that there are no proper seating arrangement for the tax-payers and their advocates;

(d) if so, whether Government have drawn up any scheme for the expansion of the said office and for making proper seating arrangements for the tax payers; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministrry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. The jurisdiction of Income-tax Circle Office Patna, since its very inception, has covered the whole of the revenue district of Patna;

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. Separate rooms, with necessary furniture, have been provided for advocates and for the assessees.

(d) and (e). Do not arise.

Provision of Winter Uniforms to Nurses of Government Hospital in Delhi

3988. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Honsing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the nurses of Central Government Hospital in Delhi are not provided with winter uniforms and they were summer uniforms even during the winter season; and

(b) if so. the reasons therefor and whether Government would look into the question of providing winter uniforms to the nurses in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Government does not provide uniforms to the nurses working in the hospital in Delhi. However a Uniform allowance is given to all the nurses, and they are required to wear the prescribed uniforms. The uniform prescribed for winter includes a woolen oaydigan and a cape. The rules will be enforced.

Revision of pay scales of staff car drivers of Delhi Hospitals

3989. Shri Nihal Singh :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have received any representations demanding revision of Pay scales of staff car drivers of the Delhi.hospitals from Rs. 110-139 to Rs. 110-180 during the last five years; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works. Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Some representations were received in respect of Government hospitals.

(b) There are two pay scales for the drivers working in the Government hospitals namely, Rs. 110-180 for the drivers of heavy vehicles and Rs. 100-139 for drivers of light vehicles. This difference in scbales is due to the varying nature of duties performed by the drivers of heavy vehicles and those of light vehicles. Government duly considered the representations but it was not found possible to accept them.

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की एक नर्स (परिचारिका) द्वारा आत्महत्या

3990. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 25 नवम्बर, 1969 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, की एक परिचारिका नर्सों के होस्टल में बेहोश पायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो वह किन परिस्थितियों में बेहोश हुई थी; और

(ग) उस परिचारिका की हालत क्या है और परिचारिकाओं की अधिक परवा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). 23 नवम्बर, 1969 को सफदरजंग अस्पताल की एक महिला स्टाफ नर्स अपने कमरे में अचेत अवस्था में पायी गई। स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट दी गई और नर्स का अस्पताल में पूरा इलाज किया गया। 26 नवम्बर, 1969 को उसकी मृत्यु हो गई। किन हालात में उसकी मृत्यु हुई इसकी जांच के लिये और भविष्य में ऐसी घटनाओं की सम्भावना को रोकने के हेतु सुझाव देने के लिए एक जांच बोर्ड गठित किया गया है।

परिवार नियोजन विभाग में प्रथम श्रेणी के पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरा जाना

3991. श्री गुणानन्द ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के परिवार नियोजन विभाग में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने पद हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं भरे गये और उनके वेतन मान, अर्हताएं और कर्तव्य क्या हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के चयन के लिये कब अनुरोध किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2374/69]**

(ख) निम्नलिखित पदों की नियुक्ति के लिए अनुरोध-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को पहले ही भेज दिए गये हैं :—

(1)	सम्पर्क अधिकारी	–	3 पद
(2)	सिस्टम डवलपमैंट प्लानर	–	1 पद
(3)	एनालिस्ट	–	2 पद

केन्द्रीय परिवार नियोजन दल के अन्तर्गत अवैतनिक पदों के अलावा शेष पदों के नियुक्ति नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन नियमों के तैयार होने पर ये पद नियमित आधार पर यथाशीघ्र भर लिए जाएंगे। जहां तक केन्द्रीय परिवार नियोजन दल के अवैतनिक पदों का सम्बन्ध है, इस योजना में रिटायर्ड मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम की कारगर क्रियान्विति में उनके मूल्यवान अनुभव का उपयोग किया जा सके। गृह मन्त्रालय से सलाह लेकर फिलहाल केवल एक अवैतनिक पद, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तदर्थ आधार पर भरा गया है। वर्तमान अधिकारी को इस अवधि के बाद रखने का निर्णय किया गया तो संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति ले ली जाएगी।

Central Grants to State of Bihar

3992. Shri Kedar Paswan : Will the Minister of Finance be pleaseed to state :

(a) the details of the amount of grant given by Central Government to Bihar State annualy during the last three years; and

(b) in case no grants are given, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) **The details of grants given by the Government of India to the Government of Bihar during the last three year are :-**

(in crores of rupees)

	1966-67	1967-68	1968-69**
Grants for Plan schemes (State Plans and Centrally sponsored).	14.94	14.83	16.96
Grant in lieu of tax on railway fares.	1.62	1.62	1.62
Other grants for various non-Plan Schemes.	4.44	12 86	1.20
	21.00	29.31	19.78

*Approximate.

(b) **Does not arise.**

तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतिबन्ध हटाना

3993. श्री रवि राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंजीनियरों में बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से रिक्त तकनीकी पदों को भरने पर लगे सामान्य प्रतिबन्ध को शीघ्र हटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जो तकनीकी पद खाली पड़े हों उनको भरने पर कोई आम रोक नहीं हैं। 1966 में, व्यय में बचत करने के उपाय के तौर पर यह निर्णय किया गया था कि छः महीने अथवा इससे अधिक समय से खाली पड़े तथा भविष्य में खाली होने वाले पदों को तब तक नहीं भरा जाय जब तक प्रत्येक वर्ग अथवा संवर्गों में स्वीकृत कर्मचारी संख्या में तीन प्रतिशत की कमी नहीं कर ली जाय। जिन तकनीकी पदों पर भरती अमूमन इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा पास व्यक्तियों में से की जाती, उन पर से यह रोक, इंजीनियरों में बेरोज़गारी को कम करने के लिए जन 1968 में हटा ली गयी है।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा राज्यपालों की विदेशी बैंकों में जमा धनराशि

3994. श्री अदिचन :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों और राज्यपालों की विदेशों में फर्मों और बैंकों में क्रमशः कितनी-कितनी पूंजी जमा है;

(ख) उक्त धनराशि जमा करने वाले मन्त्रियों/राज्यपालों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त धनराशि पर कर लगाया जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विदेशों में खोले गये खातों के सम्बन्ध में आंकड़े खातेदारों के व्यवसाय के आधार पर नहीं रखे जाते । यदि किसी खास व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जाय तो दी जा सकती है ।

(ग) जिन निवासियों पर सम्पत्ति-कर लगता है उन्हें अपने आयकर विवरण में बैंकों में अपनी जमा रकमों का हिसाब दिखाना पड़ता है चाहे वे रकमें भारत में जमा हो या विदेशों में । विधि सम्बन्धी इस व्यवस्था से कर दायित्व सुनिश्चित हो जाता है ।

किसानों को ऋण

3995. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधायें बहुत कम है और उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिये पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं में बहुत धन व्यय करना पड़ता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों को दी जाने वाली अवैध परितुष्टि भी शामिल है, जो ऋण का प्रायः 40 प्रतिशत भाग होता है; और

(ख) गरीब और अक्सर अशिक्षित किसानों की उक्त व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये और राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये जाने वाली ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि 14 मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधायें कम हैं । बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि-क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि, किसानों को ऋण का एक काफी बड़ा भाग जाब्ते की कार्रवाइयों को पूरा करने पर, जिसमें अधिकारियों को रिश्वत देना भी शामिल है, खर्च करना पड़ता, सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है । फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सारे मामले पर विचार किया जा रहा है ।

लेकिन यह कहा जा सकता है कि बैंकों को, जमीन की जमानत के आधार पर ऋण देते समय, इन बातों का पता लगाने में अत्यावश्यक सावधानी बरतनी पड़ती है कि क्या उधारकर्ता का सम्पत्ति पर निर्बाध अधिकार है और क्या सम्पत्ति पर पहले कोई अभिभार (इन्कम्बैरस) तो नहीं है।

(ख) बैंक, शाखाओं में अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करके और क्षेत्र-अधिकारियों के लिये यह जरूरी करके कि वे विभिन्न स्थानों पर जायं और कृषकों की जरूरतों का अध्ययन करें और ऋण प्रस्तावों आदि को भरने में उनकी सहायता करें, कृषकों की सहायता करने के लिये अब कदम उठा रहे हैं। आवेदनपत्रों को प्रादेशित भाषाओं में भी छपवाया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों में हुई वृद्धि का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

निम्न तारीखों को	कुल स्वीकृत सीमाएं		निम्नलिखित के सम्बन्ध में बकाया रकम			
	खातों की संख्या	राशि	कुल कृषि ऋण खातों की संख्या	राशि	कृषकों को सीधे दिया गया धन खातों की संख्या	राशि
27-6-69	143781	161.23	126741	62.38	122989	29.14
26-9-69	200503	207.13	187200	91.12	178218	42.71

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के जुर्माने का माफ किया जाना

3997. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन कम्पनियों ने अब तक आय-कर अधिनियम की धारा 35 (ग) का लाभ उठाया है; और

(ख) उन कम्पनियों के उत्पादन का कुल मूल्य कितना है और धारा 35 (ग) के अन्तर्गत कितनी कटौती की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का दिल्ली से स्थानान्तरण

3998. **श्री सिद्धय्या** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का बड़ी संख्या में दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि तीन वर्ष की अवधि के पश्चात उनका पुनः दिल्ली स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर डाक्टरों का दूसरा जत्था भेजा जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ राज्यों में प्रति किलोवाट बिजली की उत्पादन लागत

3999. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तापीय तथा पन-बिजली संयंत्रों में बिजली की प्रति किलोवाट औसत उत्पादन लागत क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : पन-बिजली तथा तापीय बिजली के उत्पादन की औसत लागतें नीचे दी जाती हैं :—

राज्य/संघीय प्रदेश	उत्पादन की औसत लागत	
	पन-बिजली (पैसे/यूनिट)	तापीय (पैसे/यूनिट)
असम	9.0	17.0*
बिहार	(पन-बिजली का कोइ उत्पादन नहीं)	8.83
उत्तर प्रदेश	4.0	7.50
पश्चिम बंगाल	8.0	5.61
दिल्ली	(पन-बिजली का कोई उत्पादन नहीं)	11.20

*डीज़ल केन्द्रों तथा नाहरकटिया तापीय विद्युत केन्द्र की औसत उत्पादन लागत।

Selection Grade Daftaries

4000. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Selection Grade Daftaries are appointed from amongst the Daftaries or peons and Jamadars or they are directly recruited ;

(b) if Selection Grade Daftaries are appointed from amongst the peons and jamadars, the reasons for which they are not appointed from amongst the Daftaries ;

(c) whether it is a fact that the peons and Jamadars attached to the Ministers and high officers are promoted to the Selection Grade by the said officers and Minister at the time when these Ministers and officers retire consequent to which the seniority of the Daftaries is affected ; and

(d) if so, the reasons therefor and steps proposed to be taken by Government to end this irregularity ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Selection Grade Daftaries are to be appointed from amongst the Daftaries and there is no direct recruitment.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The information will be collected from the various Ministries and laid on the Table of the House as early as possible.

अतारांकित प्रश्न संख्या 3132 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION IN ANSWAR TO UNSTARRED QUESTION NO. 3132

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : हुंडियों के लेन देन के बारे में माननीय श्री सीताराम केसरी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3132 के उत्तर में मैंने 1 दिसम्बर, 1969 को कहा था कि इस मामले में बम्बई सर्राफा संघ की ओर से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अब पता चला है कि बम्बई सर्राफा संघ से जुलाई 1969 में एक अभ्यावेदन, आय-कर अधिनियम की धारा 40 ए (3) के उपबन्ध के प्रवर्तन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उस उपबन्ध में, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा लब्धियों का हिसाब लगाने में ऐसे किसी व्यय को हिसाब में नहीं लेने की व्यवस्था है, जिसमें 2500 रुपये से अधिक रकम का भुगतान किया गया हो और वह बैंक के रेखांकित चैक अथवा ड्राफ्ट से भिन्न प्रकार से किया गया हो। बम्बई सराफा संघ के अभ्यावेदन में उपर्युक्त उपबन्ध के प्रवर्तन में से, व्यापारिक व्यय के लिये दर्शनी हुण्डी द्वारा किये गये भुगतान को निकाल देने का निवेदन है। माननीय सदस्य श्री सीताराम केसरी की दृष्टि में प्रश्न करते समय सम्भवतः यही अभ्यावेदन था।

2. बम्बई सर्राफा संघ के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जा रहा है, और आशा है कि इस मामले में निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा।

3. उस प्रश्न के उत्तर में मुझ से असावधानी से इस अभ्यावेदन का हवाला नहीं देने की भूल हुई है, जिसका मुझे खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता में बैंक में डकैती

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि लखनऊ तथा गाजियाबाद में डाली गई दो डकैतियों के बारे में भी माननीय मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हैं तो उन्हें भी साथ ही ले लिया जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षक प्रस्ताव केवल भारतीय स्टेट बैंक की कलकत्ता शाखा में हुई डकैती से सम्बन्धित है तथा अन्य किसी बात से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप कोई अन्य प्रस्ताव लाते है कि यदि देश में डकैतियां एक आम बात हो गई है तो इसके बारे में प्रातः एक घण्टे की चर्चा क्यों न की जाये ? श्री बसु को केवल इसलिये रुष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह कलकत्ता का मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके कथन के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मैं समस्त भारत के तथा बंगाल के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का उल्लेख कर सकता हूँ ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस डैकेती के बारे में आप इतने चिन्तित क्यों हैं ? यह भारतीय स्टेट बैंक में डाली गई डकैती का मामला है, आपको इस बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ;

"12 दिसम्बर, 1969 को कलकत्ता स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा में 4.6 लाख रुपये लूट लिये जाने का समाचार"

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, 12 दिसम्बर, 1969 के उस डाके के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहूंगा जो कलकत्ता में भारतीय स्टेट बैंक की रसैल स्ट्रीट स्थित शाखा में पड़ा था। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त तथ्य इस प्रकार हैं :

12 दिसम्बर, 1969 को प्रातः 9 बज कर 50 मिनट पर एक लारी में 10 व्यक्तियों का एक गिरोह शाखा में पहुँचा। ज्यों ही "स्ट्रांग रूम" से नकदी और प्रतिभूतियां आदि निकाली गयीं और "स्ट्रांग रूम" को बन्द कर दिया गया त्योंही सात या आठ व्यक्ति शाखा के अन्दर दाखिल हुए और उन्होंने इधर-उधर कई गोलियां चलायीं। उनमें कुछ व्यक्ति नकदी के काऊंटर पर चढ़ गये और बन्दूक दिखा कर रक्षक (गार्ड) और कर्मचारियों को रोके रखा तथा नकदी विभाग के कक्ष से नकदी से भरे तीन तालाबन्द बक्से ले गये। एक अन्य व्यक्ति लिपिक (क्लेरिकल) अनुभाग में घुस गया और शेयरों और प्रतिभूतियों से भरा बक्सा ले गया। कुल मिलाकर 4,62,218,65 रुपये का नकद नुकसान हुआ।

बैंक का एक रक्षक, तौरण बहादुर मारा गया और एक अन्य रक्षक सहित चार अन्य कर्मचारी घायल हो गए। हमलावर बैंक के रक्षकों की दो बन्दूकें भी अपने साथ ले गये। यह सारा काण्ड लगभग 5 मिनट में हो गया।

घायल हुए व्यक्तियों में से एक रक्षक और एक और कर्मचारी का अस्पताल में इलाज हो रहा है। अन्य व्यक्तियों को प्रारम्भिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गयी थी। बताया जाता है कि अस्पताल में दाखिल कर्मचारियों की हालत में निरन्तर सुधार हो रहा है।

स्टेट बैंक ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी है और शाखा के क्षेत्र में दिन रात पुलिस की चौकी की व्यवस्था कर दी है। पुलिस आवश्यक जांच कर रही है और पता चला है कि उन्हें एक लारी और करेंसी नोटों के दो बण्डल, जिनमें कुल मिलाकर 20,406 रुपये थे, मिल गये हैं। इसके अलावा प्रतिभूतियों और शेयरों से भरे हुए एक बक्से के मिल जाने के बारे में भी सूचना मिली है।

यह भी समाचार मिला है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम पश्चिम बंगाल सरकार से इस समाचार की पुष्टि तथा और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : पश्चिम बंगाल उपद्रवों का अखाड़ा बन गया है तथा अब यह गुण्डागर्दी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में फैल रही है, क्योंकि कल ही लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई है। नक्सलवादी लोग मिदनापुर जिले में सक्रिय हैं। वहां अनेक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य में भीषण आतंक फैला हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री उमानाथ (पट्टकोटै) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ऐसी टिप्पणियां करना अनुचित है। यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव कलकत्ता में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा पर डाली गई डकैती के बारे में है। परन्तु माननीय सदस्य विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री हेम बरुआ : मैं कहना चाहता हूं कि गत 18 महीनों में कलकत्ता में छः सशस्त्र डकैतियां डाली गई हैं और इस वर्ष केवल कलकत्ता में बैंकों पर तीन सशस्त्र डकैतियां डाली जा चुकी हैं। उस दिन पुलिस को अन्यत्र भेज दिया गया था। **(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति !! यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव स्टेट बैंक आफ इण्डिया में डाली गई एक डकैती के बारे में हैं।

श्री हेम बरुआ : एक बुराई से दूसरी बुराई का औचित्य सिद्ध नहीं होता। यदि कोई मुझे गुण्डा कहता है तो भी मुझे उसे गुण्डा नहीं कहना चाहिये।

कई माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक डकैती के बारे में है। इस मामले को विधि तथा व्यवस्था की स्थिति से अलग कैसे किया जा सकता है। विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किये बिना डकैती के बारे में चर्चा कैसे हो सकती है ?

श्री उमानाथ : उत्तर प्रदेश विधान सभा के मामले पर भी आपको यही विनिर्णय देना चाहिये, अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय में रणनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप बैठ जायें। मैं इस प्रकार से अनुमति नहीं दे सकता।

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मै माननीय सदस्यों से केवल एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वह इस मामले पर बहुत उत्तेजित हैं परन्तु उन्हें अध्यक्षपीठ के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिये। हमारी यह परम्परा है कि अध्यक्षपीठ द्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह हम सबको स्वीकार्य होता है। दूसरे माननीय सदस्यों को कोई ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जिससे उत्तेजना को बढ़ावा मिले।

श्री हेम बरुआ : चूंकि कलकत्ता में स्टेट बैंक पर जिस दिन डकैती डाली गई थी, उस दिन राज्य की पुलिस को वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र तैनात कर दिया गया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कलकत्ता में रुशल स्ट्रीट स्थित शाखा के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? इस डकैती के कारण अन्य बैंकों के कर्मचारियों में भी आतंक फैल गया है। क्या सरकार का ऐसे गुण्डागर्दी के हमलों से बैंक कर्मचारियों की हिफाजत करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : वहां एक सशस्त्र गार्ड था। परन्तु कई व्यक्तियों ने उसे काबू में न कर लिया था।

श्री हेम बरुआ : यह ठीक है कि वहां सशस्त्र गार्ड उपस्थित था। परन्तु उसे काबू में कर लिया गया था और वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार अपने सशस्त्र गार्ड तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है ताकि बैंक कर्मचारियों की हिफाजित की जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस घटना के बाद वहां पुलिस की गश्त की व्यवस्था कर दी गई है और बंगाली समाचार पत्रों के अनुसार श्री ज्योति बसु ने कहा है यह आश्वासन दिया जाता बताया गया है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा..... **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में इसे सम्मिलित नहीं किया जाये।..... **(व्यवधान)** **

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : सशस्त्र डकैती के दौरान साम्यवादी सेना के हस्ताक्षरित पर्चे पाये गये थे और ऐसे पर्चे भी पाये गये थे, जिन पर यह लिखा हुआ था कि माओं के विचार हमारे विचार हैं। (शर्म शर्म) पुलिस को वे पर्चे मिले थे। समाचार पत्रों के अनुसार जब पश्चिम बंगाल के पुलिस मन्त्री श्री ज्योति बसु से विधि तथा व्यवस्था के बारे में वक्तव्य देने को कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री अजय मुखर्जी ने कहा था कि यदि सत्याग्रह से विधि तथा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हुई तो वह त्याग पत्र दे देंगे। संयुक्त मोर्चे के शासन के दौरान प्रति सप्ताह 20 घरों को जलाया गया है और चार व्यक्तियों की हत्यायें की गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। लोगों की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? पश्चिम बंगाल में आतंक की लहर दौड़ गई है और हर व्यक्ति भयभीत है। इसलिये पश्चिम बंगाल की समूची स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक पर्चों का सम्बन्ध है, बैंक के अधिकारियों ने बताया है कि वहां कोई साम्यवादी साहित्य अथवा लाल झण्डे नहीं पाये गये थे।....(**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : कलकत्ता में माओ की तस्वीरों की बाढ़ सी आई हुई है।..... (**व्यवधान**)

श्री प्र० चं० सेठी : फिर भी रसल स्ट्रीट में जहां यह शाखा है, उस स्ट्रीट में कुछ पर्चे पाये गये थे।....(**व्यवधान**)

श्री प० गोपालन : तेल्ली चेरी गृह कार्य मन्त्री ने इस बात से इन्कार किया है।

श्री हेम बरुआ : कलकत्ता में हर जगह माओ के इश्तहार लगे हुए हैं।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म शर्म।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपने साम्यवादी मित्रों की परेशानी को समझता हूं क्योंकि वे हर तरीके से संविधान तथा प्रजातन्त्र को नष्ट करने पर तुले हुए है..... (**व्यवधान**) संसार के किसी भी कोने में यदि कोई पक्षी भी मारा जाता है तो हमारे देश में एक हलचल मच जाती है और उस पक्षी के लिये सहानुभूति प्रकट की जाती है, परन्तु हमारे देश में चाहे कुछ होता रहे, हम उसके प्रति उदासीन रहते हैं और कह देते हैं कि यह राज्य का विषय है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक बैंक को लूटा जा रहा है, उस राज्य में सबसे अधिक राजनीतिक हत्यायें हुई हैं, चोरियां आम बात हो गई है तथा लोग सुरक्षित नहीं हैं। इन सब बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री उमा नाथ : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव के संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इस बैंक में डाली गई डकैती के बारे में जब उप मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु से पूछा गया था तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था ?

उन्होंने कहा था कि हमें इस घटना की जानकारी है, परन्तु क्या किया जा सकता है ? जांच शुरू हो गई है। यह है उनका रवैया।

केन्द्रीय सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, गृह-कार्य मन्त्री श्री चव्हाण कोई जांच कराने अथवा हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। वह राज्यपाल से विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन मांगने को भी तैयार नहीं हैं। प्रधान मन्त्री बिल्कुल चुप हैं। यह अपनी राजनीतिक सुविधा को देखते हुए चुपचाप रहना ही हितकर समझती हैं। इन बातों को देखते हुये मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही करने से पहले कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी ? क्या केन्द्रीय सरकार समझती है कि अभी हस्तक्षेप करने की स्थिति पैदा नहीं हुई है ? वह स्थिति को कहां तक और खराब होने देगी ? बैंक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ने बैंक को हुए घाटे की पूर्ति करने को राज्य सरकार को कहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक विधि तथा व्यवस्था के व्यापक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ···(**व्यवधान**) मैं केवल उन ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो स्टेट बैंक में डाली गई डकैती से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि जब लोग उप मुख्य मन्त्री के पास गये थे तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं। आप उन टिप्पणियों का खुलासा कर सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक उप मुख्य मन्त्री द्वारा की गई टिप्पणियों का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरे पास एक बंगाली समाचार पत्र है जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने कहा था कि अपराधियों को पकड़ने के लिये हर प्रयास किया जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : डकैती के कारण बैंक को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? बैंक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति कौन करेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य की यह विचित्र बात है कि जिस राज्य में बैंक में डकैती डाली गई है, उस हानि की प्रतिपूर्ति उसी राज्य द्वारा की जाये। ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री बलराज मधोक : मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, महोदय, मैंने आपसे अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप बैठ जायेंगे ?

श्री बलराज मधोक : आप इसकी अनुमति देंगे अथवा नहीं ? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधान मन्त्री ने जानबूझ कर सदन को भुलावे में डाला है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस बारे में अभी विचार नहीं किया है। मुझे इसकी जांच करने दीजिये।

श्री बलराज मधोक : क्या मैं इस प्रश्न को कल उठा सकता हूँ। यह एक बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अध्ययन करने के पश्चात ही मैं आपको कुछ बता सकता हूं, मुझे आपका पत्र आज ही मिला है।

श्री बलराज मधोक : यह मामला आपके सामने पिछले 10 दिन से पड़ा है।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योति बसु आप प्रत्येक छोटी बात पर उठते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, मैं आपको फिर चेतावनी देता हूँ कि दुबारा ऐसा न करें।

विशेषाधिकार का प्रश्न
Question of Privilege

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे सदन को यह सूचित करना है कि 8 दिसम्बर, 1969 को सदन में शिक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा सेंट्रल साईंटीफिक इन्स्ट्रूमेंट आरगैनाइ-जेशन, चन्डीगढ़, के निदेशक द्वारा उनको लिखे गये पत्र के बारे में मुझे श्री शिवप्पा, श्री म० ला० सोंधी तथा श्री कंवरलाल गुप्त से विशेषाधिकार की तीन सूचनायें मिली हैं। इन सूचनाओं की प्रतियां शिक्षा मन्त्री को भेज दी गई हैं, मैं चाहता हूँ कि मामले पर निर्णय से पहले मन्त्री महोदय तथा सदस्य बोलें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : प्रस्ताव क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि शिक्षा मन्त्री ने एक गलत वक्तव्य दिया, मैंने उसे शिक्षा मन्त्री को भेज दिया, अब वह वक्तव्य तैयार करके लाये हैं, उसे सुनिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह सेंट्रल साईंटीफिक इंस्ट्रूमेंट्स आरगेनाइजेशन, चंडीगढ़ में गोपनीय दस्तावेजों के गुम होने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष मामला यह है कि मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया कि उन्होंने अमुक तारीख से पहले यह सूचना प्राप्त नहीं की थी, लेकिन माननीय सदस्यों का कहना है कि उनको यह सूचना उससे पहले मिल चुकी थी, इसलिये मैंने आपका पत्र टिप्पणी करने के लिए उनके पास भेज दिया।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डॉ० वी० के० आर० वी० राव) : आपने अच्छा किया है, जो दिसम्बर को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा जानबूझ कर

सदन को भ्रम में डालने तथा झूठे वक्तव्य दिये जाने के कथित आरोप में श्री एन. शिवप्पा, श्री म० ला० सोंधी और श्रीकंवरलाल गुप्त से प्राप्त हुई विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने की सूचनायें मेरे पास भेजीं।

सभा को याद होगा कि माननीय सदस्य, श्री म० ला० सोंधी ने बार-बार इस बात पर बल दिया था कि 5 नवम्बर, 1969 को सेंट्रल साईंटीफिक इन्स्ट्रूमेंट आरगैनाइजेशन के निदेशक द्वारा मुझको लिखे गये पत्र के माध्यम से मुझे खोए हुए डिजाइनों के बारे में जानकारी थी। मैंने उनके दृढ़ कथन का स्पष्टतया खंडन किया था और फिर कर रहा हूं। मैंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से पता किया है कि दस्तावेजों के खो जाने के सम्बन्ध में उनको मेरे कार्यालय से 5 नवम्बर को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा लगाये गये इस आरोप को स्पष्टतया अस्वीकार करता हूं कि नवम्बर के पहले सप्ताह में मुझे एक तार प्राप्त हुआ था जिसमें दस्तावेजों के खो जाने का वर्णन था।

मैं सभा का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर दिलाना चाहूंगा जो मैंने उस दिन कही थीं, "इसलिए मैंने उनको कहा और मैं यहां एक सार्वजनिक वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं कि अगर इस बात का पता चल जाय कि पत्र मुझे 5 नवम्बर को मिला था और मैंने सभा को यह कहते हुए भ्रान्ति में डाला कि मुझे इसके विषय में सर्वप्रथम 25 नवम्बर को पता चला, तो मैं प्रधान मन्त्री को अपना त्यागपत्र देने को बिलकुल तैयार हूं।

यद्यपि मैंने उस दिन कहा था कि मुझे सर्वप्रथम 25 नवम्बर को इसका पता चला, परन्तु मैंने अपने आरम्भिक वक्तव्य में कहा था कि मुझे इसके बारे में सर्वप्रथम 5 दिसम्बर को पता चला था। इसका कारण यह था कि मेरा ध्यान डा० गिल के 24 तारीख के पत्र पर लगा था जो मुख्यरूप से उनके घर में पुलिस द्वारा छापा डालने तथा अपनी सुरक्षा के लिए अपील से सम्बन्धित था और दस्तावेजों के खो जाने के सम्बन्ध में जो थोड़ा सा वर्णन उसमें किया गया था वह मेरे दिमाग में नहीं आया।

यह सच नहीं है जैसा कि श्री कंवर लाल गुप्त ने आरोप लगाया है कि इस विषय पर डा० गिल द्वारा लिखा हुआ कोई दूसरा पत्र नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से इस बात की पुष्टि करा ली है कि इस विषय पर डा० गिल द्वारा मुझे भेजी गई उस पत्र की प्रतिलिपि के अतिरिक्त जो उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को भेजी थी, मेरे कार्यालय से उनको कोई दूसरा पत्र नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में नहीं मिला।

इस प्रकार सभा को मालूम होगा कि यह सच नहीं है कि खोए हुए दस्तावेजों के सम्बन्ध में 5 नवम्बर के आसपास डा० गिल से मुझे कोई पत्र प्राप्त हुआ और न ही यह सच है कि उस समय मुझे कोई तार मिला था। मैंने 8 दिसम्बर को सभा में इस बात का निर्देश किया था कि 25 नवम्बर को प्रथम बार मुझे इसके बारे में पता चला था। फिर भी वर्तमान सूचनाओं के बारे में तथ्यों को बताने के बारे में आपके पूछने पर जैसा मैंने आपको लिखा, यदि मेरे आरम्भिक वक्तव्य से अथवा चर्चा के पूर्व भाग के दौरान जो कुछ मैंने कहा था उससे

तारीखों के बारे में गलत प्रभाव उत्पन्न हुआ हो तो मुझे खेद प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मेरा इरादा सभा को भ्रम में डालने तथा तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का नहीं था।

श्री एन० शिवप्पा (हंसन) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने मेरे आरोपों को खेद प्रकट करते हुए स्वीकार किया है। परन्तु कानून की दृष्टि में खेद का कोई स्थान नहीं होता। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पत्र की प्राप्ति के बारे में अस्वीकृति प्रकट की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पत्र, प्राप्त नहीं किया था और जो पत्र उन्होंने श्री गिल से प्राप्त किया वह स्व गयख्या करने वाला था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों के खो जाने के बारे में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अब वे कह रहे हैं कि उन्हें श्री गिल से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पुलिस द्वारा तंग किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। यह तो विशुद्ध रूप से पुलिस के व्यवहार के बारे में शिकायत थी। श्री सूद के बारे में आरोप लगाये गये थे। उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन दस्तावेज के खो जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायत की जानी चाहिये थी।

श्री एन० शिवप्पा : शिकायत करने के सम्बन्ध में कोई विहित प्रक्रिया अथवा फार्म नहीं है। शिकायत किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है। श्री गिल ने अपने मिजी पत्र के अतिरिक्त अपने आरोपों में इस बात को प्रकट किया है कि ड्राइंगों को खो दिया गया है और यह सूचना केवल उनकी जानकारी के लिए थी।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, यह कहा जाता है कि श्री सूद ने दस्तावेजों को हस्तान्तरित नहीं किया और अपनी शिकायत में श्री गिल ने कहा है कि श्री सूद ने दस्तावेजों को हस्तान्तरित नहीं किया।

श्री एन० शिवप्पा : विशेषाधिकार की बात यह है कि मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह अस्वीकार किया है कि उन्हें कोई पूर्व सूचना मिली है। यह केवल तथ्यों का प्रश्न है।

पत्र में जो कुछ भी लिखा हो, मैंने उसको अपने प्रस्ताव के साथ आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दिया है, इसका साक्ष्य-मूल्य बड़ा है, इसकी जांच करना विशेषाधिकार समिति का कार्य है, न कि मेरा, मैंने तो आपकी सन्तुष्टि के लिए इसे केवल सिद्ध करना है, पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं उनका साक्ष्य-मूल्य है और इसलिये उन पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता, यह ऐसा मामला है जिस पर या तो सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिए अथवा विशेषाधिकार समिति द्वारा, इस अवस्था में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

अतः जानबूझ कर, और स्पष्ट रूप से मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया था जब यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया गया था कि उनको पूर्ण जानकारी थी।

अतः एक बात तो यह है कि उनको पहले से जानकारी थी और जब उनको दस्तावेजों के खो जाने के बारे में पूर्ण जानकारी थी, तो ऐसा सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता, तथ्यों को गलत रूप में पेश किया गया।

मैं आपके विचार के लिए दो मामले आपके सामने रख रहा हूँ। पहला मामला श्री सुब्रामनियम का है और दूसरा ब्रिटेन के जौन प्रोफ्यूमों का, जैसे प्रोफ्यूमों ने त्याग पत्र दे दिया था, मैं सोचता हूँ कि मन्त्री महोदय भी सज्जन हैं और विद्वान हैं, अतः शीघ्र ही त्यागपत्र दे देंगे।

मैं आपकी अनुमति से कुछ दस्तावेजों को, जो मेरे अधिकार में हैं, विचार के लिए सभा के सामने रखना चाहता हूं। मन्त्री महोदय 23 तारीख के पत्र को भूल गये हैं, उस पत्र की फोटोस्टैट प्रतिलिपि यह है जिसको उन्होंने प्राप्त किया था, और यह हैं डा. राव का पावती पत्र। मैं प्रतिलिपि को अवलोकनार्थ सभा पटल पर रखूंगा। मुझे सामान्यतः उस बात का निर्देश नहीं करना चाहिए जो कुछ दूसरे सदन में हुआ है लेकिन उन्होंने चोरी से दूसरे सदन में कहा कि उनके पास इन पत्रों को लेने करने के लिए कार्यालय नहीं है अर्थात् इन पत्रों को प्राप्त करने के लिए उनके पास कोई कर्ल्क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक मन्त्री के कार्यालय में कितने क्लर्क हैं? उनके पास एक निजी सचिव होगा अथवा एक क्लर्क? मन्त्री महोदय चाहे कुछ छिपायें लेकिन डा. श्री. बी. के. आर. वी. राव के निजी सचिव द्वारा किया हुआ साक्ष्यांकन मेरे पास है जिसे मैं सभा पटल पर रख रहा हूँ। यह 23 तारीख के पत्र के साथ था। यह मैंने आपको पेश कर दिया है। यह तकनीकी तथा कानूनी मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर तत्काल निर्णय किया जा सके।

यह तकनीकी तथा कानूनी मामला है, मन्त्री महोदय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्यांकन करने की आवश्यकता नहीं, निजी सचिव द्वारा किया हुआ साक्ष्यांकन मन्त्री महोदय द्वारा किया हुआ माना जाता है। कार्यालय में ऐसा संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। जब साक्ष्यांकन किया जाता है तो प्राधिकार मन्त्रालय तथा मन्त्री पर नियत किया जाता है, मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

श्रध्यक्ष महोदय : इस बात को सिद्ध किया जाना चाहिए कि क्या डा. गिल ने मन्त्री महोदय को शिकायत करते हुए कोई सीधा पत्र लिखा था?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : 5 नवम्बर को उनके पास जानकारी थी, इसे न्यायिकरण के पास भेजा जाय और उसे तथ्यों की जांच करने दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसे सिद्ध करने दीजिये, उन्होंने कहा है कि उनको यह 5 दिसम्बर को प्राप्त हुआ।

श्री म० ला० सोंधी : आपकी रुचि सभा के विशेषाधिकारों की रक्षा करने में होनी चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है, दस्तावेज खोए गये हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारी रुचि है। उन्हें इसका पता 5 नवम्बर को लगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह काफी जटिल मामला है। दो अन्य सदस्यों ने भी सूचनायें दी हैं। उन्हें भी अपनी बात कहनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मन्त्री महोदय

ने स्वीकार किया है। आप हम से ऐसी आशा नहीं कर सकते कि हम इस पर यहां और अभी निर्णय लें। यह अधिक अच्छा होगा यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय और उसे इस पर पूर्ण रूप से विचार करने दिया जाय। मन्त्री महोदय भी अपनी बात कह लें और जिन सदस्यों ने सूचनायें दी हैं वे भी अपना पक्ष प्रस्तुत करें और फिर उसका प्रतिवेदन सभा में वापिस आये तब हम निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवप्पा मुझे मेरे कक्ष में मिले थे। उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष पर निर्भर है कि वह इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजे।

यदि मुझे इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजना है तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हो लूं। यदि सभा ने इसे भेजना है तो तब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इस सभा के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। यदि आप मुझ से निर्णय चाहते हैं तो मेरा सन्तुष्ट होना आवश्यक है। यह बड़े उत्तरदायित्व का काम है, इसे बिना सभा के सामने रखे, मैं यह जिम्मेवारी ले रहा हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : यह विशेषाधिकार का मामला है और इस पर आपके द्वारा अथवा सभा द्वारा निर्णय किया जाता है लेकिन आपको हमें समय देना चाहिए ताकि हम आपको तथा सभा को जो बात स्पष्ट करना चाहते हैं उसे स्पष्ट कर सकें। यदि आप हमें अवसर नहीं देना चाहते हैं और स्वयं निर्णय करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि आप मेरा निर्णय चाहते हैं और सभा का नहीं, तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, यदि इसे सभा पर छोड़ना है तो मैं इसे सभा के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप अपना निर्णय देना चाहते हैं अथवा इसे सभा पटल पर छोड़ना चाहते हैं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : यदि आपको ही निर्णय देना हो तो क्या इस मामले को सभा में उठाने के बाद सभा को विश्वास में लेना आवश्यक नहीं होगा। यदि यह मामला श्री शिवप्पा अथवा श्री सोंधी और श्री गुप्त तथा आपके बीच था तो हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए था, सभा को विश्वास में लेने के पश्चात, हम आशा करते हैं कि आप निर्णय करने से पहले हमें भी विश्वास में लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूं, अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पत्र की एक प्रति सभी सदस्यों में परिचालित की जाये और आप निर्णय कल ले सकते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मैंने मन्त्री जी के वक्तव्य को बड़ी सावधानी से पढ़ा है और यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए उपयुक्त मामला है। इस मामले में तीन

महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन पर विचार करते हुए सभा के लिए मन्त्री जी के आचरण पर बहुत गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

पहली बात तो यह है कि जब मन्त्री जी को यह बताया गया था कि गुम दस्तावेजों की उन्हें जानकारी है, तो उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, जो बड़े खेद का विषय है। इस सभा के कई सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त किये जाने के कई दिन बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है और उनकी गलत बयानियों के कारण इस सभा के सदस्य अपने उचित कृत्य नहीं निभा सके हैं। अतः यह मामला विशेषाधिकार के भंग का समझा जाना चाहिए। हमें इस बात को सभा तथा देश के सामने लाना है कि गोपनीय दस्तावेज गुम हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचता है।

दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष हैं और देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये इस विशाल उपक्रम के कार्य की देखरेख करना उनका कर्तव्य समझा जाता है। इतने शोर शराबे के बाद भी मन्त्री जी ने इस बात की छान बीन नहीं की कि वहां क्या हो रहा है।

तीसरी बात यह है कि एक इन्फ्रा-रैड के उपकरण सेंचूरियन टैंकों में फिर किया जाना था, जिसका भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका था, इस पुर्जे का मूल्य लगभग, 10,000 रुपये था उस पर हमारे देश की सुरक्षा तथा सेना की तैयारी निर्भर है। यह मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है, इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए और मन्त्री जी को ऐसा करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां वह अपना दृष्टिकोण समुचित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां तो उनके वक्तव्य से भ्रान्ति ही पैदा हुई है।

Mr. Speaker : The motion before me is that there is a contradiction in the statement of the Minister when I tried to ascertain the position and asked questions about that, they have reacted adversely, and doubted my intention. I do not want to give my ruling. Let the hon. Member Table a Motion of Privilege and I will put it before the House and let the discussion go. I am not going to decide it.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 25 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Twenty- five minutes past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सत्ताईस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at twenty-seven minutes past Fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

श्री म० ला० सोंधी : उपाध्यक्ष जी कुछ दस्तावेजों के गुम होने का यह मामला अध्यक्ष महोदय के समक्ष कई दिन पहले उठाया गया था और उन्हें इस बात से सूचित किया गया था

कि मन्त्रीजी ने इस बारे में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न वक्तव्य दिये हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है, ऐसी हमारी स्पष्ट धारणा थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे गलत नहीं बता रहा परन्तु मध्यान्ह भोजन के लिए सभा स्थगित होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा था कि आप एक नियमित प्रस्ताव ला सकते है और वह उस पर विचार करेंगे। वह साढ़े तीन बजे वापस आयेंगे उन्हें इस मामले में जानकारी है, और जब वह वापस लौटेंगे तो वह उन प्रस्तावों को भी देखेंगे जो रखे गये हैं, उन्हें थोड़ा समय दीजिये और वह इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I want to invite your attention to the serious situation in Jamshedpur. But the Labour Minister is silent on the issue. I would request you to direct him to make a statement on the situation there.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मामला वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इस मामले को नियमित ढंग में उठा सकते हैं।

Shri Bhogendra Jha : (Jainagar) : What would happen if firing is resorted to in Jamshedpur. The Labour Minister had promised to convene a tripartite conference, release arrested persons and withdrawn the suspension cases. Workers are on strike for the last one month. Please either admit a discussion on this issue or direct the Minister to make a statement thereon. We are giving notices under rule 193 but they are not being admitted.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया है तो उन्हें इस बारे में अवश्य चिन्ता होगी, लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे सभा की कार्यवाही चलानी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य चेयर को इस विषय का अध्ययन करने का मौका दें और पीठासीन व्यक्ति से सहयोग करें क्योंकि इस मामले पर जल्दी निर्णय लेने से उसकी वास्तविक गम्भीरता में कमी आ जायेगी, कई प्रक्रियाएं हैं जिनके अन्तर्गत माननीय सदस्य इसे नियमित तरीके से उठा सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपने कुछ प्रक्रिया अपनाने की बात कही है ताकि जमशेदपुर में व्याप्त गम्भीर स्थिति पर यहां चर्चा की जा सके, मैंने ध्यानाकर्षण सूचना दी थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है, हमने श्रम मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसलिये मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूँ कि सभा के समक्ष कार्यसूची के अनुसार एकाधिकार विधेयक पर विचार करने का जो प्रस्ताव है उसे स्थगित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए भी अध्यक्ष की अनुमति चाहिए और मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। मुझे यकीन है कि सभा इस मामले की गम्भीरता तथा माननीय सदस्य की चिन्ता से पूरी तरह अवगत हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : उपाध्यक्ष महोदय आपको यह बात मालूम होगी कि रूसी दूतावास भारत सरकार की इन्कारी के बावजूद त्रिवेन्द्रम में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोल रहा है। यह एक गम्भीर बात है कि उपरोक्त दूतावास सरकार की सलाह की उपेक्षा करके वहां ऐसा केन्द्र स्थापित कर रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे और अपना रवैया स्पष्ट करे क्या उन्होंने इसकी अनुमति मांगी थी और क्या यह अनुमति नहीं दी गई थी और क्या वह निर्माण कार्य बन्द करायेगी ? हमने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, अध्यक्ष महोदय ने जिसे अस्वीकृत कर दिया है। अतः हम इस मामले को यहां कैसे उठा सकते हैं, आप हमें इसकी राय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं और उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि यह मामला सभा में उठाये जाने योग्य है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : हाल में सैनिक कर्मचारियों ने नागाओं पर बहुत ज्यादतियां की हैं। असहाय तथा निशस्त्र ग्रामीणों पर उन्होंने अत्याचार किये हैं। हमने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी थी किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। यह एक गम्भीर मामला है। हम चाहते हैं कि प्रति रक्षा मन्त्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर अध्यक्षजी से उनके कक्ष में मिलकर विचार कर सकते हैं और उनसे अपना निर्णय बदलने का अनुरोध कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इन्डियन आयल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1968–69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

श्री द० रा० चव्हाण : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1968–69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद्रन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 41 वां संशोधन नियम

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 41वां संशोधन नियम, 1969 हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2697 में प्रकाशित हुये थे सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य–सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि लोक–सभा द्वारा 1 दिसम्बर 1969 को शपथ विधेयक, 1968 में किये गये संशोधनों से राज्य सभा अपनी 8 दिसम्बर, 1969 की बैठक में सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 8 दिसम्बर, 1969 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि चिकित्सा द्वारा गर्भ की समाप्ति विधेयक; 1969 को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें राज्य सभा के 11 सदस्य हों अर्थात् :—

(1) डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार
(2) श्री नारायण पत्रा
(3) श्रीमती ऊषा बरठाकुर
(4) श्री कृष्ण कांत
(5) डा० एस० चन्द्रशेखर
(6) श्री के० पी० मल्लिकार्जुनुडु
(7) श्रीमती बिन्दुमती देवी
(8) श्री निरन्जन वर्मा

(9) श्री जी० गोपीनाथन नायर
(10) श्री एस० ए० ख्वजा मोहिदीन
(11) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

और लोक सभा के 22 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1969 को पास किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 10 दिसम्बर, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में

Re: Indian Tariff (Amendment) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विद्या चरण शुक्ल विधेयक पुनः स्थापित करें।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कार्य सूची की मद संख्या 8, अर्थात भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने इस विधेयक को कल पुनः स्थापित करने की अनुमति देने के लिए माननीय अध्यक्ष को लिखा है। इसलिए उसे कल पुनः स्थापित किया जायेगा।

आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक

ASSAM REORGANISATION (MEGHALAYA) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आसाम राज्य के अन्तर्गत मेघालय नाम के एक स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

" कि आसाम राज्य के अन्दर ही मेघालय नाम के एक स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I welecome this measure in general and agree to the provisions thereof. But I have to oppose it at the introduction state on constitutional grounds. The expenditure will be met from the Consolidated Fund

of India as such it cannot be introduced unless it is accompanied by the presidential recommendation.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अन्य कारणों से इसका विरोध करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संवैधानिक अथवा विधानकारी सक्षमता के आधार पर आपत्तियां उठाई जाती हैं, तो सभा को ऐसी प्रत्येक आपत्ति सुननी पड़ेगी और यदि इन आधारों पर आपत्ति नहीं उठाई जाती तो केवल एक सदस्य उसका विरोध कर सकता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मुझे इस पर संवैधानिक आपत्ति है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : My objection to this Bill is that it would lead the country to distitegration and create separatist tendencies among the people. If this Bill is passed similar demands for partition of other states will be raised by other people.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध सामान्य आधार पर कर रहे हैं, आप विधेयक की पुनः स्थापना का विरोध कर सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : If this bill is passed, the Government will not be able to resist the demands of partition of other states. They are sowing the seeds which will be harmful for the country. Instead of introducing the Bill, the Government should have educated the people and created such conditions under which such demands are not raised.

On behalf of my party I oppose this Bill. The Government may reconsider it.

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल दो या तीन संवैधानिक बातों का उल्लेख करूंगा।

इस विधेयक में मन्त्रालय के स्वायत्त शासन के लिए कार्यकारी मन्त्री परिषद की व्यवस्था है, चूंकि ऐसी ही व्यवस्था आसाम राज्य के लिए होगी, अतः इससे आपस में कार्यकारी कामों के सम्बंध में विवाद उठ जाने की आशंका है।

हमारे संविधान में एक राज्य के अन्दर ही दूसरे राज्य की स्थापना की व्यवस्था नहीं है, इससे ऐसी ही अन्य मांगें भी उठने लगेंगी।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि शिलांग, विशेषकर नगरपालिका और छावनी के क्षेत्र आसाम सरकार के नियंत्रण में रखे जा रहे हैं और यह मेघालय के मुख्यालय के रूप में भी रहेंगे तो इससे भी संवैधानिक असंगतियां उत्पन्न हो जायेंगी।

अन्त में, मेरा यह निवेदन है कि संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 20 में कहा गया है कि इसमें आदिमजातीय क्षेत्रों के पांच या छः जिले होने चाहिए परन्तु अब तीन ही जिलों को इसके अन्तर्गत लाने का प्रयत्न हो रहा है, यह विधेयक जल्दी में पारित किया जा

रहा है। सरकार के लिए यह बुद्धिमानी की बात होती कि वे सभी आदिमजातीय जिलों को नये राज्य में शामिल होने के लिए कहती।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे वहां की जनता की मनोकामना पूर्ण होती है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : माननीय सदस्य श्री शिव चरण झा ने कहा है कि अनुच्छेद 117 (एक), 117 (तीन) और 274 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति से सिफारिश प्राप्त कर ली गई है और सदस्यों की सूचना के लिए उनको भेज दी गई है।

माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द गोयल ने संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इस बारे में मेरा कहना है कि हमने इन बातों पर विचार कर लिया है और इसमें संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यदि इसमें कोई संदेह भी है तो सभा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है।

हमने इस विधेयक सम्बन्धी अन्य बातों पर भी विचार कर लिया है, जो आशंकाएं माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त ने व्यक्त की हैं, उन पर भी हमने विचार किया है। यदि इस विधेयक से ऐसी प्रवृत्तियों को बल मिलता तो हम इसको पुनः स्थापित नहीं करते। हम ऐसा नहीं सोचते कि इस विधेयक से पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा, वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देना स्वीकार किया था, इस विशेष क्षेत्र के लिए संविधान में भी एक अलग व्यवस्था की गई थी, इस क्षेत्र के प्रति आरम्भ से ही हमारा विशेष दृष्टिकोण रहा है और अब हम जो करने जा रहे हैं वह कोई अलग ही बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"आसाम राज्य के अन्दर ही मेघालय नाम के एक स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक जो पुरः स्थापित करता हूं।

पूर्वोत्तर परिषद विधेयक

NORTH EASTERN COUNCIL BILL

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं,"

Shri Shiv Chandra Jha (Madhu bani) : There is no recommendation of President as required under article 117(1) at the introduction stage. Unless this recommendation is there how can the Hon. Ministers introduce the Bill. ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस विधेयक के बारे में कानूनी राय यह है कि केवल अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत सिफारिश की आवश्यकता है और वह हमने प्राप्त करली है।

Shri Shiv Chandra Jha : The Constitution also says something in this respect. Under article 117 (1), it has provided that a Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced. It is in introduced. It is in introduction stage. It should be brought here under Article 117 (1) also.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

" भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर परिषद् के नाम से एक परिषद की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

अचल सम्पति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

REQUISITIONING AND ACQUISITIONS OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मैं अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करना चाहता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha : The recommendation of President under article 117 (I) is necessary which is not here in this case.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं कि

" अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री के० के० शाह : मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं।

एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा विधेयक (जारी)

MONOPOLIES AND RESTRACTIVE TRADE PRACTICS BILL-(CONTD)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री कृष्ण कुमार चटर्जी अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमारे संविधान के निर्माता देश में कुछ लोगों के हाथों में धन के अधिक केन्द्रीकरण हो जाने के सम्भावित खतरों के प्रति सजग थे। संविधान के चौथे भाग के राज्य सम्बन्धी नीति के निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में भी इसके विरुद्ध चेतावनी दी गई है। परन्तु इसके होते हुए भी हमारी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार बना दी गई है कि एक उद्योगपति के नियन्त्रण में बड़े उद्योग-समूह आ गये हैं। प्रोफेसर शेनाय ने यह चेतावनी दी है कि आयात तथा विदेशी मुद्रा नियन्त्रण से उनको काफी लाभ हुआ है। यदि इस विधेयक का उद्देश्य एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार को रोकना है तो मुझे इसमें संदेह है। विधेयक अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहेगा जिसके लिए यह सभा के समक्ष लाया गया है।

फिर भी मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह सरकार की उस इच्छा का परिचायक है जो आर्थिक व्यवस्था में प्रविष्ट हुई बुराइयों को दूर करना चाहती है। लगभग 75 परिवारों को काफी धन प्राप्त है, जो इसका उपयोग अपने ही हितों के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार इस विधेयक द्वारा धन को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने से रोकना चाहती हो। मेरे विचार में इसमें असफलता मिलने का कारण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सुनियोजित आर्थिक विकास और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ नहीं चल सकतीं। अतः सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए था, नहीं तो संपत्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के हमारे सभी प्रयत्न असफल हो जाएंगे।

इसलिये सरकार को अपने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करना चाहिए। हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ाना चाहिए तथा गैर सरकारी उपक्रमों को बड़े मात्रा में सहकारी उपक्रमों द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसी तरह से हम धन के केन्द्रीकरण को रोक सकते है।

हमें 'इंडीकेट' का नाम दिया जा रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं क्योंकि हम एक नये युग के आगमन की सूचना दे रहे हैं। हम इस देश से गरीबी और बेरोजगारी को हटा रहे हैं। हमें यहां से उन बुराइयों को निकालना है जिसने देश को क्षीण कर दिया है, हम उन पद-दलित व्यक्तियों का उद्धार कर रहे हैं जो आज धनी लोगों के शिकजें में जकड़े हुए हैं, हमारा कर्त्तव्य यही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य एकाधिकार आयोग की स्थापना के लिए सरकार को सांविधिक अधिकार देने का है, हम इसका समर्थन करते हैं। परन्तु हमें संदेह है कि जिस उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसमें इसको सफ-

लता किस प्रकार मिलेगी। केवल एकाधिकार आयोग को स्थापित करने के बारे यह विधेयक और अधिक कुछ नहीं कहता।

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो रहेगी ही। इसलिए किसी को यह न कहना चाहिए कि यह विधेयक समाजवादी दृष्टिकोण लिए हुए है। यदि ऐसा होता तो अमेरिका, इंगलैंड जापान आदि देश कभी के समाजवाद के अंतर्गत आ चुके होते क्योंकि वहां भी न्यास विरोधी और एकाधिकारी विरोधी विधेयक बने हुए हैं।

मैंने इसलिए यह बात कही है क्योंकि श्री अशोक मेहता ने इस सम्बन्ध में इंगलैंड द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि क्या इंगलैंड की समाजवादी सरकार का एकाधिकारी को प्रोत्साहन देगी मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि वर्ष 1961 में गैर सरकारी कम्पनियों के 81 प्रतिशत अंश 1 प्रतिशत लोगों के हाथों में थे। यह वहां एकाधिकारी का परिणाम है। इटली में भी, जिनका उन्होंने उदाहरण दिया है, सबसे अधिक गरीबी है। अतएव हमारा सम्बन्ध वहां की एकाधिकारों से नहीं है।

हमारे संविधान के निदेशक सिद्धातों के अनुच्छेद 39 (ग) में एकाधिकारी की परिभाषा दी हुई है। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण न होने दिया जाये जिससे आर्थिक सत्ता किसी के हाथों में केन्द्रित हो जाये। यदि ऐसा होता है तो वह एकाधिकारी की परिभाषा में आ जायेगा।

माननीय सदस्य श्री मसानी ने सरकारी एकाधिकार का उल्लेख किया है। परन्तु वे टाटा तथा बिड़ला आदि को तो भूल गए हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 39(ग) के अन्तर्गत एकाधिकारी परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

इस विधेयक के बारे में मेरा यह कहना है कि यह अपूर्ण है क्योंकि इसमें कई ऐसी कमियां आ गई हैं जिससे बड़े एकाधिकारी इस विधेयक की सीमा से बच निकल सकते हैं।

उदाहरण के लिए यहां दिए गए एकाधिकार की परिभाषा को ही लें। इसमें कहा गया है कि यदि एक उपक्रम की कुल परिसम्पत्ति 20 करोड़ से अधिक है तो वह अधिनियम के अंतर्गत आयेगा। जबकि एकाधिकारी जांच आयोग ने इसको 5 करोड़ माना है।

इसमें प्रभारी उपक्रम की परिभाषा भी दोषपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि इनको 25 प्रतिशत तक विस्तार करने की अनुमति है परन्तु यह कहीं नहीं बताया गया है कि क्या इनका विस्तार प्रतिवर्ष किया जा सकता है।

इस विधेयक के द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जा रही है। मुझे यह बात दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यद्यपि उपभोक्ताओं और व्यापारियों को शिकायतें करने की मान्यता दी गई हैं परन्तु कार्मिक संघों और उद्योगों के कर्मचारियों के संघों को इससे वंचित रखा गया है। इसके अलावा और भी कई दोषपूर्ण बातें हैं। उदाहरण के लिए अंतर संबंध उपक्रमों के बारे में यह मान लिया गया है कि इसका समान प्रबंध कंपनी अधिनियम के धारा

370 के अंतर्गत् आता है, परन्तु सभा को मालूम ही होगा कि आगामी वर्ष के अप्रैल से प्रबंधक व्यवस्था समाप्त की जा रही है।

जहां तक लागत लेखा परीक्षा का सम्बन्ध है सरकार ने 8 श्रेणियों के उद्योगों की लागत लेखा परीक्षा कराने का निर्णय किया है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि शासपत्रित लेखापालों के निकायों ने भी यह मांग की है कि उन्हें वित्तीय लेखा परीक्षा कराने का अधिकार दिया जाय। इन निकायों का पहले ही एकाधिकार के मामले में हाथ रहा है तथा ऐसा करने से इस क्षेत्र में एकाधिकार और भी पनपेगा।

संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समस्या बहु-मुखी समस्या है और इसे सुलझाने के लिये व्यापक उपाय करने पड़ेंगे। केवल इस विधेयक के लाने से कुछ लाभ नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मै एक उदाहरण प्रस्तुत करेना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने सरकार से यह पूछा था कि क्या बिड़ला समूह को बिहार में एक मिश्र इस्पात कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस दिया है। बिड़ला समूह सरकार से इस बात की अनुमति लेने का प्रयत्न कर रहा है कि इस मिश्र इस्पात कारखाने को कलकत्ता में स्थापित पटसन का उत्पादन करने वाली उनकी कम्पनी के अधिकार में दे दिया जाय। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी ही में मिला है जिसमें कहा गया है कि मिश्र इस्पात कारखाना खोलने के बारे में बिड़ला जूट कम्पनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि एकाधिकार इस प्रकार की बातों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। जूट उद्योग के बारे में बताया जाता है कि यह उद्योग भारी वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। किन्तु उसी में इस प्रकार से एक कम्पनी स्थापित की जा रही है।

आज के समाचारपत्रों के अनुसार पिछले दो वर्षों में बिड़ला उद्योग समूह को 27 नए लाइसेंस दिये गये हैं। श्री आर० के० हजारी ने अपना प्रतिवेदन प्रकाशित करा दिया है और मुझे हर्ष है कि श्री हजारी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बन गये हैं। आशा है अब लाइसेंस के बारे में नीति में कुछ परिवर्तन होगा तथा कुछ समय के लिये बिड़ला को दिये जाने वाले लाइसेंसों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में दो महत्वपूर्ण बातों का समावेश नहीं किया गया। हाल ही में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं; एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तथा दूसरे दत्त समिति का प्रतिवेदन प्रकाश में आया है। इस विधेयक का मसौदा इन दोनों घटनाओं के घटने से पहले ही बनाया गया था। अतः अब बह पुराना हो गया है। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार वास्तव में एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है तो उसे मानना पड़ेगा कि इस विधेयक में लाये गये उपाय अपर्याप्त हैं। दत्त समिति ने स्थिति पर भारी प्रकाश डाला है। हम भी सदन में यह आवाज़ उठाते रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता के कारण ही एकाधिकार को बढ़ावा मिला है। श्री अशोक मेहता ने इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला। वास्तव में देखा जाय कि एकाधिकार को बढ़ावा देने के लिये पैसा आता कहां से है तो विदित होगा कि यह जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से ही आता है। अतः क्या हमें नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ?

इसके पश्चात उद्योगों से लाइसेंस प्रणाली हटाने के ऊपर भी बल दिया गया। एकाधिकार प्राप्त उद्योगपतियों के दबाव के कारण सीमेंट तथा कागज उद्योगों से लाइसेंस प्रणाली हटाई भी गई, परन्तु इससे उत्पादन में वृद्धि होने की अपेक्षा कम हुई। इस समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सिलाई मशीन उद्योग से लाइसेंस हटाने पर स्वदेशी कम्पनियों को भय उत्पन्न हो गया तथा अमरीका की सिंगर स्युइंग कम्पनी एकाधिकार प्राप्त करने को तत्पर हो उठी। एकाधिकार को रोकने के उपाय खोजने के लिये क्या इन सभी घटनाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिये।

दत्त समिति का यह भी मत है कि लाइसेंस देने वाले विभाग में बैठे अधिकारियों ने बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिल कर कुछ निहित स्वार्थ उत्पन्न कर लिये हैं। उनके लिये कोई नीति निदेश नहीं दिये गये थे जिससे किसी को लाइसेंस देना या न देना केवल उनकी इच्छा पर निर्भर रह गया था।

योजना आयोग देश का एक अत्युच्च निकाय है जिसे देश के लिये योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है। अत्यन्त दुःख की बात है कि इस आयोग के कुछ सदस्यों ने दत्त समिति की सिफारिशों को मानने से इन्कार कर दिया है।

दत्त समिति ने एक सिफारिश यह भी की है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विलास सामग्री उद्योग की क्षमता पर रोक लगानी चाहिये। यद्यपि यह सिफारिश बहुत ही उत्तम है तथापि योजना आयोग ने इसका पूरा विरोध किया है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने दत्त समिति की एक सिफारिश यह भी स्वीकार नहीं की है कि बड़े उद्योगपति केवल मुख्य उद्योगों को ही सम्भाले और शेष उद्योग छोटे उद्योगपतियों या नये उद्योगपतियों के लिये छोड़ दिये जाय।

दिसम्बर, 1968 के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों से ऋण की 23.4 प्रतिशत धन राशि केवल 437 व्यक्तियों को ही दी गई है। यह धन राशि 1 करोड़ रुपयों की है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर क्या अब सरकार इस बात का पता लगायेगी कि किस किस कंपनी पर कितना ऋण शेष है तथा क्या इस प्रकार एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है?

अंत में मैं सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार योजना आयोग या राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाइसेंस के प्राधिकरण में ऐसे लोग रखेगी जो वास्तव में समाजवाद के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं?

क्या पुराने औद्योगिक नीति संकल्प में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन लाने के लिये सुधार किया जायेगा। दोनों क्षेत्रों में शांति पूर्वक सह-अस्तित्व बनाये रखने के लिये दत्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

तीसरे, आइसक्रीम, बिस्कुट या अंगराग जैसी वस्तुओं के निर्माण के लिये विदेशी पूंजी के आगमन को रोकना आवश्यक है। क्या सरकार कम से कम विलास सामग्री के लिये खर्च

होने वाली विदेशी पूंजी पर कोई प्रतिबन्ध लगायेगी : विदेशी एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं किन्तु पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या सरकार कम्पनी-वार, उद्योग-वार अध्ययन प्रकाशित करेगी कि उनके पास बैंकों का कितना ऋण शेष है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नई नीति बनायेगी ?

पांचवा प्रश्न है कि क्या गैर सरकारी फर्मों द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं से लिये गये ऋण को 'ईक्विटी' में परिवर्तित करने की व्यवस्था करेगी ? छठा प्रश्न है कि क्या सरकार नई लाइसेंस नीति निर्धारित करेगी जिसमें छोटे उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी तथा बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपतियों को और लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे । सातवां प्रश्न यह है कि क्या उद्योग तथा वाणिज्य से सम्बन्धित कोई आसूचना पद्धति अपनाई जायेगी । बिना ऐसी पद्धति के यह ज्ञात ही नहीं होता कि उद्योग तथा वाणिज्य में क्या कुछ हो रहा है । अन्त में यह जानना चाहता हूं कि बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा): इस बात पर कोई मतभेद नहीं है विदेश में विषमता विद्यमान है तथा कुछ हाथों में अर्थव्यवस्था केन्द्रित हो गई है । सभा के समक्ष अब प्रश्न यह है कि क्या यह विधेयक देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है तथा क्या इससे एकाधिकार और कुछ हाथों से आर्थिक जमाव को दूर किया जा सकता है ।

यह देखा गया है कि ऐसे कानून अमरीका जैसे पूंजीवाद देशों में भी बनाये गये हैं परन्तु हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुये क्या यह विधेयक लाभप्रद हो सकता है ?

हमारे देश में एकाधिकार को जिस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है, इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमने अपने राज्य में तीन चावल मिल खोलने की मांग की थी और यद्यपि उनके लिये कोई भी यंत्र विदेशों से नहीं मंगाना पड़ता किन्तु इस पर भी केन्द्र सरकार ने केवल एक चावल मिल खोलने की अनुमति दी । स्वाभाविक है कि इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा ही । पंजाब तथा अन्य राज्यों में भी दो या तीन चावल मिल स्थापित करने की अनुमति दी गई है । अतः एकाधिकार को बढ़ावा केवल गल्त नीतियों के कारण मिलता है । यह नहीं कहा जा सकता कि केवल परिस्थितिवश एकाधिकार पनप रहा है । मेरा विचार है कि ऐसे छोटे उद्योगों पर लाइसेंस व्यवस्था न होती तो एकाधिकार को अवसर ही नहीं मिल पाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाजन अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं । अब सभा में श्री काशी नाथ पाण्डे के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

चीनी संबंधी नीति पर चर्चा
Discussion Re: Sugar Policy

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । राज्य सभा में इस मामले पर 4½ घन्टे तक विचार विमर्श किया गया था और यदि इस सभा में

भी इसको पर्याप्त समय नहीं दिया गया तो इस मामले के प्रति न्याय नहीं होगा। मेरा निवेदन है केवल 3 या 4 मिनट किसी भी दल को पर्याप्त नहीं होंगे। अतः समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : दो मामलों पर चर्चा होनी है, एक तो चीनी संबंधी नीति पर तथा दूसरी गन्ने के मूल्यों के मामले पर। यदि दोनों मामलों को मिला दिया जाय तो $2\frac{1}{2}$ घन्टे का समय मिल सकता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It is an important subject and so the time should be extended.

Both the items should be taken together and time allotted to accordingly to the parties because in this way different parties would get more time.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri K. N. Pandey (Padurana) : It has been observed that the price of sugarcane is increased whenever the supply of sugarcane to the factories is reduced whereas the prices of the same are reduced whenever the supply of sugarcane to the factories is increased. This is a fluctuating policy which directly attach the production as well as the producer of the sugarcane. I would like to submit certain figures in this matter in corroboration to my statement, during the year 1951-52 the price of the sugarcane was Rs. 4.69 per quintal. At that time sugarcane was cultivated in 47.92 lakh acres of land. In the year 1952-53 the price of sugar cane was reduced to Rs. 3. 52 per quintal and as a result the acreage of sugar cultivation also reduced to 43 lakh acres of land. Similarly in the year 1967-68 when the production of sugar decreased considerably the Government adopted this policy that the price of sugarcane should be increased. They also proposed a policy of partial decontrol on sugar. As a result of partial decontrol on sugar the price of free sugar increased alongwith the increased price of sugarcane. The price of sugar was fixed at Rs. 10 per quintal by the Government. But it is quite strange that the present price of sugarcane is Rs. 7.35 and this reduction of price will certainly affect the production of the sugarcane next year.

What concerns me much is this that when the price of sugar has been identical throughout the country why the prices of sugarcane are allowed to vary in the different states ? As a result of partial decontrol the prices of sugarcane in U. P. ranged between Rs. 12 to Rs 17 per quintal while in Maharashtra between Rs. 10 to Rs. 15 but in Madras it ranged between Rs. 8 to Rs. 10 only. Naturally, those who paid lesser prices of sugarcane were benefited more and those who paid higher price were benefitted less. I do not think that the policy of partial decontrol has been remunerative to the labour or to the agriculturists.

To protect the interests of the agriculturists was the purpose of imposing control over sugar but the same could be achieved by the Government. Their interests could be protected only when the proper prices of their production could be given by the Goverument. No. doubt the levy price of sugar was Rs. 7.37 but the price of free sugar was so high that they could not get it in the villages.

There is no dispute that the policy of partial decontrol has been an utter failure. But I suggest that the Government should devise a machinary which will study the

fact and try to have stable price of sugarcane should be fixed at Rs. 10 per quintal at the time the sugar should be available to the consumers at fair price and the labour should also be benefited.

During the period of partial decontrol the price of Khandsari was Rs. 375 per quintal, the price of Gur was Rs. 175 per quintal and the levy price of sugar was Rs. 156 per quintal. Is there any justificability in this ? This is a glaring example of injustice done to the farmers. I demand that the price of sugarcane should be fixed at Rs. 10 per quintal and the distribution of sugar, it may be controled sugar, should be made free so that it may be available to all at the fair price.

I am constrained to say that the condition of the labour in the public sector are not couraging. They are not given any kind of facilities. Therefore, I do not think that it would be of any use to nationalise the sugar industry I fear, if this Industry is nationalised it would do a great harm to the country.

At present about 205 sugar mills have been functioning in the country and if this Industry is to be nationalised we would require 205 trained managers. Apart from this a proper machinary is also required to be set up alongwith the proper representation of the farmers and the labour so that the interests of these people could be watched. May I know whether the Central Government or the State Governments have devised any such machinary ?

It has also been suggested by several hon. Members that the sugar Industry should be run on the basis of cooperation. According to the report of the Labour Commission "Membership of cooperative has meant an economic and political benefit, and all this at the expense of workers and the society." Not only this, if we try to know the extent of net profit made by the cooperative factories we will know that it is much less as compared to that of the private factories. Where each Joint Stock Company earns 10 lakhs of rupees the cooperative factory earns only 4 lakhs of rupees. May I know whether these co-operative factories paid the income tax to the Government and whether they provided certain facilities to their employees ? I do not mind if these cooperative factories continue to work but I demand that other private factories which are running smoothly should not be disturbed. Due to the unstable policy of the Government regarding the nationalisation of sugar Industry the Industrilists are unable to give their full attention towards the improvement of this Industry. I request that the Government should give up this attitude and clearly declare what exactly they are going to do in this regard.

I repeatedly requested Shri Jagjivan Ram to take over the Ram Laxman Sugar Mills, in Meerut because of its critical financial position. But neither Centre nor State is willing to take over that Mill which is locked up since five months.

मेरे यही सुझाव हैं कि गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल से कम नही होने चाहिये तथा चीनी का वितरण बैरोक होना चाहिये। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना लाभप्रद नहीं होगा और इन मिलों को सहकारी समितियों में बदलना भी लाभप्रद नहीं होगा। गन्ने के मूल्यों में स्थिरता रहनी चाहिये। कठिनाई ग्रस्त कारखानों की राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को सहायता करनी चाहिये। केन्द्र सरकार ने गत 12 वर्षों में चीनी मिलों से लगभग 800 करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त किये हैं; अतः सरकार को इस उद्योग के विकास के लिये भी कुछ कार्य करना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I suggest that the motion of Shri Naidu should be taken together.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : महोदय ! मैं अपने प्रस्ताव पर अलग से चर्चा करना चाहता हूँ। पहले प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल उपभोक्ताओं और मिल मालिकों से है किन्तु मेरे प्रस्ताव का सम्बन्ध किसान से है। अतः मैं अपने प्रस्ताव को इसके साथ मिलाना नहीं चाहता।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय ! चीनी की नीति ऐसी रही है जिससे प्रति वर्ष चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव होता रहा है। भारत सरकार ने इस नीति को केवल समय के अनुसार बनाने बिगाड़ने का प्रयत्न किया है उसने कोई ऐसी नीति नहीं रक्खी जो स्थिर रह सके। अतः मेरा निवेदन है कि एक दीर्घ-कालिक नीति बनाई जानी चाहिये जिसमें उपभोक्ता के हितों को, किसान के हितों को तथा निर्यात की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा सके।

गत वर्ष 35.5 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया तथा अगले वर्ष 40 लाख टन चीनी उत्पादन होने की सम्भावना है, जिससे 12 से 15 लाख टन चीनी बचेगी। अतः यदि हमारी नीति व्यवस्थित होनी चाहिये तथा दीर्घकाल को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिये जिससे कि आगामी वर्षों में कोई कठिनाई न हो।

यहां एक उद्योग है जिसका सम्बन्ध खेतीहरों से ही है। इसमें 2 करोड़ से भी अधिक कृषक कार्य करते हैं। अन्य देशों में इस उद्योग को बागान कहा जाता है न कि उद्योग। चीनी नीति अथवा चीनी उद्योग की चर्चा करते समय हमने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। मुख्यतया इसका सम्बन्ध कृषकों से है और यदि नीति में परिवर्तन किया जाये, जो वर्तमान संदर्भ में अनिवार्य है, तो यह देखना होगा कि इससे कृषकों को कितेनी सुविधाएं मिलती हैं।

गन्ना अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत प्रथम बार जो गन्ने के मूल्य निर्धारित किए गए थे वह यह देखते हुए किए गए थे कि इस उद्योग को 1932 में संरक्षण दिया गया था। इस उद्योग को संरक्षण देने का उद्देश्य कृषकों के हितों की रक्षा करना था।

{ **श्री के. ना. तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.* }

परन्तु, इस उद्योग ने संरक्षण का दुरुपयोग किया जिसके फलस्वरूप गन्ना मूल्य अधिनियम, 1934 बनाया गया जिससे कि उद्योग सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य अदा करे परन्तु यह मूल्य खेती की लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया। 35 वर्षों में 15 समितियां बनाई गईं परन्तु केवल एक समिति ने खेती की लागत पर ध्यान दिया, परन्तु इस समिति की सिफारिशों को लागू ही नहीं किया गया है। अतः अब समय आ गया है कि खेती पर होने वाली लागत को देखते हुए केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जाए जिससे कृषकों को उचित और अधिक लाभ हो।

दूसरे, गन्ने की खेती करना एक प्रकार का बागान-उद्योग है और कृषि पर आधारित उद्योग है। चाय अथवा कॉफी बोर्ड की तरह इसके लिए कोई बोर्ड नहीं है। देश में गन्ने के मूल्य को नियमित करने के लिए एक चीनी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए चीनी सम्बन्धी नीति बनाई जानी चाहिए। वर्तमान चीनी निदेशालय न्याय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह समझते हैं कि यदा कदा जो चीनी सम्बन्धी नीतियां बनाई जाती हैं वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती बल्कि किसी एक विशेष वर्ग के प्रभाव में आकर बनाई जाती हैं। इस मामले को मुख्य मन्त्रियों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है जो चीनी सम्बन्धी निदेशालय की ही तरह हैं। गन्ना नियन्त्रण आदेश, 1966 में उल्लेख किया गया है कि गन्ने के मूल्यों का निर्धारण करने से पूर्व विभिन्न राज्यों में गन्ने की खेती करने वाले कृषकों की संस्थाओं से परामर्श किया जायेगा, परन्तु ऐसा किया नहीं गया है। यह बात सही है कि गन्ने की कीमतों का निर्धारण करते समय कृषकों के हितों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अन्तर्गत साविधिक उपबन्ध का उल्लंघन किया है। अब समय है गन्ने का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व कृषकों को अपने विश्वास में लिया जाए और उनसे इस सम्बन्ध में परामर्श किया जाए।

उत्पादन शुल्क के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक धन राशि वसूल की जाती है और अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में चीनी के उत्पादन की लागत कई गुना अधिक है। जब हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन है तो हमें प्रतिवर्ष 3 लाख टन से अधिक निर्यात करना चाहिए जब कि वास्तव में हम केवल 90,000 टन निर्यात कर सके हैं। इसका उपाय है उत्पादन लागत में कमी करना और यह तभी हो सकता है जब गन्ने की प्रति एकड़ की उपज और गन्ने में चीनी का अंश बढ़ाया जाय; परन्तु इस बारे में राज्य सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। वे सारे देश में से क्रय कर तो एकत्र कर लेते हैं परन्तु इसमें से गन्ने के विकास तथा आधार भूत सुविधाओं पर केवल 30 या 40 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है और शेष को सामान्य राजस्व मान लिया जाता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिये और क्रय कर की समस्त राशि गन्ने के विकास कार्य पर लगाने के लिये राज्य सरकारों पर दबाव डालने हेतु एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए जिससे खेती की लागत तथा चीनी का उत्पादन खर्च कम हो सके।

उप-उत्पादों के उपभोग के सम्बन्ध में हमें दो उप-उत्पादों पर विचार करना है, जिनमें एक 'खोई' और दूसरा 'शीरा' है। खोई से हम कागज बना सकते हैं और इससे कागज की कमी दूर हो सकती है तथा इससे चीनी उद्योग को चीनी की उत्पादन लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

हमने शीरे के वितरण, इसके संग्रह तथा इसके मूल्यों पर 1941 से नियन्त्रण लगा रखा है। ब्रिटिश सरकार ने दूसरे महायुद्ध के दौरान आपातिक उद्देश्य से शीरे पर नियन्त्रण लगा दिया था, जो दुर्भाग्य से अब तक चला आ रहा है। शीरे का मूल्य लगभग 7 रुपये प्रति टन है जिससे उसके संग्रह की लागत भी पूरी नहीं होती। परन्तु चोर बाजार में यही मूल्य 700 रुपये प्रतिटन हो गया है। यदि शीरे पर से नियन्त्रण हटा दिया जाए और इस खुले

बाजार में बेचा जाए तो चीनी की उत्पादन लागत में कमी आए और चीनी उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर मिल सकती है।

आंशिक विनियन्त्रण के बारे में इससे गन्ना उत्पादकों को आंशिक रूप में सुविधा व लाभ हुआ है परन्तु मिल मालिकों को पूर्ण लाभ पहुंचा है। अतः नियन्त्रण समाप्त करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करना चाहिए।

सरकार को चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर के अपने हाथ में ले लेना चाहिए क्योंकि चीनी उद्योगपति गन्ना उत्पादकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। और गुण्डु राव समिति की सिफारिशों को भी लागू नहीं कर रहे है। गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां बना कर इन उद्योगों को इनको दे देना चाहिए। जहां तक कारखानों को मुआवजा देने का सम्बन्ध है राष्ट्रीयकृत बैंक इसके लिए इन सहकारी समितियों को ऋण दे सकते हैं। यह ऋण 3 से 5 वर्ष के बीच मिलों को दिए गए गन्ने के मूल्य से वसूल किया जा सकता है। कृषक इन कारखानों का अधिक दक्षता से प्रबन्ध कर सकते हैं।

अतः खाद्य मन्त्री से निवेदन है कि वह चीनी बोर्ड की नियुक्ति करे और गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे जो 10 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए और इससे कृषकों की समस्या का समाधान हो जायेगा।

***श्री को० सूर्यनारायण** (एल्लूरू) : सरकार का कहना है कि जो भी विधान बनाए गये हैं वे सब कृषकों की सहायता के लिए ही बनाए गये हैं। परन्तु कृषकों की धारणा इससे बिल्कुल भिन्न है। मन्त्रियों के दौरों के दौरान कृषकों ने उन्हें अपनी कठिनाइयां बताईं। परन्तु खेद की बात है कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। चीनी उद्योग का भविष्य उज्जवल है। गत दस वर्षों में कृषकों ने गन्ने की खेती पर बहुत धन लगाया परन्तु जब उससे लाभ के फल का समय आया तो सरकार की नियन्त्रण और विनियन्त्रण की ढुलमुल नीति ने उनको हतोत्साह कर दिया।

देश में काफी बोर्ड हैं, चाय बोर्ड है परन्तु इतने लाभप्रद उद्योग की नीतियों के विनियमन तथा निर्देशन के लिए कोई बोर्ड नहीं है। अतः ऐसे बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से अलाभकारी चीनी उद्योगों के स्थान पर अपने उद्योग चलाए। इन कृषकों के सम्मुख मुख्य कठिनाई है कि उन्हें भिन्न भिन्न कार्यों के लिये राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार तो उन्हें लाइसेंस देती है और केन्द्रीय सरकार मूल्यों का निर्धारण करती है। कारखाने के सुचारु रूप से चलने अथवा न चलने का राज्य सरकार को कोई सम्बन्ध नहीं। केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाती। यदि कृषक को लाभ पहुँचाना है तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को आपस में मिलजुल कर इस सम्बन्ध में नीतियां बनानी पड़ेंगी और चीनी उद्योग को सहकारिता के क्षेत्र में लाया जाए तो स्थिति में और सुधार हो जायेगा। महाराष्ट्र

*मूल तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त अनूदित रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of original speech detruesod in Telgu.

राज्य में सबसे अधिक चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। अन्य राज्यों में नहीं है क्योंकि उनकी नीतियां खराब हैं। कृषकों तथा कारखानों के संचालन में कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल राज्य में सहकारी समितियों में हो रहे घोटाले के कारण है। राज्य सरकार इस गड़बड़ को समाप्त करना नहीं चाहती जिसके परिणामस्वरूप इन कारखानों को सफलता नहीं मिलती। सारी गलती राज्य सरकार की ही है। सुझाव दिया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र से चीनी उद्योगों को हटाकर उन्हें सरकारी क्षेत्र में कर देना चाहिए। परन्तु उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में उद्योगपति इन उद्योगों को ही समाप्त करने का विचार कर रहे हैं। जब हमारे देश से कम विकसित और आर्थिक रूप में पिछड़े हुए अन्य देश केवल चीनी ही नहीं अपितु अन्य कृषि उत्पादनों का हमसे अधिक उत्पादन करने में समर्थ हैं, तो हम यहां पर हाथ पर हाथ धरे बैठे केवल संकल्प पास करते हैं। सरकार की भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति बहुत निराशाजनक है, इसलिए कृषक भी गन्ने की खेती में धन लगाने से कतराता है, क्योंकि सरकार की जो नीति है वह बहुत ढुलमुल है और इस पर से लोगों का विश्वास हट गया है। इसलिए श्री नारायण रेड्डी तथा श्री काशी नाथ पांडे के सुझावों पर अनुकूल रूप में विचार किया जाना चाहिए और उन्हें सरकार को मानना चाहिए। केन्द्र केवल चीनी की देश में मांग को ही पूरा नहीं करता अपितु चीनी का निर्यात भी करता है।

सरकार को चाहिए कि वह चीनी बोर्ड की तुरन्त स्थापना करे और इस बोर्ड में कृषक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिन्हें उद्योग का ज्ञान तथा अनुभव हो।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : राष्ट्रीयकरण तथा नियन्त्रण के विषाणुओं ने हमारे नेताओं को इस सीमा तक दूषित कर दिया है कि वे स्थिति की सत्यता का आदर नहीं करते और उद्योग की समस्याओं को बिल्कुल नहीं समझते। किसी उद्योग अथवा किसी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार के पास यह बहुत सबल बहाना है। हाल में एक बहुत विचित्र बात पैदा हो गई है कि राज्य सरकार राज्य में स्थित किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इस बारे में मैं तो राज्य सरकारों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे उनके क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को भी अपने अधिकार में लेलें क्योंकि जब विधि मंत्रालय के मतानुसार उत्तर प्रदेश में किसी एक विशेष उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है तो यह भी किया जा सकता है, तो यही नियम केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों पर भी लागू हो सकता है। इस बारे में मैं विधि मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि उसकी अन्तिम प्रतिक्रिया क्या है ?

1967–68 तथा 1968–69 से चीनी के उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस प्रकार से इन उद्योगों का प्राधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि संकट की इस स्थिति में केवल कृषकों, गन्ना उत्पादकों को ही नहीं अपितु उद्योगों को भी यदि कुछ छूट तथा प्रोत्साहन नहीं दिया गया होता तो चीनी जो अतिरिक्त उत्पादन आज हमें दिखाई दे रहा है, वह नहीं हो पाता।

गुड़ तथा खांडसारी की समस्या का स्थायी उपाय खोजने तथा पूर्ण सन्तुलन लाने के लिए हमें कोई हल सोचना पड़ेगा। गन्ने के उत्पादन, बिक्री, स्वामित्व अथवा वितरण के बारे में कोई दीर्घकालिक उपाय सोचना पड़ेगा। जहां तक चीनी, खण्डसारी तथा गुड़ के वर्गीकरण का

सम्बन्ध है, इसे भारत की जनता के निर्णय पर ही छोड़ देना चाहिए कि उनकी इस सम्बन्ध में क्या इच्छा अथवा मत है। तभी चीनी उद्योग के लिए चौथी योजना के 48½ लाख टन के पुनरीक्षित लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है।

हमें इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा होते हुए देखना है और इसके साथ साथ यह भी देखना है कि लोग उत्तरोत्तर अधिक अच्छा खा सकें और पहन सकें। सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोग खण्डसारी और गुड़ के प्रयोग को छोड़कर श्रेष्ठ प्रकार की चीनी का प्रयोग करें और ये पदार्थ उन्हें आसानी से सुलभ हों। यहां तक कि देश के निर्धन व्यक्ति को भी चीनी सुगमता से उपलब्ध हो।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात निर्यात के लिए चीनी के कोटे से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संघ के द्वारा भारत को 3½ लाख टन का जो कोटा दिया गया है, अन्य देशों की तुलना में इस समय हमारे देश में चीनी का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण, उस की पूर्ति नहीं हो सकती। यूरोप के अनेक देश हमारे चीनी के कोटे को खरीदना चाहते हैं और यह ऐसा सुअवसर है जबकि हम अपने भावी अधिकारों को खोये बिना ही इस क्षेत्र में बने रह सकते हैं; क्योंकि हम अपने कोटे के अनुसार चीनी का 2–3 वर्षों तक निर्यात नहीं कर सकते। अतः सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और अपना कोटा बेच देना चाहिए।

चीनी उद्योग के लिए एक विकास परिषद है परन्तु खेद का विषय है कि यह परिषद सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है। इस बात का साफ संकेत मिलता है कि विकास परिषद के निर्णय के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए जो अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है, उसे वर्तमान एककों को देना चाहिए जिससे घाटे वाले एकक पुनः सामान्य कार्य करने लगें, और तभी सरकार को अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की बात सोचनी चाहिए। किन्तु घाटे वाले क्षेत्र के बारे में तो सरकार कुछ करेगी ही नहीं। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि सरकार सार्वजनिक धन का अपव्यय करे और घाटे वाली मिलों को अपने अधिकार में ले। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि घाटे वाली मिलों को अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकें अथवा उपभोक्ताओं के हितों तथा उद्योग के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए हमारे औद्योगिक एककों को सम्पूर्ण उत्पादक नीति तथा आदर्शों का प्रतिपादन करना चाहिए। इससे इस उद्योग के विकास में बिल्कुल बाधा नहीं पड़ेगी।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Sugar Industry is the second biggest industry in India. So for as U. P. and Bihar are concerned, the economy of both these states depends very munch on the sugar industry. Protection was given to this industry in 1930 when sugar had to be exported from India, moreover the object of giving protection to this industry at that time was to safeguard the interests of the sugar cane growers and labourers. But by and large the industry misused this protection and the interests of the sugar cane growers were overlooked. With a view to fixing the prices of sugarcane, giving safeguards to the labourers and sugarcane growers, distribution, etc. the interim Government of Uttar Pradesh enacted a sugar Factory Act in 1937-38, providng that the Government would regulate all these things but the State Government had to lose this right in 1951 when the Central Government enacted the Industries Central Regulation Act and Central Government started fixing prices of sugarcane issuing licenses to the mills, the condition of the mills in U. P. and Bihar started in 1936 has become very critical and its machinery has not been modernised.

In the last years' budget proposals there was provision for modernisation rebate development rebate, loan facilities, rebate in sugarcane and maintenance rebate of 2 percent, but the Mill owners, instead of repairing and modernising there machinery expanded theire factory. They increased the crushing capacity for their own ends which resulted heavy losses to the cane growers and farmers. Moreover the consumer could not get sugar at reasonable prices.

A decision was arrived at in the Cabinet that sugar industry should be nationalised in the country. The peopls in Uttar Pradesh are demanding nationalisation of the sugar mills in the State. According to the opinion of Law Ministry of the State Government the State Government cannot nationalise the sugar industry in the state unless the entire sugar industry in the country is nationalised but the opinion of the Union Law Ministry is that a State Government can nationalise any sugar industry situated with in the state. In this context I request the hon. Food Minister that necessary amendments should be brought in the Regulation Act of 1951 and the right of fixing the price of sugarcane should be given to the State Governments. An autonomous Corporation should be constituted for the sugar industry. Then only the interests of the farmers labours and the consumers ean be served. Neither the Central Government nor the State Government is seriously discharging its reponsibility but on the contrary they throw their responsibility on each others shoulders, which is harms the interests of cane growners, farmers and the consumers. This cannot go for long.

Shri Sharda Nand (Sitapur) : The entire country is worried about the problem of the sugar industry. The sugar industry in the country is like a sick child. It is not functioning on proper lines. Now the question is whether the sugar industry should be nationalised or it should be allowed to function in the cooperative sector. If the sugar industry is to be nationalised, the question arises as to how to provide finances for nationalisation. Moreover, there is apprehension of losses to the Government.

My state is the biggest sugar producing centre in the country. There are about 71 sugar factories in my state and most of the factories are in the private sector although some of them are in Cooperative sector also. But the condition of most of the factories is very critical and they are facing economic and other crises. Let me tell my hon. friends who are demanding nationalisation that last year Government had taken over Gorol Sugar Factory in Bihar, but it is yet to start functioning. Government has not cleared the arears of the farmers and the employees of this mill so far.

The biggest problem is the sense of uncertainty prevalent among the farmers. When less sugarcane is produced, sugar mills make a hue and cry and only then the Government enhances sugarcane prices instead of giving the farmers proper price from the beginning. The cost of production in Government farms comes to Rs. 3826/35 per hectare, while they get water supply at reduced rates. But the farmers have to pay more for water. If the present rates of sugarcane are not increased, the cultivators would be ruined.

Large amounts of number of cultivators are still due from the mills to the cultivators. According to the Government this figure amounts to Rs. 2995.82 lakhs. The farmers did not know so far why this amount was not being paid to them. **

What are the reasons for which the mill owners are not clearing the dues of sugarcane producers.

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the chair.

Mr. Chairman : The hon. member may please sit down This is against he dignity of the House.

Shri Sharda Nand : It is a well known fact.

श्री रणजीतसिंह : उन्होंने सच्ची बात कही है।

Mr. Chairman : This would not go on record.

Shri Sharda Nand : The cultivators has now understood as to why mill owners do not pay their dues and also why the Government is not pressing them for it.

Mr. Chairman : The language used by the hon. Member is not worthy of record.

Shri Sharda Nand : There is no body to pay heed to the difficulties of the cultivators. Our Food Minister has stated that sugar Mills of Madras and Mysore are running smoothly. What has happened to the sugar mills of Uttar Pradesh. Even the mills run by cooperatives are running in loss. I propose that cultivators be made owners of the mills. For this purpose an autonomous corporation may be formed consisting of the reprsentatives of farmers, labours, and consumers. The representatives of farmers and other in Legislative Assemblies should also be included in that corporation.

I suggest that the mills running smoothly may not be disturbed, Remedies should, however, be found out from those mills whose condition is disturbing.

श्री एस० कन्डप्पन (मेट्टूर) : पिछले कुछ वर्षों से चीनी उद्योग को कई कारणों से क्षति हो रही है। खेद है कि सरकार ने चीनी के बारे में दीर्घकालीन नीति निर्धारित नहीं की है। पहली भूल तो उस समय हुई जब श्री जैन खाद्य मंत्री थे, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को गन्ने के क्षेत्र घोषित करने के रूप में सामने आई थी। सच्ची बात यह है, विन्ध्या के दक्षिण की ओर का क्षेत्र गन्ने की फसल के अधिक उपयुक्त है क्योंकि तीन महीने बहुत सर्दी पड़ने के कारण उत्तर में गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ नहीं पाती। पंजाब तथा उत्तर के अन्य राज्यों में उपज 30-35 टन प्रति एकड़ से बढ़ नहीं पाई, जबकि दक्षिण में उपज 60-70 टन प्रति एकड़ तक होती है और औसत उपज 45 से 50 एकड़ होती है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह दक्षिण में कानपुर के ढंग की एक संस्था स्थापित करें क्योंकि ऐसा करने से चीनी की उपज बहुत बढ़ जायेगी।

अब चूंकि उत्तर क्षेत्र में कारखाने स्थापित हो गये है, सरकार को भविष्य के लिए कोई फसल ढांचा निश्चित करना चाहिये। तामिल नायडू में पर्याप्त दालें नहीं होती। अब हम लोग गेहूँ खाने के अभ्यस्त हो गये हैं। भविष्य में ऐसा न हो कि सरकार यह कह दे कि हमारे लिये उनके पास गेहूँ नहीं है। वहां की सरकार दालों की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के प्रयत्न कर रही है। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से यह अच्छी बात नही है। परन्तु यदि दालें हमें पंजाब और मध्य प्रदेश से न मिल पाए तो हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करनी ही है।

मैं यहां कहना चाहता हूँ कि यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे देश भर की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा आयोजन करे कि जिन क्षेत्रों में जो वस्तु अधिक लाभ-प्रद ढंग से उपजाई जा सकती है उसी की खेती वहां पर की जाए ; राज्यों की आत्म निर्भरता न तो आवश्यक है और न आर्थिक दृष्टि से लाभदायक ही ।

गन्ने के मूल्य के बारे में तथ्य यह है कि मेरे प्रदेश के किसान चिल्लाते हैं कि उन्हें उत्तर के किसानों की तुलना में गन्ने का मूल्य बहुत कम मिलता है । वहां प्रति टन अधिकतम 70 से 73 रुपए तक दिया जाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 रुपये प्रति टन मिलता है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि चीनी के मूल्य को विनियमित करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को भविष्य में कोई कठिनाई न हो । क्या चौथी योजना में अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था की गई है अथवा वर्तमान मिलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाएगी ?

मैं अपने राज्य की बात कहना चाहता हूँ । तमिल नायडू की निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र की मिलें किसानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पातीं । गन्ने का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि खेतों में 13–15 महीनें फसल खड़ी रहती है । मुझे पता चला है कि गन्ने की फसल के अधिक समय तक खड़े रहने से शक्कर की मात्रा कम हो जाती है जिससे किसानों को और मिलों को भी हानि होती है । कम से कम, सहकारी क्षेत्र में कुछ नये कारखाने खोलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केन्द्र द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये । सलेम जिले में एक सहकारी कारखाना अपनी पूरी लागत निकाल चुका है और उसे इस वर्ष 30 लाख रुपये का लाभ रहा है । क्षेत्र बढ़ने के कारण हमने अतिरिक्त क्षमता के लिए मशीनों के आयात के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था जिसका कोई परिणाम नहीं निकला ।

सभापति महोदय : आप मशीनों का आयात क्यों करना चाहते हैं, जबकि वे देश में ही निर्मित होती हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : मशीनों के लिए हमने देश से टेंडर मांगे थे । हमें बताया गया कि उनके निर्माण में दो वर्ष लगेंगे । इसमें केवल कुछ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अपेक्षित है । फसलें खड़ी हैं । क्या किसानों के हित संरक्षण के लिए सरकार कुछ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी नहीं दे सकती । हमने अपने राज्य में हर कारखाने के आस-पास सहकारी फार्मों का जाल-सा बना लिया है । मेरा सुझाव है कि भविष्य में ऐसे क्षेत्रों को ही लाइसेन्स दिये जायें जो गन्ना उपजाने के लिये अधिक उपयुक्त हैं ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I am more concerned with the prices of sugar cane then with the prices of sugar, as the peasants who grow sugarcane do not get sugar. These days everyone thinks that the farmers are taking plenty of things and also earning a lot of money. The production cost of every commodity, particularly of sugarcane, has gone up and the peasants are finding it very hard to meet it. Sugar-cane sucks their blood.

It is a pity that fire wood is being sold Rs. 20/- per quintal, whereas they are reluctant to agree to a price of Rs. 10/- per quintal for sugar cane. I request that the price of sugar can be increased to Rs, 15/- or at least Rs. 12/50- per quintal.

Mr. Chairman : It is not ten but seven.

Shri Randhir Singh : It was decided to fix the price at Rs. 10/- by the committee of which you and I were members and Babuji was the chairman.

Mr. Chairman : But that price was not accepted, by any body.

Shri Randhir Singh : I agree with Babuji that it is a State subject. I wish that he should be given full powers in these matters. Cultivators of every State strive hard for growing sugar-cane throughout the year. Thereafter they have to agitate for a reasonable price for their produce. Please decide the price once for all and implement it strictly. Whereever violates it should de black-listed.

Secondly. whenever a commission is appointed to fix prices non-coltivators are nominated on it. They may be experts in various theories but they do not have knowledge of various crops. So, the people who really represent the cultivators should be selected for such commissions.

Thirdly, there is a ceiling in every sphere, whether it be land, prices on carrying of goods from one State to another. Why do the Government not fix a ceiling on Tatas and Birlas in the cities. There is no ceiling on prices of iron products, cloth, cement and agricultural implements. There should be parity in prices. Molasses is the product of sugarcane which is given to contractors. If it is sold in free market the income accruing there from can be utilized for paying higher price of sugarcane.

The pear cane growers of Uttar Pradesh, Punjab and other places have to sell their produce at lower prices. These people have invested money which they were able to borrow which a great difficulty and it higher rates of interest. They do not get payment of sugercane supplied by them for many months from mill owners. That money should be realised forthwith from them with compound interest.

The farmers of today have become wiser. They know which crop is beneficial to them.

I cannot say whether it is beneficial to decontrol sugar on to continue controls over it but the mills should not be allowed to earn exorbitant profits.

Eighty percent of our people live in village and at least 70 per cent of suger should be distributed in villages. What a strange thing it is that the growers do not get share in the commodities produced by them. Sugar quota should be given to villagers so that they may also enjoy various sweets.

Land should be belong to the tillers of the soil and middle men must go, as they take away major share of profits.

I appreciate the suggestion for the formation of a sugarcane board similarly as we have Tea board and Coffee board, so that it may give more incentives to cane growers. They should be free to take their produce for marketing wherever they like. No such practice should be allowed to continue as may create a feeling among the peasants that they are being dealt with in an indifferent manner and are not getting due return from their produce.

I want that more and more incentives should be given to the cultivators, price of sugarcane should be fixed and its payment to farmers should be ensured.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : What should be our policy in regard to sugar, fixation of price of sugarcane, price of sugar and the steps to be taken to save the country from the attitude adopted by mill owners, these are the matters under, our consideration.

The mill owners complain that they are running in loss. On the other hand, the peasants complain that they get loss price for their produce. Our Government is, in fact, weak even in the matter of policy-making and they give different reasons at different occasions. But in order to save the industry, especially in U. P. where there are 78 mills, some policy must be formulated.

Various reports have been submitted wherein it is stated that business men have looted the country to a great extent. The Zamindari of sugar mills is still there in their respective areas. A 'Kohlu' cannot be installed and Gur cannot be manufactured there. If the Mills are running in losses, wherefrom their cars and bungalows have come ? On the other hand they say that how the mills would function if they are taken over by the State. But if the mills cannot be run by the Government, they can be well managed by cooperatives, as has been suggested by some hon. Members. But our Government is bent upon ruining this industry. It is not prepared to take any steps.

The Uttar Pradesh Government passed a resolution on 5th October for the nationalisation of sugar mills before the start of season.

It is a constitutional question whether the Central Government can take over sugar mills or not. Shri C. B. Gupta is running the organisation with the money he receives from the owners of sugar mills and that is why he is against nationalisation of sugar mills.

In this way we cannot bring socialism in the country. The condition of farmer is very bad in eastern U. P. The farmers do not get a square meal there. The big people-i. e. mill owners make huge profits. The growers had to resort to strike and thereafter the price of sugarcane was increased. Now the cost of production has gone up. The prices must be increased again.

The big mill owners adopt dubious methods. About two crores persons are engaged in this industry. It should be served from ruination by nationalising it. The price of sugarcane should be fixed at Rs. 10/- per quintal.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : चीनी पर आंशिक नियन्त्रण की नीति की घोषणा के समय भी हमारी पार्टी ने कहा था कि यह नीति बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाभ के लिए अपनायी जा रही है। इससे उन्होंने चोरबाजारी आरंभ कर दी। परन्तु सरकार ने कहा कि यह गन्ना उत्पादकों को अधिक दाम दिलाने के लिये किया जा रहा है। चीनी मिलों के मालिक इस घाटे को खुले बाजार में चीनी बेचकर पूरा कर लेंगे। इस प्रकार मालिकों को बहुत कम मुनाफा होगा। इस नीति के लागू रहने के बाद यह पता चला है कि मिल मालिकों को छः गुना लाभ हुआ है।

मैंने सोचा था कि इसके बाद सरकार नीति में परिवर्तन लायेगी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। बड़े उद्योगपतियों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ हुआ है। इससे यही सिद्ध होता है कि आंशिक नियन्त्रण की नीति से मिल मालिकों को ही लाभ हुआ।

कर्मचारियों को अभी तक 1960 में नियत की गई दरों पर मजूरी दी जा रही है। अब जब खुले बाजार में कीमतें कुछ कम हुई हैं तो मालिकों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया है।

अब तो केवल यही एक हल है कि समूचे देश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। यह कार्य राज्य सरकारों से नहीं हो सकता।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : There is a sugar crisis after every three or four years. Has Government considered over it ? It is the case when more and more sugar mills are being set up. I forecast another crisis after two years. It is due to faulty policy of Government.

Now I will refer to the last crisis in sugar industry. The growner was paid about Rs. 5/-per quintal and millowners were selling sugar at a higher rate and thus making huge profits. Government was playing in the hands of these big magnates. By the introduction of policy of partial decontrol no benefit has accrued to the growers of sugarcane. This year the production of sugar is going to be about 40 lakh tons. I want to warn that if proper steps are not taken, the production will go down. The growers deserve a fair deal. Government should adopt a realisti policy in regard to the prices of sugarcane.

North Indian growers cannot compete with the growers of Maharashtra and South India. Government should take this factor into consideration before taking adecision on policy in regard to sugar. The minimum price of decontrol should be fixed. The old mills should be replaced by new ones. The cooperatives should be encouraged to set up mills. the nationalised mills should be brought under the control of cooperatives. I hope the new socialists will nationalise sugar mills.

श्री एस० एम० कृष्ण (मान्डया) : श्रीमान् गन्ना उत्पादकों का काफी समय से शोषण हो रहा है। सरकार को उनके हितों का ध्यान रखना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र ने तो गड़-बड़ की है, साथ ही सरकार भी दोषी है। मैं समझा नहीं कि सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देती ?

गत वर्ष इसी प्रकार की चर्चा के समय मैंने कहा था कि सरकार एक जैसी नीति का अनुसरण क्यों नहीं करती ? मेरे क्षेत्र में दो चीनी मिलें हैं और तीसरी की स्थापना की जा रही है। यह निजी क्षेत्र में है। गत वर्ष दो मिलों ने भिन्न भिन्न दरों पर गन्ना खरीदा। यह ठीक नहीं है, जबकि दोनों केवल आठ मील की दूरी पर स्थित है। अतः मैं पुनः कहूंगा कि गन्ने के मूल्य के बारे एक समान नीति अपनायी जानी चाहिये। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विस्तार की बहुत गुंजायश है। अतः उन क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, this question of sugar industry has always remained a matter of tussle between mill owners and sugarcane growers. Both the parties believe that they are being put to loss. Government should not give false promises to any party.

I come from U. P. many mills in that State are in a state of crisis. These mills should be taken over by Governmeut. Many mills are in huge arrears in the matter of payment to the growers. This was admitted by the hon. Minister here. These mills have to pay Government taxes also. Government should take necessary and ensure the payment of arrears to farmers.

By nationalisation of mills I do not mean their officialisation. I want that these mills should be brought under the control of cooperative societies of farmers. This step should be taken by the Central Government and should not be entrusted to the State Governments. A chief Ministers' conference should be convened to consider this matter.

खाद्य, कृषि तथा श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : चीनी उद्योग हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कुछ राज्यों में तो यही एक उद्योग है। चीनी उद्योग में बड़े उतार-चढ़ाव आये हैं। इसके बारे में कोई स्थायी नीति नहीं है। गत 25 वर्षों में इस पर कभी नियन्त्रण रहा और कभी इसका विनियन्त्रण हुआ। मैंने इस सम्बन्ध में गन्ना उत्पादकों, सहकारी समितियों के अधिकारियों आदि से भी बातचीत की है।

चीनी के बारे में स्थायी नीति बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि समय-समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। चीनी हमारे समूचे देश और सभी नागरिकों के लिये आवश्यक वस्तु है। इसके बारे में निर्णय करना होगा।

मैंने अनेक विशेषज्ञों की रिपर्टों का अध्ययन किया है। हम यह कह सकते हैं कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य नियत किया जाये और यह 10 वर्षों के लिये हो। परन्तु इसके परिणाम क्या हैं? जब आंशिक नियन्त्रण लागू किया गया था, उस समय मैंने यह नहीं कहा था कि मिलों को लाभ नहीं होगा। उन्हें लाभ तो होना ही चाहिये। 1967 में गन्ना उत्पादकों को बहुत लाभ हुआ था। 1968 में उतना लाभ नहीं हुआ। यह सरकार की नीति के फलस्वरूप हुआ और इस पर हमें प्रसन्नता है।

उत्तर प्रदेश में चीनी के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई है। वहां पर यह उद्योग 35 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। इन वर्षों में वहां के चीनी मिल मालिकों ने मिलों में नई मशीनरी लगाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में स्थित 71 कारखानों में से मुश्किल से केवल 5 कारखाने 10 वर्ष से पुराने नहीं हैं। उत्पादकों और सरकार को देय गन्ने के मूल्यों की बकाया रकम के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हम राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्यों को वसूल करने के बारे में कार्यवाही करने के लिये लिखते रहे हैं। इस बारे में हम कार्यवाही नहीं कर सकते। उक्त बकाया धनराशि को बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल करने के लिये उचित कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है।

उक्त बकाया धनराशि और पुराने संयंत्रों के उचित ढंग से काम न करने के कारण उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठा था।

जहां तक उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न है यदि उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है तो इस बारे में कोई कानूनी और संवैधानिक कठिनाई नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)**

उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने इसलिये उल्लेख किया है क्योंकि चीनी उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने का आन्दोलन वहीं से आरंभ हुआ था। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से बहुत से राज्यों का सम्बन्ध है। लगभग सभी दलों ने इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में मुझे लिखा था। अतः उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे अधिक ध्यान देना पड़ा।

इस उद्योग के बारे में समूचे रूप में गहन अध्ययन और जांच करना आवश्यक है।

श्री क० ना० तिवारी (बैतिया) : कांग्रेस सरकार की मिश्रित आर्थिक नीति है। क्या सरकार का विचार उसका परित्याग करने का है ?

श्री जगजीवन राम : चीनी उद्योग सरकारी क्षेत्र में है, गैर-सरकारी क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में भी है। हमारा चीनी उद्योग 30 वर्ष पुराना हो गया है और इस अवधि में इसमें बहुत विकास हुआ है। अतः इस समय चीनी उद्योग के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का यह उचित अवसर है। समिति कारखाना—उत्पादक सम्बन्ध, गन्ने के मूल्य का भुगतान, संयंत्र और मशीनों की स्थिति के बारे में और चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की वर्तमान मांग के कारणों की जांच करेगी। संकटग्रस्त मिलों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिये समिति कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे सकती है। सरकार का चीनी उद्योग की सब समस्याओं का अध्ययन करने के लिये शीघ्र एक समिति नियुक्त करने का विचार है। समिति इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : समिति कब तक अपनी सिफारिशें दे देगी ?

श्री जगजीवन राम : वह उचित अवधि में अपनी सिफारिशें दे देगी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या समिति इस सम्बन्ध में गन्ना उत्पादकों के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जी, हां। अगले वर्ष देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है। हमें इसकी खपत को भी प्रोत्साहन देना होगा और हम चीनी के निर्यात की सम्भावना के बारे में भी जाँच कर रहे हैं।

———

गन्ने और गुड़ के मूल्यों में गिरावट के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. FALL IN PRICES OF SUGARCANE AND GUR

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : दो वर्ष पूर्व गन्ना उत्पादकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय सरकार ने उनकी मदद की। मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि गन्ना उत्पादकों को 100 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से लाभ मिलना चाहिये क्योंकि चीनी का 40 प्रतिशत भाग खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई थी। केवल गैर-सरकारी कारखानों द्वारा इस व्यवस्था को क्रियान्वित नहीं किया गया है। जब गन्ना उत्पादकों ने सरकार से इस बारे में विरोध किया तो सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह उनको इसे क्रियान्वित करने के लिये मजबूर करेगी लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यद्यपि इस वर्ष गन्ने का मौसम आरम्भ हो गया है फिर भी सरकार ने गन्ने के भाव निश्चित नहीं किये हैं। सरकार को गन्ना उत्पादकों के प्रति सहानुभूति नहीं है। यदि सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये प्रति टन निर्धारित नहीं करेगी तो गन्ना उत्पादक गन्ने की बुआई बन्द कर देंगे और सरकार को चीनी का विदेशों से आयात करना पड़ेगा।

किसानों पर बहुत अधिक कर लगाये हुए हैं और फिर भी सरकार यह कहती है कि इसे किसानों के प्रति सहानुभूति है। गत वर्ष प्रधान मंत्री ने उर्वरक कर में वृद्धि की थी लेकिन सरकार उनकी मदद को नहीं आई। हम श्री जगजीवन राम से निवेदन करते हैं कि वह किसानों की सहायता के लिये आगे आयें।

हम उर्वरक कर का विरोध करेंगे। राज्य सरकारों ने भूराजस्व में वृद्धि कर दी है। जब सब चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो यह आवश्यक है कि गन्ने के मूल्यों में भी वृद्धि की जाये। ऐसा न करना गन्ना उत्पादकों के प्रति अन्याय होगा।

शीरे का मूल्य वर्ष 1941 में निर्धारित किया गया था। इसका वर्तमान मूल्य पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार इसका विनियंत्रण करती है तो इसका मूल्य 500 रुपये प्रति टन हो जायेगा और तब चीनी का मूल्य बढ़ाये बिना आप किसानों को न्यूनतम चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति टन दे सकते हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो सरकार जो सहायता देने का वचन देती रही है वह केवल मात्र दिखावा होगा।

यदि किसानों की सहायता के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तो यह भय है कि वे किसी और वस्तु का बोना आरम्भ कर देंगे।

सरकार उत्पादन शुल्क के रूप में किसानों से 105 करोड़ रुपये एकत्रित कर रही है। सरकार के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। उसे गन्ना उत्पादकों को कुछ धनराशि देनी चाहिये ताकि वे अपनी फसल उगा सकें। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उत्पादन शुल्क में कुछ कमी करे और गन्ने के न्यूनतम मूल्य में 100 रुपये तक वृद्धि करे।

खुले बाजार में चीनी देने की व्यवस्था को शीघ्र रोका जाना चाहिये। ऐसा सरकार मिल मालिकों की सहायता करने के उद्देश्य से कर रही है। सरकार को वसूली मूल्य 164 रुपये से 190 रुपये कर देना चाहिये ताकि कारखाने गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम 100 रुपये प्रति मीटरी टन अदा करने में समर्थ हो सके। जब सरकार अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने के लिये तैयार है तो वह चीनी के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि करने से क्यों डरती है।

गन्ने का मूल्य सुक्रोज की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये और सुक्रोज की मात्रा के बारे में निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये, कारखानों द्वारा नहीं।

मूल्यों के बढ़ाने पर श्रमिक भी अधिक मजूरी की मांग करते हैं। अब जबकि गन्ने का मूल्य 73 रुपये हो गया है गन्ना उत्पादक श्रमिकों की मजूरी कम नहीं कर सकते। एक बार जब मजूरी बढ़ जाती है तो उसको कम करना बहुत कठिन होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरी टन देकर गन्ना उत्पादकों की सहायता करे।

चीनी मिलों को मशीनरी आयात करने के लिए लाइसेंस दिये जाने चाहिए और सरकार को उन्हें कहना चाहिए कि वे बढ़िया किस्म की चीनी बनायें जिसे निर्यात किया जा सके।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The agriculturists class is the only Class which cannot resort to agitation. They cannot bring the machinery of the Government to a stand still. But this does not mean that they have no grievances or difficulties. They cannot compel the Government to remove their difficulties. There are no educational facilities for their children. It is the duty of the Government to take action in this matter. What to speak of profits, they are not able to get even the price of their sugar cane. The prices of Gur have become so low that it is not possible to recover the cost of production of Gur. The price of sugarcane was very high in 1967. The farmers produced more sugarcane at that time. But now the prices have come down and no body likes to produce sugarcane.

It is the duty of the Government to see that the farmers are paid proper price for their sugarcane. They should be given encouragement in this matter.

The Government should also reduce the excise duty on sugarcane. Nationalization is not only remedy in this matter.

The Government should also reduce the fertilizer tax. The power should be provided to the farmers at cheap rates.

The Government should give the maximum prices to the farmers for their produce.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई उपेक्षा की नीति को ध्यान में रखते हुए मैं गन्ने के उत्पादकों से अनुरोध करूंगा कि वे गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में कमी करें। यदि गन्ना उत्पादक ऐसा करेंगे तभी सरकार को होश आयेगा।

सरकार को उत्पादन शुल्क में कमी करनी चाहिये और उर्वक कर को समाप्त किया जाना चाहिये ।

पिछले वर्ष सभी सदस्यों और मन्त्रियों की व्यक्तिगत इच्छा यही थी कि उर्वरक कर समाप्त किया जाना चाहिए परन्तु ग्रुप के रूप में उनकी राय बदल जाती है ।

श्री जगजीवनराम जनसंघ, विरोधी कांग्रेस, स्वतन्त्र दल, साम्यवादी दलों पर चीनी उत्पादकों तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादकों से धन लेने का आरोप लगा रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

राजनीतिक दलों के लिए धन तो लेना ही होता है और धन उसी से लिया जायगा जिसके पास धन होगा । इसलिऐ मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ ।

किसानों को जो मिलना चाहिये वह तभी मिल सकता है यदि वे आत्मनिर्भर बन जायें और वे गन्ने की काश्त वाले क्षेत्रों को कम करने की बात कह रहे हैं । चीनी का मूल्य कम होता जा रहा है । इस समय यह 100 रु. से गिरकर 70 रु. हो गया है तथा स्वयं किसान के घर पर यह 60 रु. हो गया है । इसका परिणाम यह होगा कि अगले वर्ष उत्पादन शुल्क कम एकत्र होगा और मिल मालिकों को लाभ कम होगा । किसनों और श्रमिकों को और भी कम लाभ होगा । देश में मजूरी बढ़ चुकी है और वह कम नहीं होनी चाहिये । सरकार कमजोर मिलों को अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं लेती । इसकी किसी को परवाह नहीं है । काम वह किया जाना चाहिये जिससे पूरे देश को लाभ हो । यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण से लाभ होगा तो हम इस कार्य में बाधा नहीं डालेंगे । मिल मालिक भी कोई बाधा नहीं डालेंगे क्योंकि उन्हें इसका मुआवजा तो मिल ही जायेगा । अतः प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि सरकार किसानों के साथ न्याय करना चाहती है या नहीं ? अब तक सरकार मिल मालिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों अर्थात् दोनों के साथ न्याय करने में रूचि लेती रही है, परन्तु किसानों के लिए केवल अच्छे दरादे मात्र ही व्यक्त किए जाते, परन्तु बाद में फिर कम से कम मूल्य निश्चित कर दिया जाता है और यह कह दिया जाता हैं कि उसे राज्य सरकार को लागू करना है ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : यह खेद की बात है कि सरकार गुड़ के उत्पादन के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। गन्ना उत्पादक निश्चय ही प्रसन्न है कि उन्हें इस दर पर भी कुछ लाभ हो रहा है । परन्तु ऐसे छोटे गुड़-उत्पादकों की दशा दयनीय है जो मिलों के निकट अर्थात् वे मिलों के 30 या 40 मील के अन्दर नहीं रहते हैं और उनके मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है ऐसे लोगों के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । जब गुड़ का मूल्य निश्चित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा देती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य गिर जाते हैं। इस प्रकार छोटे किसानों को हानि उठानी पड़ती है । मन्त्री महोदय को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिये ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The prices of sugarcane and gur are related to the life of our farmers. It may be recollected that Legilsative Assemblies of Bihar and U. P. had demanded that the price of sugarcane should be fixed at Rs. 15/ per quintal, but Government have not paid any attention towards it. If Government

will not fix the price of sugarcane properly and If 'kisan' did not get the reasonable price, it will naturally affect the price of 'Gur'. In view of this the prices of Gur must be increased otherwise the area of cultivation will be reduced. Consequently the production of sugar will also be reduced and we will not be in a position to earn foreign exchange. Central Government should introduce legilsation to nationalise the sugar industry. Mohini Sugar Mills and Goraru Sugar Mills of Bihar have been closed down. Such sick Mills should be taken over by the Government immediately.

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : इस सम्बन्ध में हमें गन्ना उगाने वालों; उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना चाहिये। अब तक की स्थिति का कारण गन्ना उत्पादक के हितों की लापरवाही थी। हमें सभी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिये। खेतिहर को उचित मूल्य मिलना चाहिये और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर चीनी मिलनी चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The hon. Minister of Agriculture had promised during the mid-term elections that action will be taken against such mill owners who will purchase sugarcane at a rate less than Rs. 10 per quintal. May I know the number of such mill owners against whom the action has been taken ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Our party has not only passed a resolution to nationalise the sugar Mills but they have chalked out a programme for this purpose. By nationalisation we mean to suggest that there should be maximum number of representatives of farmers and sugarcane growers-in the sugar mills. The people who are running these mills should become their owner slowly and steadily. The price of sugarcane is very low. I had suggested that suppose the minimum price of sugarcane is fixed at Rs. 7.35 p. the sugarcane grower may be paid the same but he may be paid rest of the amount later in proportion to the rate at which the sugar is sold in the market. The second point is that when Gur is prepared, ban is imposed on its loading and consequently the Gur is sold at cheaper rates. But when it comes in the market it is sold at higher rates. Some dealers have monopolised this trade and farmers are not being benefited.

The third point is that I want to know the action taken to enconrage the crushers (Rohahus) to crush the sugarecane ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : In case the sick mills of sugar are not nationalised, sugar industry in U. P. would come to standstill. My second point is that the workers engaged in sugar industry have no work to do in off season as the work is sugar mills is seasonal. I want to know whether Government arrange to get them their full pay even during that period ? If it is not possible then whether Government would give financial assistance to 'kolhu' industry to establish sugar factories at small scale ?

श्री एम० नारायण रेड्डी (निज़ामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है कि आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मन्त्री श्री पट्टाभिरामन राव के पिट्टापुरम स्थित एक कारखाने द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय को उक्त व्यक्ति पर दबाव डालना चाहिये जिससे वह बकाया राशि का भुगतान कर दे।

दूसरे क्या सरकार सक्कीन आदि जैसी कृत्रिम वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगायेगी जैसा कि अमरीका में किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : इसका मेरे विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। चीनी के उद्योग के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में गन्ने के कुल उत्पादन का केवल तीसरा भाग की चीनी के कारखानों में पुराई होती है। इसका अर्थ यह है दो कुल गन्ने के तिहाई भाग का उपयोग गुड़ अथवा शक्कर या खण्डसारी के लिये किया जाता है और सरकार द्वारा जो भी मूल्य निश्चित किये जायें उनका प्रभाव केवल चीनी के कारखानों पर पड़ता है, क्योंकि गुड़ या शक्कर के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। कई बार यह मांग की गई है कि गुड़ पर भी मूल्य नियन्त्रण होना चाहिये। परन्तु यह सम्भव नहीं है और मैं स्वयं यह अनुभव करता हूँ कि यदि हम गुड़ पर कोई नियन्त्रण लागू करेंगे तो लाखों किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे सरकार के साधारण कर्मचारियों को किसानों को परेशान करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिये आरम्भ से ही मैं गुड़ पर नियन्त्रण लागू करने के विरुद्ध हूं। जब भी किसी राज्य सरकार ने गुड़ पर नियन्त्रण करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हुआ हूँ। मैं ऐसी किसी बात से सहमत नहीं हो सकता जिससे भारतीय किसान को अनावश्यक परेशानी हो।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने गुड़ के सम्बन्ध में कुछ पाबन्दियों का उल्लेख किया है और यदि वह मुझे इस सम्बन्ध में कुछ और ब्यौरा देने की कृपा करें तो मैं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करूंगा। इस समय गुड़ के लाने अथवा ले जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। इस वर्ष गन्ने की खेती अधिक क्षेत्र में हुई है; इसीलिये हमने खाण्डसारी मिलों को वर्ष के आरम्भ में ही चला देने की अनुमति दे दी है। परन्तु गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये हम जितना भी प्रयत्न करें उसका गन्ने के दो तिहाई उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर न्यूनतम मूल्य लागू नहीं होता।

शीरे के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये है, उन पर विचार किया जायेगा। शीरे पर भी किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। हमने शीरे के मूल्य में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार किया है। मुझे पता चला है कि बहुत से उद्योग स्पिरिट अथवा शराब पर आधारित हैं। और यदि शीरे के मूल्य में भी वृद्धि की गई तो स्पिरिट अथवा शराब के मूल्य में भी वृद्धि हो जायेगी। इसीलिये शीरे के मूल्य में वृद्धि करना वांछनीय नहीं है। परन्तु मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रभाव चीनी पर पड़ेगा और परोक्ष रूप से गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि हो सकती है।

हमें आशा थी कि कारखाने वाले किसानों को गन्ने के न्यूनतम से अधिक मूल्य किसानों को देंगे। वर्ष 1968 में बहुत से कारखानों ने 10 रुपये के हिसाब से भुगतान किया था। यदि गन्ना उत्पादकों के संघ श्री शास्त्री के सुझाव के लिये सहमत हों तो मैं उनके सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हूँ। मद्रास में गन्ना उत्पादकों की कोई समस्या नहीं है। उन्हें न्यूनतम मूल्य मिल रहा है और उन्होंने एक सूत्र बनाया है जिसके अनुसार पिराई के मौसम के अन्त में कारखाने को प्राप्त लाभ के अनुसार मूल्य में समायोजन किया जायेगा। यदि ऐसा समझौता हो जाये तो यही एक अच्छा समाधान हो सकता है। यदि कुछ क्षेत्रों के उत्पादक इस बात पर सहमत हों तो हम कारखाने के मालिकों को भी इसके लिये तैयार कर

लेंगे। गत वर्ष यह सुझाव कारखाने के मालिकों ने दिया था परन्तु उत्पादकों ने उसे रद्द कर दिया था।

मैं भारतीय किसान को अच्छा मूल्य दिलवाने के लिये सदा से प्रयत्नशील रहा हूं। इस सम्बन्ध में मुझे सफलता भी मिली है। अब तक भारतीय किसान का अनुभव यह है कि जिस वर्ष में उत्पादन अधिक होता था उसे कम मूल्य मिलता था और जिस वर्ष उत्पादन कम होता था उसमें उसे अधिक मूल्य मिलता था। परन्तु अब मुख्य किस्मों के अनाज का मूल्य निश्चित कर दिया गया है और किसान को चाहे वह जितना भी अनाज बेचे वही मूल्य मिलता है। नकद फसलों के बारे में भी हम इसी प्रकार की कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं।

गन्ने के बारे में बकाया राशि की शिकायत है। विशेषकर उत्तर भारत में कच्चे माल के लिये समस्त आवर्ती व्यय उत्पादकों को कहना पड़ता है। वे गन्ना सप्लाई करते रहते हैं परन्तु उसका मूल्य उन्हें चीनी तैयार किये जाने के बाद दिया जाता है। इस स्थिति में उत्पादक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अन्यथा गन्ना खराब हो जायेगा। अतः उपर्युक्त सुझाव ठीक है। मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पादकों को आश्वासन दिया था कि वह न्यूनतम मूल्य से कुछ अधिक मूल्य दिलवाने के लिये मिल मालिकों के संघ के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे। परन्तु यदि गन्ना उत्पादक उपर्युक्त सूत्र से सहमत हो जायें तो वह सूत्र कारखानों तथा गन्ना उत्पादकों के लिये अच्छा रहेगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak): What action should be taken against the persons who do not pay the price fixed by the Government ?

Shri Jagjiwan Ram: Once the statutorily fix the price, any violation of the statutory price by any factory is liable to prosecution.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): चीनी का मूल्य कुछ बढ़ा कर गन्ने का मूल्य बढ़ाने के बारे में क्या विचार है ?

श्री जगजीवन राम: यह कोई नया सुझाव नहीं है। यदि कारखाने के मालिक को गन्ने का मूल्य अधिक देने के लिये कहा जाता है, तो उसका उत्तर यही होता है कि यदि वसूली मूल्य बढ़ा दिया जाये तो वह अधिक मूल्य दे सकता है। इस बात का लाभ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। परन्तु उपर्युक्त सूत्र बहुत उपयुक्त एवं वैज्ञानिक है। यदि गन्ना उत्पादक इस पर सहमत हों तो मैं अपने अधिकारियों से कहूंगा कि वह मिल मालिकों के साथ बातचीत करें।

कलकत्ता में बैंक में डकैती के बारे वक्तव्य

STATEMENT RE: BANK ROBBERY AT CALCUTTA

उपाध्यक्ष महोदय: आधा घण्टे की चर्चा लेने से पहिले, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आज सुबह वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने कलकत्ता में बैंक में डकैती के बारे में सभा में

कुछ जानकारी दी थी। उन्हें कुछ और जानकारी मिली है और मैं सभा की अनुमति से उन्हें सभा पटल पर यह जानकारी रखने के लिये कहूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We should at least know the names of the persons who are involved in this dacoity.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : What are the antecedents of these persons ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक छोटा सा वक्तव्य है। सभा का समय बचाने की दृष्टि से वह इसे सभा पटल पर रख दें।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

15 दिसम्बर, 1969 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की रसैल स्ट्रीट, ब्रांच में डकैती के बारे में आज प्रातः दिये गये वक्तव्य के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से हाल में कुछ और ब्योरा प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार एक लारी और स्टेशन वैगन सहित तीन मोटर गाड़ियों में 10 अथवा 12 हथियार बन्द व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में पहुंचे। बैंक के अहाते में घुसने वाले व्यक्तियों ने अचानक गोली चलानी शुरु कर दी जिससे बैंक का एक गार्ड मारा गया। वे 4,62,218.65 रुपये के नोट और छोटी रेजगारी के चार बक्से और 6 लाख रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियां ले गये। जिस समय बैंक के अन्दर यह कार्यवाही की जा रही थी, तो गिरोह के शेष सदस्यों ने जनता को डराने के लिये हथगोले छोड़े और अपनी बन्दूकों से गोली चलाई। इसके बाद पूरा गिरोह गोली वर्षा करते हुए उनकी मोटर गाड़ियों में भाग गया जिनमें वह आया था। इस सारे कांड में लगभग पांच मिनट लगे। लारी और स्टेशन वैगन, जिनमें डाकू आये थे, बाद में बैंक के पास दो स्थानों पर खड़ी मिलीं और लगभग 20,000 रुपये के नोटों के दो बंडल और कुछ प्रतिभूतियां बरामद की गईं। इस डकैती के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अनेक व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। कलकत्ता पुलिस के गुप्तचर विभाग द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

विश्व बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तन

STRUCTURAL CHANGES IN MANAGEMENT OF WORLD BANK**

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My discussion is based upon the answer given by the hon. Minister on 17th November, 1969 to my question No. 16. India

*आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour discussion

and other developing countries become entitled to draw more as a result of an increase in drawing rights with the International Monetary Fund so that their difficulties of foreign exchange may be removed. The developing countries should get maximum benefit from International Monetary Fund or the World Bank. But the present set up of I. N. F. or World Bank helps those countries who are already developed. The hon Minister had pointed out an allocation of 9.5 million in Special Drawing Right which will be applicable for three years. The 3/4 allocation will go to developing nations. But the hon. Minister has not clarified as to who the benefit accrues to them.

The I. N. F., as matter of fact, is used as a bait by the American Finance Capital. Primafacie, this appears to be an assistance for the undeveloped nations but a deep insight into it would removed that it is unpelled chiefly by the profit motive, The question of I. N. F. had been debated at the international forum several times and the final position that has emerged is that I. N. F. and I. B. R. D. articles were framed on 27th Dec. 1945 and in 1946 the World Bank oflice was opened. Russia was not a member of these bodies and later Cuba, Czechoseovakia and poland also ceased to be members.

The World Bank came into being with the sole objective of making an outlet for the American Capital and when the fell short of their requirement, they created International Finance Corporation in July, 1956. Later on. a third wing namely International Development Association also came into being and this is a very confusing Association. This body allures undeveloped countries by giving them grace for ten years and obviously the nascent free countries were in dire need of finance in their initial stage.

The strings attracted to those so called aids are that the amount of aid is to be used for agricultural purposes which means aid only to the private sector at the sufferance of the public sector.

Both these bodies are broadly the constituents of UNO. The voting pattern in the World Bank is that every member country has 250 votes plus one additional vote for 1 lakh dollars of capital subsential by it, That shows that the developed countries would have more votes *vis-a-vis* the undeveloped countries since the former are in a position to subscribe more capital. The undeveloped and under-developed countries can hope to benefit from this body only when the composition and ccmplexion of these bodies undergoes a drastic change.

The Governor of Reserve Bank of India recently paid a visit to America and there he is also personally advocated for reconsideration of the role of developing countries in the management of INF and World Bank. He also publicly criticised the system in which the developing countries account for the 4/5 of the funds membership but had a voting strength of only 1/4,

Is it not a fact that only the developed nations have benefited more from those bodies as compared to developing countries ?

Secondly how many time India has raised the question of changing the voting powers as also the terms of agreement ? May I also know the extent to which Govt. contemplate to pursue the points raised by the Governor of Reserve Bank of India and the steps being taken by Government for associating Afro-Asian nations ? To what extent the country has received a set back as a result of increase in Bank rate ? Is it

also not a fact that the World Bank exerted pressure on India for rupee devaluation and India did not due to this pressure and again pressure is being exerted for further devaluation of rupee as a condition for assistance from World Bank ? The hon. Minister may please clarify all the points mentioned above.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, the hon. Member, Shri Jha, has rightly pointed out that the World Bank is dominated by Imperialists. The structural set up of the World Bank has not undergone any change while there heve been speedy changes in the set of UNO due to the membership of the Nations which have achieved independence recently. If our Government prepare to raise the issue that the representatives for the World Bank should be elected through election on the basis of contiments ?

The World Bank and Imperialists interfere in the internal affairs of India and other backward countries. They exerted pressure on this country for the devaluation of rupee and thus acted against the interest of this country. The World Bank has also suggested that the Fourth Five Year Plan should not be implemented at present. May I know whether Government should take bold steps to prevent this sort of interference.

Shri **Randhir Singh** (Rohtak) : Our representation in World Bank is one-eighth of that of America. This is a disparity and an insult to this great country. The One hundred and twelve members of UNO should be given voting rights and equal share, May I know the steps likely to be taken by Government of India in association with other backward countries for further demorcatisation of World Bank so that the Bank may help the backward countries like India more effectively. May I know whether there if any scheme before the Government to take maximum aid from the World Bank for ameliorating the condition of villages and farmers, for developing the villages and expanding agriculture as also for providing rural electriciation ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने अपने को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विशेष आहरण अधिकार अथवा 'पेपर गोल्ड' तक सीमित रखने की बजाय विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के बारे में अधिक विचार व्यक्त किये हैं।

यह कहना गलत है कि आई० डी० आर० ने केवल कृषि क्षेत्र के लिये ऋण दिये हैं। भारत को आई. डी. आर. से सिंचाई, औद्योगिक कच्चे माल, पुर्जों; रेलवे, दूर संचार आदि के लिये $\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण मिला है।

जहां तक विशेष आहरण अधिकारों का सम्बन्ध है विश्व व्यापार 7.5 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा है जबकि राष्ट्रों की सोना रखने की स्थिति में 2.5 प्रतिशत से अधिक सुधार नहीं हुआ है। यह एक अतिरिक्त निधि है जिसमें सदस्य देशों के लिये बराबर मात्रा में सोना रखना आवश्यक नहीं है। अत: एक नया खाता खोलकर एक प्रकार की नई निधि बनाई गई है। विशेषधन के रूप में तीन वर्ष के अन्दर लगभग 9.5 बिलियन डालरों की व्यवस्था की जायेगी।

विशेष आहरण अधिकार इस बात पर निर्भर करेंगे कि सदस्य राष्ट्रों का कितना कितना कोटा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारा कोटा 750 मिलियन डालर है और विश्व बैंक में कोषधारियों में हमारा पांचवा स्थान होने के कारण हम नामांकित निदेशक हैं।

इनसे हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं और हम पर कुछ दायित्व भी आ जाते हैं। ये कुछ देशों की अर्थोपाय स्थिति में सुधार करने के लिये हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा आदि में इन विशेष आहरण अधिकारों का लाभ उठाया जायेगा। जिन देशों के पास अधिक कोटे हैं, उन्हें यह कहा जायेगा कि वे अपनी परिवर्तनीय मुद्रा कोष हमें दें। इसका निर्णय अन्तराष्ट्रीय निकाय करेगा। अतः जहां तक आहरण का अधिकार मिलता है, उसके साथ साथ हम पर यह दायित्व भी आता है कि हम परिवर्तनीय मुद्रा की भी व्यवस्था करें। परन्तु हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम अधिक परिवर्तनीय मुद्रा की व्यवस्था कर सकें। 80 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 25 औद्योगिक विकसित देशों द्वारा किया जाता है। इसलिये हम समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सामने कुछ मामले उठाते रहते हैं। समूची स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को कोटे दिये जाने चाहिये। हम यह तर्क भी देते आ रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से यह आभास नहीं होना चाहिये कि ये अमीर व्यक्तियों की संस्थायें हैं और विकासशील देशों की आवाज अधिक प्रभावशाली ढंग से सुनी जानी चाहिये।

कोटों का यह पंचवर्षीय पुनरीक्षण प्रत्येक देश के विश्व व्यापार, आर्थिक स्थिति और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर होता है और यह सम्भावना है कि इनके कारण जापान, कनाडा, इटली और कुछ अन्य देशों के कोटे बढ़ने की आशा है। हमारा भी 750 मिलियन डालर का कोटा बढ़ने की सम्भावना है परन्तु हम नामांकित सदस्य के रूप में नहीं रह सकेंगे। परन्तु हम एक निर्वाचित सदस्य के रूप में रहेंगे और स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा। निर्वाचित सदस्य के रूप में हम पड़ौसी देशों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

हम अन्य विकासशील देशों के साथ साथ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोटे का पुनरीक्षण विश्व व्यापार आदि के आधार पर नहीं होना चाहिये, अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिये और विकासशील देशों को विशेष कोटा दिया जाना चाहिये।

ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस और भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के नामांकित निदेशक हैं और अन्य निर्वाचित निदेशक हैं। दक्षिणी अमरीका व देशों के तीन निदेशक हैं। परन्तु अब यह प्रस्ताव है कि नामांकित निदेशकों को हटाकर पूर्णतया निर्वाचित निदेशक रख दिये जाये। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। परन्तु इससे कुछ समस्यायें भी पैदा होंगी। जिन पर ये निकाय विचार करेंगे।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : क्या नामांकित सदस्यों को मताधिकार होता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कोटे के आधार पर होता है। एक लाख डालर के लिये एक मत का अधिकार होता है।

जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर के भाषण का सम्बन्ध है, मुझे उसके प्रतिकूल कुछ नहीं कहना है। उन्होंने हमारी भावनाओं और विचारों को ठीक ही व्यक्त किया है।

Shri Shiv Chandra Jha : Pressure was exerted for devaluation of rupee. Is this type of pressure being exerted at present also ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं रुपये के अवमूल्यन के बारे में वाद-विवाद में नहीं उलझूंगा। इस पर सभा में काफी चर्चा हो चुकी है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, वह हमारा अपना निर्णय होता है। किसी का दबाव का कोई प्रश्न नहीं है।

इन विश्व निकायों और विशेष आहरण अधिकारों के बारे में मैं पहिले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 1969/25 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 16, 1969/Agrahayan 25, 1891 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]